खण्ड ९ — अंक २८
२१ दिसम्बर, १९५६ (शुक्रवार)

लोक-सभा

वाद-विवाद

(भाग १ — प्रश्नोत्तर)

सत्यमेव जयते

1st Lok Sabha
(XIV Session)

(खण्ड ९ में अंक २१ से अंक २९ तक हैं)

लोक-सभा सचिवालय,
नई दिल्ली

चार आने या २५ नये पैसे (देश में) एक शिलिंग (विदेश में)

विषय-सूची

[भाग १ वाद-विवाद खण्ड ९—१२ से २२ दिसम्बर, १९५६]

पृष्ठ

अंक २१—बुधवार, १२ दिसम्बर, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या १०७४ से १०७९, १०८२, १०८३, १०८७ से १०९०, १०९५, १०९७, १०९९, ११०५, ११०८, १११९, १११२, १११८ से ११२१, १०८१, १०९४, ११०१ और ११०७ — १०६५–८८

अल्प-सूचना प्रश्न संख्या ४ से ७ — १०८८–९६

प्रश्नों के लिखित उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या १०८०, १०८४ से १०८६, १०९१ से १०९३, १०९६, १०९८, ११००, ११०२ से ११०४, ११०६, ११०९, १११०, १११३ से १११५, १११७ और ११२२ से ११२४ — १०९६–११०३

अतारांकित प्रश्न संख्या ८५४ से ८९१ — ११०४–१९

दैनिक संक्षेपिका ... ... — **११२०–२२**

अंक २२—गुरुवार, १३ दिसम्बर, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या ११२६ से ११३०, ११३३ से ११३८, ११४१ से ११४५, ११४७, ११५०, ११५१ और ११५३ से ११५८ — ११२३–४६

अल्प-सूचना प्रश्न संख्या ८ और ९ — ११४७–४९

प्रश्नों के लिखित उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या ११२५, ११३१, ११३२, ११३९, ११४०, ११४६, ११४८, ११४९, ११५२, ११५९ और ११६१ से ११६८ — ११५०–५५

अतारांकित प्रश्न संख्या ८९२ से ९१२ ... ... — ११५५–६२

तारांकित प्रश्न संख्या ११५५ पर अनुपूरक प्रश्न के उत्तर की शुद्धि — ११६३

दैनिक संक्षेपिका ... ... — **११६४–६६**

अंक २३—शुक्रवार, १४ दिसम्बर, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या ११६९ से ११७५, ११७८ से ११८१, ११८४, ११८६, ११८९ से ११९४ और ११९६ से १२०० ... — ११६७–८८

प्रश्नों के लिखित उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या ११७६, ११७७, ११८२, ११८३, ११८५, ११८७ ११८८, ११९५, १२०१ से १२२१ और ८९५ .... — ११८८–९७

अतारांकित प्रश्न संख्या ९१३ से ९७१ ... — ११९७–१२२१

दैनिक संक्षेपिका — **१२२२–२५**

अंक २४—सोमवार, १७ दिसम्बर, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या १२२२ १२२३, १२२५, १२२६, १२२८, १२२९ १२३१, १२३२, १२३५, १२३८, १२३९, १२४५, १२४७, १२४९ १२५१ से १२५५, १२५७, १२५८, १२६१, १२६५ और १२६७ ... १२२७–४९

प्रश्नों के लिखित उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या १२२४, १२२७, १२३०, १२३३, १२३४, १२३६, १२३७, १२४० से १२४४, १२४६, १२४८, १२५०, १२५६, १२५९, १२६०, १२६२ से १२६४, १२६६ और १२६८ से १२७३ १२४९–५८

अतारांकित प्रश्न संख्या ९७२ से १०२९, १०३१ और १०३२ १२५८–८०

दैनिक संक्षेपिका **१२८१–८४**

अंक २५—मंगलवार, १८ दिसम्बर, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या १२७५ से १२७७, १२८०, १२८१, १२८३ से १२८५, १२८७ से १२९१, १२९३, १२९५ से १२९७, १२९९ और १३०१ से १३०३ १२८५–१३०७

अल्प-सूचना प्रश्न संख्या १० और ११ ... १३०७–१०

प्रश्नों के लिखित उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या १२७४, १२७८, १२७९, १२८२, १२८६, १२९२, १२९४, १२९८, १३००, १३०४ से १३०७ और १३०९ से १३३० ... ... १३१०–२१

अतारांकित प्रश्न संख्या १०३३ से १०४३ और १०४५ से १०९९ १३२१–५०

दैनिक संक्षेपिका ... **१३५१–५४**

अंक २६—बुधवार, १९ दिसम्बर, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या १३३४, १३३७, १३३७-क, १३३८ से १३४५, १३४७ से १३४९, १३५२ से १३५४, १३५५, १३५६, १३५८ और १३६० ... ... १३५५–७६

अल्प-सूचना प्रश्न संख्या १२ और १३ ... १३७७–७९

प्रश्नों के लिखित उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या १३३१ से १३३३, १३३५, १३३६, १३४६, १३५०, १३५१, १३५४-क, १३५७, १३५९, १३६१ से १३९२ ... ... १३७९–९४

अतारांकित प्रश्न संख्या ११०० से ११२६, ११२८ से ११३२, ११३४ से १२०६, १२०८ से १२१४ और १२१४-क ... १३९४–१४३७

दैनिक संक्षेपिका **१४३८–४३**

अंक २७—गुरुवार, २० दिसम्बर, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या १३९३ से १४००, १४०३, १४०६, १४०८, १४११ १४०७, १४१३, १४१४, १४१६, १४१८, १४२०, १४२०-क, १४२१, १४२४-क, १४२५, १४२६, १४२९ और १४३३ — १४४५–६८

प्रश्नों के लिखित उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या १४०१, १४०२, १४०४, १४०९, १४१०, १४१२ १४१५, १४१७, १४१९, १४२२ से १४२४, १४२७, १४२८, १४३० से १४३२ और १११६ — १४६९–७५

अतारांकित प्रश्न संख्या १२१५ से १२२५, १२२५-क, १२२६ से १२८४ १२८४-क और १२८७ से १३०४ — १४७५–१५०५

दैनिक संक्षेपिका — **१५०६–१०**

अंक २८—शुक्रवार, २१ दिसम्बर, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या १४३५ से १४३७, १४४० से १४४४, १४४५-क, १४४६, १४४७, १४४९ से १४५६, १४५८ से १४६० — १५११–३३

प्रश्नों के लिखित उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या १४३४, १४३८, १४३९, १४४५, १४४८, १४५७, १४६१ से १४८१ और १४८३ ... — १५३३–४२

अतारांकित प्रश्न संख्या १३०५ से १३४४, १३४४-क, १३४५ से १३६३ — १५४३–६९

दैनिक संक्षेपिका ... — **१५६७–७०**

अंक २९—शनिवार, २२ दिसम्बर, १९५६

प्रश्न का मौखिक उत्तर

अल्प-सूचना प्रश्न संख्या १४ — १५७१–७३

दैनिक संक्षेपिका — **१५७४**

सत्र का संक्षिप्त वृत्तांत ... — **१५७५–७७**

टिप्पणी : किसी नाम पर अंकित यह + चिन्ह इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उसी सदस्य ने वास्तव में पूछा था ।

M29LSD—190—13-3-58—GIPF.

लोक-सभा वाद-विवाद

(भाग १—प्रश्नोत्तर)

लोक-सभा

शुक्रवार, २१ दिसम्बर, १९५६

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई

[**अध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

इस्पात का आयात

†*१४३५. **श्री भागवत झा आज़ाद** : क्या **भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने १९५७ के लिये इस्पात आयात करने की योजना तैयार कर ली है;

(ख) यदि हां, तो कुल कितनी मात्रा का आयात किया जायेगा; और

(ग) किन-किन देशों से किया जायेगा ?

†**भारी उद्योग मंत्री• (श्री म० म० शाह)** : (क) १९५७ के लिये केवल अस्थायी योजना ही बनाई गई है।

(ख) और (ग). इंग्लैण्ड, जापान, बेलजियम, पश्चिमी जर्मनी, सोवियत, रूस, चेकोस्लावेकिया, इटली, चीन तथा अन्य देशों से १९५७ में ६ लाख टन इस्पात लेने का करार हुआ है। और आयात करने के प्रश्न पर विचार किया जा रहा है।

†**श्री भागवत झा आज़ाद** : क्या १९५७ के लिये हमारी आवश्यकताओं का अनुमान लगा लिया गया है ?

†**श्री म० म० शाह** : १९५७ के लिये हमारी आवश्यकताओं का अनुमान लगभग ३० लाख से ३०·५ लाख टन तक है।

†**श्री भागवत झा आज़ाद** : विभिन्न देशों से इस्पात के आयात से हमारी आवश्यकताएं कहां तक पूरी होंगी ? कमी पूरी करने के लिये अन्य क्या प्रबन्ध किये जा रहे हैं ?

†**श्री म० म० शाह** : एक उपाय जो हम कर रहे हैं वह है उत्पादन बढ़ाने का। लेकिन जहां तक अगले वर्ष का सम्बन्ध है, उत्पादन उस मात्रा तक न हो सकेगा। आज देश की विदेशी मुद्रा की जो स्थिति

†मूल अंग्रेजी में।

है उसके कारण हम पहले कुछ नहीं कह सकते। इस समय तो ६ लाख टन के बारे में करार किया गया है और कमी पूरी करने के लिये आगे कोशिश जारी है।

†**श्री भागवत झा आजाद** : जिन देशों के साथ हमने आयात के करार किये हैं, उन में से किस देश से हमने सब से ज्यादा लाभदायक शर्तें प्राप्त की हैं और वे किस सम्बन्ध में हैं ?

†**श्री म० म० शाह** : मैं ने देशों के नाम बताये हैं। शर्तें स्थानीय मूल्य पर निर्भर करती हैं। जहां तक यूरोपीय देशों का सम्बन्ध है वे सब ब्रसल्स अभिसमय का अनुसरण करते हैं और कीमतें वर्गों के अनुसार लगभग समान हैं और बाजार की स्थिति के मुताबिक हैं।

†**श्री त० ब० विट्ठल राव** : क्या १९५७ के लिये ३० लाख टन से ३०·५ लाख टन के आंकड़ों में बकाया मात्रा भी सम्मिलित है, जिसके १९५६ में कम संभरण होने के कारण अब मिलने की संभावना है ?

†**श्री म० म० शाह** : १९५६ में कम सम्भरण नहीं हुआ। १८ लाख टन के लक्ष्य में से नवम्बर के अन्त तक हमारे पास १७·५ लाख टन पहले ही पहुंच चुका है और ·५०,००० टन या १ लाख टन शेष है। आशा है वह इस महीने आ जायेगा।

†**श्री न० म० लिंगम** : किन-किन मुख्य परियोजनाओं के लिये इन आयातों की आवश्यकता है और क्या सरकार ने इस्पात के बारे में कोई पूर्ववर्तितायें भी निर्धारित की हैं ताकि विदेशी मुद्रा की कमी को ध्यान में रखते हुए इस्पात का अनावश्यक आयात रोका जा सके ?

†**श्री म० म० शाह** : परियोजनाओं के बारे में सभा पहले ही जानती है और इस्पात सम्बन्धी पूर्ववर्तिताओं के बारे में भी मैंने कई बार सभा में जानकारी दी है। सब से पहले सरकारी विकास योजनायें आती हैं, जिनमें सिंचाई और विद्युत् की बड़ी-बड़ी परियोजनायें सम्मिलित हैं। इसके बाद और महत्व-पूर्ण विकास योजनायें हैं जिन के लिये इस्पात का आवंटन किया जाता है। औद्योगिक विकास की कुछ गैर सरकारी योजनायें भी हैं। इस के बाद इस्पात उद्योग में भी माल तैयार करने का उद्योग है; इसके बाद लोगों द्वारा निर्माण की आवश्यकतायें हैं अर्थात् असैनिक सम्भरण के लिये इस्पात का प्रयोग।

†**पंडित द्वा० ना० तिवारी** : माननीय मंत्री ने जो पूर्ववर्तिता बताई है क्या लोगों को दिये जाने वाले इस्पात की कोई मात्रा निर्धारित की गई है ? क्या सरकार को यह पता है कि उत्तर बिहार के बाढ़ पीड़ित क्षेत्रों में इस्पात की कमी के कारण मकान नहीं बनाये जा रहे हैं ?

†**श्री म० म० शाह** : जैसा कि मैंने कहा है असैनिक संभरण से अभिप्राय है लोगों को इस्पात देना। हाल ही में उत्तर प्रदेश तथा पश्चिमी बंगाल में बाढ़ आई थी। तुरन्त ही हम जितनी जस्ते के पालिश वाली चादरें भेज सकते थे हमने भेजीं। यह सच है कि हम देश की समस्त आवश्यकताओं के अनुसार संभरण नहीं कर सके, क्योंकि विदेशी मुद्रा सीमित है और आयात भी सीमित है।

समाचारपत्रों के लिये समुद्री तारों की सस्ती दरें

†*१४३६. **श्री बहादुर सिंह** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यूनेस्को और इंटरनेशनल टेली-कम्यूनिकेशन यूनियन ने समाचारपत्रों के लिये समुद्री तारों की सस्ती दरों के बारे में कुछ प्रस्ताव रखे हैं;

(ख) प्रस्ताव का पूर्ण पाठ क्या है; और

(ग) क्या भारत सरकार द्वारा कुछ प्रस्ताव स्वीकृत किये गये हैं और यदि हां, तो वे क्या हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में।

†**उत्पादन उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र)** : (क) यूनेस्को के महानिदेशक और इंटरनेशनल टेली-कम्यूनिकेशन यूनियन के महासचिव की "समाचार संवाद भेजने की समस्या का संयुक्त अध्ययन" नामक रिपोर्ट में अन्य बातों के साथ-साथ "समाचार पत्रों के लिये समुद्री तारों की सस्ती दरों" के बारे में यूनेस्को के महानिदेशक की सिफारिशयुक्त प्रस्ताव भी हैं ।

(ख) विद्यमान विनियमों के उपबन्ध और प्रस्तावित उपबन्धों का तुलनात्मक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट ५, अनुबन्ध संख्या १०५]**

(ग) इंटरनेशनल टेली-कम्यूनिकेशन यूनियन के १९५९ में आयोजित इंटरनेशनल टेलीग्राफ एडमिनिस्ट्रेटिव कानफ्रेंस (अन्तर्राष्ट्रीय तार प्रशासन सम्मेलन) के समय ये प्रस्ताव विचारार्थ रख जायेंगे । इस सम्मेलन की कार्य-सूची प्राप्त होने पर भारत सरकार इन पर अन्तिम रूप से अपने विचार प्रकट करेगी ।

†**श्री बहादुर सिंह** : क्या साधारण और अत्यावश्यक दरों में वर्तमान में कोई विसंगतियां हैं अर्थात् टेलीप्रिंटर लाइनों की दरें और समाचार प्रसारित करने के लिये रेडियो के माध्यम से भेजे जाने वाले समाचारों के अधिभार में कोई अन्तर है ?

†**श्री सतीश चन्द्र** : माननीय सदस्य का प्रश्न यूनेस्को और इंटरनेशनल टेली-कम्यूनिकेशन यूनियन के प्रस्तावों से सम्बन्धित है । अब वह साधारण तार की दरों के बारे में जानना चाहते हैं ।

†**श्री बहादुर सिंह** : मैं जानना चाहता हूं कि इस दिशा में क्या स्थिति है ।

†**श्री सतीश चन्द्र** : भारत में दरें पहले ही कम हैं । यदि ये सिफारिशें स्वीकृत हो गईं तो अधिक अन्तर नहीं रहेगा । इंटरनेशनल टेली-कम्यूनिकेशन यूनियन द्वारा १९५९ में इन सिफारिशों पर विचार किये जाने के पश्चात् केवल यह किया जायेगा कि अत्यावश्यक तार संवाद सम्बन्धी दरें जो सामान्य तार दरों से तिगुनी हैं, वर्तमान दरों से दुगुनी हो जायेंगी । भारत सरकार सामान्यतया इन प्रस्तावों का समर्थन करती है । किन्तु अवसर उपस्थित होने पर ही वह इन पर विचार करेगी ।

युद्ध-विराम रेखा पर संयुक्त राष्ट्र संघ के पर्यवेक्षक

†***१४३७. श्री कृष्णाचार्य जोशी** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) काश्मीर राज्य में युद्ध-विराम रेखा पर नियुक्त संयुक्त राष्ट्र संघ के कुल कितने पर्यवेक्षक हैं; और

(ख) इन पर्यवेक्षकों पर १९५५-५६ में कुल कितना व्यय किया गया है ?

†**वैदेशिक-कार्य मंत्री के सभासचिव (श्री सादत अली खां)** : (क) जम्मू और काश्मीर राज्य की युद्ध-विराम रेखा पर नियत संयुक्त राष्ट्र पर्यवेक्षकों की संख्या निश्चित नहीं है किन्तु उनमें समय-समय पर परिवर्तन होता रहता है । १ नवम्बर, १९५६ को उनकी संख्या २६ थी ।

(ख) संयुक्त राष्ट्र के पर्यवेक्षकों पर संयुक्त राष्ट्र संघ व्यय करता है । किन्तु भारत सरकार, आवास, सीमान्त, क्षेत्रों में राशन, यान्त्रिक परिवहन, सैनिक अस्पतालों में निशुल्क चिकित्सा व्यवस्था आदि साधारण सुविधायें प्रदान करती है । इन सुविधाओं को प्रदान करने में जो खर्च होता है उसका अलग लेखा नहीं रखा जाता है ।

†**श्री कृष्णाचार्य जोशी** : इन पर्यवेक्षकों की कार्यावधि एवं राष्ट्रीयता क्या है ?

†**श्री सादत अली खां** : पर्यवेक्षकों की कार्य अवधि सामान्यतया एक वर्ष है । अनुमति हो तो मैं उनकी राष्ट्रीयता बता दूं ?

---

†मूल अंग्रेजी में ।

†**अध्यक्ष महोदय** : वे कितने हैं ।

†**श्री सादत अली खां** : आठ ।

आस्ट्रेलिया; बेल्जियम; कनाडा; चिली; डेनमार्क; न्यूजीलैण्ड; स्वीडेन और उरगुए ।

†**श्री कृष्णाचार्य जोशी** : क्या ये पर्यवेक्षक कोई प्रतिवेदन प्रस्तुत करते हैं, और यदि हां, तो क्या युद्ध-विराम रेखा के उल्लंघन के सम्बन्ध में हाल में कोई प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है ?

†**श्री सादत अली खां** : युद्ध-विराम के उल्लंघन की स्थिति में वे प्रतिवेदन प्रस्तुत करते हैं । यह सामान्य नियम है ।

†**श्री सिंहासन सिंह** : इन पर्यवेक्षकों के आजकल क्या कार्य हैं ?

†**श्री सादत अली खां** : भारत और पाकिस्तान में युद्ध-विराम समझौते की पूर्ति पर ध्यान देना ही इन पर्यवेक्षकों का काम है ।

†**श्री कामत** : क्या सरकार को इस आशय के समाचार मिले हैं कि जम्मू और काश्मीर में युद्ध-विराम रेखा पर संयुक्त राष्ट्र पर्यवेक्षकों को ठहराने के लिये अपनी सम्मति प्रदान करते हुए भी पाकिस्तान सरकार और अधिकारीगण पर्यवेक्षकों को सहयोग प्रदान नहीं कर रहे हैं तथा वे वस्तुतः युद्ध-विराम रेखा पर पर्यवेक्षकों की उपस्थिति पर रोष प्रकट कर रहे हैं ?

†**श्री सादत अली खां** : श्रीमान् हमारे पास कोई जानकारी नहीं है ।

†**श्री ब० स० मूर्ति** : संयुक्त राष्ट्र पर्यवेक्षकों की संख्या में परिवर्तन के क्या कारण हैं ? इस संख्या में वृद्धि हो रही है अथवा कमी ?

†**श्री सादत अली खां** : आवश्यकता के अनुसार इनकी संख्या में परिवर्तन करना मुख्य सैनिक पर्यवेक्षक के विवेकाधीन है ।

नये काम दिलाऊ दफ्तर

*१४४०. **श्री भक्त दर्शन** : क्या **श्रम** मंत्री ७ अगस्त, १९५६ के अतारांकित प्रश्न संख्या ४५७ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि जिन १२५ नये (काम दिलाऊ) दफ्तरों को स्थापित करने का प्रश्न विचाराधीन था उनके बारे में इस बीच क्या प्रगति हुई है ?

श्रम मंत्री (श्री खण्डू भाई देसाई) : अब तक २४ नये काम दिलाऊ दफ्तर खोलने की मंजूरी दी जा चुकी है । उन स्थानों का विवरण, जहां ये दफ्तर खोले जायेंगे, सभा-पटल पर रख दिया गया है । **[देखिये परिशिष्ट ५, अनुबन्ध संख्या १०६]**

श्री भक्त दर्शन : इस विवरण को देखने से ज्ञात होता है कि जो २४ नए रोजगार दफ्तर खोले गये हैं उनमें से किसी-किसी प्रान्त में तो चार-चार और कहीं पर एक भी नहीं खोला गया है जैसे उत्तर प्रदेश में । मैं जानना चाहता हूं कि वह कौन-सा आधार है जिसको दृष्टि में रख कर ये रोज़गार दफ्तर खोले जा रहे हैं ?

श्री खण्डू भाई देसाई : १२५ नए दफ्तर खोलने का निर्णय हुआ है । लेकिन जब-जब स्टेट गवर्नमेंट्स की तरफ से दरख्वास्तें आती हैं, उस वक्त हम सोचते हैं ।

श्री भक्त दर्शन : इन नए १२५ दफ्तरों के बारे में क्या राज्य सरकारों से सुझाव मांग लिये गये हैं और क्या इस बात का भी ध्यान रखा जा रहा है कि जहां-जहां कुछ दिनों पहले ये दफ्तर बन्द कर दिये गये थे वहां सब से पहले वे खोले जायें ?

---

†मूल अंग्रेजी में ।

श्री खण्डू भाई देसाई : मेरे ख्याल में कहां दफ्तर खुलने चाहियें और कहां बन्द करने चाहियें, यह स्टेट गवर्नमेंट की डिस्क्रिशन पर है ।

श्री भक्त दर्शन : क्या गवर्नमेंट ने विचार किया है कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना में हमने इस बात की आशा की है कि एक करोड़ नए व्यक्तियों को रोज़गार दे सकेंगे और इसको दृष्टि में रखते हुए क्या गवर्नमेंट को विश्वास है कि उन १२५ दफ्तरों मे हमारा लक्ष्य पूरा हो जायेगा या और दफ्तर खोलन की जरूरत पड़ेगी ?

श्री खण्डू भाई देसाई : वह जो लक्ष्य है वह अलग से है । लेकिन जहां तक इन दफ्तरों का ताल्लुक है, १२५ नए दफ्तर खोलने का निर्णय, द्वितीय पंचवर्षीय योजना के काल में हुआ है ।

श्री सिंहासन सिंह : इन रोज़गार दफ्तरों के ज़रिये से किस हद तक देश की बेकारी दूर हुई है, क्या गवर्नमेंट बतला सकती है और क्या उसके पास इस बारे में कोई आंकड़े हैं ?

श्री खंण्डू भाई देसाई : दफ्तर खोलने का जो प्रश्न है, इसके साथ बेकारी का सम्बन्ध नहीं है ।

सरदार अ० सिं० सहगल : क्या यह सच है कि मध्य प्रदेश की सरकार ने यह सुझाव दिया है कि वहां पर हर एक कमिशनरी में एम्प्लायमेंट एक्सचेंज खोलने की व्यवस्था की जाये ?

श्री खण्डू भाई देसाई : जब उसके पास से दरख्वास्त आएगी, तो सोचा जायेगा ।

बंगाल साल्ट फैक्टरीज, कण्टाई

†*१४४१. **श्री स० चं० सामन्त** : क्या **उत्पादन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मिदनापुर और २४ परगना जिलों में आये पिछले तूफान के फलस्वरूप पश्चिमी बंगाल के कण्टाई स्थित बंगाल साल्ट फैक्टरीज की कितनी हानि हुई;

(ख) क्या सरकार इन फैक्टरियों को सहायता देने का विचार रखती है;

(ग) यदि हां, तो कितने अनुदान और कितने ऋण देने का विचार है;

(घ) द्वितीय पंचवर्षीय योजना में बंगाल साल्ट फैक्टरीज़ में प्रस्तावित काम का परिमाण कितना है ?

†**उत्पादन उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र)** : (क) लगभग ३५,००० रुपये

(ख) तथा (ग). प्रश्न विचाराधीन है ।

(घ) श्रमिकों की कुछ सुविधाओं के लिये, ६,००० रुपये व्यय करने का विचार है ।

†**श्री स० चं० सामन्त** : फैक्टरी द्वारा कितनी रकम का दावा किया गया है ?

†**श्री सतीश चन्द्र** : जहां तक मुझे ज्ञात है, फैक्टरी ने कुछ भी दावा नहीं किया है । माननीय सदस्य ने स्वयं ही यह मामला मंत्रणा समिति में उठाया था जिसके वह सदस्य हैं ।

†**श्री स० चं० सामन्त** : क्या यह सच नहीं है कि ऋतु-विज्ञान सम्बन्धी आंकड़े एकत्रित करने के लिये वहां एक अधिकारी नियुक्त है तथा क्या उक्त अधिकारी ने तथ्य दिये थे ?

†**श्री सतीश चन्द्र** : मुझे ज्ञात नहीं है । ऋतु-विज्ञान सम्बन्धी अधिकारी सीधे हमारे अधीन नहीं हैं । मुझे मालूम नहीं कि इस प्रकार का कोई अधिकारी वहां है । किन्तु हमें जो भी ब्योरा प्राप्त हुआ है उसके आधार पर कहा जा सकता है कि वहां भयंकर तूफान आया था ।

---

†मूल अंग्रेजी में ।

गन्दी बस्तियां हटाना

†*१४४२. **श्री गिडवानी** : क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में गन्दी बस्तियां हटाने के लिये अग्रणी परियोजनाओं के सम्बन्ध में ११ अक्तूबर, १९५६ को चंडीगढ़ में जो राज्य आयोजना अधिकारियों का सम्मेलन हुआ था, क्या उसकी सिफारिशों पर भारत सरकार ने विचार कर लिया है; और

(ख) सम्मेलन की मुख्य सिफारिशें क्या थीं तथा सरकार ने कौन-कौन सी सिफारिशें स्वीकार की हैं ?

†**निर्माण, आवास और संभरण मंत्री के सभासचिव (श्री पू० शे० नास्कर)** : (क) भारत सरकार को अभी यह सिफारिशें प्राप्त नहीं हुई हैं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है ।

श्रीमती कमलेन्दुमति शाह : क्या मैं जान सकती हूं कि पिछले दिनों दिल्ली में स्लम्स को क्लीयर करने का जो निर्णय हुआ था उसके अनुसार कितने स्लम्स को क्लीयर किया गया है और वहां पर रहने वाले कितने व्यक्तियों को राहत पहुंचाई गई है ?

†**श्री पू० शे० नास्कर** : इस प्रश्न का मूल प्रश्न से सम्बन्ध नहीं है ।

†**अध्यक्ष महोदय** : कह दीजिये कि इसके लिये पूर्वसूचना चाहिये ।

निम्न आय वर्ग के लिये गृह-निर्माण योजना

†*१४४३. **पण्डित द्वा० ना० तिवारी** : क्या **निर्माण, आवास और सम्भरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निम्न आय वर्ग गृह-निर्माण योजना के अन्तर्गत ऋण देने की पद्धति के बारे में राज्य सरकारों को कोई अनुदेश अथवा परामर्श दिया गया है;

(ख) क्या यह सच है कि इस योजना के अन्तर्गत ऋण नगरीय क्षेत्रों अथवा सामुदायिक योजनाओं के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्रों में ही दिया जाता है ?

†**निर्माण, आवास तथा सम्भरण मंत्री के सभासचिव (श्री पू० श० नास्कर)** : (क) राज्य सरकारों को निम्न आय वर्ग के लिये गृह-निर्माण योजना परिचालित करते समय सामान्य रूप में कुछ ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न उन्हें बता दिये गये थे जो योजना की क्रियान्विति के पूर्व उनकी प्रशासनिक व्यवस्था को करने थे । योजना में निर्धारित कुछ मूलभूत अवस्थाओं को छोड़कर, उन्हें विशिष्ट आवश्यकताओं को दृष्टिगत करते हुए योजना के अधीन ऋण देने के लिये प्रशासनिक कार्यवाही तय करने की पर्याप्त छूट दी गई है ।

(ख) जी, नहीं । श्रीमान् । यद्यपि योजना आरम्भ करते समय राज्य सरकारों को यह सुझाव दे दिया गया था कि जिन स्थानों में मकानों की कमी है वहीं इसे सबसे पहले लागू किया जाये, किन्तु उनकी सम्मति में जहां भी मकानों का अभाव है इसे लागू करना सम्पूर्णतः उनके विवेक पर निर्भर है ।

†**पण्डित द्वा० ना० तिवारी** : क्या माननीय सभासचिव को ज्ञात है कि कुछ दिनों पहले ही प्रभारी मंत्री ने एक प्रश्न का उत्तर देते हुए कहा था कि नगरीय क्षेत्रों में इस प्रकार के मकानों के लिये ऋण देने का निर्णय किया गया है तथा ग्राम्य क्षेत्रों में ऋण नहीं दिया जाता है ?

---

†मूल अंग्रेजी में ।

†**श्री पू० शे० नास्कर** : मुझे मालूम नहीं है। इस सम्बन्ध में मैं निश्चित नहीं कह सकता। किन्तु ग्राम्य क्षेत्रों के बारे में भाग (ख) के उत्तर में मैंने जो कुछ कहा था। उसके सम्बन्ध में मैं अभी भी कहता हूं कि यह योजना सर्वथा नगरीय क्षेत्र तक ही सीमित नहीं है। वस्तुतः पंजाब और पेप्सू सदृश कुछ सरकारों ने ग्राम्य क्षेत्रों में मकान बनाने के लिये भी वस्तुतः रुपया खर्च किया है।

†**पण्डित द्वा० ना० तिवारी** : क्या सरकार को बिहार सरकार से इस आशय का प्रतिवेदन मिला है कि ग्रामीण क्षेत्रों में कितने मकान बनाये गये हैं अथवा कितने मकान बनाने के लिये अग्रिम रकम दी गई है ?

†**श्री पू० शे० नास्कर** : किसी विशेष राज्य के अलग-अलग आंकड़े अथवा राज्य विशेष में क्या हो रहा है, यह मूल प्रश्न से सम्बन्धित नहीं है। किन्तु माननीय सदस्य की जानकारी के लिये मैं कह सकता हूं कि १९५५-५६ में बिहार में खर्च की गई राशि के सम्बन्ध में जानकारी इस सभा को ९ अगस्त, १९५६ को अतारांकित प्रश्न संख्या ५४३ के उत्तर में विवरण २ में बता दी गई है।

दस्तकारी की वस्तुओं के लिये प्रदर्शनालय

†*१४४४. **श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा** : क्या उत्पादन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार दस्तकारी तथा गृह उद्योगों आदि के विकास के लिये विविध अखिल भारतीय बोर्डों के प्रदर्शनालयों को प्रश्रय देने की दृष्टि से कई मंजिल वाला एक भवन बनाने का विचार रखती है; और

(ख) यदि हां, तो निर्माण की अनुमानित लागत क्या है ?

†**उत्पादन उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र)** : (क) तथा (ख). खादी ग्रामोद्योग भवन और केन्द्रीय गृह उद्योग प्रदर्शनालय के लिये आवास व्यवस्था की दृष्टि से नई दिल्ली में कई मंजिल वाला एक भवन बनाने का प्रस्ताव है। प्रस्ताविक भवन के लिये उपयुक्त स्थान प्राप्त करने का प्रयत्न किया जा रहा है। इस भवन की लागत अभी निर्धारित नहीं की गई है।

†**श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा** : क्या इस प्रदर्शनालय में विभिन्न राज्य सरकारों उदाहरणार्थ—बिहार, पंजाब, राजस्थान और दूसरे राज्यों के प्रदर्शनालय भी रहेंगे अथवा क्या इसमें केवल ग्रामोद्योग और खादी भवन तथा केन्द्रीय दस्तकारी बोर्ड को ही स्थान दिया जायेगा ?

†**श्री सतीश चन्द्र** : प्रारम्भ में यह विचार था कि सम्पूर्ण राज्य सरकारों के प्रज्ञापन कक्ष उसी भवन में रखे जायें। किन्तु पुनर्विचार करने पर उन्हें उसी भवन में रखने का निर्णय छोड़ दिया है। क्योंकि ऐसा करने के लिये यह भवन अत्यन्त विशाल बनाना पड़ेगा। अनेक राज्यों के अपने-अपने प्रदर्शनालय हैं। अकेले काश्मीर प्रदर्शनालय के लिये ही विशाल भवन की आवश्यकता है। और राज्यों के भी प्रदर्शनालय हैं तथा इस भवन में स्थान के लिये अन्य राज्य सरकारों से भी मांग पैदा हो सकती है। अतः अन्तिम निर्णय यह किया गया है कि केवल खादी ग्रामोद्योग भवन और केन्द्रीय गृह-उद्योग प्रदर्शनालय को ही इसमें स्थान दिया जाये।

†**श्री कामत** : उत्तर प्रदेश सरकार ?

†**श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा** : वर्तमान नवनिर्मित ग्रामोद्योग भवन का क्या होगा ? क्या ग्रोमोद्योग भवन की सब वस्तुएं प्रस्तावित भवन में ले जाई जायेंगी और इसे खाली कर दिया जायेगा ? इस सम्बन्ध में क्या स्थिति है ?

†**श्री सतीश चन्द्र** : यह भवन किराये पर है अतः निस्संदेह ही इसे खाली करना पड़ेगा।

---

†मूल अंग्रेजी में।

न्यू फिलिप्स चैलेंज ग्लोब

†*१४४५–क. **श्री च० रा० चौधरी** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मालूम है कि न्यू फिलिप्स चैलेंज ग्लोब, जो ओरियन्ट लांगमैन प्राइवेट लिमिटेड, मद्रास ने देश के कालेजों और स्कूलों में दिया है उसमें काश्मीर एक स्वतन्त्र और अलग रूप में दर्शाया गया है और उसे भारत का एक अंग नहीं बनाया गया है; और

(ख) इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है अथवा किये जाने का प्रस्ताव है ?

†**वैदेशिक-कार्य उपमंत्री (श्री अनिल कु० चन्दा)** : (क) सरकार को हाल ही में यह मालूम हुआ है।

(ख) मामले की जांच की जा रही है।

†**श्री च० रा० चौधरी** : देश की शिक्षा संस्थाओं को ग्लोब तथा मानचित्र देने के मामले में क्या प्रक्रिया अपनाई गई ?

†**श्री अनिल कु० चन्दा** : हमने कभी किसी स्कूल को मानचित्र अथवा एटलस नहीं दिया है ।

†**डा० रामा राव** : क्या सरकार ऐसे विदेशी सार्थों को इनके आर्डर देती है जो राजनीतिक उद्देश्यों के कारण इनमें गलत बातें देते हैं ?

†**श्री अनिल कु० चन्दा** : हमने उन सार्थों को कोई आर्डर नहीं दिये हैं।

†**श्री वेलायुधन** : क्या सरकार ऐसे व्यक्तियों पर, जो आजकल हमारे देश के हितों के विरुद्ध मानचित्र बनाते हैं तथा उनका वितरण करते हैं, कोई प्रतिबन्ध लगा सकती है ?

†**श्री अनिल कु० चन्दा** : यदि ऐसे मानचित्र देश में बनाये जाते हों तो हम कार्यवाही कर सकते हैं परन्तु यदि प्रश्न विदेशों से आयात होने वाले मानचित्रों तथा एटलसों के बारे में है तो हम समुद्र सीमा शुल्क अधिनियम के अधीन कार्यावाही कर सकते हैं।

†**श्री कामत** : क्या सरकार को यह समाचार मिला है कि कुछ राज्य सरकारों ने बहुत अधिक आर्डर सार्थों को दिये हैं तथा यदि हां, तो क्या सरकार इसकी जांच करेगी और इन आर्डरों को रद्द करेगी ?

†**श्री अनिल कु० चन्दा** : हमें कोई जानकारी नहीं है ।

†**श्री च० रा० चौधरी** : ऐसे मानचित्रों का इस देश में आयात क्यों किया जाता है जिनमें काश्मीर को एक अलग देश दिखाया गया है ?

†**श्री अनिल कु० चन्दा** : जैसे ही हमारा ध्यान इस ओर दिलाया गया, हमने कार्यवाही की तथा कार्यवाही करने से पूर्व हम महासर्वेक्षक से इसकी जांच कराते हैं क्योंकि हमें अपने महासर्वेक्षक से प्रामाणिक रिपोर्ट लेनी चाहिये ।

शरणार्थी उपनगर अमरदा (उड़ीसा)

†*१४४६. **श्री संगण्णा** : क्या **पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उड़ीसा सरकार ने केन्द्र से उड़ीसा के अमरदा रोड़ में एक शरणार्थी उपनगर बसाने के लिये वित्तीय सहायता मांगी है; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

---

†मूल अंग्रेजी में ।

†**पुनर्वास मंत्री (श्री मेहर चन्द खन्ना)** : (क) जी, नहीं। परन्तु अमरदा में एक मार्गस्थ शिविर स्थापित करने का प्रस्ताव है।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

†**श्री संगण्णा** : उड़ीसा में अब तक कितने उपनगर बसाये गये हैं तथा प्रत्येक उपनगर की आर्थिक स्थिति क्या है ?

†**श्री मेहर चन्द खन्ना** : यह एक बड़ा प्रश्न है। मुख्य प्रश्न अमरदा रोड उपनगर के बारे में है। मैं उड़ीसा के उपनगरों की संख्या इस प्रकार नहीं बता सकता। कुछ उपनगरों में स्थिति अच्छी है तथा कुछ की स्थिति में सुधार की जरूरत है। मैं इसकी जांच कर रहा हूं।

†**श्री संगण्णा** : उड़ीसा के कोरापुर जिले में मलकानगिरि में एक शरणार्थी उपनगर बसाने का प्रस्ताव था। क्या सरकार इस प्रस्ताव पर विचार कर रही है ?

†**श्री मेहर चन्द खन्ना** : यदि माननीय सदस्य बड़ी योजना अर्थात् मलकानगिरि भूमि विकास कृष्यकरण योजना की ओर निर्देश कर रहे हैं तो मैं यह कह सकता हूं कि इस पर विचार किया जा रहा है।

खादी ग्रामोद्योग भवन, नई दिल्ली

+

†*१४४७. { **श्री त० ब० विट्ठल राव** :
बाबू रामनारायण सिंह :

क्या **उत्पादन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि खादी ग्रामोद्योग भवन, नई दिल्ली के कुछ उच्च वेतन प्राप्त कर्मचारियों की एक वर्ष में दो वेतन-वृद्धियां की गई तथा कम वेतन पाने वाले कर्मचारियों की उपेक्षा की गई है;

(ख) यदि हां, तो वेतन वृद्धियों की स्वीकृति का विनियमन करने के लिये कोई नियम है; और

(ग) अखिल भारतीय खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड ने अपने व्यापार लेखा कर्मचारियों की वेतन-वृद्धियों के बारे में क्या नीति बनाई है ?

†**उत्पादन उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र)** : (क) भवन के कर्मचारियों का अधिकतम वेतन ४०० रुपये प्रति मास है। एक वर्ष में किसी भी कर्मचारी को दो नियमित वेतन-वृद्धियां नहीं दी गई हैं। परन्तु अप्रैल, १९५६ में निर्धारित वेतनक्रम में उनके वेतनों का विनियोग करने के कारण, कुछ कर्मचारियों को कुछ अधिक लाभ हो गया है।

(ख) और (ग). परीक्षण के आधार पर प्रारम्भिक नियुक्तियां की जाती हैं जिसके पश्चात् निर्धारित वेतनक्रम में वेतन निश्चित किये जाते हैं। बाद में सामान्य नियमों के अनुसार वेतन-वृद्धियों का विनियमन किया जाता है।

†**श्री त० ब० विट्ठल राव** : इन कर्मचारियों में कितने प्रतिशत अस्थायी हैं ?

†**श्री सतीश चन्द्र** : ये सभी खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड के कर्मचारी हैं। मेरे विचार में अस्थायी अथवा स्थायी ऐसा कोई वर्गीकरण नहीं है।

†**श्री त० ब० विट्ठल राव** : क्या इन संस्थापनों में दूकान तथा संस्थापन अधिनियम लागू कर दिया गया है तथा यदि नहीं, तो क्यों लागू नहीं किया गया है ?

†**श्री सतीश चन्द्र** : मेरा विचार है कि यह लागू किया जा चुका है। इसका प्रबन्ध करना राज्य सरकारों का काम है कि यह लागू हुआ है अथवा नहीं।

---

†मूल अंग्रेजी में।

†**सरदार अ० सिं० सहगल** : जैसा कि माननीय उपमंत्री ने बताया खादी ग्रामोद्योग भवन के कितने कर्मचारियों की कुछ अधिक वेतन-वृद्धि की गई है ?

†**श्री सतीश चन्द्र** : प्रश्न समस्त खादी बोर्ड के सम्बन्ध में नहीं है । यह प्रश्न खादी ग्रामोद्योग भवन, नई दिल्ली के बारे में है । नये वेतनक्रमों के समायोजन के कारण १८ अथवा १९ व्यक्तियों की कुछ अधिक वेतन-वृद्धि हुई है ।

†**श्री वेलायुधन** : माननीय उपमंत्री ने बताया कि किसी भी कर्मचारी की दो नियमित वेतन-वृद्धियां नहीं की गई हैं । क्या नियुक्ति करते समय, प्रारम्भ में वेतन दो वेतन-वृद्धियां करके दिया गया था ? क्या इस संगठन में ऐसी नियुक्तियां की गई थीं ?

†**श्री सतीश चन्द्र** : मैंने बताया कि अप्रैल, १९५६ से यह वेतनक्रम लागू हुए । उससे पूर्व वेतनक्रम नहीं थे । कर्मचारी, उनकी अर्हता तथा अनुभव के अनुसार नियुक्त किये जाते थे तथा उनका वेतन भी इसी आधार पर निश्चित किया जाता था । कुछ दिन पूर्व ही ये वेतनक्रम निर्धारित किये गये हैं तथा कर्मचारियों को यह वेतनक्रम दिये गये । मैं माननीय सदस्य को आश्वासन दे सकता हूं कि दोहरी वेतन-वृद्धि नहीं की गई थी ।

†**श्री ब० स० मूर्ति** : प्रश्न यह है कि कुछ उच्च वेतन-प्राप्त पदाधिकारियों को वेतन-वृद्धियां दी गई हैं जबकि कम वेतन पाने वाले कर्मचारियों को कुछ भी नहीं दिया गया । मैं माननीय उपमंत्री से स्पष्ट उत्तर चाहता हूं ।

†**श्री सतीश चन्द्र** : प्रथमतः भवन में कोई उच्च वेतन-प्राप्त कर्मचारी नहीं है । जैसा कि मैंने बताया भवन के प्रबन्धक का अधिकतम वेतन ४०० रुपये मासिक है । मैं नहीं जानता कि माननीय सदस्य "उच्च वेतन प्राप्त पदाधिकारी" किसको कहते हैं ।

†**श्री ब० स० मूर्ति** : यह प्रश्न में है ।

†**श्री सतीश चन्द्र** : यह गलत है । इसीलिये मैंने कहा कि अधिकतम वेतन ४०० रुपये मासिक है ।

†**श्री ब० स० मूर्ति** : माननीय उपमंत्री ने इसका उत्तर नहीं दिया था ।

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्य को समझना चाहिये । अधिकतम वेतन ४०० रुपये प्रति मास है तथा यह प्रबन्धक का वेतन है । अगला प्रश्न ।

कोयले का उत्पादन

†*१४४९. **श्री देवेन्द्रनाथ सर्मा** : क्या **उत्पादन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मारघेरिटा तथा ममडांग कोयले की खानों का उत्पादन कम हो गया है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

†**उत्पादन उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र)** : (क) सम्भवतः माननीय सदस्य आसाम में मारघेरिटा कोयले की खानों, जिसका मालिक आसाम रेलवे व्यापार समवाय है, की ओर निर्देश कर रहे हैं । यदि हां, तो इन चारों कोयले की खानों का उत्पादन घट गया है ।

(ख) उत्पादन घटने का कारण, तियांग कोयले की खान के भूगर्भ में आग लग जाना है ।

†**श्री देवेन्द्रनाथ सर्मा** : क्या उत्पादन घटने का कारण प्रबन्धकों तथा मज़दूरों में विवाद है ?

†मूल अंग्रेजी में ।

†**श्री सतीश चन्द्र** : मुझे इसकी जानकारी नहीं है । यह आसाम की कोयले की खानें गैर-सरकारी हैं, मुझे प्राप्त जानकारी के अनुसार एक कोयले की खान में आग लग गई थी जिसके कारण उत्पादन कम हो गया है ।

†**श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा** : इस बात को देखते हुए कि रानीगंज तथा झरिया कोयले की खानों समेत अन्य विभिन्न कोयले की खानों में आग लगने के समाचार बहुधा मिलते हैं सरकार इस आग को इन कोयले की खानों में और अधिक फैल जाने से पूर्व क्या विशेष कार्यवाही करने का विचार कर रही है ?

†**श्री सतीश चन्द्र** : इस बारे में सभी संभावित पूर्वोपाय किए गए हैं। कुछ दिन पूर्व ही, मैंने

†**श्री सतीश चन्द्र** : इस बारे में सभी संभावित पूर्वोपाय किये गए हैं । कुछ दिन पूर्व ही, मैंने उसी विषय के एक प्रश्न का उत्तर दिया था, जिसमें खुलासा तौर पर बताया था तथा एक विवरण भी दिया था । यह एक बड़ा विषय है, परन्तु कोयले की खान में आग बढ़ने का कोई खतरा नहीं है । उसको पूर्णतया बुझाना कठिन है परन्तु कोयले की खानों के मालिकों तथा कोयला बोर्ड द्वारा सहायता दिये जाने पर इसको दबाने के प्रयत्न किये जाते हैं ।

†**श्री बोस** : क्या कारण का पता लगाया गया है तथा क्या उस क्षेत्र को बन्द करके आग को रोकने का प्रयत्न किया गया है ?

†**श्री सतीश चन्द्र** : इस समय सभी आगों को दबा दिया गया है । अथवा वह कई कोयले की खानों में फैल सकती थी । जैसा कि मैंने बताया उसको पूर्णतया बुझाना सम्भव नहीं है । परन्तु कोयले की खानों के व्यक्तियों तथा कोयला बोर्ड के द्वारा सहायता--वित्तीय तथा अन्य--से इसको दबाने के कुछ उपाय किये जा सकते हैं ।

भारत में पाकिस्तानियों का अवैध प्रवेश

*१४५०. **श्री प० ला० बारूपाल** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, और बाढ़मेर की सीमाओं से सैंकड़ों मुसलमान बिना पास-पोर्ट के पाकिस्तान से भारत और भारत से पाकिस्तान आते-जाते रहते हैं; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार इस मामले में कोई ठोस कार्यवाही करना चाहती है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री के सभासचिव (श्री सादत अली खां) : (क) और (ख). राज्य सरकार से सूचना मांगी जा रही है ।

श्री प० ला० बारूपाल : क्या मैं जान सकता हूं कि जो भारत स्थित पुलिस है उसको तस्कर व्यापार करने वाले और भारत से पाकिस्तान जाने वाले व्यक्ति कुछ ले दे कर राजी कर लेते हैं जिसकी वजह से सरकार के पास कोई सही सूचना नहीं पहुंच रही है ?

श्री सादत अली खां : नहीं, यह बात तो नहीं है, आनरेबल मेम्बर जरा कुछ दिन इन्तजार करें, जब सूचना आ जायेगी तो सब बातों का पता चल जायेगा कि क्या हो रहा है ।

†**श्री प० ला० बारूपाल** : जो कुछ हो रहा है वह तो हमें मालूम है, लेकिन इसकी जांच करने के लिये क्या सरकार कोई आयोग नियुक्त करेगी ?

श्री सादत अली खां : जब आनरेबल मेम्बर को मालूम है तो फिर वह पूछते क्यों हैं ?

श्री प० ला० बारूपाल : मैं इसलिये पूछ रहा हूं ताकि इस तरह की बातों को रोका जाये ।

---

†मूल अंग्रेजी में ।

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्य को पहले सरकार को लिखना चाहिये । यदि उनको कोई जानकारी है तथा वह उसको ठीक कराना चाहते हैं अथवा उसकी जांच कराना चाहते हैं तो केवल प्रश्न पूछना पर्याप्त नहीं है ।

†**पंडित द्वा० ना० तिवारी** : क्या सरकार यह बता सकती है कि कितने पाकिस्तानी भारत में अवैध रूप से अब भी ठहरे हुए हैं ?

†**श्री सादत अली खां** : यदि माननीय सदस्य अलग प्रश्न रखें तो मैं उसका उत्तर दे सकता हूं ।

†**श्री कामत** : क्या सभा सचिव को जानकारी है कि उनके साथी, गृह-कार्य मंत्रालय में मंत्री, ने कुछ दिन पूर्व इस सभा में बताया था कि कुछ पाकिस्तानी अवैध रूप से भोपाल में घुस आये थे और उन्होंने साम्प्रदायिक गड़बड़ उत्पन्न कर दी थी और उनसे एक बेतार का ट्रांसमीटर जब्त किया गया था ? यदि हां, तो क्या वे पाकिस्तानी भारत से निकाल दिए गए ?

†**श्री सादत अली खां** : प्रश्न गृह-मंत्री से पूछा जाना चाहिये ।

†**श्री गिडवानी** : कल कुछ पाकिस्तानी बन्दी बनाये गए थे क्योंकि वे बिना किसी पासपोर्ट के भारत आये थे । क्या सरकार इस बारे में कोई कार्यवाही कर रही है जिससे कि भारत में कोई भी बिना पासपोर्ट के न घुसे ?

†**श्री सादत अली खां** : जो प्रश्न प्रस्तुत किया गया था उसका इससे कोई सम्बन्ध नहीं है । यह समाचार मात्र है जो समाचारपत्रों में छपा है ।

†**अध्यक्ष महोदय** : वे जांच करेंगे ।

†**श्री जांगडे** : सरकार उन पाकिस्तानियों के बारे में क्या कार्यवाही कर रही है जिनको कारावास की सज़ा दी गई है परन्तु जो छोड़ दिए गए हैं और उन्होंने पाकिस्तान वापिस जाने से इनकार कर दिया है?

†**श्री सादत अली खां** : मैं इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे सकता ।

†**अध्यक्ष महोदय** : क्या सरकार के इस सम्बन्ध में विवश है ? कुछ दिन पूर्व यह प्रश्न गृह-मंत्री से पूछा गया था तथा श्री दातार ने भी यही कहा था । पाकिस्तानी बिना पासपोर्ट के यहां आते हैं तथा नियमों तथा विनियमों के अधीन उनको बन्दी बना कर कारावास भेजा जाता है । छूट जाने पर वह वापिस जाना नहीं चाहते इसलिये केवल कारावास हो आने से वह यहां स्थायी रूप से रहने लगते हैं । इसलिये माननीय मंत्री को अवश्य उत्तर देना चाहिये ।

†**श्री सादत अली खां** : मैं नहीं जानता कि उन्हें जबरदस्ती भेजा जाये अथवा यहां रहने दिया जाये । मैं यह नहीं बता सकता । यह गृह-मंत्रालय बता सकता है ।

†**अध्यक्ष महोदय** : यह गृह-मंत्रालय का प्रश्न है इसलिये वैदेशिक-कार्य मंत्रालय इसका उत्तर नहीं दे सकता ।

झूठे प्रव्रजन प्रमाणपत्रों वाले शरणार्थी

†*१४५१. **श्री रामानन्द दास** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पश्चिम बंगाल में बहुत से शरणार्थी झूठे प्रव्रजन प्रमाणपत्रों से घुस आये हैं;

(ख) क्या यह सच है कि उपर लिखित कारणों से सरकार ने इनको पुनर्वास सुविधायें देने से इनकार कर दिया है; और

---

†मूल अंग्रेजी में ।

(ग) क्या यह सच है कि पाकिस्तान प्राधिकारियों नें इनको पाकिस्तान छोड़ने दिया तथा भारतीय क्षेत्र में घुसने दिया और भारतीय चौकी पदाधिकारियों ने भी भारत में विदेशी व्यक्तियों के प्रव्रजन अथवा घुसने के सामान्य नियमों का पालन न करके उनको भारत घुसने दिया ?

†**वैदेशिक-कार्य उपमंत्री (श्री अनिल कु० चन्दा)** : जानकारी उपलब्ध नहीं है। राज्य-सरकारों से प्रतिवेदन मांगा गया है।

†**श्री ही० ना० मुकर्जी** : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि जो झूठे प्रव्रजन प्रमाणपत्रों से आए हैं उनका दोष नहीं है परन्तु संभवतया उस देश के कुछ बुरे व्यक्तियों ने उन्हें तंग किया है, क्या सरकार हमें आश्वासन देगी कि जो व्यक्ति झूठे प्रव्रजन प्रमाणपत्रों से आ गए हैं, उनके साथ सहानुभूति का व्यव-हार करे ?

†**श्री अनिल कु० चन्दा** : मैं कह चुका हूं कि हमने पश्चिम बंगाल सरकार से रिपोर्ट मांगी है। जब तक हमें रिपोर्ट नहीं मिल जायेगी, इस सम्बन्ध में कुछ कहना हमारे लिये अत्यन्त कठिन है।

†**श्री रामानन्द दास** : इस आधार पर कि पाकिस्तान प्राधिकारियों ने बहुत अधिक व्यक्तियों को पाकिस्तान छोड़ने दिया तथा भारत में घुसने दिया और भारतीय चौकी पदाधिकारियों ने भी उन्हें आने दिया तो उनको पुनर्वास अनुदान देने से क्यों इनकार कर दिया गया ?

†**श्री० अनिल कु० चन्दा** : इस बारे में हमें कोई सरकारी जानकारी नहीं है हमने सम्बन्धित राज्य सरकार से ब्यौरेवार रिपोर्ट भेजने को कहा है।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : गत तीन अथवा चार महीनों से त्रिपुरा तथा पश्चिमी बंगाल की जनता इन झूठे प्रव्रजन प्रमाणपत्रों से आने वाले व्यक्तियों के सम्बन्ध में ही विचार कर रही है। पुनर्वास मंत्री से भी कितने ही प्रश्न पूछे गये हैं। क्या पश्चिम बंगाल अथवा त्रिपुरा सरकार ने केन्द्रीय सरकार को यह बताया है कि उनकी संख्या २५,००० के लगभग है ?

†**श्री अनिल कु० चन्दा** : यह विशेष प्रश्न पश्चिम बंगाल के सम्बन्ध में है। त्रिपुरा के बारे में माननीय पुनर्वास मंत्री स्थिति स्पष्ट कर सकेंगे।

†**पुनर्वास मंत्री (श्री मेहर चन्द खन्ना)** : स्थिति यह है कि लगभग २५,००० व्यक्ति झूठे प्रव्रजन प्रमाणपत्रों से त्रिपुरा में आये। वे वहां गत तीन अथवा चार महीनों से हैं। हमने उन्हें कोई मान्यता नहीं दी है क्योंकि इस प्रश्न की जांच हो रही है कि एक ऐसे पाकिस्तानी राष्ट्रजन को जो झूठे प्रव्रजन प्रमाणपत्र से भारत में आता है, भारत में पुनर्वास सुविधाऐं दी जायें अथवा नहीं। परन्तु त्रिपुरा में तदर्थ आधार पर दी जाने वाली सहायता दी जा रही है। मेरे विचार से शिवरों में उनकी संख्या १५,००० है। मैं यह केवल याद से बता रहा हूं तथा इसको ठीक किया जा सकता है।

उत्तर-पूर्वी सीमान्त अभिकरण में वन पदाधिकारी की हत्या

†*१४५२. **श्री ही० ना० मुकर्जी** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ५ सितम्बर, १९५६ को या उसके आस-पास उत्तर-पूर्वी सीमान्त अभिकरण के तेजू नामक स्थान में डिवीजनल वन पदाधिकारी के कार्यालय के एक सहायक श्री हरिदास भट्टाचार्य की अपने काम पर तैनात रहते हुए जिन दशाओं में हत्या की गयी, उनके बारे में जांच की गयी है; और

(ख) यदि हां, तो क्या परिणाम हुआ ?

---

†मूल अंग्रेजी में।

†**वैदेशिक-कार्य मंत्री के सभा-सचिव (श्री सादत अली खां)** : (क) और ख). श्री ह० भट्टाचार्य की कथित हत्या की परिस्थितियों की जांच की जा रही है। ज्योंही यह जांच पूरी हो जायेगी एक विवरण सभा पटल पर रख दिया जायेगा। आवश्यकता हुई तो कानूनी कार्यवाही शुरू की जायेगी।

†**श्री ही० ना० मुकर्जी** : मृत पदाधिकरी के भाई ने इस आशय का अभ्यावेदन दिया था कि वन विभाग के कर्मचारियों ने शव जला दिया और उन्हें इस बात की कोई सूचना नहीं मिली कि उसके सम्बन्धियों ने अन्त्येष्टि क्रिया की। क्या सरकार उस अभ्यावेदन के सम्बन्ध में कोई कार्यवाही कर रही है ?

†**श्री सादत अली खां** : मुझे मालूम नहीं है; किन्तु मैं जांच करूंगा :

†**श्री ही० ना० मुकर्जी** : क्या सरकार जानती है कि सिलचर, आसाम में एक राष्ट्रीय साप्ताहिक अरुणोदय जैसे कुछ पत्रों ने कहा है कि इस घटना की कुछ बहुत संदेहपूर्ण परिस्थितियां हैं और जो पदाधिकारी घटनास्थल पर या उसके आस-पास आहत पाया गया, वह दिल्ली गया था जब कि उस विषय की सच्ची बातें मालूम करने के लिये उसका साक्ष्य आवश्यक था ?

†**श्री अनिल कु० चन्दा** : इन समाचारों की ओर हमारा ध्यान दिलाया गया है। मुझे भी मृत व्यक्ति के सम्बन्धियों से कुछ पत्र प्राप्त हुए हैं। इस मामले की गंभीरता को देखते हुए हमने इस मामले की जांच के लिये एक विशेषज्ञ भेजने के लिये केन्द्रीय सरकार से सहायता मांगी है और वह विशेषज्ञ अभी काम कर रहा है। जब तक कि उसका प्रतिवेदन हमें उपलब्ध न हो जाये, सभा में कोई राय जाहिर करना कठिन है।

†**श्री ही० ना० मुकर्जी** : क्या यह सच है कि इस क्षेत्र में कोई उचित पुलिस नहीं है और वहां पदाधिकारी अपनी जान खतरे में डाल कर काम कर रहे हैं ?

†**श्री अनिल कु० चन्दा** : इसी कारण हमने केन्द्रीय पुलिस की सहायता मांगी है।

†**डा० रामा राव** : मामला बहुत गंभीर होते हुए भी प्रतिवेदन प्राप्त होने में साढ़े तीन महीने से अधिक विलंब लगने का क्या कारण है ?

†**श्री अनिल कु० चन्दा** : पदाधिकारी नियुक्त करने के लिये हमें केन्द्रीय प्रशासन से पत्र-व्यवहार करना पड़ा। उसमें कुछ समय लगना ही है।

आकाशवाणी में स्वर-परीक्षण

†***१४५३. श्री भीखा भाई** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रेडियो स्टेशनों में कलाकारों के स्वर-परीक्षण में किन-किन बातों पर विचार किया जाता है; और

(ख) क्या स्वर परीक्षण के लिये कलाकारों को कोई पारिश्रमिक दिया जाता है ?

†**सूचना और प्रसारण मंत्री (डा० केसकर)** : (क) आवाज ठीक होना, कला प्रस्तुत करने की शैली और विविधता और संगीत का सामान्य ज्ञान मुख्य बातें हैं जिनपर ध्यान दिया जाता है।

(ख) जी, नहीं।

†**श्री भीखा भाई** : जो लोग स्वर-परीक्षण करते हैं, क्या वे स्वतः कलाकार होते हैं और उन्होंने स्वर सम्बन्धी परीक्षायें दी हुई होती हैं ?

†**डा० केसकर** : जी, हां।

---

†मूल अंग्रेजी में।

†**श्री भीखा भाई** : जो कलाकार स्वर-परीक्षण के लिये आते हैं, क्या उन्हें कुछ फुटकर खर्च दिया जाता है ?

†**डा० केसकर** : जी, नहीं ।

†**श्री भीखा भाई** : जब वे इतनी दूर से आते हैं तो उन्हें वास्तविक खर्च क्यों नहीं दिया जाता ?

†**डा० केसकर** : यह सरकार की ओर से रोजगार का विज्ञापन नहीं है । जो लोग आते हैं अपनी इच्छा से आते हैं । सरकार पर कोई दायित्व नहीं है कि वे आयें ।

†**श्री वेलायुधन** : माननीय मंत्री ने स्वर-परीक्षण के लिये जिन मुख्य विचारणीय बातों का उल्लेख किया है, उनके अतिरिक्त क्या चुनाव में पक्षपात, भाई-भतीजावाद आदि जैसी कोई दूसरी बात पर भी ध्यान दिया जाता है ?

†**अध्यक्ष महोदय** : अगला प्रश्न ।

डा० केसकर उठे--

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय मंत्री को इस प्रश्न का उत्तर देने की जरूरत नहीं जो कि सामान्य आरोप है कि सरकार में भाई-भतीजावाद आदि चलता है ।

†**श्री वेलायुधन** : वह साफ जाहिर है ।

लोक-सभा वाद-विवाद की छपाई

†*१४५४. **श्री कामत** : क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ऐसी किसी योजना की प्रस्थापना पर विचार कर रही है जिससे लोक-सभा वाद-विवाद की छपाई शीघ्र हो; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

†**निर्माण, आवास और संभरण मंत्री के सभा-सचिव (श्री यू० शे० नास्कर)** : (क) जी, हां ।

(ख) भारत सरकार प्रेस, नयी दिल्ली का संसद् विभाग बढ़ाया जा रहा है । १९५२ में इस विभाग की क्षमता ४५,००० हस्तलिपि पृष्ठ छापने की थी जो अब अतिरिक्त मशीनें लगाकर १,८७,००० हस्तलिपि पृष्ठ छापने की पहले ही कर दी गयी है । फरवरी, १९५७ तक कुछ और मशीनें प्राप्त होने की संभावना है और उनके लग जाने के बाद वह क्षमता ३,००,००० हस्तलिपि पृष्ठ प्रति वर्ष तक बढ़ा दी जायेगी ।

†**श्री कामत** : क्या सरकार ने केवल लोक-सभा के लिये एक अलग, स्वतन्त्र और कार्यक्षम छपाई प्रेस रखने की जो स्वत: अध्यक्ष के नियंत्रण और संचालन के अधीन हो, तीव्र आवश्यकता पर विचार किया है ?

†**श्री यू० शे नास्कर** : मैं माननीय सदस्य को इस बात की ठीक-ठीक जानकारी अभी नहीं दे सकता ।

†**श्री कामत** : क्या सरकार ने अब तक विचार किया है ···

†**अध्यक्ष महोदय** : वह जानकारी देने में असमर्थ हैं ।

†**श्री कामत** : क्या सभा-सचिव सभा पटल पर एक विवरण रख सकते हैं या सभा को ये जानकारी दे सकते हैं कि दुनिया की अन्य संसदों में कार्यवाही की छपाई में कितना समय लगता है और क्या हम लोग बिलकुल आखिर में हैं या बहुत पीछे हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में ।

†**श्री यू० शे० नास्कर** : यदि माननीय सदस्य किसी समय प्रश्न पूछें तो हम मालूम करने का यथासंभव प्रयत्न करेंगे ।

†**सरदार अ० सिं० सहगल** : क्या नवीनतम प्रेस रखने के लिये संसद् सचिवालय द्वारा रखी गयी प्रस्थापना पर विचार किया गया है और यदि हां तो क्या परिणाम हुआ ?

†**श्री यू० शे० नास्कर** : मुझे उत्तर के लिये पूर्व सूचना चाहिये ।

†**श्री अ० क० गोपालन** : क्या संसद् सदस्यों की एक समिति बनाई गई थी, क्या उसने इस प्रश्न पर विचार किया है और इस सम्बन्ध में उसने कोई सिफारिशें की हैं ?

†**श्री यू० शे० नास्कर** : मेरे पास अभी जानकारी नहीं है । मैं अभी मालूम करूंगा ।

†**सरदार अ० सिं० सहगल** : प्रस्थापना बहुत पहले रखी गयी थी । फिर भी सरकार ने उस पर विचार नहीं किया है ।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : समिति की बैठक हुई है और उसने कुछ ठोस सिफारिशें की हैं और यह अजीब बात है कि सभा-सचिव उसके बारे में कुछ नहीं जानते ।

†**अध्यक्ष महोदय** : धैर्य छोड़ देने से कोई लाभ नहीं ।

†**श्री कामत** : क्या यह सच नहीं है कि इस संसद् की कार्यवाही की प्रतियों के लिए दुनिया की अन्य संसदों से प्राय: मांग आती रहती है और यदि हां, तो सरकार उसे कैसे पूरा करती है जब कि कार्यवाही की कोई छपाई ही नहीं होती ?

†**श्री यू० शे० नास्कर** : उपलब्ध होने पर सभी प्रकाशन लोक-सभा सचिवालय द्वारा वितरित किये जाते हैं या प्रकाशन काउण्टर पर बेचे जाते हैं ।

†**श्री कामत** : क्या यह स्टेन्सिल प्रतियां देना है ?

†**श्री अ० क० गोपालन** : मैं इस विषय में एक निवेदन करना चाहता हूं । संसद् सदस्यों की एक समिति बनायी गयी थी, उसने इस प्रश्न पर विचार किया और कुछ सिफारिशें की थीं । जब प्रश्न पूछा गया है, तो उसे समझना और उत्तर देना मंत्री महोदय का कर्तव्य है । वह नहीं किया गया है ।

†**श्री यू० शे० नास्कर** : जैसा कि मैंने अपने मूल उत्तर में बताया, हम यथासंभव प्रयत्न कर रहे हैं । हम प्रेस को यथासंभव बढ़ा रहे हैं । फिर हिन्दी छपाई से काम एकाएक बढ़ गया है ।

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्य अधीर हो रहे हैं ।

†**श्री यू० शे० नास्कर** : हमारा कार्यक्रम .....

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्य यह चाहते हैं कि कार्यवाही शीघ्र मुद्रित की जाये और उन्हें दी जाये ।

†**श्री कामत** : सभा-सचिव से प्राप्त बहुत ही असंतोषजनक उत्तरों को देखते हुए क्या आप मंत्री महोदय को कल उपस्थित होने और इस प्रश्न का उत्तर देने का आदेश देंगे । कल प्रश्नकाल नहीं है । हम कल केवल यही प्रश्न उठा सकते हैं । मंत्री महोदय आयें और उत्तर दें । अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिये उनके पास २४ घण्टे का समय होगा । यह अन्तिम सत्र है और कल अन्तिम दिन है । मेरी प्रार्थना है कि आप मंत्री महोदय को कल उपस्थित होने और इस प्रश्न का उत्तर देने का आदेश दें ।

---

†मूल अंग्रेजी में ।

†**अध्यक्ष महोदय** : मैं मंत्री महोदय को कार्यवाही की एक प्रति भेज दूंगा या सचिव कार्यवाही भेज देंगे । मैं अब अधिक प्रश्नों के लिये अनुमति नहीं दे रहा हूं । अन्य मित्रों ने जितना इस प्रकार प्रकाश डाला है क्या उससे अधिक प्रकाश इससे पड़ेगा ?

यहां यह सामान्य धारणा दिखाई पड़ती है कि संसद् की कार्यवाही समय पर प्रकाशित नहीं होती और उसके प्रकाशन में बरसों लग जाते हैं जब कि वह पुरानी हो जाती है और तुरन्त निर्देश के लिये उपलब्ध नहीं होती । वह तो केवल अनेक माननीय सदस्यों का इस विषय में दिलचस्पी लेने का और यथाशीघ्र एक अतिरिक्त मुद्रणालय रखने की आवश्यकता मंत्री महोदय को समझाने का प्रश्न है । इन सब प्रश्नों का यही आशय है । अगला प्रश्न ।

†**श्री पू० शे० नास्कर** : मैं समझता हूं कि थोड़े समय में सब ठीक हो जायेगा ।

डाक और तार विभाग (त्रावनकोर-कोचीन राज्य) के भूतपूर्व कर्मचारी

†*१४५५. **श्री अ० क० गोपालन** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पहले की त्रावनकोर-कोचीन राज्य सरकार के भूतपूर्व राज्य डाक-कर्मचारियों के लिये वेतन के केन्द्रीय स्तर निर्धारित करना सरकार ने रद्द कर दिया है;

(ख) क्या यह भी सच है कि सरकार ने इन कर्मचारियों को पहले से दे दिया गया बकाया वेतन वापिस ले लेने का आदेश दिया है;

(ग) यदि हां, तो क्या वे आदेश वापस ले लेने के लिये सरकार को अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं; और

(घ) ये आदेश क्यों जारी किये गये थे ?

†**उत्पादन उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र)** : (क) सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि भूतपूर्व राज्य डाक तथा तार पद्धति के साथ-साथ केन्द्र द्वारा ले लिये गये कर्मचारियों को १-४-५० से वेतन के केन्द्रीय स्तर लागू करने के सम्बन्ध में उसके द्वारा जारी किये गये सामान्य आदेश भूतपूर्व अंचल पद्धति के कर्मचारियों के लिये लागू न होंगे क्योंकि वे वास्तव में १-४-५१ से केन्द्र के अधीन हुए थे और वे १-४-५० से ३१-३-५१ तक राज्य सरकार के नौकर थे जब कि राज्य सरकार अभिकरण के आधार पर अंचल पद्धति का प्रबन्ध करतीं थी ।

(ख) संभव है कि यदि मूल आदेशों की गलत व्याख्या के कारण अधिक भुगतान किये गये हों, लेखापरीक्षा अधिकारी अतिरिक्त धनराशि वापिस लेने का प्रयत्न करेंगे ।

(ग) सरकार को अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं जिनमें मांग की गयी है कि १-४-५० से भूतपूर्व-अंचल कर्मचारियों के लिये वेतन के केन्द्रीय स्तर और सेवा की अन्य शर्तें लागू की जायें ।

(घ) इन कारणों का एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है । [**देखिये परिशिष्ट ५, अनुबन्ध संख्या १०७**]

†**श्री अ० क० गोपालन** : क्या इसमें से कुछ विभागों के कर्मचारियों को जो धनराशि पहले से दी जा चुकी है उसे वापिस लौटाने के लिये आदेश जारी किये जा चुके हैं ?

†**श्री सतीश चन्द्र** : मैं बता चुका हूं कि वह लेखा परीक्षा का काम है और यदि कोई अतिरिक्त भुगतान किये गये हों, तो उन्हें वापिस लेने के लिये वह कार्यवाही करेगा ।

†**श्री अ० क० गोपालन** : दो दिन पहले संचार मंत्री से एक और प्रश्न पूछा गया और उन्होंने बताया कि वह उस विषय पर पुनर्विचार करेंगे । उस उत्तर को ध्यान में रखते हुए क्या सरकार बकाया वसूल करना बन्द करेगी और संपूर्ण विषय पर नये सिरे से विचार करेगी ?

---

†मूल अंग्रेजी में ।

†**श्री सतीश चन्द्र** : यदि माननीय मंत्री ने यह आश्वासन दिया हो तो वे उसे पूरा करेंगे ।

†**श्री वें० प० नायर** : उत्तर से यह मालूम होता है कि १–४–५० से १–४–५१ तक कर्मचारी अभिकरण सेवा के अधीन समझे जाते थे । मैं जानना चाहता हूं कि इस अभिकरण कार्य के लिये त्रावनकोर-कोचीन राज्य को कितनी धन-राशि दी गयी और क्या भारत सरकार को कोई मुनाफा हुआ है ?

†**श्री सतीश चन्द्र** : मेरे पास आंकड़े नहीं हैं । तथ्य यह है कि संघ वित्तीय एकीकरण के दिन अर्थात १–४–५० को भारत सरकार ने कुछ विभाग जैसे आय-कर, उत्पादन-शुल्क, समुद्र-सीमा शुल्क आदि अपने अधीन ले लिये और पहले के त्रावनकोर-कोचीन राज्य के कुछ अन्य भाग जैसे ऋतु-विज्ञान पुरातत्व-विद्या, काम-दिलाऊ दफ्तर और डाक तार पद्धति राज्य सरकार के अधीन कायम रहे । अंतिम रूप से उनका एकीकरण नहीं किया गया है । वे बाद में चल कर लिये गये थे ।

†**श्री वें० प० नायर** : क्या उस काल में केन्द्रीय सरकार जो कुछ व्यय कर सकी थी उसके अलावा उसे कुछ आय हुई थी ? अन्य जो विभाग सरकार ने अपने हाथों में लिये वे ऐसे नहीं थे जिन से आय होती हो ?

†**श्री सतीश चन्द्र** : सारे विभाग सरकार ने अपने हाथ में नहीं लिये थे । कुछ विभाग अपने अधिकार में लिये और कुछ नहीं । उन्हें प्रविधिक रूप से सरकार ने अपने अधिकार में लिया था । संविधान के अनुच्छेद २५८ में यह उपबन्ध है कि इन विभागों का प्रबन्ध किसी निश्चित तारीख को केन्द्रीय सरकार के काथ में था वास्तव में ये विभाग किसी बाद की तारीख को लिये गये थे क्योंकि अंचल-कर्मचारियों को एक वर्ष बाद केन्द्रीय सरकार ने अपने अधिकार में ले लिया था, इस कारण उसी तारीख से केन्द्र के वेतन क्रम लागू होंगे ।

†**श्री वेलायुधन** : क्या अभिकरण प्रणाली में , जिसके अधीन पिछले एक वर्ष से केन्द्रीय सरकार की ओर से राज्य सरकार अंचल प्रणाली को चला रही थी, कोई ऐसा खण्ड विशेष है कि उन्हें केन्द्रीय वेतन-क्रम नहीं दिया जाना चाहिये अथवा क्या यह सच है कि उसमें एक ऐसा खण्ड है कि अंचल-कर्मचारियों को दूर-संचार सेवा में सम्मिलित किया जाना चाहिये और दूर संचार सेवा को १९५० में एक विशेष तारीख से आगे भुगतान किया गया था ।

†**श्री सतीश चन्द्र** : इस पर तो चर्चा हो चुकी है । यह संघ के वित्तीय एकीकरण योजना का एक अभिन्न अंग था ।

†**श्री अच्युतन** : माननीय मंत्री ने बताया कि भूतपूर्व अंचल-कर्मचारी एक वर्ष से अभिकरण प्रणाली पर कार्य कर रहे थे । क्या जिस प्रकार का कार्य वे कर रहे थे उसमें डाक कर्मचारियों द्वारा किये गये कार्य की तुलना में कोई विशेष अन्तर था ? जब वे उतना ही कार्य कर रहे हैं तो फिर इन कर्मचारियों को एक वर्ष से केन्द्रीय वेतन काम न देने के क्या कारण हैं ?

†**श्री सतीश चन्द्र** : इस मामले को दो दृष्टिकोणों से देखा जा सकता है । जिन कर्मचारियों को बहुत वर्षों से जितना वेतन मिल रहा था, पिछले एक वर्ष से भी उतना ही वेतन दिया गया था । केन्द्रीय सरकार ने कोई नई चीज नहीं की । केन्द्रीय सरकार उन्हें उसी दिन से अपने वेतन क्रम के हिसाब से वेतन दे रही है जिस दिन से वे केन्द्रीय सरकार के कर्मचारी बने । उस एक वर्ष में वे केन्द्रीय कर्मचारी नहीं थे । उस समय वे राज्य सरकार के कर्मचारी थे ।

†**श्री पुन्नूस** : क्या यह सच नहीं कि सरकार इन वर्षों में इस मामले को दो दृष्टिकोणों से देखती रही है ? क्या यह सच नहीं कि उनमें से कुछ कर्मचारियों को उनका कुछ वेतन केन्द्रीय वेतन क्रम के

---

†मूल अंग्रेजी में ।

अनुसार या तो दिया गया था अथवा दिया जा रहा है और अब क्या सरकार यह उचित समझती है कि उन कम वेतन पाने वाल लोगों से यह कहा जाये कि वे वह राशि वापिस लौटा दें ?

†**श्री सतीश चन्द्र** : मेरे साथी संचार मंत्री पहले ही सभा को कुछ आश्वासन दे चुके हैं। मैं समझता हूं कि उचित यही होगा कि वह इस मामले की नये सिरे से जांच करें।

भारतीय समुद्रतट और आकाश में पुर्तगालियों का सीमा अतिक्रमण

†*१४५६. + **श्री रघुनाथ सिंह** :
श्री मु० ला० अग्रवाल :
श्री गिडवानी :
श्री कृष्णाचार्य जोशी :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पुर्तगाली जहाज भारतीय समुद्रतट पर अतिक्रमण करते रहे हैं और गश्त करने वाले भारतीयों ने एक जहाज को वास्तव में पकड़ा भी था ;

(ख) क्या कराची से गोआ को जाने वाले हवाई जहाजों तथा अन्य भारतीय राज्य क्षेत्र जो पुर्तगालियों के अधिकार में हैं वे भी भारतीय आकाश में भी सीमा का उल्लंघन करते रहे हैं ; और

(ग) यदि हां, तो इस बारे में सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

†**वैदेशिक कार्य उपमंत्री (श्री अनिल कु० चन्दा)** : (क) जी, हां। भारत की पुर्तगाली बस्तियों में पंजीबद्ध देशी नावें और मछली पकड़ने वाले जहाज भारतीय राज्य क्षेत्र के समुद्रतटों में मछली पकड़ने और चोरी छिपे माल लाने-लेजाने के लिये अवैध रूप से घुस आते रहे हैं। ऐसी नावों द्वारा भारतीय तटों में पहले जो सीमा के उल्लंघन किये गये उनका ठीक-ठीक ब्योरा उपलब्ध नहीं है किन्तु हाल के सप्ताहों में २२ सितम्बर, ८ अक्तूबर, २३ और २४ अक्तूबर तथा २३ नवम्बर को सीमा का उल्लंघन करने के समाचार प्राप्त हुए हैं। इनमें से अधिकांश उल्लंघन दमन और दीव की देसी नावों द्वारा किये गये हैं। अवैध आप्रवासियों को दमन से लेकर आने वाली देसी नाव जो भारतीय तट पर २३ नवम्बर को आई उसे भारतीय सीमा शुल्क प्राधिकारियों ने अपनी हिरासत में ले लिया था।

(ख) जी, हां। कराची-दीव-दमन गोआ मार्ग पर चलने वाले विमान बहुधा भारतीय विमान-मार्ग के अन्दर घुस आते हैं। ७ अप्रैल, १९५६ से जब कि एक अध्यादेश जारी किया गया जिसमें घोषणा की गई थी कि भारत स्थित पुर्तगाली बस्तियों की सीमा के १० मील के अन्दर भारतीय राज्य क्षेत्र के ऊपर का वायु-मार्ग निषिद्ध क्षेत्र है। पुर्तगाली विमानों द्वारा ४० बार से अधिक इस प्रकार सीमा के उल्लंघनों के बारे में समाचार मिला है।

(ग) देसी नावों के सीमा उल्लंघन करने पर जब कभी सम्भव होता है तो भारतीय प्रशुल्क निषेध नावों द्वारा उन नावों को पकड़ लिया जाता है। जैसा कि पहले बताया जा चुका है कि अब तक इस प्रकार की नाव केवल एक पकड़ी गई है। पुर्तगाली विमानों द्वारा बारम्बार सीमा का उल्लंघन करने के बारे में कूटनीतिक माध्यमों के द्वारा पुर्तगाली सरकार के पास तीव्र विरोध-पत्र भेजा गया है।

श्री रघुनाथ सिंह : माननीय मंत्री ने कहा है कि पुर्तगाल सरकार को विरोध-पत्र भेजे गये हैं। मैं यह जानना चाहता हूं कि उसने उनका जबाब क्या दिया है ?

†**श्री अनिल कु० चन्दा** : हमारे विमान-मार्गों की सीमा का उल्लंघन करने के बारे में पुर्तगाल प्राधिकारियों ने बराबर इनकार किया है। मिस्री राज दूतावास के द्वारा हमने जो विगत १६ नवम्बर को पत्र भेजा था उसमें हमने उन्हें बताया है कि हमें विश्वास है कि वस्तुतः भारतीय राज्य क्षेत्र में विमान-

†मूल अंग्रेजी में।

मार्ग तथा जल-प्रांगण का पुर्तगाली नावों द्वारा सीमा का उल्लंघन किया गया था जो अब भी जारी है। सीमा के उल्लंघनों का सारा ब्योरा बताने वाला एक विवरण भी भेजा गया था जिसमें यह स्पष्ट रूप से कहा गया था कि : (क) अब और आगे चेतावनी दिये बिना भारतीय विमान मार्ग में पुर्तगाली विमानों द्वारा भविष्य में सीमा का उल्लंघन करने पर भारतीय प्राधिकारी आवश्यक रोक सम्बन्धी कार्यवाही करेंगे, और (ख) इस प्रकार की कार्यवाही के परिणामों के लिये पुर्तगाल सरकार जिम्मेदार होगी।

†**श्री मु० ला० अग्रवाल** : चूंकि विरोध का कोई परिणाम नहीं निकला है, क्या सरकार तीव्र विरोध करने के अलावा और कोई कठोर कार्यवाही करने का विचार करती है ?

†**श्री अनिल कु० चन्दा** : जी, हां। हमने अपने पत्र में बता दिया है कि और आगे कोई सूचना दिये बिना हम कार्यवाही करने जा रहे हैं।

†**श्री गिडवानी** : वह कार्यवाही किस प्रकार की होगी ?

†**श्री अनिल कु० चन्दा** : हम क्या कार्यवाही करते हैं यह जानने के लिये माननीय सदस्य को प्रतीक्षा करनी चाहिये।

†**श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा** : क्या भारत सरकार का निर्णय कि उसका क्षेत्राधिकार समुद्र में छः मील तक है संयुक्त राष्ट्र को बता दिया गया है, और यदि हां, तो संयुक्त राष्ट्र का क्या उत्तर आया है ?

†**श्री अनिल कु० चन्दा** : जहां तक मैं समझता हूं, प्रत्येक स्वतन्त्र देश को अपना जल-प्रांगण निश्चित करने का अधिकार प्राप्त है। उदाहरण स्वरूप, मैं समझता हूं कि अमरीका का क्षेत्राधिकार १२ मील तक है जब कि हमारा समुद्रीय क्षेत्राधिकार छः मील है।

†**श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा** : समुद्र में इन राज्य क्षेत्रीय क्षेत्राधिकारों की सीमा के उल्लंघन को रोकने के लिये क्या अन्तर्राष्ट्रीय प्रथायें हैं, और क्या संयुक्त राष्ट्र से इस सम्बन्ध में कोई प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है ?

†**श्री अनिल कु० चन्दा** : इस बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है।

†**श्री हो० ना० मुकर्जी** : पुर्तगाल सरकार के पास विरोध-पत्र भेजने के अलावा जो कि रद्दी की टोकरी में फेंक दिये जाते हैं, विमान मार्गों का सीमा-उल्लंघन करने के बारे में क्या हमने अन्तर्राष्ट्रीय असैनिक उड्डयन संगठन अथवा अन्य किसी इसी प्रकार के निकाय से इस प्रश्न के उठाने के लिये प्रयत्न किया है जो पुर्तगाली उड्डयन के विरुद्ध कुछ कार्यवाही कर सके ?

†**श्री अनिल कु० चन्दा** : जी नहीं, जहां तक मुझे पता है, हमने अभी तक पुर्तगाल सरकार से इसको बताने के अतिरिक्त अन्य कोई भी कार्यवाही नहीं की है। पिछले कुछ महीनों में पुर्तगाल सरकार से विचार-विनियम हुआ है और यह हमारा अन्तिम पत्र है जिसका ब्योरा मैं सभा को दे चुका हूं।

†**श्री टेक चन्द** : क्या जस्क्वा टारमैन्टा एक्स्प्लोडेन्टुर नामक विख्यात सिद्धान्त के अनुसार राज्य क्षेत्र की सीमा कम से कम दस मील होनी चाहिये ?

†**श्री अनिल कु० चन्दा** : यह बात मुझे माननीय सदस्य से ज्ञात हुई है। उन्हें विधि का अच्छा ज्ञान है।

विस्थापित व्यक्तियों के लिये भू-अधिग्रहण

†*१४५८. **श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : क्या **पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिमी बंगाल के २४ परगना जिले के थाना हरोरा, भांगर और राजरहट में शरणार्थियों के पुनर्वास के लिये भू-अधिग्रहण करने वाले नोटिस वापिस ले लेने का निश्चय किया गया है;

---

†मूल अंग्रेजी में।

(ख) इन भूमियों पर तीन मास तक कब्जा न होने का क्या कारण है ;

(ग) क्या अन्य क्षेत्रों में शरणार्थियों को इनके बदले दूसरी भूमि देने का कोई विचार है; और

(घ) यदि हां, तो कहां ?

†**पुनर्वास मंत्री (श्री मेहर चन्द खन्ना)** : (क) से (घ). जानकारी एकत्र की जा रही है जो यथा समय सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : क्या सरकार इस प्रकार का वक्तव्य देने को तैयार है कि उन किसानों की भूमि, जो पश्चिमी बंगाल के जमींदारी उन्मूलन अधिनियम में निर्धारित अधिकतम सीमा से कम होगी किसानों को दे दी जायेगी ?

†**श्री मेहर चन्द खन्ना** : मुझे खेद है कि इस प्रकार के महत्वपूर्ण विषय पर पूर्वसूचना बिना मैं कोई निश्चित वक्तव्य नहीं दे सकता ।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : क्या मंत्री महोदय यह आश्वासन देने को तैयार हैं कि वह इस मामले की स्वयं जांच करेंगे और इस प्रकार के किसानों की भूमि नहीं लेंगे ?

†**श्री मेहर चन्द खन्ना** : निस्सन्देह मैं अत्यधिक सहानुभूति से इस मामले की जांच करूंगा किन्तु मैं इस बात का वचन नहीं दे सकता कि मैं क्या कार्यवाही करूंगा ।

हथकरघे का कपड़ा

†*१४५९. **डा० रामा राव** : क्या **वाणिज्य और उपभोग-वस्तु उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस प्रकार का कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है कि आन्ध्र की प्रारम्भिक सहकारी समितियों के पास हथकरघे के कपड़े का बहुत सा स्टाक इकट्ठा हो गया है ;

(ख) क्या इन समितियों को इस भार से मुक्त करने की दृष्टि से यह स्टाक खरीदने के लिये सरकार से ऋण की मांग की गई है; और

(ग) क्या वर्तमान विकट परिस्थिति में आन्ध्र के हथकरघा बुनकरों की सहायता करने के लिये कोई विशेष कार्यवाही की गई है ?

†**व्यापार मंत्री (श्री करमरकर)** : (क) (ख) तथा (ग). इस प्रकार का कोई भी अभ्यावेदन प्राप्त नहीं हुआ है यद्यपि इस प्रकार का समाचार हमें सुनने में मिला है । इस कार्य के लिये सम्बन्धित राज्य सरकार ने भी केन्द्रीय सरकार से ऋण की मांग नहीं की है । यदि राज्य सरकार ने इस सम्बन्ध में कोई प्रार्थना की तो उसपर सहानुभूति पूर्वक विचार जायेगा ।

†**डा० रामा राव** : क्या सरकार को पता है कि यह समाचार मिला है कि इन प्रारम्भिक सहकारी समितियों के पास लगभग १ करोड़ रुपये के मूल्य का माल इकट्ठा हो गया है जो वे बेच नहीं सकतीं ?

†**अध्यक्ष महोदय** : राज्य सरकार ने उन्हें यह सूचना नहीं दी ।

†**डा० रामा राव** : क्या उन्होंने ऐसे समाचार सुने हैं ?

†**श्री करमरकर** : समाचार तो हमने सुना है परन्तु उसके मूल्य के बारे में अब तक कुछ नहीं सुना कि एक करोड़ रुपये का माल है या दो करोड़ का ?

---

†मूल अंग्रेजी में ।

†**श्री ब० स० मूर्त्ति** । क्या किसी प्रारम्भिक सहकारी समिति ने केन्द्रीय सरकार से प्रार्थना की है कि उसे माल बेचने में सहायता दी जाये ?

†**श्री करमरकर** : प्रारम्भिक सहकारी समिति पहले तो राज्य सरकार से बात करती है और तब राज्य सरकार केन्द्रीय सरकार से कहती है । जैसा कि मैंने कहा, वे हमें कहेंगे तो हम उनकी प्रार्थना पर सहानुभूति पूर्वक विचार करेंगे ।

†**श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा** : सरकार का कहना है कि हथकरघे के कपड़े का स्टाक जमा हो जाने के सम्बन्ध में उसे कोई जानकारी नहीं है । क्या सरकार को देश में इस कपड़े का स्टाक जमा हो जाने के सम्बन्ध में जानकारी है और वह भविष्य में इस किस्म के कपड़े के उत्पादन का कार्यक्रम कैसे बना रही है ?

†**श्री करमरकर** : पहली बात तो यह है कि प्रश्न मद्रास और आन्ध्र के बारे में है ? दूसरी बात यह है कि मैंने यह नहीं कहा कि हमें जानकारी नहीं है, मैंने यह कहा है कि हमने सुना है ।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : इस बात को देखते हुए कि कपड़े इत्यादि पर कराधान की हमारी सारी नीति इसी एक तथ्य पर आधारित है कि हमारे यहां कपड़े का उत्पादन काफी नहीं होता है, क्या सरकार ऐसे उत्पादन शुल्कों का रोपण करने से पहले सभी राज्यों से उनकी हथकरघे और साथ ही मिल के बने हुए कपड़े की सही-सही स्थिति का पता लगाने का सोच रही है ?

†**भारी उद्योग तथा वाणिज्य और उपभोग-वस्तु उद्योग मंत्री (श्री मुरारजी देसाई)** : मैं आपको बताता हूं कि हमारी कराधान नीति इस कल्पना पर आधारित नहीं है कि हमारे यहां कपड़े का उत्पादन पर्याप्त नहीं होता । उत्पादन शुल्कों का रोपण इसीलिये किया गया था कि मूल्य बढ़ते जा रहे थे और उनके बारे में कुछ अनुमान लगाये जाने लगे थे , कि हमने मूल्यों को घटाने के लिये ही ये उत्पादन शुल्क लगाये थे । अभी उस दिन ही हथकरघा बोर्ड की बैठकों में, उन्होंने इस मामले विशेष के सम्बन्ध में मुझे बताया था कि उनके पास कुछ माल संचित हो गया है, और हमने उनसे कह दिया था कि यदि वे राज्य सरकारों के द्वारा इसके बारे में लिखें तो हम सहायता दे सकते हैं, लेकिन अभी तक उन्होंने हमें कुछ नहीं लिखा ।

†**श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा** : क्या मैं जान·····

†**अध्यक्ष महोदय** : मैं अनुमति नहीं दूंगा । माननीय सदस्य स्थानीय विधान-मंडलों की उपेक्षा करने के अभ्यस्त हो गये हैं; वे कभी भी इन कठिनाइयों को स्थानीय विधान-मंडलों के सदस्यों को नहीं बताते । प्रत्येक माननीय सदस्य के क्षेत्र में राज्य की विधान-सभा के पांच या सात सदस्य रहते हैं । यदि राज्य केन्द्र के सामने अपनी इन कठिनाइयों को पेश नहीं करते, तो क्या केन्द्र को इन्हें राज्य के सामने पेश करना चाहिये ?

मतदान के बारे में प्रलेख चल-चित्र

*१४६०. **श्री रनदमन सिंह** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फिल्म डिवीज़न द्वारा तैयार किया गया "यह आपका वोट है" प्रलेख चल-चित्र ३० नवम्बर, १९५६ से प्रदर्शित किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो यह चल-चित्र कब तक दिखाया जायेगा;

(ग) उसको तैयार करने में कितनी राशि खर्च हुई;

(घ) क्या यह चल-चित्र देहाती क्षेत्रों में भी दिखाया जायेगा; और

---

†मूल अंग्रेजी में ।

(ङ) यदि नहीं, तो देहातों में लोगों को अपने वोट का ठीक प्रकार से प्रयोग करने की शिक्षा देने के लिये सरकार क्या उपाय करने जा रही है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (डा० केसकर) : (क) जी, हां ।

(ख) फिल्म का प्रदर्शन कुल ३,५७७ वाणिज्य सिनेमा घरों में, जिनमें चलती-फिरती टाकीज भी शामिल हैं, ८ फरवरी, १९५७ तक पूरा हो जायेगा ।

(ग) फिल्म की तैयारी पर खर्च हुई लागत का हिसाब लगाने में कुछ समय लगेगा । इसलिये उसके ठीक आंकड़े बताना इस समय सम्भव नहीं है ।

(घ) जी, हां । चलती-फिरती टाकीज के अतिरिक्त, यह फिल्म केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों की गाड़ियों द्वारा भी, जिनकी संख्या लगभग ४५० है, दिखाई जायेगी ।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता । मोटे तौर पर यह कहा जा सकता है कि देहाती मतदाताओं को रेडियो के विशेष कार्यक्रम तथा दृष्य प्रचार सामग्री जैसे इश्तहार, पोस्टर, सिनेमा स्लाइडस, अखबारों में डिस्प्ले विज्ञापनों द्वारा शिक्षा दी जा रही है ।

श्री रनदमन सिंह : मैं यह जानना चाहता हूं कि अब तक ये चल-चित्र कितने क्षेत्रों में दिखाये गये हैं और अनुपात में मतदाताओं की संख्या क्या है, जो इन्हें देख चुके हैं ?

†**अध्यक्ष महोदय** : शान्ति, शान्ति । प्रश्न काल समाप्त हो गया है ।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

मुख्य खान निरीक्षक का प्रतिवेदन

†*१४३४. **श्री चट्टोपाध्याय** : क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि भारत के मुख्य खान निरीक्षक का वर्ष १९५५ का वार्षिक प्रतिवेदन कब प्रकाशित किया जायेगा ?

†**श्रम मंत्री (श्री खंडू भाई देसाई)** : मुख्य खान निरीक्षक ने यह प्रतिवेदन तैयार कर लिया है और इसे यथासम्भव शीघ्र ही मुद्रित और प्रकाशित किया जायेगा ।

विदेशों से प्रविधिक सहायता

†*१४३८. **श्री रामकृष्ण** : क्या **भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ विदेश भारत को द्वितीय पंचवर्षीय योजना के काम में अपने उद्योगों का विकास करने के लिये प्रविधिक सहायता देने के लिये तैयार हैं;

(ख) यदि हां, तो वे कौन-से देश हैं; और

(ग) उन देशों ने अलग-अलग किस-किस प्रकार की सहातया देने का प्रस्ताव किया है ?

†**भारी उद्योग मंत्री (श्री म० म० शाह)** : (क) जी, हां ।

(ख) बहुत से देशों ने, जिनमें अमरीका, सोवियत संघ, ब्रिटेन, कनाडा, पश्चिमी और पूर्वी जर्मनी, जापान, स्वीडन सम्मिलित हैं ।

(ग) जिस सहायता का वचन दिया गया है वह कई प्रकार की हैं—और वह सम्बन्धित देश में प्रशिक्षण की सुविधायें देने से लेकर द्वितीय पंचवर्षीय योजना में उद्योगों के लिये विशेषज्ञों, प्रविधिक उपकरण और व्यावहारिक ज्ञान जुटाने तक ह ।

---

†मूल अंग्रेजी में ।

तीर्थों और पवित्र स्थानों समबन्धी भारत-पाक करार

†*१४३९. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **प्रधान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या १९५३ से तीर्थों और पवित्र स्थानों सम्बन्धी करार की कार्यान्विति का ब्योरा तैयार करने के लिये बनाई गई, भारत और पाकिस्तान के प्रतिनिधियों की संयुक्त समिति ने इस बीच में अपना कार्य पूरा कर लिया है; और

(ख) यदि हां, तो उसने किस प्रकार की सिफारिशें की हैं ?

†**वैदेशिक-कार्य मंत्री के सभा-सचिव (श्री सादत अली खां)** : (क) और (ख). जी, नहीं ।

भारत और पाकिस्तान दोनों में स्थित तीर्थों और पवित्र स्थानों की सूचियां संकलित की जा रही हैं ।

पाकिस्तान सरकार को यह सुझाव दिया गया है कि १९५७ के शुरू में संयुक्त समिति की एक बैठक बुलाई जाये । अभी उसका उत्तर नहीं आया है ।

अखबारी कागज के कारखाने

†*१४४५. **श्री शिवनंजप्पा** : क्या **भारी** उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम गन्ने की खोई से अखबारी कागज के निर्माण के एक कारखाने की स्थापना की एक योजना पर विचार कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो इस कारखाने की कुल प्राक्कलित लागत क्या है; और

(ग) इस कारखाने की वार्षिक उत्पादन क्षमता क्या होगी ?

†**भारी उद्योग मंत्री (श्री म० म० शाह)** : (क) जी, हां ।

(ख) और (ग). इस मामले में विशेषज्ञ विदेशी फर्म के साथ अभी परामर्श किया जा रहा है । हो सकता है कि प्रति वर्ष ३०,००० टन अखबारी कागज की उत्पादन क्षमता के लिये ४ करोड़ से ६ करोड़ रुपये तक की लागत आये ।

भारत-पाक पारपत्र सुविधायें

†*१४४८. **श्री मु० इस्लामुद्दीन** : क्या **प्रधान मंत्री** भारत-पाक पारपत्र सुविधाओं के सम्बन्ध में १६ जुलाई, १९५६ को पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या ८ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पाकिस्तान सरकार ने भारत-पाक पारपत्र की उस पुनरीक्षित योजना को स्वीकार कर लिया है, जो भारत सरकार ने पाकिस्तान के गृह-कार्य मंत्री और भारत के पुनर्वास मंत्री के बीच अप्रैल, १९५५ में कराची में होने वाली चर्चा के दौरान में किये गये समझौते के आधार पर प्रारूपित की थी और जो पाकिस्तान सरकार के पास मई, १९५५ में भेजी गई थी;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो क्या इस मामले में आगे कार्यवाही की गई है ?

†**वैदेशिक-कार्य उपमंत्री (श्री अनिल कु० चन्दा)**: (क) और (ख). जी, नहीं । पाकिस्तान सरकार ने अभी तक उस करार को स्वीकार नहीं किया है ।

(ग) चूंकि पाकिस्तान सरकार की ओर से कोई उत्तर नहीं आया, इसलिये इस मामले में आगे कार्यवाही करना आवश्यक नहीं समझा गया ।

---

†मूल अंग्रेजी में ।

चकैना शरणार्थी कैम्प

†*१४५७. **श्री दशरथ देव** : क्या **पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गत तीन या चार मासों में त्रिपुरा के हवाईबाड़ी और चकैना शरणार्थी कैम्पों के बहुत से विस्थापित व्यक्ति मर गये हैं;

(ख) यदि हां, तो जुलाई, १९५६ से अब तक कितने व्यक्ति मरे हैं;

(ग) इन मृत्युओं के क्या कारण हैं; और

(घ) इन शरणार्थी कैम्पों में मृत्यु का आपात कम करने के लिये सरकार क्या कार्यवाही करेगी ?

†**पुनर्वास मंत्री (श्री मेहर चन्द खन्ना)** : (क) से (ग) : त्रिपुरा में हवाईबाड़ी और चकैना सहायता कैम्प राज्य सरकार द्वारा अगस्त, १९५६ के दूसरे पखवारे में खोले गये थे। नवम्बर, १९५६ के अन्त में इन कैम्पों में ७,२६१ विस्थापित व्यक्ति थे। इस पूरे काल के दौरान में, ६८ व्यक्तियों की मृत्यु हुई है। ये मृत्युयें वृद्धावस्था और मलेरिया, पेचिश, आदि जैसे सामान्य रोगों के कारण हुई थीं।

(घ) इन कैम्पों में चलती-फिरती चिकित्साशाला के रूप में चिकित्सा सुविधायें उपलब्ध रहती हैं। नवम्बर, १९५६ में चकैना में एक औषद्यालय खोली गई थी, और दूसरी हवाईबाड़ी कैम्प में खोली जा रही है।

मजूरी बोर्ड

†*१४६१. **श्री काजरोल्कर** : क्या **श्रम** मंत्री ५ दिसम्बर, १९५६ के तारांकित प्रश्न संख्या ८४२ के अनुपूरक प्रश्नों के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किन-किन उद्योगों के लये मजूरी बोर्डों की स्थापना करने का विचार है; और

(ख) वे कब तक अपना कार्य शुरू कर सकेंगे ?

†**श्रम मंत्री (श्री खंडूभाई देसाई)** : (क) और (ख). इस मामले में राज्य सरकारों के परामर्श के साथ विचार किया जा रहा है और इस अवस्था पर यह बताना सम्भव नहीं है कि इन मजूरी बोर्डों की स्थापना किन-किन उद्योगों के लिये की जायेगी और वे कब तक अपना कार्य आरम्भ कर सकेंगे।

चीन के साथ डाक और तार सेवा करार

†*१४६२. { **सरदार इक़बाल सिंह** :
सरदार अकरपुरी :

क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत और जनवादी चीन के बीच दोनों देशों में डाक और तार सेवाओं को विनियमित करने के बारे में किसी करार पर हस्ताक्षर हुये हैं; और

(ख) यदि हां, तो उस करार की मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं ?

†**उत्पादन उपमंत्री (श्री सतीशचन्द्र)** : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

---

†मूल अंग्रेजी में।

टेलीफोन लाइन्स

†*१४६३. **श्री रा० न० सिंह** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली और कलकत्ता के बीच, हर छः-छः मील की दूरी पर रिपीटरों की व्यवस्था के साथ, टेलीफोन की नयी पारेषण लाईनें लगाने के लिये टेन्डर्स मांगे गये थे;

(ख) यदि हां, तो कितने टेन्डर्स प्राप्त हुये थे;

(ग) कथित रिपीटर की वास्तविक प्राक्कलित लागत क्या थी और कौन से टेन्डर्स स्वीकार किये गये थे; और

(घ) क्या उस करार की एक प्रति सभा-पटल पर रखी जायेगी ?

†**उत्पादन उपमंत्री (श्री सतीशचन्द्र)** : (क) कार्य के पहले क्रम के लिये, अर्थात् निम्न चीजों के लिये टेन्डर्स मांगे गये थे—

(१) नई-दिल्ली-आगरा, आगरा-बनारस और लखनऊ-कानपुर सेक्शनों के लिये आयात किये जाने वाला संवाहक सामान;

(२) उपर्युक्त सामान के लिये विद्युत् संयन्त्र; और

(३) आगरा–बनारस और लखनऊ–कानपुर के लिये केबिल्स ।

(ख) और (ग). : (१) उपकरण के लिये सात टेन्डर आये थे;

(२) विद्युत् संयंत्र के लिये नौ;

(३) कोकिसयल केबिल के लिये १२; और

(४) सिमेट्रीकल पेयर केबिल के लिये ११ ।

सामान और विद्युत् संयंत्र के लिये आने वाले टेन्डर्स स्वीकार किये जा चुके हैं । बम्बई-दिल्ली, आसनसोल मार्ग की पूरी योजना के लिये इन दो मदों की प्राक्कलित लागत लगभग १·९ करोड़ रुपये है ।

(घ) अभी तक कोई भी करार नहीं किया गया है ।

आकाशवाणी के समाचार बुलेटिन

†*१४६४. **श्री म० शि० गुरुपादस्वामी** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मलयालम, कन्नड़ और पंजाबी जैसी मुख्य भारतीय भाषाओं के दोपहर के समय के बुलेटिन जारी नहीं किये जाते हैं; और

(ख) क्या सरकार ऐसी भाषाओं में भी दोपहर के समय के बुलेटिन आरम्भ करने के प्रश्न पर विचार करेगी ?

†**सूचना और प्रसारण मंत्री (डा० केसकर)** : (क) और (ख) जी, हां, दोपहर के समय के बुलेटिन संविधान में मान्यता पाई हुई १४ भाषाओं में से केवल ८ में ही प्रसारित किये जाते हैं। दिल्ली में अतिरिक्त ट्रांसमीटर लगने के साथ यथा सम्भव अधिक से अधिक भाषाओं में ऐसे बुलेटिन आरम्भ कर दिये जायेंगे ।

---

†मूल अंग्रेजी में ।

परिवहन सेवाओं सम्बन्धी औद्योगिक समिति

†*१४६५. **श्री चट्टोपाध्याय** : क्या **श्रम** मंत्री १० सितम्बर, १९५६ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या १९८१ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस बीच में परिवहन सेवाओं सम्बन्धी औद्योगिक समिति की स्थापना करने का कोई निर्णय किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो कथित समिति की पहली बैठक के कब तक बुलाये जाने की सम्भावना है ?

†**श्रम मंत्री (श्री खंडूभाई देसाई)** : (क) जी, हां ।

(ख) समिति की रचना का प्रश्न तय हो जाने के शीघ्र बाद ही ।

कोयला खनन का सामान

†*१४६६. { **श्री कृष्णाचार्य जोशी** :
श्री त० ब० विट्ठलराव :

क्या **भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में कोयला खनन के सामान के निर्माण के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है; और

(ख) क्या कोयला खनन के सामान के निर्माण के सम्बन्ध में सरकार को परामर्श देने के लिये विदेशी विशेषज्ञों को आमंत्रित करने की कोई प्रस्थापना है ?

†**भारी उद्योग मंत्री (श्री म० म० शाह)**: : (क) तथा (ख). एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट ५, अनुबन्ध संख्या १०८]**

अतिरिक्त विभागीय कर्मचारी

*१४६७. **श्री भक्त दर्शन** : क्या संचार मंत्री २ अगस्त, १९५६ के तारांकित प्रश्न संख्या ६१५ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) डाक-तार विभाग के अतिरिक्त विभागीय कर्मचारियों के वेतनक्रम व नौकरी की शर्तों में संशोधन करने का जो प्रश्न विचाराधीन था, क्या इस बीच उसके बारे में अन्तिम निर्णय कर लिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो क्या संशोधित वेतनक्रमों और सेवा की शर्तों के ब्योरे का एक विवरण सभा-पटल पर रखा जायेगा ?

उत्पादन उपमंत्री (श्री सतीशचन्द्र): (क) अभी नहीं ।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता ।

बिहार में रोलिंग मिलें

†*१४६८. **पंडित द्वा० ना० तवारी** : क्या **भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार में रोलिंग मिलें स्थापित करने के लिये व्यापारियों के प्रार्थनापत्र सीधे या बिहार सरकार द्वारा पृष्ठांकित रूप में प्राप्त हुये हैं; और

(ख) यदि हाँ तो क्या उन पर विचार किया गया है और उनकी मंजूरी दी गई है ?

---

†मूल अंग्रजी में।

†**भारी उद्योग मंत्री (श्री म० म० शाह)** : (क) हां श्रीमान् ।

(ख) सभी प्रार्थनापत्रों पर अभी विचार किया जा रहा है ।

लिगनाइट परियोजना

†*१४६९. { **श्री शिवनंजप्पा** :
श्री विभूति मिश्र :

क्या **उत्पादन** मंत्री १२ सितम्बर, १९५६ को पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या १७४३ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत के लिगनाइट उद्योग के लिये खुदाई और सामान लाने-लेजाने की मशीनरी के के लिये जर्मन सार्थों को कुल कितनी लागत का आदेश दिया गया है;

(ख) उन सार्थों के नाम क्या हैं; और

(ग) इस मशीनरी के कब तक भारत पहुंचने की आशा है ?

†**उत्पादन उपमंत्री (श्री सतीशचन्द्र)** : (क) नेवेली लिगनाइट परियोजना के लिये जर्मन सार्थों को खुदाई और सामान लाने-लेजाने की मशीनरी का जो आदेश दिया गया था उसके स्थान पर कुल लागत लगभग ३९० लाख रुपये है ।

(ख) मशीनों को सम्भरण करने वाले हैं सर्वश्री (एल० एम० जी) औरंस्टीन––कापेल अण्ड ल्यूबेकर––मस्चीनेनबो और सर्वश्री क्रुप इंडीन––हेडलगेसल सकेफर ।

(ग) मशीनरी का सम्भरण जनवरी, १९५८ से आरम्भ होगा और १९५९ में पूर्ण हो जायेगा ।

कपड़े की मिलें

†*१४७०. **श्री रामानन्द दास** : क्या **वाणिज्य और उपभोग वस्तु उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हाल में सरकार ने कपड़े और अन्य सूती माल का जो कोटा निश्चित किया है, वह पश्चिमी बंगाल के राज्य की कुल आवश्यकताओं से कम है और इस कारण पश्चिमी बंगाल की सब सूती कपड़े की मिलों में पारियों की संख्या कम हो गई है ।

(ख) क्या इस कार्यवाही के फलस्वरूप बेरोज़गारी बढ़ी है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार ने इस विषय में क्या कार्यवाही की है ?

†**व्यापार मंत्री (श्री करमरकर)** : (क) सरकार ने ऐसा कोई कोटा निर्धारित नहीं किया ।

(ख) तथा (ग). प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम

†*१४७१. **श्री हो० ना० मुकर्जी** : क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान उन अभ्यावेदनों की ओर दिलाया गया है जिन में प्रार्थना की गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम और उसके अधीन बनाई गई योजना को सिनेमा थियेटरों के कर्मचारियों पर लागू किया जाये और न्यूनतम सीमा ५० से घटा कर १५ कर दी जाये; और

(ख) क्या सरकार ने इस विषय में कोई कार्यवाही की है ?

---

†मूल अंग्रेजी में ।

†**श्रम मंत्री (श्री खंडूभाई देसाई)** : (क) जी, हां ।

(ख) सरकार अभी इस विषय पर विचार कर रही है ।

आकाशवाणी

†*१४७२. { **श्री कामत** :
श्री अ० क० गोपालन :

क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आकाशवाणी ने २ अक्तूबर, १९५६ को अहमदाबाद में महा गुजरात परिषद् द्वारा आयोजित सार्वजनिक सभा का समाचार प्रसारित नहीं किया था;

(ख) क्या आकाशवाणी ने एक और सार्वजनिक सभा के सम्बन्ध में जो गुजरात कांग्रेस समिति ने आयोजित की थी और जिस में प्रधान मंत्री का भाषण हुआ था, समाचार दिया था; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

†**सूचना और प्रसारण मंत्री (डा० केसकर)** : (क) से (ग). महत्व का समाचार होने के के कारण, आकाशवाणी ने प्रधान मंत्री के भाषण का समाचार प्रसारित किया था । महा गुजरात परिषद् द्वारा आयोजित सभा के समाचार जो एजेंसी ने दिये थे, प्रसारित नहीं किये गये थे क्योंकि (१) वे अगली प्रातः तक आकाशवाणी के समाचार कक्ष में प्राप्त नहीं हुये थे और उन्हें प्रातः के मुख्य बुलेटिन में सम्मिलित नहीं किया जा सका, और (२) एजेंसी के समाचारों में बताया गया था कि सभा के वक्ताओं ने मुख्यतः निर्वाचन कार्यक्रमों और उनके परिणामों की ओर निर्देश किया था और आकाशवाणी की प्रथा के अनुसार बुलेटिनों में ऐसे समाचार नहीं लिये जाते ।

बड़ाढेमों कोयले की खान में दुर्घटना

†***१४७३. श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : क्या **श्रम** मंत्री २७ नवम्बर, १९५६ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या ४४५ और ५०१ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बड़ाढेमों कोयले की खान के जो ग्यारह खनिक खान में पानी आ जाने पर भी चमत्कारपूर्ण ढंग से बच गये थे, उन्हें खान के प्रबन्धक ने काम देने या देय का भुगतान करने से इनकार कर दिया है; और

(ख) सरकार का इस प्रयोजन के लिये क्या कार्यवाही करने का विचार है कि इन लोगों को जीवन निर्वाह के लिये तुरन्त रोज़गार दिया जाये और वे पुनः स्वस्थ हो जायें ?

श्रम मंत्री (श्री खंडूभाई देसाई) (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

मोटर गाड़ियों के पुर्जों के लिये आयात अनुज्ञप्तियां

*†१४७४. { **डा० रामा राव** :
श्री पो० सुब्बाराव :

क्या **वाणिज्य और उपभोग वस्तु उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मोटर गाड़ियों के पुर्जे तदर्थ आधार पर आयात करने के लिये अनुज्ञप्तियां केवल एक ही सार्थ को दी गई हैं;

---

†मूल अंग्रेजी में ।

(ख) यदि हां, तो क्यों; और

(ग) यह सार्थ कितना पुराना है ?

†**व्यापार मंत्री (श्री करमरकर)**: (क) नहीं श्रीमान् ।

(ख) तथा (ग). प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

वैस्ट हिल की तेल की मिलों में ताला बन्दी

†*१४७५. **श्री अ० क० गोपालन** : क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को विदित है कि वैस्ट हिल की तेल की मिलों (मालाबार जिला, केरल राज्य) में, अक्तूबर १९५६ को जबकि एक औद्योगिक विवाद एक पदाधिकारी के पास लम्बित था, तालाबन्दी घोषित की गई थी; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इस विषय में क्या कार्यवाही की है ?

†**श्रम मंत्री (श्री खंडूभाई देसाई)** : (क) तथा (ख). राज्य सरकार से जानकारी एकत्र की जा रही है और इसे यथा समय सभा-पटल पर रख दिया जायेगा ।

त्रिपुरा में विस्थापित व्यक्ति

†*१४७६. **श्री दशरथ देव** : क्या **पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि खाद्यान्न की कमी और अत्यावश्यक वस्तुओं के मूल्य बढ़ जाने के कारण इस समय त्रिपुरा में बहुत से शरणार्थी प्रायः भूखों मर रहे हैं;

(ख) क्या अक्तूबर १९५६ के मध्य में त्रिपुरा में किसी शरणार्थी संगठन ने सरकार को कोई ज्ञापन भेजा है;

(ग) यदि हां, तो यदि ऐसे ज्ञापन में क्या शिकायतें दी गई हैं; और

(घ) इस विषय में क्या कार्यवाही की गई है अथवा कार्यवाही करने का विचार है ?

†**पुनर्वास मंत्री (श्री मेहर चन्द खन्ना)** : (क) जी, नहीं ।

(ख) से (घ). त्रिपुरा प्रशासन को १७ अक्तूबर १९५६ को संयुक्त शरणार्थी समिति के प्रधान की ओर से त्रिपुरा के पुनर्वास निदेशक के नाम एक अभ्यावेदन मिला था । अभ्यावेदन सामान्य प्रकार का था और उसमें विस्थापित व्यक्तियों के लिये रोजगार, पुनर्वास सम्बन्धी ऋण देने, पुनर्वास बस्तियों में पीने के पानी के सम्भरण की सुविधायें बढ़ाने आदि की योजनाओं सहित पुनर्वास योजनाओं की कार्यान्विति शीघ्र करने के कुछ सुझाव थे । सुझावों पर विचार किया जा रहा है ।

रेडियो तथा वायरलेस अनुज्ञप्ति शाखा के कर्मचारी (मैसूर)

†*१४७७. **श्री म० शि० गरुवादस्वामी** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मैसूर सरकार की रेडियो तथा वायरलेस अनुज्ञप्ति शाखा के कर्मचारियों की सेवायें १ अप्रैल १९५० को भारत सरकार के डाक तथा तार विभाग को हस्तांतरित कर दी गई थीं;

(ख) यदि हां, तो क्या यह सच है कि उन पदाधिकारियों के वेतन क्रमों के पुनर्निर्धारण का निर्णय अभी तक नहीं किया गया;

(ग) क्या यह सच है कि उन पदाधिकारियों को तब से उनकी सामान्य वेतनवृद्धियां भत्ते इत्यादि इस कारण नहीं दिये गये कि इनके वेतनक्रमों का निर्धारण अभी नहीं हुआ; और

(घ) सरकार का इस विषय में कब निर्णय करने का विचार है ?

---

* †मूल अंग्रेजी में ।

†**उत्पादन उपमंत्री (श्री सतीशचन्द्र)** : (क) जी, हां ।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) जी, नहीं । केवल दो पदाधिकारियों का वेतन अब तक निर्धारित नहीं हुआ ।

(घ) शीघ्र ही ।

पटेल व्याख्यान माला

†***१४७८. श्री कृष्णाचार्य जोशी** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्दी में पटेल व्याख्यान माला की योजना को अन्तिम रूप दे दिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो वक्ता कब व्याख्यान देंगे ?

†**सूचना और प्रसारण मंत्री (डा० केसकर)** : (क) हिन्दी में पटेल व्याख्यान माला की कोई पृथक् योजना नहीं है । यह वक्ता और उसके विशेष विषय के चुनाव पर निर्भर करता है कि वह अंग्रेजी हिन्दी अथवा किसी अन्य प्रादेशिक भाषा में भाषण दे ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

कागज उद्योग

*१४७९. **श्री भक्त दर्शन** :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री शिवनंजप्पा :

क्या **भारी उद्योग** मंत्री १४ अगस्त, १९५६ के तारांकित प्रश्न संख्या १०५३ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में कागज के उत्पादन के बारे में जर्मनी व इटली के दलों की विस्तृत सिफारिशें प्राप्त हो चुकी हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या उन सिफारिशों की मोटी रूपरेखा पटल पर रखी जायेगी; और

(ग) उन सिफारिशों के बारे में सरकार ने क्या निर्णय किया ?

भारी उद्योग मंत्री (श्री म० म० शाह) : (क) और (ख). जर्मन दल ने गन्ने की छोई से अखबारी कागज बनाने के लिये अपनी ए–ज़ड प्रणाली अपनाने की सिफारिश की है । यह रिपोर्ट अभी प्रारम्भिक है और विदेशी फर्मों के साथ अभी और टेक्निकल सलाह मशविरा किया जा रहा है । इस योजना के अनुसार ऐसा कारखाना खोलने का विचार है जिससे हर साल ३०,००० टन अखबारी कागज बनाया जायेगा ।

इटली का दल अभी चुने हुये भारतीय कच्चे माल के बारे में अपना परीक्षण कर रहा है । जब तक ये परीक्षण खत्म नहीं हो जायेंगे तब तक उसकी रिपोर्ट तैयार नहीं होगी ।

(ग) विशेषज्ञ फर्मों के साथ सलाह मशविरा समाप्त हो जाने क बाद ही सरकार कोई निर्णय करेगी ।

---

†मूल अंग्रेजी में ।

निगरानी रखने वाला पदाधिकारी

†*१४८०. **पण्डित द्वा० ना० तिवारी** : क्या **निर्माण, आवास और सम्भरण मंत्री** १ सितम्बर, १९५६ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या १६३७ के सम्बन्धी अनुपूरक प्रश्नों के उत्तरों के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) निगरानी रखने वाले पदाधिकारियों ने कितने मामलों का पता लगाया है;

(ख) कितने मामलों में विभागीय कार्यवाही की गई;

(ग) कितने मामले न्यायालय में ले जाये गये; और

(घ) क्या उन लोगों के विरुद्ध जिन्हें न्यायालयों ने प्राविधिक कारणों से अथवा पर्याप्त साक्ष्य के अभाव के कारण मुक्त कर दिया था, कोई विभागीय कार्यवाही की गई है ?

†**निर्माण, आवास और सम्भरण मंत्री के सभासचिव (श्री पू० शे० नास्कर)** : (क) से (घ). एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट ५, अनुबन्ध संख्या १०९]**

पश्चिमी बंगाल में कोयले का मूल्य

†*१४८१. **श्री रामानन्द दास** : क्या **उत्पादन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बम्बई और कलकत्ता के लिये कोयले के मूल्य की एकरूप दर निश्चित की गई है;

(ख) यदि हां, तो क्या कोयले के एकरूप मूल्य का पश्चिमी बंगाल में उद्योगों पर सामान्यतया और छोटे पैमाने के उद्योगों पर विशेषतया प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है; और

(ग) नई मूल्य व्यवस्था आरम्भ करने से पूर्व कोयले के प्रचलित मूल्य क्या थे ?

†**उत्पादन उपमंत्री (श्री सतीशचन्द्र)** : (क) नहीं, श्रीमान् ।

(ख) तथा (ग). प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ?

विदेशों को भेजे जाने के लिये शिष्टमंडलों का चुनाव

†*१४८३. **श्री कामत** : क्या **संसद् कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किसी मंत्रालय द्वारा विदेशों को भेजे जाने के लिये किसी शिष्टमंडल के सदस्यों का, जिसमें संसद् सदस्य भी सम्मिलित हों, चुनाव करने की किस अवस्था पर उन्हें सूचित किया जाता है;

(ख) जो सूचना उन्हें दी जाती है उसका क्या ब्योरा है; और

(ग) क्या उन्हें शिष्टमंडल के सदस्यों या नेतृत्व के सम्बन्ध में, जहां तक कि उसका संसद् सदस्यों पर प्रभाव पड़ता हो, किसी परिवर्तन का सुझाव देने की अनुमति है ?

†**संसद् कार्य मंत्री (श्री सत्यनारायण सिंह)** : (क) संसद् कार्य मंत्री को विदेशों को जाने वाले किसी शिष्टमंडल में संसद् सदस्यों के सम्मिलित किये जाने की सूचना अस्थायी चुनाव की प्रारम्भिक अवस्था पर या उसके पश्चात् और प्रत्येक अवस्था में चुनाव को अन्तिम रूप दिये जाने से पूर्व दी जाती है ।

(ख) जो अन्य सूचना दी जाती है वह शिष्टमंडल के आकार, उद्देश्य तथा वहां ठहरने की अवधि तथा उसके अन्य सदस्यों के सम्बन्ध में होती है ।

(ग) जी, हां ।

---

†मूल अंग्रेजी में ।

कार्बन ब्लैक का निर्माण

†१३०५. **श्री राम कृष्ण :**
श्री वें० प० नायर :

क्या **भारी उद्योग** मंत्री १४ अगस्त, १९५६ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या १०९६ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या द्वितीय पंचवर्षीय योजना में भारत में कार्बन ब्लैक बनाने की योजना को अन्तिम रूप दे दिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो उस योजना की मुख्य बातें क्या हैं ?

†**भारी उद्योग तथा वाणिज्य और उपभोग वस्तु उद्योग मंत्री (श्री मुरारजी देसाई)** : (क) और (ख). जी, नहीं श्रीमान् । विशेषज्ञ सार्थों से अभी प्रारम्भिक परामर्श किया जा रहा है ।

मूल ऊष्मसह कारखाना

†१३०६. **श्री राम कृष्ण :**
सरदार इकबाल सिंह :
सरदार अकरपुरी :

क्या **भारी उद्योग** मंत्री १ सितम्बर, १९५६ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या १६३३ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मूल ऊष्मसहों का निर्माण करने के लिये एक कारखाना स्थापित करने की योजना के ब्योरों को अन्तिम रूप दे दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो ब्योरा क्या है ?

†**भारी उद्योग तथा वाणिज्य और उपभोग-वस्तु उद्योग मंत्री (श्री मुरारजी देसाई)** : (क) और (ख). जी, नहीं । कार्यान्वित की जाने वाली योजना का ब्यौरा विचाराधीन है ।

लघु निर्माताओं का शिष्टमंडल

†१३०७. **श्री राम कृष्ण** : क्या **वाणिज्य और उपभोग-वस्तु उद्योग** मंत्री १ सितम्बर, १९५६ को पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या १२१३ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लघु निर्माताओं के एक शिष्टमंडल को स्वीडन भेजने की प्रस्थापना को अन्तिम रूप दे दिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

†**भारी उद्योग तथा वाणिज्य और उपभोग-वस्तु उद्योग मंत्री (श्री मुरारजी देसाई)** : (क) और (ख). जी, हां श्रीमान् । छै प्रविधिविज्ञों को स्वीडन में प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिये चुना गया है और अब उनकी प्रतिनियुक्ति के लिये प्रबन्ध किये जा रहे हैं ।

काग़ज़

†१३०८. **श्री राम कृष्ण** : क्या **भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५६ में अब तक भारत में कुल कितना काग़ज़ बनाया गया है;

(ख) इसी अवधि में काग़ज़ का कुल कितना आयात तथा निर्यात किया गया; और

(ग) आयात करने वाले और निर्यात करने वाले देशों के नाम ?

---

†मूल अंग्रेजी में ।

†**भारी उद्योग तथा वाणिज्य और उपभोग-वस्तु उद्योग मंत्री (श्री मुरारजी देसाई)**: (क) इस वर्ष के पहले दस महीनों में १५९,८८२ टन ।

(ख) आयात : ११६,१५० टन ।
निर्यात : २,१०० टन ।

(ग) एक विवरण लोक-सभा पटल पर रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट ५, अनुबन्ध संख्या ११०]**

विस्थापित व्यक्तियों की मसली सहकारी समिति

†**१३०९. श्री बीरेन दत्त** : क्या **पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विस्थापित व्यक्तियों की मसली सहकारी समिति को एक मीन क्षेत्र आरम्भ करने के लिये सहायता दी गई है;

(ख) क्या मसली बील के कृष्यकरण का कार्य पूरा हो गया है; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में कितनी धनराशि व्यय की गई ?

†**पुनर्वास मंत्री (श्री मेहरचन्द खन्ना)**: (क) से (ग). विस्थापित व्यक्तियों के लाभ के लिये मसली छेड़ा में एक मीन क्षेत्र के विकास की योजना २७,९०० रुपये की लागत पर स्वीकार की गई थी । त्रिपुरा प्रशासन ने उक्त कार्य को आरम्भ कर दिया है । इस निर्माण कार्य में विस्थापित व्यक्तियों को सेवायुक्त किया जायेगा, उनमें से अधिकांश बहुप्रयोजनीय सहकारी समिति के सदस्य हैं । ५,००० रुपये तो व्यय किये जा चुके हैं ।

टाइल बनाने के कारखाने

†**१३१०. श्री अय्युणि** : क्या **वाणिज्य और उपभोग-वस्तु उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल राज्य में त्रिचूर के आसपास तथा चारों ओर टाइल बनाने के कितने कारखाने हैं;

(ख) क्या उन कारखानों में बनाई गई टाइलों को विदशों को निर्यात किया जाता है;

(ग) यदि नहीं, तो इस के क्या कारण हैं; और

(घ) यदि निर्माण प्रक्रिया में कुछ सुधार कर दिया जाये, जैसे कि मिट्टी को अधिक बारीक पीसा जाये, तो क्या उनको निर्यात करना सम्भव है ?

†**भारी उद्योग तथा वाणिज्य और उपभोग-वस्तु उद्योग मंत्री (श्री मुरारजी देसाई)**: (क) ५० से अधिक ।

(ख) और (ग). निर्यात कुछ अधिक नहीं है क्योंकि अभी तक इन टाइलों ने विदेशी बाजारों में अपना स्थान नहीं बनाया है ।

(घ) निर्यात व्यापार के विकास की सम्भावना न केवल निर्माण प्रक्रिया में सुधार किये जाने पर निर्भर होगी अपितु विदेशों में "उत्तम माल" के रूप में अपना स्थान बनाने पर भी निर्भर होगी ।

---

†मूल अंग्रेजी में ।

डाक-तार भवन (उत्तर प्रदेश)

१३११. श्री भक्त दर्शन : क्या **संचार** मंत्री १८ मई, १९५६ के अतारांकित प्रश्न संख्या २१९३ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू वित्तीय वर्ष (१९५६–५७) में डाक और तार विभाग के उत्तर प्रदेश परिमण्डल (जोन) में जिन ५५ भवनों के निर्माण का कार्यक्रम निश्चित किया गया था, उनमें से प्रत्येक के निर्माण में अब तक क्या प्रगति हुई है;

(ख) क्या उनके अतिरिक्त किन्हीं अन्य भवनों के निर्माण का निश्चय किया गया है; और

(ग) यदि हां, तो उनका ब्योरा क्या है ?

†**उत्पादन उपमंत्री (श्री सतीशचन्द्र)** : (क) से (ग). ब्योरा एकत्रित किया जा रहा है और जितनी जल्दी हो सकेगा यह सभा-पटल पर रखा जायेगा ।

डाक-तार सुविधाओं का विकास

१३१२. श्री भक्त दर्शन : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५६–५७ के आय-व्ययक प्राक्कलनों में नये डाकघरों, तारघरों, टेलीफोन ऐक्सचेंजों और पब्लिक कौल आफिसों के खोलने के लिये अलग-अलग कितनी धनराशियां निर्धारित की गयी हैं; और

(ख) प्रत्येक सर्किल के लिये उन मदों के अन्तर्गत अलग-अलग कितना धन स्वीकृत किया गया है अथवा किया जाने वाला है ?

†**उत्पादन उपमंत्री (श्री सतीशचन्द्र)** : (क) और (ख). जानकारी प्राप्त की जा रही है और यह शीघ्र सभा-पटल पर रखी जायेगी ।

अखिल भारतीय खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड

†**१३१३. श्री त० ब० विट्ठल राव** : क्या **उत्पादन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वे कौन-कौन से निबन्धन तथा शर्तें हैं जिनके आधार पर अखिल भारतीय खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड, लखनऊ की प्रमाणन समिति किसी ऐसे आश्रम या भण्डार अथवा उत्पादन केन्द्र को प्रमाणपत्र प्रदान करती है जोकि प्रमाणित उत्पादन केन्द्रों द्वारा उत्पादित हाथ से कती हुई, हाथ से बुनी हुई खादी तथा ग्रामोद्योगों की वस्तुओं को बेचने के इच्छुक हैं; अथवा हाथ से कती हुई, हाथ से बुनी हुई प्रमाणित खादी का उत्पादन करने के इच्छुक हैं;

(ख) क्या प्रमाणन समिति अपने प्रमाणित उत्पातन केन्द्रों और भण्डारों के कार्य पर कोई नजर रखती है;

(ग) यदि हां, तो उपरोक्त समिति ने अपने प्रमाणित उत्पादन केन्द्रों तथा भण्डारों के कार्य का निरीक्षण करने के लिये कौन-सी प्रक्रिया बनाई है; और

(घ) क्या खादी बोर्ड की प्रमाणन समिति ने अभी तक किसी भी ऐसे भण्डार अथवा उत्पादन केन्द्र का प्रमाणपत्र रद्द किया है जिसने समिति द्वारा हाथ से कते हुये, हाथ से बुने हुये शुद्ध खादी कपड़े के प्रमाणन के लिये निर्धारित किये गये सिद्धान्तों का कोई उल्लंघन किया है ?

†**उत्पादन उपमंत्री (श्री सतीशचन्द्र)** : (क) खादी के उत्पादन तथा बिक्री के लिये प्रमाणपत्र ऐसे केन्द्रों को दिये जाते हैं जो कि (१) धर्मार्थ सार्वजनिक संस्थाओं, (२) सहकारी

†मूल अंग्रेजी में ।

संस्थाओं, और (३) राज्य सरकारों द्वारा चलाये जाते हों, परन्तु शर्त यह है कि वे खादी बोर्ड की प्रमाणन समिति द्वारा निर्धारित किये गये नियमों तथा विनियमों का अनुसरण करें। नियमों की एक प्रति सभा-पटल पर रखी जाती है। **[देखिये परिशिष्ट ५, अनुबन्ध संख्या १११]** अन्य ग्रामोद्योग की उत्पादित वस्तुओं को प्रमाणित करने का प्रश्न अभी विचाराधीन है।

(ख) जी, हां।

(ग) यह बात जानने के लिये कि निर्धारित नियमों तथा विनियमों का उचित रूप से अनुसरण किया जा रहा है या नहीं, खादी बोर्ड के प्रादेशिक निदेशक, निरीक्षक तथा लेखापरीक्षक प्रमाणित संस्थाओं पर नजर रखते हैं।

(घ) १९५५-५६ में समिति ने ग्रामोद्योग खादी संघ, गौड़ बादशाहपुर तथा जोहर सहकारी विकास संघ, मुसयारी के प्रमाणपत्र उस आधार पर रद्द कर दिये थे कि उन संस्थाओं के कार्य में कई अनियमिततायें पाई गई थीं।

कोयला खान श्रमिक कल्याण निधि संघ

†**१३१४. श्री चट्टोपाध्याय** : क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोयला खान श्रमिक कल्याण निधि संघ के कार्य निष्पादन की जांच करने के लिये नियुक्त किये गये अध्ययन मण्डल की उपपत्तियों की एक प्रति सभा-पटल पर रखी जायेगी; और

(ख) सरकार ने उन सिफारिशों को कार्यान्वित करने के सम्बन्ध में अभी तक क्या-क्या कार्यवाही की है ?

†**श्रम मंत्री (श्री खंडूभाई दसाई)** : (क) जी, नहीं।

(ख) बहुत-सी सिफारिशें स्वीकार कर ली गई हैं और वे कार्यान्वित की जा रही हैं।

नंगल उर्वरक परियोजना

†१३१५. { **श्री कृष्णाचार्य जोशी** :
श्री दी० चं० शर्मा :

क्या **उत्पादन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नंगल उर्वरक परियोजना के लिये तीन विदेशी सार्थों ने जो प्रारम्भिक प्रतिवेदन भेजे हैं, उनमें क्या-क्या सिफारिशें दी गई हैं; और

(ख) उन सिफारिशों को कार्यान्वित करने के लिये क्या-क्या कार्यवाही की गयी है ?

†**उत्पादन उपमंत्री (श्री सतीशचन्द्र)** : (क) दो सार्थों के प्रतिवेदन परियोजना के उर्वरक तथा भारी पानी के भाग से सम्बन्धित हैं, जबकि तीसरे सार्थ ने केवल भारी पानी सम्बन्धी भागों के बारे में ही प्रतिवेदन भेजा है। इन तीनों सार्थों ने कई प्रकार के विकल्पों पर विचार करने के बाद विशेष उपायों की सिफारिश की है।

(ख) एक सार्थ अर्थात् मैसर्ज विट्रो इंजीनियरिंग विभाग, न्यूयार्क को परियोजना के लिये प्रविधिक परामर्शक रूप से नियुक्त कर लिया गया है और उन्हें यह कहा गया है कि वे विभिन्न संयंत्रों का रूपांकन तथा इंजीनियरिंग कार्य प्रारम्भ कर दें।

---

†मूल अंग्रेजी में।

पंचवर्षीय योजना सप्ताह समारोह

†१३१६. **श्री कृष्णाचार्य जोशी** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चलती-फिरती टुकड़ियों ने १९५५ तथा १९५६ में पंचवर्षीय योजना सप्ताहों को मनाने में राज्य सरकारों को सहयोग दिया था; और

(ख) कितने राज्य इन सप्ताहों को मनाते हैं ?

†**सूचना और प्रसारण मंत्री (डा० केसकर)**: (क) जी, हां ।

(ख) भूतपूर्व '(क)', '(ख)' और '(ग)' श्रेणी के कुल २७ राज्यों में से २५ ।

संयुक्त राष्ट्र संघ के उद्देश्य को लोकप्रिय बनाना

†१३१७. **श्री कृष्णाचार्य जोशी** : क्या **प्रधान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सरकार ने संयुक्त राष्ट्र संघ के उद्देश्यों और प्रयोजनों को लोकप्रिय बनाने और अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों को अधिक अच्छा बनाने के लिये इसके विशेषताप्राप्त अभिकरणों के सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की है ?

†**वैदेशिक-कार्य मंत्री के सभासचिव (श्री सादत अली खां)** : अपेक्षित जानकारी देने वाला एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट ५, अनुबन्ध संख्या ११२]**

तिब्बत से व्यापार

१३१८. { **श्री भक्त दर्शन** :
सरदार इकबाल सिंह :
सरदार अकरपुरी :

क्या **वाणिज्य और उपभोग-वस्तु उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १९५६ के चालू सीजन में भारत व चीन के तिब्बत प्रदेश के बीच आयात-निर्यात की क्या स्थिति रही है ?

भारी उद्योग तथा वाणिज्य और उपभोग-वस्तु उद्योग मंत्री (श्री मुरारजी देसाई) : मार्च–अक्तूबर, १९५६ की अवधि में भारत और चीन के तिब्बत प्रदेश के बीच हुए आयात और निर्यात व्यापार के आंकड़े एक विवरण पत्र में दिये गये हैं जो सभा-पटल पर रख दिया गया है । **[देखिये परिशिष्ट ५, अनुबन्ध संख्या ११३]**

पटसन के निर्माता

†१३१९. **श्री कृष्णाचार्य जोशी** : क्या **वाणिज्य और उपभोग-वस्तु उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५६ में अभी तक कुल कितने लाख टन पटसन की वस्तुएं तैयार की गई हैं; और

(ख) उपरोक्त अवधि में सरकार द्वारा पटसन उद्योग के हितों की रक्षा के लिये क्या-क्या कार्यवाही की गई है ?

†**भारी उद्योग तथा वाणिज्य और उपभोग-वस्तु उद्योग मंत्री (श्री मुरारजी देसाई)** : (क) जनवरी, १९५६ से अक्तूबर, १९५६ तक ९ लाख २० हज़ार टन ।

(ख) एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट ५, अनुबन्ध संख्या ११४]**

---

†मूल अंग्रेजी में ।

सरकार द्वारा चलाये जा रहे होटल

†१३२०. **पंडित द्वा० ना० तिवारी** : क्या **निर्माण, आवास और सम्भरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा स्वतंत्र रूप से अथवा दूसरों की सहभागिता से कोई होटल तथा होस्टल चलाये जा रहे हैं; और

(ख) यदि हां, तो क्या इस व्यापार से सरकार को कोई लाभ होता है ?

†**निर्माण, आवास और सम्भरण मंत्री के सभासचिव (श्री पू० शे० नास्कर)** : (क) जी, हां। सरकार नई दिल्ली में दो होटल चला रही है, अर्थात् अशोका होटल तथा होटल जनपथ। इसके अतिरिक्त सरकार पांच होस्टल चला रही है और उनमें से चार होस्टल वेस्ट्रन कोर्ट, काऊंस्टीच्यूशन हाउस, कोटा हाऊस तथा रायसीना रोड होस्टल तो नई दिल्ली में हैं और कलकत्ते में अलिपुर में केन्द्रीय गवर्नमेंट होस्टल है। अशोक होटल एक सीमित समवाय द्वारा चलाया जा रहा है जिसमें अन्य लोगों के भी अंश हैं। होटल जनपथ और सभी होस्टल सरकार के स्वामित्व में हैं।

(ख) इन होटलों ने अक्तूबर, १९५६ में ही कार्य करना आरम्भ किया है और इसलिये लाभ का इतनी जल्दी हिसाब नहीं लगाया जा सकता। जहां तक होस्टलों का सम्बन्ध है, लाभ का प्रश्न ही नहीं उत्पन्न होता, क्योंकि वे स्थान संसद्-सदस्यों को, सरकारी पदाधिकारों और दिल्ली में सभाओं और सम्मेलनों में उपस्थित होने के लिये बाहर से आने वाले लोगों को दिये जाते हैं।

गोल मार्केट तथा मिन्टो रोड के क्वार्टर

†१३२१. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **निर्माण, आवास और सम्भरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गोल मार्केट तथा मिन्टो रोड के इलाके में क्वार्टर कब बनाये गये थे;

(ख) वे क्वार्टर सामान्यतया कितनी अवधि के लिये बनाये गये थे;

(ग) क्या यह सच है कि बहुत से क्वार्टर अपनी सामान्य कालावधि को पूरा कर चुके हैं और उनमें रहना सुरक्षित नहीं है और इसलिये समय-समय पर उनकी मरम्मत करानी पड़ती है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार उन क्षेत्रों में क्वार्टरों की संख्या बढ़ाने के सम्बन्ध में क्या कार्यवाही करने का विचार रखती है ?

†**निर्माण, आवास और सम्भरण मंत्री के सभासचिव (श्री पू० शे० नास्कर)** : (क) क्रमश: १९१५–२५ और १९३३–३६ में।

(ख) लगभग ५० वर्ष।

(ग) जी, नहीं। गोल मार्केट क्षेत्र के क्वार्टर रहने के लिये सुरक्षित हैं, परन्तु हर साल उनकी भारी मुरम्मत करनी पड़ती है। मिन्टो रोड क्षेत्र के कुछेक क्वार्टर, जिनकी छतें ईंटों या बीच में से खोखी ईंटों के द्वारा बनी हैं, वे कुछ असुरक्षित से बन गये हैं और उनकी छतें धीरे-धीरे बदली जा रही हैं।

(घ) जहां तक मिन्टो रोड का सम्बन्ध है, सरकार इस दिशा में कोई कार्यवाही करने का विचार नहीं रखती। जहां तक गोल मार्केट क्षेत्र का सम्बन्ध है वर्तमान क्वार्टरों को गिरा कर नये दो मन्जला क्वार्टर बनाने की प्रस्थापना अभी विचाराधीन है।

---

†मूल अंग्रेजी में।

विनय नगर

†१३२२. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **निर्माण, आवास और सम्भरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विनय नगर (पूर्वी, पश्चिमी तथा मुख्य) में ऐसे कुल कितने क्वार्टर हैं जिनमें सरकारी कर्मचारी रह रहे हैं;

(ख) वे क्वार्टर सामान्यतया कितनी कालावधि के लिये बनाये गये थे;

(ग) क्या यह सच है कि ए, बी ब्लाक के बहुत से क्वार्टरों में हाल ही में दरारें पड़ गयी थीं; और

(घ) यदि हां, तो सरकार भविष्य में इस प्रकार की त्रुटिपूर्ण इमारतों के निर्माण को रोकने के सम्बन्ध में क्या कार्यवाही करने का विचार रखती है ?

†**निर्माण, आवास और सम्भरण मंत्री के सभासचिव (श्री पू० शे० नास्कर)**: (क) ६,५३४।

(ख) लगभग ६० से ७० वर्ष ।

(ग) जी, हां । ए और बी ब्लाकों के केवल चार क्वार्टरों में ही छोटी-छोटी सी दरारें आई थीं । जहां तक निर्माण का सम्बन्ध है, उसमें कोई खराबी नहीं है । वे दरारें थोड़ी सी "डिफ्रैंशल सैटलमेंन्ट" के कारण से पड़ी थीं । अब उन्हें मुरम्मत कर दिया गया है ।

(घ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

बेकारी

†१३२३. **श्री बुचिकोट्टय्या** : क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नवम्बर, १९५६ में सारे देश में कितने बेकार व्यक्तियों के नाम पंजीबद्ध हुए हैं; और

(ख) उक्त अवधि में कितने लोगों को काम-काज दिलाया गया है ?

†**श्रम मंत्री (श्री खंडूभाई देसाई)** : (क) काम दिलाऊ दफ्तरों में १,२३,९७६ व्यक्तियों के नाम पंजीबद्ध हुए हैं ।

(ख) १६,८८९ लोगों को काम दिलाया गया है ।

दिल्ली में राजाओं के भवन

†१३२४. { **सरदार इकबाल सिंह** :
सरदार अकरपुरी :

क्या **निर्माण, आवास और सम्भरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में पटियाला हाऊस, जींद हाऊस, फरीदकोट हाऊस, नाभा हाऊस, तथा अन्य राज सम्पत्तियों के सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार तथा पंजाब सरकार के बीच कोई करार हो गया है; और

(ख) यदि हां, तो उस करार की शर्तें आदि क्या हैं ?

†**निर्माण, आवास और सम्भरण मंत्री के सभासचिव (श्री पू० शे० नास्कर)** : (क) और (ख). केन्द्रीय सरकार तथा पंजाब सरकार के बीच अभी तक उन राज भवनों के सम्बन्ध में कोई औपचारिक करार नहीं हुआ है जो कि केन्द्रीय सरकार के पास या तो पट्टे पर हैं या सरकार द्वारा अधिगृहीत कर लिये गये हैं । तथापि इन भवनों से सम्बन्ध रखने वाली जानकारी उस विवरण में दी गयी है जो कि सभा-पटल पर रखा गया है । **[देखिये परिशिष्ट ५, अनुबन्ध संख्या ११५]**

---

†मूल अंग्रेजी में ।

पश्चिमी तिब्बत में भारतीय व्यापारी

१३२५. श्री भक्त दर्शन : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इस वर्ष भी समय से पहले (अक्तूबर के द्वितीय सप्ताह में) बर्फ पड़ जाने के कारण उत्तर प्रदेश में हिमालय स्थित पश्चिमी तिब्बत व भारत के मध्यवर्ती दर्रे बन्द हो गये थे जिसके कारण अनेक भारतीय व्यापारियों को, यहां तक कि भारत के वाणिज्य-दूत को भी, वहीं रुकना पड़ा;

(ख) यदि हां, तो कुल कितने भारतीय व्यापारी वहां रुक गये थे और वे भारत के किन-किन सीमावर्ती प्रदेशों के निवासी थे;

(ग) उनमें से कितने-कितने भारतीय व्यापारी अब तक किन-किन दर्रों से सकुशल भारत पहुंच चुके हैं;

(घ) व्यापारियों को कितनी हानि उठानी पड़ी; और

(ङ) शेष भारतीयों को सकुशल भारत लाने के बारे में क्या कार्यवाही की जा रही है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री के सभासचिव (श्री सादत अली खां) : (क) जी, हां। यह खबर मिली थी कि अक्तूबर के दूसरे हफ्ते में, उत्तर प्रदेश में निति, माना, दरमा और लिपुलेख दर्रे बरफ़ से रुक गये थे और कुछ व्यापारियों को रुक जाना पड़ा था। भारतीय व्यापारी एजेंट--गर्तोक (कांसुल नहीं) जिन्होंने पहले निति दर्रे से होकर आने की योजना बनाई थी, लिपुलेख दर्रे से होकर आये, क्योंकि गर्तोक और तिब्बत स्थित डाबा के बीच दर्रों की हालत ख़तरे से खाली नहीं थी। वे दरअसल रुके नहीं थे। लिपुलेख दर्रा नवम्बर के शुरू में आने-जाने के लिये खुल गया था।

(ख) से (ङ). राज्य सरकार से सूचना मांगी गई है और उसका अभी इंतज़ार है।

केरल में धातु उद्योग

†**१३२६. श्री अ० क० गोपालन** : क्या **भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल में धातु उद्योग के विस्तार के लिये केरल राज्य के धातु निर्माताओं द्वारा सरकार से सहायता मांगी गई है; और

(ख) यदि हां, तो परिणाम क्या हुआ है ?

†**भारी उद्योग तथा वाणिज्य और उपभोग-वस्तु उद्योग मंत्री (श्री मुरारजी देसाई)** : (क) तथा (ख). सम्भवत: माननीय सदस्य मैटल इन्डस्ट्रीज़ लिमीटिड, शोरानूर द्वारा मांगी गई सहायता की ओर निर्देश कर रहे हैं। स्थिति यह है कि इन अभ्यावेदनों के परिणामस्वरूप कि मैटल इन्डस्ट्रीज़ लिमीटिड, शोरानूर को उसके पुनर्वास के लिये सरकार द्वारा सहायता की जाये केन्द्रीय सरकार ने मद्रास सरकार को नवम्बर, १९५५ में ७५,००० रुपये के ऋण की मंजूरी दी थी कि वह इसे इस समवाय को दे दे। यह ऋण केन्द्रीय सरकार को मूलधन तथा ४ प्रतिशत प्रतिवर्ष के साधारण ब्याज की दस बराबर की वार्षिक किस्तों में लौटाया जायेगा।

खादी ग्रामोद्योग भवन, नई दिल्ली

†**१३२७. बाबू राम नारायण सिंह** : क्या **उत्पादन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खादी ग्रामोद्योग भवन, नई दिल्ली की सिलाई की मशीनें स्थायी रूप से भवन में ही रखी जाती हैं या इन्हें कुछ बार भवन से बाहर अन्य स्थानों पर भी ले जाया जाता है; और

(ख) यदि इन्हें भवन से बाहर ले जाया जाता है, तो कहां पर और किस प्रयोजन से ऐसा किया जाता है ?

---

†मूल अंग्रेजी में।

†**उत्पादन उपमंत्री (श्री सतीशचन्द्र)** : (क) तथा (ख). कनाट सर्कस में खादी ग्रामोद्योग भवन की इमारत में पर्याप्त स्थान की कमी के कारण सिलाई की मशीनों को अन्य स्थानों पर और गोदामों या प्रबन्धक के निवास स्थान पर भी जहां सिलाई का काम किया जाता है, ले जाना ज़रूरी हो जाता है ।

आज़मनगर डाकघर

†**१३२८. श्री मु० इस्लामुद्दीन** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्निया (बिहार) ज़िले के आज़मनगर डाकघर को लगभग दो वर्ष बीते वहां से हटा कर एक दूरवर्ती आलमपुर गांव के एक कोने में बदल दिया गया था, जिससे कि निकटवर्ती गांवों की जनता को, विशेषतया वर्षा ऋतु में असुविधा हो गई है;

(ख) यदि हां, तो आज़मनगर से आलमपुर में डाकघर बदलने का कारण क्या है; और

(ग) लोगों की मांग को देखते हुए क्या इसे फिर इसके मूल स्थान पर वापिस लाया जायेगा ?

†**उत्पादन उपमंत्री (श्री सतीशचन्द्र)** : (क) २६ अगस्त, १९५२ को आज़मनगर विभागातिरिक्त शाखा कार्यालय आलमपुर गांव में बदल दिया गया था। दोनों गांवों के बीच केवल एक दस फीट चौड़ी स्थानीय बोर्ड की सड़क अन्तःक्षेप करती है और कार्यालय के पुराने स्थान तथा वर्तमान स्थान में केवल लगभग एक फ़र्लांग की ही दूरी है। सेवित क्षेत्र के सम्बन्ध में दोनों में से कोई सा भी गांव दरम्यान में स्थित है ।

(ख) आज़मनगर से विभागातिरिक्त शाखा कार्यालय को आलमपुर गांव में इसलिये बदला गया था कि जो विभगातिरिक्त अभिकर्ता डाकघर का काम चलाता था उसे असंतोषजनक कार्य के कारण हटाना पड़ा था और आज़मनगर में कोई उपयुक्त विभागातिरिक्त अभिकर्ता प्राप्य नहीं था और इसलिये आलमपुर में एक अभिकर्ता ढूंढ लिया गया था ।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता । कार्यालय को उसके पहले मूल स्थान पर ले जाने के लिये भी कोई प्रार्थना नहीं की गई है ।

पूर्निया (बिहार) में विस्थापित व्यक्ति

†**१३२९. श्री मु० इस्लामुद्दीन** : क्या **पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या १९५१ की जनगणना के बाद हस्तान्तरित क्षेत्र सहित पूर्निया (बिहार) ज़िले में रहने वाले विस्थापित व्यक्तियों की संख्या का हाल में परिगणन किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो उनके हाल के आंकड़े क्या हैं ?

†**पुनर्वास मंत्री (श्री मेहर चन्द खन्ना)** : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

कटिहार में बेरोज़गारी

†**१३३०. श्री मु० इस्लामुद्दीन** : क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५५ तथा १९५६ में कटिहार काम दिलाऊ दफ्तर (बिहार) में कितने स्नातकों, पूर्व स्नातकों, मैट्रिक पास तथा गैर-मैट्रिक व्यक्तियों ने जहां तक आंकड़े प्राप्य हैं अपना नाम पंजीबद्ध करवाया था; और

(ख) उपरोक्त अवधि में इनमें से कितने व्यक्तियों को उस दफ्तर के द्वारा नौकरी मिली थी ?

---

†मूल अंग्रेजी में।

†**श्रम मंत्री (श्री खंडूभाई देसाई)** : (क) तथा (ख). अपेक्षित जानकारी नीचे दी गई है :

आवेदकों का वर्ग	पंजीबद्ध संख्या		नियोजित व्यक्तियों की संख्या	
	१९५५	१९५६ (जनवरी–सितम्बर)	१९५५	१९५६ (जनवरी–सितम्बर)
१	२	३	४	५
१. स्नातक	५२	४८	१४	१८
२. पूर्व स्नातक ...	७६	६०	१३	२०
३. मैट्रिक	७०१	५८०	६६	१२३
४. मैट्रिक से कम स्तर की अर्हता रखने वाले आवेदक तथा निरीक्षक ।	५,८६६	४,०२८	४२५	३५४
जोड़	६,६९५	४,७१६	५१८	५१५

पूर्निया में डाक तथा तारघर

†**१३३१. श्री मु० इस्लामुद्दीन** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पूर्निया (बिहार) ज़िले में, हस्तान्तरित क्षेत्र सहित, उन स्थानों के नाम क्या हैं जहां पर (डाक तथा तार) संयुक्त कार्यालय हैं;

(ख) क्या सरकार को मालूम है कि क्षेत्र की तुलना में वे ज़िले के लिये अपर्याप्त हैं; और

(ग) यदि हां, तो उस ज़िले में संयुक्त कार्यालयों की संख्या को बढ़ाने के सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की जा रही है ?

†**उत्पादन उपमंत्री (श्री सतीशचन्द्र)** : (क) सभा-पटल पर एक विवरण रखा जाता है जिसमें अपेक्षित जानकारी दी गई है । **[देखिये परिशिष्ट ५, अनुबन्ध संख्या ११६]**

(ख) तथा (ग). निम्न छः स्थानों पर संयुक्त कार्यालय खोलने के लिये अब प्रस्तावों की स्वीकृति दी जा चुकी है :

१. धरहारा ।
२. कोडवा ।
३. कोरहा ।

†मूल अंग्रेजी में ।

४. नवाबगंज ।

५. रानीगंज ।

६. बरसोईघाट ।

यदि जांच करने पर तत्सम्बन्धी प्रस्ताव युक्तियुक्त मालूम हुए, तो और स्थानों पर भी तार सुविधायों का विस्तार किया जायेगा ।

टेलीफोन कनैक्शन (दिल्ली नगर)

१३३२. श्री प० ला० बारूपाल : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५५–५६ में दिल्ली शहर व नई दिल्ली से नये टेलीफोन लगाने के लिये कितने प्रार्थना-पत्र आये, उनमें से कितने कनैक्शन मंजूर किये गये और कितने आवेदनपत्र अभी विचाराधीन हैं;

(ख) क्या यह सच है कि जिन लोगों ने पहले आवेदनपत्र दिये थे, कनैक्शन उनको न दिये जा कर दूसरों को, जिन्होंने बाद में आवेदन किया, दिये गये और यदि हां, तो इसका क्या कारण है; और

(ग) क्या यह सच है कि अपेक्षित शुल्क डाक व तार विभाग में जमा कर दिये जाने पर भी कनैक्शन नहीं दिये जा रहे हैं ?

उत्पादन उपमंत्री (श्री सतीशचन्द्र) :

	दिल्ली	नई दिल्ली
(क) प्राप्त हुए आवेदन पत्रों की संख्या	९७३	१,३२३
इन आवेदन पत्रों पर दिये गये कनैक्शन	५४६	५८१
विचाराधीन आवेदन पत्रों की संख्या	४२७	७४२

(ख) साधारण तौर पर "अपना टेलीफ़ोन" योजना तथा इस योजना के बाहर, दोनों दशाओं में टेलीफ़ोन, आवेदन पत्रों की तारीख के आधार पर ही दिये जाते हैं । विशेष स्थितियों में, जिनका उल्लेख नीच किया गया है––बिना आवेदन पत्रों की तारीख का विचार किये, टेलीफ़ोन दिये गये हैं :

(१) ज़रूरी सरकारी मांगें;

(२) कुछ ऐसे टेलीफ़ोन जिनकी सिफ़ारिश राज्य सरकारों या भारत-सरकार के मन्त्रालयों ने विशेष रूप से की;

(३) कुछ ऐसे टेलीफ़ोन, जिनकी अनुमति, उनकी बारी के अतिरिक्त टेलीफ़ोन सलाहकार कमेटी द्वारा लोक-सेवकों, सार्वजनिक-संस्थाओं, प्रेस आदि जैसे सुरक्षित वर्गों को दी गई । टेलीफ़ोन सलाहकार कमेटी को अधिकार है कि वह जिन टेलीफ़ोन की अनुमति दे, उसका ३० प्रतिशत ऐसे टेलीफ़ोनों का हो, जो कि अपनी बारी के अतिरिक्त आधार पर हों ।

(ग) जी, नहीं । सामान्यतः फ़ीस उस समय तक नहीं ली जाती जब तक कि किसी कनैक्शन के बारे में पक्की तरह यह ज्ञात नहीं हो जाता कि उसके लगाने में कोई तकनीकी असुविधा नहीं है । कहीं-कहीं तकनीकी कारणों द्वारा या टेलीफ़ोन लगवाने वालों की अपनी प्रार्थना पर भी कनैक्शन देने में कुछ देर हो जाती है ।

ताड़ गुड़ तथा खांडसारी

†**१३३३. श्री त० ब० विट्ठल राव** : क्या **उत्पादन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कुटीर उद्योग आधार पर ताड़ गुड़ तथा खांडसारी तैयार करने के लिये खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा मान्यताप्राप्त उत्पादन केन्द्रों की संख्या कितनी है और वे कहां-कहां पर (राज्यवार) स्थित हैं;

---

†मूल अंग्रेजी में ।

(ख) ताड़-गुड़ तथा खांडसारी उद्योग के विकास के लिये (१) १९५३-५४, (२) १९५४-५५, (३) १९५५-५६ तथा (४) १९५६-५७ में अखिल भारतीय खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड को कितनी राशि दी गई थी और बोर्ड द्वारा इन राशियों का किस प्रकार उपयोग किया गया है; और

(ग) चालू वित्तीय वर्ष में कितने नये उत्पादन केन्द्रों के खोलने का प्रस्ताव है और वे कहाँ पर (राज्यवार) स्थित होंगे ?

†**उत्पादन उपमंत्री (श्री सतीशचन्द्र)** : (क) से (ग). सभा-पटल पर एक विवरण रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट ५, अनुबन्ध संख्या ११७]**

चमड़ा कमाने के कारखाने

†१३३४. **श्री त० ब० विट्ठल राव** :
सरदार इकबाल सिंह :
सरदार अकरपुरी :

क्या **उत्पादन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में खादी बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त चमड़ा कमाने के कारखानों की संख्या कितनी है और वे कहां-कहां पर (राज्यवार) स्थित हैं;

(ख) चमड़ा कमाने के उद्योग के विकास के लिये (१) १९५३-५४, (२) १९५४-५५, (३) १९५५-५६ तथा (४) १९५६-५७ में अखिल भारतीय खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड को कुल कितनी राशि दी गई थी और इन राशियों का किस प्रकार उपयोग किया गया था; और

(ग) चालू वित्तीय वर्ष में चमड़ा कमाने के कितने नये कारखानों के खोलने का प्रस्ताव है और वे कहां पर (राज्य वार) स्थित होंगे ?

†**उत्पादन उपमंत्री (श्री सतीशचन्द्र)** : (क) :

राज्य का नाय (१-११-५६ से पहिले के अनुसार)	चमड़ा कमाने के कारखानों की संख्या
आन्ध्र	१
बिहार	३
बम्बई	९
दिल्ली	१
हैदराबाद	११
मध्य प्रदेश	२
मध्य भारत	१५
उड़ीसा	१
पैप्सू	१
राजस्थान	६
सौराष्ट्र	१
त्रावनकोर कोचीन	१
उत्तर प्रदेश	२
पश्चिमी बंगाल	१

†मूल अंग्रेजी में ।

(ख) खादी बोर्ड को जिन राशियों की मंजूरी दी गई तथा बोर्ड द्वारा खर्च की गई राशियां :—

वर्ष	सरकार द्वारा जिस राशि की मंजूरी दी गई		बोर्ड द्वारा खर्च की गई राशि	
	अनुदान	ऋण	अनुदान	ऋण
	रुपये	रुपये	रुपये	रुपये
१९५३-५४	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं
१९५४-५५	४२,०००	६३,०००	३६,०००	५४,०००
१९५५-५६	३,७५,०००	४,७५,०००	३,६७,०००	४,६५,०००
१९५६-५७	२,८९,५००	३,०६,५००	२,३१,०००	२,८०,०००

इन राशियों का निम्न प्रयोजनों के लिये उपयोग किया जा रहा है :—

(१) भूमि, शैड उपकरण तथा सामान आदि का खरीदना ।

(२) चमड़ा कमाने के कारखानों के लिये कार्यवाहक पूंजी ।

(ग) चालू वित्तीय वर्ष में चमड़ा कमाने के ३० कारखानों के खोलने का प्रस्ताव है । उनमें से चमड़ा कमाने के २९ कारखानों का निम्न ब्योरे के अनुसार पहिले ही बंटन किया जा चुका है :—

राज्य का नाम (१-११-५६ से पहिले के अनुसार)	चमड़ा कमाने के कारखानों की संख्या
अजमेर	१
आसाम	१
बिहार	२
बम्बई	६
भोपाल	१
हैदराबाद ...	६
हिमाचल प्रदेश	१
मध्य भारत ...	२
उड़ीसा	२
पंजाब	२
राजस्थान	३
सौराष्ट्र	२
जोड़ ...	२९

दियासलाई उद्योग

†१३३५. **श्री त० ब० विट्ठल राव** : क्या **उत्पादन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में कुटीर उद्योग आधार पर दियासलाई बनाने वाले खादी बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त उत्पादन केन्द्रों की संख्या कितनी है और वे (राज्यवार) कहां पर स्थित हैं;

†मूल अंग्रेजी में ।

(ख) इस उद्योग के विकास के लिये (१) १९५३-५४, (२) १९५४-५५, (३) १९५५-५६ तथा (४) १९५६-५७ में अखिल भारतीय खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड को कितनी राशि की मंजूरी दी गई थी और इन राशियों का किस प्रकार उपयोग किया गया था; और

(ग) चालू वित्तीय वर्ष में कितने नये उत्पादन केन्द्रों के खोलने का प्रस्ताव है और वे (राज्यवार) कहां-कहां पर स्थित होंगे ?

†**उत्पादन उपमंत्री (श्री सतीशचन्द्र)** : (क) :

राज्य	केन्द्रों की संख्या
आन्ध्र प्रदेश	१४
बम्बई	२१
केरल	१४
मध्य प्रदेश	८
उत्तर प्रदेश ...	२
जोड़	५९

(ख) :

वर्ष	स्वीकृत राशि		व्यय की गई राशि	
	अनुदान	ऋण	अनुदान	ऋण
	रुपये	रुपये	रुपये	रुपये
१९५३-५४	३१,०००	१,६०,०००	१७,०००	१०,०००
१९५४-५५	४७,४२५	२,६५,०००	३४,५८०	२,६४,०००
१९५५-५६	७,४४,१००	९,३६,४००	७,२७,९००	९,२६,४००
१९५६-५७ ... (३०-११-५६ तक)	९,६१,३८०	११,८०,०००	३,८१,११४	३,९४,२००

इन राशियों का निम्न प्रयोजनों के लिये उपयोग किया जा रहा है :—

(१) 'घ' श्रेणी के दियासलाई के कारखानों की स्थापना,

(२) कुटीर उद्योग आधार पर तैयार की गई दियासलाइयों को बेचने के लिये बिक्री के डिपुओं को स्थापित करना,

(३) श्रमिकों तथा जगह जगह घूमकर प्रदर्शन करने वाले दलों का प्रशिक्षण,

(४) प्रकाशन तथा प्रचार, और

(५) अनुसन्धान तथा प्रयोग ।

†मूल अंग्रेजी में ।

(ग) १९५६-५७ में 'घ' श्रेणी के दियासलाई के २०० कारखानों की स्थापना के लिये निधियों की मंजूरी दी गई है परन्तु जैसे कि नीचे बताया गया है अब तक केवल १०२ केन्द्रों का ही बटवारा किया गया है :—

राज्य	इकाइयों की संख्या
आसाम	५
आन्ध्र प्रदेश	५
बिहार	२०
बम्बई	५
केरल	१५
मद्रास	५
मैसूर	१०
पंजाब	११
उत्तर प्रदेश	२४
पश्चिमी बंगाल	२
जोड़	१०२

असैनिक उड्डयन विभाग कर्मचारी संघ, बमरौली

†१३३६. **श्री अ० क० गोपालन** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को असैनिक उड्डयन विभाग कर्मचारी संघ से, बमरौली हवाई अड्डे के असैनिक उड्डयन विभाग के कर्मचारियों पर लगाये गये हैसियत तथा सम्पत्ति कर के बारे में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो उस अभ्यावेदन पर क्या निर्णय किया गया है ?

†**विधि-कार्य तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (श्री पाटस्कर)** : (क) जी, हां ।

(ख) मैं लोक-सभा पटल पर असैनिक उड्डयन विभाग कर्मचारी संघ को भेजे गये उत्तर की प्रतिलिपि रखता हूं, जिसमें उनके अभ्यावेदन के सम्बन्ध में सरकार का निर्णय लिखा हुआ है । **[देखिये परिशिष्ट ५, अनुबन्ध संख्या ११८]**

हैदराबाद-विशाखापटनम् विमान सेवा

†१३३७. **डा० रामा राव** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का हैदराबाद से विजयवाड़ा होकर विशाखापटनम् तक विमान सेवा शुरू करने का विचार है; और

(ख) क्या सरकार ने मद्रास से विजयवाड़ा तक एक पूरक सेवा आरम्भ करने का भी निर्णय किया है ?

†**विधि-कार्य तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (श्री पाटस्कर)** : (क) और (ख). मद्रास/हैदराबाद/विजयवाड़ा के बीच एक पूरक सेवा तथा हैदराबाद से विजयवाड़ा होकर विशाखापटनम् तक एक विमान सेवा आरम्भ करने की एक योजना इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन के विचाराधीन है ।

†मूल अंग्रेजी में ।

अफगानिस्तान का व्यापार प्रतिनिधि-मण्डल

†१३३८. **श्री रघुनाथ सिंह** : क्या **वाणिज्य और उपभोग-वस्तु उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सच है कि एक व्यापार प्रतिनिधि-मण्डल अफगानिस्तान से भारत आया है ?

†**भारी उद्योग तथा वाणिज्य और उपभोग-वस्तु उद्योग मंत्री (श्री मुरारजी देसाई)** : जी, नहीं ।

साफ किया हुआ पेट्रोल

†१३३९. **श्री रामानन्द दास** : क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बम्बई में साफ किये हुए पेट्रोल की दर कलकत्ता से कम है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

†**निर्माण, आवास और संभरण मंत्री के सभासचिव (श्री पू० शे० नास्कर)** : (क) जी, हां ।

(ख) कलकत्ता में पेट्रोल की अधिक दर—दो पैसा प्रति गैलन—के अन्तर के कारण कलकत्ते में समुद्र के द्वारा माल भेजने में अधिक भाड़े का लगना है ।

आकाशवाणी के कलाकार

†१३४०. **श्री भोखाभाई** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रेडियो स्टेशनों में कलाकारों और लेखकों को वार्षिक और मासिक आधार पर नियुक्त किया जाता है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार को इस सम्बन्ध में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है ; और

(ग) सरकार ने इस अभ्यावेदन पर क्या कार्यवाही की है ?

†**सूचना और प्रसारण मंत्री (डा० केसकर)** : (क) से (ग). नियमानुसार कलाकारों और लेखकों को आकाशवाणी में तीन वर्ष के ठेके पर नियुक्त किया जाता है किन्तु कुछ मामलों में उन्हें वार्षिक और मासिक ठेके पर भी नियुक्त किया गया है । इस सम्बन्ध में अन्तिम अभ्यावेदन १९४९ और १९५२ में प्राप्त हुए थे । तब से यह नीति स्वीकार कर ली गई है कि बिल्कुल अस्थायी और कार्यकारी रिक्त स्थानों को छोड़ कर, वार्षिक और मासिक आधार पर ठेके देने की प्रथा समाप्त कर दी जाय ।

गृह-उद्योग

†१३४१. **श्री रामानन्द दास** : क्या **वाणिज्य और उपभोग-वस्तु उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार जूते, चप्पल और चमड़ा बनाने इत्यादि गृह-उद्योगों की सुरक्षा के निमित्त तरकीबें सुझाने के लिये केन्द्र तथा प्रत्येक राज्य में एक बोर्ड बनाने का विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो ऐसे बोर्डों का गठन किस प्रकार का होगा ?

†**भारी उद्योग तथा वाणिज्य और उपभोग-वस्तु उद्योग मंत्री (श्री मुरारजी देसाई)** : (क) और (ख). जी, नहीं । किन्तु कई राज्यों में खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड तथा लघु उद्योग बोर्ड हैं, जिनमें सरकारी पदाधिकारी तथा गैर-सरकारी व्यक्ति दोनों शामिल हैं ।

---

†मूल अंग्रेजी में ।

विशिष्ट विदेशी अभ्यागतों का नागरिक स्वागत

†१३४२. **श्री रामचन्द्र रेड्डी** :
श्री न० रा० मुनिस्वामी :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५६ में अब तक भारत आने वाले विशिष्ट विदेशी अभ्यागतों के नागरिकों द्वारा स्वागत के लिये केन्द्रीय सरकार की निधि में से कितनी राशि व्यय की गई;

(ख) ऐसे कितने स्वागत हुए हैं; और

(ग) प्रत्येक स्वागत पर औसत व्यय कितना हुआ ?

†**वैदेशिक-कार्य मंत्री के सभासचिव (श्री सादत अली खां)** : (क) भारत सरकार ने, अब तक दिल्ली में विशिष्ट विदेशी अभ्यागतों के नागरिकों द्वारा स्वागत पर कोई व्यय नहीं किया है ।

(ख) छे ।

(ग) हमारे पास जानकारी नहीं है ।

बटन के कारखाने, मेहसी

†१३४३. **श्री विभूति मिश्र** : क्या **वाणिज्य और उपभोग-वस्तु उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मेहसी (चम्पारन—बिहार) के बटन कारखानों को प्लास्टिक के बटनों की प्रतियोगिता के कारण बड़े संकट का सामना करना पड़ रहा है;

(ख) क्या १९५३-५४ की अपेक्षा १९५५-५६ में इनका उत्पादन घट गया है ?

†**भारी उद्योग तथा वाणिज्य और उपभोग-वस्तु उद्योग मंत्री (श्री मुरारजी देसाई)** : (क) और (ख). जी, हां । मेहसी के बटन उद्योग का उत्पादन १९५५-५६ में पहिले वर्ष की अपेक्षा कम हुआ है किन्तु राज्य सरकार द्वारा कच्चे माल के संभरण तथा निर्मित वस्तुओं की बिक्री की सुविधायें दिये जाने के फलस्वरूप अब इस उद्योग की अवस्था सुधर रही है ऐसी सूचना मिली है । ऐसे बटनों के आयात पर प्रतिबन्ध लगाने की नीति के कारण भी इस बटन उद्योग को प्रोत्साहन मिला है ।

भारत और तिब्बत के बीच यात्रा

१३४४. श्री भक्त दर्शन : क्या **प्रधान मंत्री** २३ अप्रैल, १९५६ के तारांकित प्रश्न सख्या १६६७ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तिब्बती अधिकारी पश्चिमी हिमालय में प्रमाण-पत्र और आज्ञा-पत्र लागू करने की योजना से सहमत हो गये हैं; और

(ख) यदि नहीं, तो इस विषय में अन्य क्या कार्यवाही की जा रही है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री के सभासचिव (श्री सादत अली खां) : (क) और (ख). जी, हां । चीनी अधिकारियों ने १० अक्तूबर, १९५६ से पश्चिमी तिब्बत से भारत में आने वाले रास्तों पर प्रमाण-पत्र की प्रणाली (सर्टिफिकेट सिस्टम) शुरू कर दी है ।

भोपाल में आवास स्थान

†१३४४-क. **श्री कामत** : क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भोपाल में केन्द्रीय सरकार के ऐसे कितने पदाधिकारी, श्रेणी ३ तथा श्रेणी ४ के कर्मचारी हैं जिन्हें अभी तक आवास-स्थान नहीं मिला है; और

---

†मूल अंग्रेजी में ।

(ख) इस समस्या को संतोषजनक रूप से हल करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है या की जा रही है ?

†**निर्माण, आवास और संभरण मंत्री के सभासचिव (श्री पू० शे० नास्कर)** : (क) और (ख). दिल्ली, शिमला, कलकत्ता और बम्बई के बाहर सामान्य नियम यह है कि केन्द्रीय सरकार के कर्मचारी अपने रहने के लिये प्रबन्ध स्वयं करते हैं। आवश्यकता होने पर भोपाल के राज्य की राजधानी बन जाने के कारण स्थिति पर पुनर्विचार किया जायेगा ।

नहरकटिया में उर्वरक का कारखाना

†**१३४५. श्री देवेन्द्रनाथ सर्मा** : क्या **उत्पादन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार हाल ही में पाये गये साफ न किये हुए तेल से उपलब्ध होने वाली गैस का उपयोग करने के लिये नहरकटिया में एक उर्वरक का कारखाना खोलने का विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो क्या उसके लिये विस्तृत योजना बना ली गई है ?

†**उत्पादन उपमंत्री (श्री सतीशचन्द्र)** : (क) और (ख). इस समय प्रारम्भिक जांच की जा रही है ।

भारतीय दूतावास

†**१३४६. श्री कामत** : क्या **प्रधान मंत्री** २० जुलाई, १९५६ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या १४७ के अनुपूरक प्रश्न के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विदेशों में भारतीय दूतावासों के निरीक्षक दल लोक लेखा समिति की सिफारिशों को क्रियान्वित करने में समर्थक हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो उसका विवरण क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो उसके कारण क्या हैं ?

†**वैदेशिक-कार्य मंत्री के सभासचिव (श्री सादत अली खां)** : (क) से (ग). विदेश सेवा निरीक्षकों का केवल एक दल है तथा इस समय इसके कार्य कुछ सीमित से हैं। अब तक अपने निरीक्षण के दौरों में विदेश सेवा निरीक्षक मुख्यत: इन कामों को करते हैं :

(१) स्थानीय स्थिति तथा कर्मचारियों के रहन-सहन के व्यय का अध्ययन करने के पश्चात् विदेश भत्ता निश्चित करने के लिये सिफारिशें करना;

(२) इमारतों का निरीक्षण, इमारतों की खरीद, बिक्री तथा बड़े पैमाने पर उनमें परिवर्तनों की सिफारिश करना तथा नयी कारों, मेज कुर्सियों इत्यादि की खरीद की सिफारिश करना;

(३) अनुशासनहीनता के मामलों सम्बन्धी प्रशासनात्मक विषयों पर टिप्पणी करना और पदाधिकारियों की अनुपयुक्ता को बताना ।

अपना निरीक्षण करते समय विदेश सेवा निरीक्षक लोक लेखा समिति तथा प्राक्कलन समिति द्वारा कही गई बातों तथा सिफारिशों को सदैव ध्यान में रखते हैं तथा ऐसी अनियमितताओं को सरकार के ध्यान में लाते हैं जो उन्हें निरीक्षण के दौरान में मिलती हैं। इस प्रश्न पर विचार किया जा रहा है कि निरीक्षण दल को इतना बढ़ाया जाय कि वह समय-समय पर और अधिक बारीकी से जांच कर सके तथा विदेश स्थित भारतीय दूतावासों पर अधिक अच्छे वित्तीय तथा आय-व्ययक सम्बन्धी नियंत्रण के लिये सुझाव दे सके, किन्तु कर्मचारियों की कमी अब तक इन निरीक्षणों के क्षेत्र के विस्तार में बाधक रही है ।

---

†मूल अंग्रेजी में ।

हिन्दुस्तान हाउसिंग फैक्टरी

†१३४७. **श्री कामत** : क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री २२ नवम्बर, १९५६ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या ३२१ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विशेषज्ञ समिति के सदस्य कौन हैं;

(ख) क्या विशेषज्ञ समिति के प्रतिवेदन पर विचार किया गया है; और

(ग) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम हुआ है ?

†**निर्माण, आवास और संभरण मंत्री के सभासचिव (श्री पू० शे० नास्कर)** : (क)

सभापति :

श्री एस० रंगनाथन, भारतीय असैनिक सेवा, संयुक्त सचिव, निर्माण, आवास और संभरण मंत्रालय (२५ सितम्बर, १९५६ से वाणिज्य और उपभोग-वस्तु उद्योग मंत्रालय के सचिव) ।

सदस्य :

(१) श्री एस० रत्नम्, संयुक्त सचिव, वित्त मंत्रालय [१ नवम्बर, १९५६ से वित्त मंत्रालय (प्रतिरक्षा) में वित्तीय सलाहकार] ।

(२) मेजर जनरल आर० ई० असेरप्पा, भारत के मुख्य इंजीनियर अथवा उनका प्रतिनिधि ।

(३) एस० स्वरूप सिंह, संचालक, राष्ट्रीय भवन निर्माण संगठन ।

(४) श्री आर० पी० बर्मन, मुख्य इंजीनियर, केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग (१५-१-५६ को श्री वर्मन की सेवानिवृत्ति के उपरांत श्री जे० एम० रिझवानी सदस्य बन गये हैं) ।

(५) श्री वी० वेंकटरामैय्या, मुख्य डिजायन इंजीनियर (असैनिक) रेलवे बोर्ड [१-७-१९५६ को श्री के० सी० सूद, मुख्य डिजाइन इंजीनियर (असैनिक) रेलवे बोर्ड ने श्री वेंकट-रामैय्या से सदस्य का पदभार संभाल लिया] ।

(६) डा० नागराज राव, भारत सरकार के मुख्य औद्योगिक सलाहकार, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय (समिति में डा० पी० एस० वर्मा विकास पदाधिकारी ने, मुख्य औद्योगिक सलाहकार का प्रतिनिधित्व किया) ।

(७) श्री पी० एस० नायक, भारतीय असैनिक सेवा, उत्पादन मंत्रालय के उप-सचिव (श्री पी० के० पी० मेनन ने ३०-१-१९५६ को श्री नायक से सदस्यता का भार ले लिया) ।

(८) श्री सी० बी० पटेल, भारत सरकार के आवास सलाहकार, निर्माण, आवास और संभरण मंत्रालय ।

संयुक्त सचिव :

(१) श्री आर० पी० महात्रे, महा प्रबन्धक, हिन्दुस्तान हाउसिंग फैक्टरी (**सचिव के रूप में काम किया**)

(२) श्री आर० सुन्दरम्, लागत लेखा पदाधिकारी, वित्त मंत्रालय (आई० और सी० विभाग) (बीमारी के कारण वह १-११-१९५५ से समिति में काम नहीं कर सके) ।

श्री ए० पी० वी० कृष्णन्, वित्त मंत्रालय में उप-वित्त सलाहकार (प्रतिरक्षा) तथा वर्तमान हिन्दुस्तान हाउसिंग फैक्टरी (प्राइवेट) लिमिटेड के बोर्ड के डायरेक्टर ने विशेष निमंत्रण पर समिति में काम किया ।

(ख) और (ग). विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों पर सरकार विचार कर रही है ।

---

†मूल अंग्रेजी में ।

कागज़ का कारखाना

†**१३४८. श्री आ० चं० जोशी** : क्या **भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जिला शाहदोल (मध्य प्रदेश) में एक कागज का कारखाना खोलने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो कहां और कब;

(ग) उक्त कारखाने में कितना तथा किस प्रकार का कागज निर्मित होगा; और

(घ) कारखाने में कितने व्यक्तियों को नियुक्त किया जायेगा ?

†**भारी उद्योग तथा वाणिज्य और उपभोग-वस्त उद्योग मंत्री (श्री मुरारजी देसाई)** : (क) जी, हां ।

(ख) कारखाना बरहर में खुलेगा । कारखाना लायसेंस जारी होने की तिथि अर्थात् १२ जून, १९५६ से ढाई वर्ष की अवधि के अन्दर खुल जायेगा ।

(ग) १०० टन कागज (एम० जी० एम० एफ० छपाई और लपेटने के उपयोग के लिये) तथा नालीदार और सादा गत्ता प्रतिदिन निर्मित किया जायेगा ।

(घ) ठीक-ठीक जानकारी उपलब्ध नहीं है । यह अनुमान है कि १,००० से अधिक व्यक्ति नियुक्त किये जायेंगे ।

सतना में सीमेंट का कारखाना

†**१३४९. श्री आ० चं० जोशी** : क्या **भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सतना (मध्य प्रदेश) में एक सीमेंट का कारखाना खोलने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो यह कब बनाया जायेगा और इसमें उत्पादन कब होने लगेगा;

(ग) प्रस्तावित कारखाने की उत्पादन-क्षमता क्या होगी; और

(घ) कारखाने में कितने मज़दूर काम करेंगे ?

†**भारी उद्योग तथा वाणिज्य और उपभोग-वस्तु उद्योग मंत्री (श्री मुरारजी देसाई)** : (क) और (ख). सरकार ने उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, १९५१ के अन्तर्गत दो व्यक्तियों में से प्रत्येक को सतना में एक-एक सीमेंट का कारखाना स्थापित करने के लिये लाइसेंस दिये हैं । आशा है कि उनमें से एक की परियोजना आगामी वर्ष के आरम्भ में पूरी हो जायेगी और उसमें उत्पादन आरम्भ हो जायेगा; दूसरे पक्ष ने अभी तक कोई प्रगति नहीं की है ।

(ग) दोनों कारखानों की लाइसैंस प्राप्त कुल क्षमता ५५०,००० टन प्रति वर्ष है ।

(घ) दोनों कारखानों में लगभग १,७०० मज़दूरों को काम पर लगाने का विचार है ।

डाक घर (विन्ध्य प्रदेश)

१३५०. श्री रनदमन सिंह : क्या **संचार** मंत्री यह बताने कीं कृपा करेंगे कि :

(क) भूतपूर्व विन्ध्य प्रदेश के शाहडोल और सीधी जिलों के ग्रामीण क्षेत्रों में १९५५-५६ में अब तक कितने-कितने नये डाक घर खोले गये हैं और १९५६-५७ में, निकट भविष्य में, और कितने डाक घर खोले जाने वाले हैं;

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार को नये डाक घरों की स्थापना के बारे में कुछ नई प्रस्थापनायें भूतपूर्व विन्ध्य प्रदेश राज्य सरकार से प्राप्त हुई थीं; और

(ग) यदि हां, तो ये डाक-घर कब तक खोले जायेंगे, उनकी संख्या क्या है और ये किन-किन जिलों में खोले जायेंगे ?

---

†मूल अंग्रेजी में ।

उत्पादन उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र) : (क)

जिला	१९५५-५६ में खोले गये देहाती डाक-घरों की संख्या	१९५६-५७ में खोले जाने वाले देहाती डाक-घरों की संख्या
१. शाहडोल	१७	५
२. सीधी	२२	४

(ख) जी, हां ।

(ग) शाहडोल ज़िले में चचइ, घुंघुटी, लोरहा और चोनोडी में डाक घर खोलने के चार प्रस्ताव आये हैं तथा सीधी ज़िले में तामसोरइ और चितंलिकलां में डाक घर खोलने के दो प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। आशा है कि इन स्थानों पर ३१ मार्च, १९५७ तक डाक घर खुल जायेंगे ।

डाक और तार विभाग के कर्मचारियों को प्रतिकरात्मक पहाड़ का भत्ता

†**१३५१. श्री कामत** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पंचमढ़ी बाजार के डाकघर में काम करने वाले कर्मचारियों को प्रतिकरात्मक पहाड़ का भत्ता नहीं दिया गया है जबकि पंचमढ़ी छावनी के डाकघर में काम करने वाले कर्मचारियों को यह भत्ता दिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

†**उत्पादन उपमंत्री (श्री सतीशचन्द्र)**: (क) और (ख). पंचमढ़ी बाज़ार के डाकघर में काम करने वाले डाक और तार विभाग के कर्मचारियों को प्रतिकरात्मक (पहाड़) के भत्ते का भुगतान नागपुर के डाक और तार के उपमहालेखापाल ने अक्तूबर, १९५२ में नगरपालिका या छावनी के कार्यपालिका प्राधिकारियों का पंचमढ़ी नगरपालिका के समीप स्थित होने का प्रमाणपत्र न होने के कारण बंद कर दिया था। अब यह प्रमाणपत्र लेखापरीक्षा प्राधिकारियों को प्रस्तुत कर दिया गया है और आशा है कि इससे मामला तय हो जायेगा।

ऊनी वस्त्रों की विकास परिषद्

†**१३५२. सरदार इकबाल सिंह** : क्या **वाणिज्य और उपभोग-वस्तु उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ऊनी वस्त्रों की विकास परिषद् की स्थापना के बाद उसकी बैठकों में क्या-क्या विनिश्चय किये गये हैं; और

(ख) उन विनिश्चयों पर सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

†**भारी उद्योग तथा वाणिज्य और उपभोग-वस्तु उद्योग मंत्री (श्री मुरारजी देसाई)** : (क) और (ख). एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है। [**देखिये परिशिष्ट ५, अनुबन्ध संख्या ११९**]

भद्रक का छोटा डाकघर

†**१३५३. श्री खू० चं० सोधिया** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उड़ीसा के जिले बालासोर में भद्रक के छोटे डाकघर को बड़ा डाकघर बनाने का प्रश्न इस दृष्टि से सरकार के विचाराधीन है कि वहां बहुत काम होता है तथा अनेकों शाखायें एवं छोटे डाकघर उसके अधीन हैं ; और

†मूल अंग्रेजी में ।

(ख) यदि हां, तो इस मामले का अन्तिम निश्चय कब तक हो जायेगा ?

†**उत्पादन उपमंत्री (श्री शतीश चन्द्र)** : (क) और (ख). भद्रक के छोटे डाक-घर को बड़ा डाक-घर बनाने का प्रश्न अभी भी उड़ीसा के डाक और तार विभाग के निदेशक के विचाराधीन है।

प्रैस सूचना विभाग के कर्मचारी

†**१३५४. श्री कामत** : क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** १४ मई, १९५६ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या २१९६ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रैस सूचना विभाग के उन पदाधिकारियों को बदले, जो संघ लोक सेवा आयोग द्वारा नहीं चुने गये, संघ लोक सेवा आयोग द्वारा नाम निर्दिष्ट व्यक्ति उपलब्ध हो गये हैं ;

(ख) क्या अब भी कुछ पदाधिकारी अपने पदों पर अस्थायी रूप में काम कर रहे हैं ; और

(ग) यदि हां, तो उनकी संख्या कितनी है ?

†**सूचना और प्रसारण मंत्री (डा० केसकर)** : (क) १४ मई, १९५६ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या २१९६ के उत्तर में उल्लिखित १२ पदों में से ९ पदों के लिये संघ लोक सेवा आयोग द्वारा नाम निर्दिष्ट व्यक्ति उपलब्ध हो गये हैं तथा उनमें से एक को छोड़कर सब व्यक्ति अपने अपने पदों पर आ गये हैं और आशा है कि शेष एक व्यक्ति भी थोड़े दिनों में काम पर आ जायेगा।

(ख) और (ग). शेष तीन पदाधिकारियों की मांग जो अब भी काम कर रहे हैं, आयोग के विचाराधीन है। आयोग ने उनमें से एक पदाधिकारी का काम करते रहना अनुमोदित कर दिया है। तथा आयोग को अन्य दो पदाधिकारियों के काम करते रहने के बारे में अवगत रखा गया है।

रूस में भारतीय अनुमोदित साहित्य

†**१३५५. श्री कामत** : क्या **प्रधान मंत्री** ८ सितम्बर, १९५५ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या १५७६ के उत्तर में संसद्-कार्य मंत्री द्वारा पटल पर रखे गये एक विवरण के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उस साहित्य में वेद, उपनिषद् और गीता भी सम्मिलित हैं, जिसे सरकारी अनुमोदन प्राप्त है; और

(ख) क्या अनुमोदित साहित्य में महात्मा गांधी, नेताजी सुभाषचन्द्र बोस और रामकृष्ण, विवेकानन्द के भाषण और विचार भी सम्मिलित हैं ?

†**वैदेशि-कार्य मंत्री के सभासचिव (श्री सादत अली खां)** : (क) और (ख). जैसा कि पहिले बताया जा चुका है, रूस में रेलवे स्टेशनों तथा अन्य पुस्तकों की दुकानों पर भारतीय साहित्य के विक्रय पर कोई प्रतिबन्ध या रोक नहीं है। और जहां तक विदित है, अनुमोदित विदेशी साहित्य की भी कोई सूची नहीं है, यद्यपि हो सकता है कि सामान्यत: आयात की जाने वाली पुस्तकों की सूचियां हों।

प्रश्न में उल्लिखित पुस्तकों के बारे में इस समय सूचना उपलब्ध नहीं है। परन्तु, सामान्यत: वहां विदेशी पुस्तकों के रूसी अनुवाद उपलब्ध होते हैं। कुछ भारतीय प्राचीन ग्रन्थों जैसे रामायण और महाभारत का, रूसी भाषा में अनुवाद हो चुका है तथा वे रूस में उपलब्ध हैं।

सिंगापुर में आजाद हिन्द फौज का स्मारक

†**१३५६. श्री कामत** : क्या **प्रधान मंत्री** ६ अगस्त, १९५६ को सिंगापुर में आजाद हिन्द फौज के स्मारक के निर्माण के सम्बन्ध में पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या ७२६ तथा उसके अनुपूरक प्रश्नों के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या इस मामले में आगे कोई कार्यवाही हुई है ?

---

†मूल अंग्रेजी में।

†**वैदेशिक-कार्य मंत्री के सभासचिव (श्री सादत अली खां)** : मलाया में हमारे आयुक्त ने सिंगापुर सरकार से इस विषय में औपचारिक रूप से प्रार्थना की है । उनका उत्तर अभी प्राप्त नहीं हुआ है ।

सरकारी दस्तावेजों की चोरी

†**१३५७. श्री कामत** : क्या **प्रधान मंत्री** १९ नवम्बर, १९५६ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या १७६ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि सरकारी दस्तावेजों की चोरी सम्बन्धी जांच पड़ताल और अभियोजन में और आगे क्या प्रगति हुई है ?

†**वैदेशिक-कार्य मंत्री के सभासचिव (श्री सादत अली खां)** : पुलिस की जांच-पड़ताल समाप्त हो गई है । भारतीय दंड संहिता की धारा २०१/३८०/४११ तथा शासकीय भेद अधिनियम की धारा ३ (१) और ५ (४) के अन्तर्गत अपराधों की समर्पण कार्यवाही दिल्ली के जिला दंडाधिकारी के विचाराधीन है । कुछ गवाहों के बयान लिये जा चुके हैं । कार्यवाही बन्द कमरे में की जा रही है ।

न्यूटन-चिकली कोयला खान

†**१३५८. श्री कामत** : क्या **श्रम** मंत्री उस जांच न्यायालय के बारे में जो न्यूटन-चिकली कोयला खान में हुई दुर्घटना के लिये उत्तरदायी ठहराये गये प्रबन्धक के आचरण की जांच करने के लिये भारतीय कोयला खान विनियम, १९२६ की धारा ४८ के अन्तर्गत नियुक्त किया गया था, १० सितम्बर, १९५६ के पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या १९४८ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जांच न्यायालय ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है ; और

(ख) यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

†**श्रम मंत्री (श्री खंडू भाई देसाई)** : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

मध्य प्रदेश में विस्थापित व्यक्तियों का पुनर्वास

†**१३५९. श्री कामत** : क्या **पुनर्वास** मंत्री ३० मई, १९५६ को पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या २५३१ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उसके बाद मध्य प्रदेश के जिला रायगढ़ और जिला सुरगुजा में पूर्वी पाकिस्तान से आये हुए विस्थापित व्यक्तियों के पुनर्वास की योजना को अन्तिम रूप दे दिया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ?

†**पुनर्वास मंत्री (श्री मेहर चन्द खन्ना)** : (क) और (ख). जी, नहीं । पूर्वी पाकिस्तान से आये हुए १,२४२ विस्थापित परिवारों को रायगढ़ और सुरगुजा जिलों में ७,८७५ एकड़ भूमि पर फिर से बसाने की राज्य सरकार की योजना प्राप्त हो गई है तथा विचाराधीन है । जिला बस्तर के परलकोट क्षेत्र में, राज्य सरकार से प्रत्यक्षत: उपयुक्त ३०,००० एकड़ भूमि के सम्बन्ध में एक योजना बनाने की प्रार्थना की गई है । यह एक दीर्घकालीन परियोजना होगी, क्योंकि यह क्षेत्र रक्षित वन के मध्य में स्थित है, अनेकों नदियों व नालों पर पुल और एक अच्छी सड़क (लगभग ५० मील लम्बी) बनाये बिना वहां तक पहुंचना मुश्किल है तथा उस क्षेत्र में पर्याप्त विकास करने की आवश्यकता होगी ।

---

†मूल अंग्रेजी में ।

शल्य-चिकित्सा के उपकरणों तथा सम्बद्ध वस्तुओं के लिये समिति

†**१३६०. श्री कामत** : क्या **वाणिज्य और उपभोग-वस्तु उद्योग** मंत्री २२ मई, १९५६ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या २४३५ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में शल्य-चिकित्सा के उपकरणों तथा सम्बन्धित वस्तुओं के निर्माण के विकास सम्बन्धी समिति ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है ;

(ख) यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई है; और

(ग) क्या प्रतिवेदन की एक प्रतिलिपि सभा-पटल पर रखी जायेगी ।

†**भारी उद्योग तथा वाणिज्य और उपभोग-वस्तु उद्योग मंत्री (श्री मुरारजी देसाई)** : (क) नहीं, श्रीमान् ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

(ग) हां, यथासमय में ।

मिस्र और हंगरी को भेजी गई सहायता

†**१३६१. श्री कामत** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार ने मिस्र और हंगरी को उन देशों में यातनाओं को कम करने के लिये कोई सहायता भेजी है; और

(ख) यदि हां, तो कैसी और कितनी सहायता भेजी है ?

†**वैदेशिक-कार्य मंत्री के सभासचिव (श्री सादत अली खां)** : (क) जी हां ।

(ख) एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट ५, अनुबन्ध संख्या १२०]**

"योजना" पत्रिका

१३६२: श्री रघुनाथ सिंह : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सच है कि उनका मंत्रालय "योजना" नामक पत्रिका निकालने की कोई योजना बना रहा है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (डा० केसकर) : जी, हां । अंग्रेजी और हिन्दी में ।

भोपाल में जमीन की कीमत

†**१३६३. श्री कामत** : क्या **निर्माण, आवास और सम्भरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १ अक्तूबर, १९५५; १ जनवरी, १९५६; १ अप्रैल, १९५६; १ जुलाई, १९५६ और १ अक्तूबर, १९५६ को भोपाल नगरपालिका की सीमा के अन्दर मकान बनाने के लिये जमीन की प्रति एकड़ कीमत क्या थी ; और

(ख) १ जनवरी, १९५६ के बाद केन्द्रीय सरकार ने भोपाल नगरपालिका की सीमा के अन्दर कितनी जमीन किस लिये, किससे और कितनी कीमत पर ली है ?

†**निर्माण, आवास और सम्भरण मंत्री के सभासचिव (श्री पू० शे० नास्कर)** : (क) और (ख). अपेक्षित जानकारी एकत्रित की जा रही है और तैयार होने पर एक विवरण सभा-पटल पर रख दिया जायेगा ।

---

†मूल अंग्रेजी में ।

दैनिक संक्षेपिका

[शुक्रवार, २१ दिसम्बर, १९५६]

पृष्ठ

प्रश्नों के मौखिक उत्तर — १५११–३३

तारांकित प्रश्न संख्या — **विषय**

१४३५ इस्पात का आयात १५११–१२
१४३६ समाचारपत्रों के लिये समुद्री तारों की सस्ती दरें १५१२–१३
१४३७ युद्ध-विराम रेखा पर संयुक्त राष्ट्र संघ के पर्यवेक्षक १५१३–१४
१४४० नये काम दिलाऊ दफ्तर ... १५१४–१५
१४४१ बंगाल साल्ट फैक्टरीज़, कण्टाई १५१५
१४४२ गन्दी बस्तियां हटाना ... १५१६
१४४३ निम्न आयवर्ग के लिये गृह-निर्माण योजना ... १५१६–१७
१४४४ दस्तकारी की वस्तुओं के लिये प्रदर्शनालय १५१७
१४४५-क न्यू फिलिप्स चैलेंज ग्लोब ... १५१८
१४४६ शरणार्थी उपनगर, अमरदा (उड़ीसा) १५१८–१९
१४४७ खादी ग्रामोद्योग भवन, नई दिल्ली १५१९–२०
१४४९ कोयले का उत्पादन ... १५२०–२१
१४५० भारत में पाकिस्तानियों का अवैध प्रवेश १५२१–२२
१४५१ झूठे प्रव्रजन प्रमाणपत्रों वाले शरणार्थी ... १५२२–२३
१४५२ उत्तर-पूर्वी सीमान्त अभिकरण में वन पदाधिकारी की हत्या १५२३–२४
१४५३ आकाशवाणी में स्वर परीक्षण ... १५२४–२५
१४५४ लोक-सभा वाद-विवाद की छपाई १५२५–२७
१४५५ डाक और तार विभाग (त्रावनकोर-कोचीन राज्य) के भूतपूर्व कर्मचारी १५२७–२९
१४५६ भारतीय समुद्रतट और आकाश में पुर्तगालियों का सीमा अतिक्रमण १५२९–३०
१४५८ विस्थापित व्यक्तियों के लिये भू-अधिग्रहण १५३०–३१
१४५९ हथकरघे का कपड़ा ... १५३१–३२
१४६० मतदान के बारे में प्रलेख चल-चित्र १५३२–३३

प्रश्नों के लिखित उत्तर — १५३३–६६

तारांकित प्रश्न संख्या

१४३४ मुख्य खान निरीक्षक का प्रतिवेदन १५३३
१४३८ विदेशों से प्रविधिक सहायता १५३३
१४३९ तीर्थों और पवित्र स्थानों सम्बन्धी भारत-पाक करार १५३४
१४४५ अखबारी काग़ज़ के कारखाने १५३४

प्रश्नों के लिखित उत्तर—[क्रमशः]

तारांकित प्रश्न संख्या	विषय	पृष्ठ
१४४८	भारत-पाक पारपत्र सुविधायें	१५३४
१४५७	चकैना शरणार्थी कैम्प	१५३५
१४६१	मजूरी बोर्ड	१५३५
१४६२	चीन के साथ डाक और तार सेवा करार	१५३५
१४६३	टेलीफोन लाइन्स	१५३६
१४६४	आकाशवाणी के समाचार बुलेटिन ...	१५३६
१४६५	परिवहन सेवाओं सम्बन्धी औद्योगिक समिति	१५३७
१४६६	कोयला खनन का सामान	१५३७
१४६७	अतिरिक्त विभागीय कर्मचारी ...	१५३७
१४६८	बिहार में रोलिंग मिलें	१५३७–३८
१४६९	लिगनाइट परियोजना	१५३८
१४७०	कपड़े की मिलें	१५३८
१४७१	कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम	१५३८–३९
१४७२	आकाशवाणी	१५३९
१४७३	बड़ाढेमी कोयले की खान में दुर्घटना ...	१५३९
१४७४	मोटर गाड़ियों के पुर्जों के लिये आयात अनुज्ञप्तियां	१५३९–४०
१४७५	वैस्ट हिल की तेल की मिलों में तालाबन्दी ...	१५४०
१४७६	त्रिपुरा में विस्थापित व्यक्ति	१५४०
१४७७	रेडियो तथा वायरलैस अनुज्ञप्ति शाखा के कर्मचारी (मैसूर)	१५४०–४१
१४७८	पटेल व्याख्यान माला	१५४१
१४७९	काग़ज़ उद्योग	१५४१
१४८०	निगरानी रखने वाले पदाधिकारी	१५४२
१४८१	पश्चिमी बंगाल में कोयले का मूल्य ...	१५४२
१४८३	विदेशों को भेजे जाने के लिये शिष्ट मंडलों का चुनाव	१५४२

अतारांकित प्रश्न संख्या		
१३०५	कार्बन ब्लैक का निर्माण	१५४३
१३०६	मूल ऊष्मसह कारखाना ...	१५४३
१३०७	लघु निर्माताओं का शिष्टमंडल	१५४३
१३०८	काग़ज़	१५४३–४४
१३०९	विस्थापित व्यक्तियों की मसली सहकारी समिति	१५४४
१३१०	टाइल बनाने के कारखाने ...	१५४४
१३११	डाक-तार भवन (उत्तर प्रदेश)	१५४५
१३१२	डाक-तार सुविधाओं का विकास	१५४५
१३१३	अखिल भारतीय खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड	१५४५–४६

प्रश्नों के लिखित उत्तर—[क्रमशः]

अतारांकित प्रश्न संख्या	विषय	पृष्ठ
१३१४	कोयला खान श्रमिक कल्याण निधि संघ	१५४६
१३१५	नंगल उर्वरक परियोजना ...	१५४६
१३१६	पंचवर्षीय योजना सप्ताह समारोह ...	१५४७
१३१७	संयुक्त राष्ट्र संघ के उद्देश्य को लोकप्रिय बनाना	१५४७
१३१८	तिब्बत से व्यापार ...	१५४७
१३१९	पटसन के निर्माता	१५४७
१३२०	सरकार द्वारा चलाये जा रहे होटल	१५४८
१३२१	गोल मार्केट तथा मिन्टो रोड के क्वार्टर	१५४८
१३२२	विनय नगर	१५४९
१३२३	बेकारी ...	१५४९
१३२४	दिल्ली में राजाओं के भवन	१५४९
१३२५	पश्चिमी तिब्बत में भारतीय व्यापारी ...	१५५०
१३२६	केरल में धातु उद्योग	१५५०
१३२७	खादी ग्रामोद्योग भवन, नई दिल्ली ...	१५५०–५१
१३२८	आज़मनगर डाकघर	१५५१
१३२९	पूर्निया (बिहार) में विस्थापित व्यक्ति	१५५१
१३३०	कटिहार में बेरोजगारी	१५५१–५२
१३३१	पूर्निया में डाक तथा तार घर ...	१५५२–५३
१३३२	टेलीफोन कनैक्शन (दिल्ली नगर)	१५५३
१३३३	ताड़गुड़ तथा खांडसारी	१५५३–५४
१३३४	चमड़ा कमाने के कारखाने	१५५४–५५
१३३५	दियासलाई उद्योग	१५५५-५७
१३३६	असैनिक उड्डयन विभाग कर्मचारी संघ, बमरौली	१५५७
१३३७	हैदराबाद-विशाखापटनम् विमान सेवा	१५५७
१३३८	अफगानिस्तान का व्यापार प्रतिनिधिमण्डल ...	१५५८
१३३९	साफ किया हुआ पेट्रोल	१५५८
१३४०	आकाशवाणी के कलाकार	१५५८
१३४१	गृह-उद्योग	१५५८
१३४२	विशिष्ट विदेशी अभ्यागतों का नागरिक स्वागत	१५५९
१३४३	बटन के कारखाने, मेहसी ...	१५५९
१३४४	भारत और तिब्बत के बीच यात्रा	१५५९
१३४४-क	भोपाल में आवास स्थान ...	१५५९–६०
१३४५	नहरकटिया में उर्वरक का कारखाना	१५६०
१३४६	भारतीय दूतावास ...	१५६०
१३४७	हिन्दुस्तान हाउसिंग फैक्टरी	१५६१
१३४८	कागज़ का कारखाना ...	१५६२

प्रश्नों के लिखित उत्तर—[क्रमशः]

अतारांकित प्रश्न संख्या	विषय	पृष्ठ
१३४९	सतना में सीमेंट का कारखाना ...	१५६२
१३५०	डाक-घर (विन्ध्य प्रदेश)	१५६२–६३
१३५१	डाक और तार विभाग के कर्मचारियों को प्रतिकरात्मक पहाड़ का भत्ता	१५६३
१३५२	ऊनी वस्त्रों की विकास परिषद्	१५६३
१३५३	भद्रक का छोटा डाक घर ...	१५६३–६४
१३५४	प्रैस सूचना विभाग के कर्मचारी	१५६४
१३५५	रूस में भारतीय अनुमोदित साहित्य	१५६४
१३५६	सिंगापुर में आजाद हिन्द फौज का स्मारक ...	१५६४–६५
१३५७	सरकारी दस्तावेजों की चोरी ...	१५६५
१३५८	न्यूटन-चिकली कोयला खान	१५६५
१३५९	मध्य प्रदेश में विस्थापित व्यक्तियों का पुनर्वास ...	१५६५
१३६०	शल्य-चिकित्सा के उपकरणों तथा सम्बद्ध वस्तुओं के लिये समिति	१५६६
१३६१	मिस्र और हंगरी को भेजी गई सहायता	१५६६
१३६२	"योजना" पत्रिका	१५६६
१३६३	भोपाल में जमीन की कीमत	१५६६

M28LSD—190—19-2-58-GIPF.

खण्ड ९ — अंक २८
२१ दिसम्बर, १९५६ (शुक्रवार)

लोक-सभा

वाद-विवाद

(भाग २—प्रश्नोत्तर के अतिरिक्त कार्यवाही)

खण्ड १०, १९५६
(~~१४ नवम्बर~~ ५ दिसम्बर से २२ दिसम्बर, १९५६)

1st Lok Sabha

सत्यमेव जयते

Preservation Unit
7-4-92
Fumigated
On 29.11.83
Parliament Library

चौदहवां सत्र, १९५६
(खण्ड १० में अंक १६ से ३० हैं)

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

विषय-सूची

[भाग २—वाद-विवाद खण्ड १०, ५ दिसम्बर से २२ दिसम्बर, १९५६]

पृष्ठ

अंक १६—बुधवार, ५ दिसम्बर, १९५६

सभा-पटल पर रखे गये पत्र ७२५–२६

एक सदस्य के स्थान की रिक्ति ७२६–२९

केन्द्रीय विक्रय कर विधेयक—

विचार करने का प्रस्ताव ७२९–४५

खण्ड २ से १६ और १ ७३९–४४

संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव ७४४

लोक-प्रतिनिधित्व (चतुर्थ संशोधन) विधेयक—

विचार करने का प्रस्ताव ७४५–५१

खण्ड २, ३ और १ ... ७४९–५१

संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव ... ७५१

वित्त (संख्या २) विधेयक और वित्त (संख्या ३) विधेयक—

विचार करने का प्रस्ताव ७५१–५४

३१९ डाउन एक्सप्रेस के पटरी से उतर जाने के बारे में रेलवे के सरकारी निरीक्षक के प्रतिवेदन के सम्बन्ध में प्रस्ताव ७५४–७२

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—

पैंसठवां प्रतिवेदन ७७२

राज्य-सभा से सन्देश ७७२

दैनिक संक्षेपिका ७७३–७४

अंक १७—गुरुवार, ६ दिसम्बर १९५६

डा० अम्बेडकर का निधन ७७५–७९

दैनिक संक्षेपिका ७८०

अंक १८—शुक्रवार, ७ दिसम्बर, १९५६

सभा-पटल पर रखे गये पत्र ७८१

अनुपूरक अनुदानों की मांगें ७८२

राज्य-सभा से सन्देश ७८२

कार्य मंत्रणा समिति—

चवालीसवां प्रतिवेदन ७८२

सभा का कार्य ७८२–८४

बैंकिंग समवाय (संशोधन) विधेयक—पुरःस्थापित किया गया ७८४

वित्त (संख्या २) विधेयक और वित्त (संख्या ३) विधेयक—

विचार करने का प्रस्ताव ... ७८४–८०१

पृष्ठ

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—

पैंसठवां प्रतिवेदन ८०१–०२

बीड़ी तथा सिगार श्रम विधेयक—पुरःस्थापित किया गया ८०२

प्राचीन एवं ऐतिहासिक स्मारक तथा पुरातत्व सम्बन्धी स्थान व अवशेष (राष्ट्रीय महत्व की घोषणा) संशोधन विधेयक—

राज्य-सभा द्वारा पारित रूप में विचार करने का प्रस्ताव ... ८०२–११

खण्ड २ और १ ८१०

पारित करने का प्रस्ताव ८११

हिन्दू विवाह (संशोधन) विधेयक—

राज्य-सभा द्वारा पारित रूप में विचार करने का प्रस्ताव ८११–१२

खण्ड २ और १ ८१२

पारित करने का प्रस्ताव ८१२

स्त्री तथा बाल संस्था अनुज्ञापन विधेयक—

प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में विचार करने का प्रस्ताव ... ८१२–२३

खण्ड २ से १२ और १ ... ८२०

संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव ८२०–२३

मोटर परिवहन श्रमिक विधेयक—

विचार करने का प्रस्ताव ८२३–२५

दैनिक संक्षेपिका ८२६–२७

अंक १९—शनिवार, ८ दिसम्बर, १९५६

स्थगन प्रस्ताव—

बुद्ध जयन्ती समिति, सारनाथ ८२९–३०

सभा का कार्य ८३०–३१, ८७२

बाट तथा माप प्रमापीकरण विधयक—

संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में विचार करने का प्रस्ताव ... ८३१–५३

खण्ड २ से १८ और १ तथा अनुसूची १ और २ ८५०–५३

संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव ८५३

सड़क परिवहन निगम (संशोधन) विधेयक—

विचार करने का प्रस्ताव ८५३–६३

खण्ड २, ३ और १ ... ८६३

पारित करने का प्रस्ताव ... ८६३

कर्मचारी भविष्य निधि (संशोधन) विधेयक—

विचार करने का प्रस्ताव ८६३–७१

खण्ड २ से ६ और १ ... ८७१

पारित करने का प्रस्ताव ८७१

दैनिक संक्षेपिका ८७३

पृष्ठ

अंक २०—सोमवार, १० दिसम्बर, १९५६

सभा-पटल पर रखे गये पत्र ८७५–७६
अनुपूरक अनुदानों की मांगें—रेलवे ८७६
विधेयक पर राष्ट्रपति की अनुमति ... ८७६
कार्य मंत्रणा समिति—
पैंतालीसवां प्रतिवेदन ... ८७७
लोक-प्रतिनिधित्व (विविध उपबन्ध) विधेयक—
पुरःस्थापित किया गया ८७७
भारतीय चिकित्सा परिषद् विधेयक—
राज्य-सभा द्वारा पारित रूप में
विचार करने का प्रस्ताव ... ८७७–९२५
खण्ड २ से ३४, खण्ड १ और अनुसूचियां ९०४–२२
संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव ९२२
विद्युत् सम्भरण (संशोधन) विधेयक—
प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में
विचार करने का प्रस्ताव ९२५–३१
भारतीय कार्मिक संघ (संशोधन) अधिनियम, १९४७
के बारे में आधे घंटे की चर्चा ... ९३१–३४
दैनिक संक्षेपिका ९३५–३६

अंक २१—मंगलवार, ११ दिसम्बर, १९५६

सभा-पटल पर रखे गये पत्र ९३७–३८
विद्युत् (सम्भरण) संशोधन विधेयक—
प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में विचार करने का प्रस्ताव ९३८–६६
खण्ड २ से २९ और १ ... ९५९–६६
संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव ... ९६६
वित्त (संख्या २) विधेयक और वित्त (संख्या ३) विधेयक—
विचार करने का प्रस्ताव ९६६–७९
सभा का कार्य ९७९–८०
केन्द्रीय कृषि महाविद्यालय के बारे में आधे घंटे की चर्चा ९८०–८२
दैनिक संक्षेपिका ९८३

अंक २२—बुधवार, १२ दिसम्बर, १९५६

सभा-पटल पर रखे गये पत्र ९८५–८६
देश में बाढ़ की स्थिति के बारे में वक्तव्य ९८६–८८
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति
छियासठवां प्रतिवेदन ९८८
साधु तथा सन्यासी (पंजीयन और अनुज्ञापन) विधेयक के बारे में याचिका ९८८

पृष्ठ

कार्य मंत्रणा समिति—
पैंतालीसवां प्रतिवेदन... ९८८–८९
सभा का कार्य ९८९–९०
वित्त (संख्या २) विधेयक और वित्त (संख्या ३) विधेयक—
विचार करने का प्रस्ताव ९९०–१०३७
वित्त (संख्या २) विधेयक ... १०२३–२७
खण्ड २ से ४ और १, अनुसूची १ और २ ... १०२३–२६
पारित करने का प्रस्ताव १०२६
वित्त (संख्या ३) विधेयक १०२८–३७
खण्ड २ से ८ और १ ... १०२७–३७
संशोधित रूप से पारित करने का प्रस्ताव १०३७
रूस और पूर्वी यूरोप को भेजे गये सांस्कृतिक शिल्पमण्डल के बारे में आधे घण्टे की चर्चा १०३७–४३
दैनिक संक्षेपिका १०४४–४५

अंक २३—गुरुवार, १३ दिसम्बर, १९५६

सभा-पटल पर रखे गये पत्र १०४७–४८
जानकारी के बारे में प्रश्न १०४८
जीवन बीमा निगम नियमों में रूपभेद सम्बन्धी प्रस्ताव १०४९–६३, १०७०
हिन्दू दत्तक-ग्रहण तथा निर्वाह व्यय विधेयक—
राज्य-सभा द्वारा पारित रूप में विचार करने का प्रस्ताव १०५३–९८
सभा का कार्य ... १०८८
कार्य मंत्रणा समिति—
छियालीसवां प्रतिवेदन १०९८
दैनिक संक्षेपिका ... १०९९–११००

अंक २४—शुक्रवार, १४ दिसम्बर, १९५६

सभा का कार्य ११०१, ११४७–४८
राज्य-सभा से सन्देश ... ११०१
प्रेस परिषद् विधेयक—
राज्य सभा द्वारा पारित रूप में सभा-पटल पर रखा गया ११०१
साधु तथा सन्यासी (पंजीयन और अनुज्ञापन) विधेयक के बारे में याचिका ११०२
प्राक्कलन समिति
चौतीसवां प्रतिवेदन ११०२
केरल राज्य विधान मण्डल (शक्तियों का प्रत्यायोजन) विधेयक—
पुरःस्थापित किया गया ११०२
प्रादेशिक परिषद् विधेयक—पुरःस्थापित किया गया ... ११०२
संघ उत्पादन शुल्क (वितरण) संशोधन विधेयक—पुरःस्थापित किया गया ... ११०३
हिन्दू दत्तक-ग्रहण तथा निर्वाह व्यय विधेयक—
राज्य सभा द्वारा पारित रूप में विचार करने का प्रस्ताव ११०३–३८
खण्ड २ से ३० और १ १११७–३७
पारित करने का प्रस्ताव ११३८

पृष्ठ

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—
छियासठवां प्रतिवेदन ११३८
राजनैतिक पीड़ितों के बच्चों को छात्रवृतियां देने सम्बन्धी संकल्प ११३८–६०
नियम समिति—
छठा प्रतिवेदन ... ११५९
चाय उद्योग के राष्ट्रीयकरण सम्बन्धी संकल्प ११६०–६१
दैनिक संक्षेपिका ११६२–६३

अंक २५—सोमवार, १७ दिसम्बर, १९५६

सभा-पटल पर रखे गये पत्र ११६५–६७
विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति ... ११६७
राज्य-सभा से संदेश ११६८
कार्य मंत्रणा समिति—
छियालीसवां प्रतिवेदन ... ११६७–६८
केन्द्रीय उत्पादन तथा नमक (द्वितीय संशोधन) विधेयक—
पुरःस्थापित किया गया ११६८
अनुपूरक अनुदानों की मांगें, १९५६-५७ ... ... ११६९–१२१०
जीवन बीमा निगम के कर्मचारियों के वेतनक्रम तथा अन्य सेवा की शर्तों के
निर्धारण के बारे में चर्चा १२१०–३४
दैनिक संक्षेपिका १२३५–३७

अंक २६—मंगलवार, १८ दिसम्बर, १९५६

आसाम में रुपया तेल समवाय की स्थापना के बारे में वक्तव्य १२३९–४०
सभा-पटल पर रखे गये पत्र १२४०–४१
राज्य-सभा से सन्देश १२४१–४२
फरीदाबाद विकास निगम विधेयक—
संशोधन सहित राज्य-सभा द्वारा वापस भेजे गये रूप में सभा-पटल
पर रखा गया १२४२
सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति सम्बन्धी समिति—
उन्नीसवां प्रतिवेदन ... १२४२
अनुपूरक अनुदानों की मांगें १९५६-५७ १२४२–५९
सभा का कार्य १२५१
विनियोग (संख्या ५) विधेयक–पुरःस्थापित किया गया १२५९
अनुपूरक अनुदानों की मांगे (रेलवे) १९५६-५७ और
आधिक्य अनुदानों की मांगें (रेलवे) १९५३-५४ १२५९–८६
विनियोग (रेलवे) संख्या ६ विधेयक–पुरःस्थापित किया गया १२८६

पृष्ठ

विनियोग (रेलवे) संख्या ७ विधेयक—पुरःस्थापित किया गया १२८६

लोक-प्रतिनिधित्व (विविध उपबन्ध) विधेयक—

विचार करने का प्रस्ताव १२८६–९६

खण्ड २ से ५ और १ ... १२९३–९५

पारित करने का प्रस्ताव १२९५

लोक-प्रतिनिधित्व (निर्वाचनों का संचालन और निर्वाचन याचिकायें) नियमों सम्बन्धी प्रस्ताव १२९६–१३०४

दैनिक संक्षेपिका १३०५–०६

अंक २७—बुधवार, १९ दिसम्बर, १९५६

अरियालूर ट्रेन दुर्घटना के सम्बन्ध में घोर उपेक्षा के आरोपों के बारे में वक्तव्य १३०७–०९

सभा-पटल पर रखे गये पत्र १३०९

राज्य-सभा से सन्देश १३०९–१०

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—

सड़सठवां प्रतिवेदन १३१०

प्राक्कलन समिति—

अड़तीसवां प्रतिवेदन ... १३१०

अनुपस्थिति की अनुमति १३१०–११

राजनीतिक दलों के लिये प्रसारण सुविधाओं के बारे में वक्तव्य १३१२–१३

विनियोग (संख्या ५) विधेयक—

विचार करने तथा पारित करने के प्रस्ताव १३१३

विनियोग (रेलवे) संख्या ६ विधेयक—

विचार करने तथा पारित करने के प्रस्ताव १३१४

विनियोग (रेलवे) संख्या ७ विधेयक—

विचार करने तथा पारित करने के प्रस्ताव १३१४

केरल राज्य विधान-मण्डल (शक्तियों का प्रत्यायोजन) विधेयक—

विचार करने का प्रस्ताव १३१५–२८

खण्ड २, ३ और १ ... ... १३२७–२८

पारित करने का प्रस्ताव ... १३२८

संघ उत्पादन शुल्क (वितरण) संशोधन विधेयक—

विचार करने का प्रस्ताव १३२८–३०

केन्द्रीय उत्पादन शुल्क तथा नमक (द्वितीय संशोधन) विधेयक—

विचार करने का प्रस्ताव १३३०–५३

खण्ड २ और १ ... ... १३४६–५१

संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव १३५१

कार्य मंत्रणा समिति—

सैंतालीसवां प्रतिवेदन १३५२–५३

भारतीय रुई के न्यूनतम तथा अधिकतम मूल्यों के बारे में चर्चा १३५३–६०

दैनिक संक्षेपिका ... १३६१–६२

पृष्ठ

अंक २८---गुरुवार, २० दिसम्बर, १९५६

सभा-पटल पर रखे गये पत्र १३६३–६४

राज्य-सभा से सन्देश १३६४

दिल्ली (भवन निर्माण नियंत्रण) जारी रखना विधेयक—राज्य-सभा द्वारा पारित रूप में सभा-पटल पर रखा गया १३६४

गन्दी बस्तियां (सुधार तथा हटाना) विधेयक—राज्य सभा द्वारा पारित रूप में सभा-पटल पर रखा गया १४६४

दिल्ली किरायेदार (अस्थायी संरक्षण) विधेयक—
राज्य-सभा द्वारा पारित रूप में सभा-पटल पर रखा गया ... १३६४

याचिका समिति
ग्यारहवां प्रतिवेदन १३६४

अन्य मंत्रियों की ओर से प्रश्नों के उत्तर देने की प्रक्रिया १३६५

बुद्ध जयन्ती समिति, सारनाथ के बारे में वक्तव्य ... १३६५

कार्य मंत्रणा समिति—
सैंतालीसवां प्रतिवेदन ... १३६६

संघ उत्पादन शुल्क (वितरण) संशोधन विधेयक—
विचार करने का प्रस्ताव १३६६–७२
खण्ड २ और १ ... ... १३७०–७१
पारित करने का प्रस्ताव ... १३७२

प्रादेशिक परिषद् विधेयक—
विचार करने का प्रस्ताव १३७२–१४०९
खण्ड २ से ६६, अनुसूची और खण्ड १ ... १३८६–१४०८
संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव ... १४०८

बैंकिंग समवाय (संशोधन) विधेयक—
विचार करने का प्रस्ताव १४०९–२०

कोयला खानों में सुरक्षा सम्बन्धी उच्च शक्ति आयोग नियुक्त करने के बारे में प्रस्ताव १४२०–२८

दैनिक संक्षेपिका १४२९–३०

अंक २९—शुक्रवार, २१ दिसम्बर, १९५६

स्थगन प्रस्ताव—
पूर्वी उत्तर प्रदेश के बाढ़ पीड़ित क्षेत्रों में सहायता कार्य १४३१–३२

सभा-पटल पर रखे गये पत्र १४३२–३३

राज्य-सभा से सन्देश ... १४३३

अरियालूर ट्रेन दुर्घटना ... १४३३–३४

प्राक्कलन समिति—
पैंतीस से सैंतीस और चालीसवां प्रतिवेदन ... १४३४–३५

सभा का कार्य ... १४३५

	पृष्ठ
अनुपस्थिति की अनुमति	१४३५–३६
बैंकिंग समवाय (संशोधन) विधेयक—	
विचार करने का प्रस्ताव	१४३६–७२
खण्ड २ से १४, अनुसूची और खण्ड १	१४५३–७१
संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव ...	१४७१
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—	
सड़सठवां प्रतिवेदन	१४७२
वृद्ध और दुर्बल व्यक्तियों के गृह विधेयक—पुरःस्थापित किया गया	
मोटर परिवहन श्रमिक विधेयक—	
विचार करने का प्रस्ताव	१४७२–८०
नियम समिति	
सातवां प्रतिवेदन	१४८०
व्यवहार प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक—(धारा ८७ख को निकालना)	
विचार करने का प्रस्ताव ...	१४८०–९१
दैनिक संक्षेपिका	१४९२–९३

अंक ३०—शनिवार, २२ दिसम्बर, १९५६

स्थगन प्रस्ताव—	
द्वितीय वेतन आयोग की नियुक्ति	१४९५–९६
केरल में काजू के कारखानों का बन्द होना	१४९६–९८
सभा-पटल पर रखे गय पत्र ...	१४९८–९९
राज्य-सभा से सन्देश ...	१४९९–१५०३, १५८१
विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति	१५०३, १५८१
प्राक्कलन समिति	
उन्तालीसवीं और इकतालीसवें से तैंतालीसवां प्रतिवेदन	१५०४
अधीनस्थ विधान सम्बन्धी समिति—	
छठा प्रतिवेदन	१५०४
अविलम्बनीय लोक-महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—	
केरल में उचित मूल्य की दुकानें	१५०४–०५
नियम समिति—	
सातवां प्रतिवेदन ...	१५०५
एक सदस्य द्वारा निजी स्पष्टीकरण ...	१५०५–०६
सभा-पटल पर रखे गये पत्र के सम्बन्ध में	१५०६
सभा का कार्य ...	१५०६
फरीदाबाद विकास निगम विधेयक—	
राज्य-सभा द्वारा किया गया संशोधन स्वीकृत हुआ ...	१५०६–१५
दिल्ली (भवन-निर्माण-कार्य का नियंत्रण) जारी रखना विधेयक—	
राज्य-सभा द्वारा पारित रूप में विचार करने का प्रस्ताव ...	१५१५–२३
खण्ड २ और १ ...	१५२३
पारित करने का प्रस्ताव	१५२३

पृष्ठ

गन्दी बस्तियां (सुधार और सफाई) विधेयक—
राज्य-सभा द्वारा पारित रूप में विचार करने का प्रस्ताव १५२३–५८
खण्ड २ से ४०, अनुसूची और खण्ड १ १५५७–५८
पारित करने का प्रस्ताव ... १५५८
दिल्ली किरायेदार (अस्थायी संरक्षण) विधेयक—
राज्य-सभा द्वारा पारित रूप में विचार करने का प्रस्ताव ... १५५८–७९
खण्ड २ से ५ और १ १५७९
पारित करने का प्रस्ताव १५७९
आश्वासन समिति—
तीसरा प्रतिवेदन ... १५६२
एक सदस्य का त्यागपत्र १५६२
पुस्तक प्रदान (सार्वजनिक पुस्तकालय) संशोधन विधेयक—
विचार करने और पारित करने का प्रस्ताव ... १५७९–८१
संघ लोक-सेवा आयोग के प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव १५८१–९०
दैनिक संक्षेपिका ... १५९१–९४
चौदहवें सत्र का संक्षिप्त वृत्तान्त ... १५९५–९६

लोक-सभा वाद-विवाद

(भाग २--प्रश्नोत्तर के अतिरिक्त कार्यवाही)

लोक-सभा

शुक्रवार, २१ दिसम्बर, १९५६

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई ।

[**अध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए]

प्रश्नोत्तर

(**देखिये** भाग १)

१२.०१ बजे

स्थगन प्रस्ताव

पूर्वी उत्तर प्रदेश के बाढ़ पीड़ित क्षेत्रों में सहायता कार्य

†**अध्यक्ष महोदय** : मुझे श्री रा० न० सिंह और श्री रामजी वर्मा से यह स्थगन प्रस्ताव मिला है :

> "उत्तर प्रदेश के पूर्वी जिले में बाढ़ से नष्ट हुए क्षेत्रों में खाद्यान्न के अ ाव को दूर करने के उपयुक्त साधनों का प्रबन्ध करने में सरकार की सर्वथा असफलता और उसके परिणामस्वरूप सभी ओर फैली भुखमरी के कारण, लोगों को बाध्य होकर शरणार्थियों के रूप में भागना और सरकारी दुकानों पर निषिद्ध दरों पर खाद्यान्न का बिकना ।"

क्या माननीय मंत्री मुझे इस सम्बन्ध में जानकारी देंगे ?

†**खाद्य उपमंत्री (श्री मो० वें० कृष्णप्पा)** : उत्तर प्रदेश विधान सभा में वहां के विपक्ष दल के नेता श्री गैंडा सिंह ने ऐसा ही प्रस्ताव रखा था ।

†**अध्यक्ष महोदय** : यह कब रखा गया था ?

†**श्री मो० वें० कृष्णप्पा** : यह इस मास की १७ तिथि को रखा गया था । उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री ने बताया कि पूर्वी उत्तर प्रदेश में किये गये सहायता कार्य उपयुक्त हैं और केन्द्रीय सरकार ने काफी खाद्यान्न का सम्भरण किया है । हजारों सस्ते अनाज की दुकानें खोली गई हैं । और गेहूं १३ रुपये के भाव बेचा जा रहा है । वहां गेहूं का यह न्यूनतम मूल्य था ।

इन जिलों से लोगों के निकलने के सम्बन्ध में मुख्य मंत्री ने बताया था कि सामान्य समय में भी उत्तर प्रदेश क गोरखपुर, बस्ती और देवरिया जैसे जिलों के लोग पूर्वी राज्यों के जिलों में कटाई

†मूल अंग्रेजी में ।

[श्री मो० वें० कृष्णप्पा]

कार्य के लिये जाया करते हैं और वे फिर वापस आ जाया करते हैं। ये क्षेत्र घनी जनसंख्या वाले हैं और कटाई के समय वे पड़ोस के जिलों में रोज़गार प्राप्ति के लिये चले जाया करते हैं और फिर वापस आ जाया करते हैं।

मुख्य मंत्री ने बताया है कि उपयुक्त कार्य किये गये हैं और ऐसी कोई बात नहीं हुई कि लोग भुखमरी और बेरोज़गारी के कारण उन जिलों से गये हों।

अपनी ओर स, हमने सभी राज्य सरकारों को परिपत्र भेजा है कि सहायता कार्य करने में उन्हें हमारी प्रतीक्षा नहीं करनी चाहिये क्योंकि कुछ मामलों में यह बहुत अविलम्बनीय हो सकता है। अतः हमने कहा है कि वे कितना भी धन व्यय कर सकते हैं और केन्द्रीय सरकार २ करोड़ रुपये तक के व्यय का ५० प्रतिशत देने के लिये तैयार होगी और २ करोड़ से ऊपर का ७५ प्रतिशत देगी। अतः उत्तर प्रदेश सभा में कहा गया है कि वहां सब स्थिति ठीक है।

सितम्बर में हमने उन्हें १६,००० टन, अक्तूबर में २५,००० टन और नवम्बर में ३३,००० टन गेहूं दिया है। इस मास हमने उनके लिये नवम्बर से दुगनी मात्रा अर्थात् ६६,००० टन, नियत की है और हम एक स्पेशल गाड़ी चला रहे हैं जिससे गेहूं इन जिलों में भेजा जा रहा है।

†**श्री रा० न० सिंह** (जिला गाज़ीपुर पूर्व व जिला बलिया—दक्षिण पश्चिम) : अध्यक्ष महोदय, मैं यह बतलाना चाहता हूं कि देवरिया गाजीपुर आजमगढ़ बस्ती आदि से हजारों की संख्या में लोग बंगाल असम आदि की तरफ मजदूरी करने के लिये जा रहे हैं और यदि उनको राहत न पहुंचाई गई तो इसका चुनावों के ऊपर बहुत बुरा प्रभाव पड़ेगा। मार्च में..... **(अन्तर्बाधाएं)**

†**अध्यक्ष महोदय** : निस्संदेह जो माननीय सदस्य वहां से निर्वाचन लड़ रहे हैं उन्हें चाहिये कि वे उन लोगों को रोज़गार का प्रलोभन दें क्योंकि वे रोज़गार की खोज में बाहर जाते हैं।

वक्तव्य को ध्यान में रखते हुए मैं समझता हूं कि इस मामले का निश्चित सम्बन्ध राज्य सरकार से है। यह राज्य सरकार का विषय है। केन्द्रीय सरकार ने अपना कर्त्तव्य पूरा किया है। उन्होंने पहले से राज्य सरकार को कह दिया है कि वे दो करोड़ के व्यय में ५० प्रतिशत और उससे अधिक में ७५ प्रतिशत अंशदान देने के लिये तैयार है। जहां तक स्थिति के वास्तविक प्रबन्ध का सम्बन्ध है यह सब राज्य सरकारों के हाथ में है।

उत्तर प्रदेश की विधान सभा में वहां के मुख्य मंत्री ने स्थिति का ब्योरेवार वर्णन किया है और उसके पश्चात् भी उन्होंने केन्द्रीय सरकार को नहीं लिखा कि स्थिति खराब है और उन्हें सहायता चाहिये।

मैं इस स्थगन प्रस्ताव की अनुमति नहीं दे सकता।

सभा-पटल पर रखे गये पत्र

सरकार द्वारा आश्वासनों आदि पर की गई कार्यवाही के विवरण

†**संसद्-कार्य मंत्री (श्री सत्य नारायण सिंह)** : मैं विभिन्न सत्रों में, जैसा प्रत्येक के सामने दिखाया गया है, मंत्रियों द्वारा दिये गये विभिन्न आश्वासनों, वचनों तथा प्रतिज्ञाओं के सम्बन्ध में सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के निम्न विवरण सभा-पटल पर रखता हूं :—

(१) प्रथम विवरण ... लोक-सभा का चौदहवां सत्र, १९५६।
[देखिये परिशिष्ट ५, अनुबन्ध संख्या १२१]

(२) अनुपूरक विवरण संख्या ७ ... लोक-सभा का तेरहवां सत्र, १९५६।
[देखिय परिशिष्ट ५, अनुबन्ध संख्या १२२]

---

†मूल अंग्रेजी में।

(३) अनुपूरक विवरण संख्या १३ ... लोक-सभा का बारहवां सत्र, १९५६
[देखिये परिशिष्ट ५, अनुबन्ध संख्या १२३]

(४) अनुपूरक विवरण संख्या १५ लोक-सभा का ग्यारहवां सत्र, १९५५
[देखिये परिशिष्ट ५, अनुबन्ध संख्या १२४]

(५) अनुपूरक विवरण संख्या १८ लोक-सभा का दसवां सत्र, १९५५
[देखिये परिशिष्ट ५, अनुबन्ध संख्या १२५]

(६) अनुपूरक विवरण संख्या २४ लोक-सभा का नवां सत्र, १९५५
[देखिये परिशिष्ट ५, अनुबन्ध संख्या १२६]

(७) अनुपूरक विवरण संख्या २७ लोक-सभा का आठवां सत्र, १९५४
[देखिये परिशिष्ट ५, अनुबन्ध संख्या १२७]

राजस्थान के राज्यपाल और भारत रक्षित बैंक के बीच मुख्य और अनुपूरक करार

†**राजस्व और प्रतिरक्षा व्यय मंत्री (श्री अ० चं० गुह)** : मैं भारत रक्षित बैंक अधिनियम, १९३४ की धारा २१-क की उपधारा (२) के अधीन राजस्थान के राज्यपाल और भारत रक्षित बैंक के बीच हुए प्रत्येक मुख्य और अनुपूरक करारों की एक-एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं । **[देखिये परिशिष्ट ५, अनुबन्ध संख्या १२८]**

राज्य-सभा से सन्देश

†**सचिव** : मुझे सभा को बताना है कि:

(१) "मुझे राज्य-सभा के सचिव से यह सन्देश मिला है कि लोक-सभा द्वारा ८ दिसम्बर, १९५६ को पारित कर्मचारी भविष्य निधि (संशोधन) विधेयक, १९५६ को राज्य-सभा ने अपनी १९ दिसम्बर, १९५६ की बैठक में बिना किसी संशोधन के स्वीकार कर लिया है ।"

(२) "मुझे राज्य-सभा के सचिव से यह सन्देश मिला है कि लोक-सभा द्वारा ११ दिसम्बर, १९५६ को पारित विद्युत् सम्भरण संशोधन विधेयक, १९५६ को राज्य-सभा ने अपनी १९ दिसम्बर १९५६ की बैठक में बिना किसी संशोधन के स्वीकार कर लिया है ।"

अरियालूर ट्रेन दुर्घटना

श्री कामत को मिला तार सभा-पटल पर रखा गया

†**श्री कामत** (होशंगाबाद) : और कार्य आरम्भ करने से पहले, मेरा निवेदन है कि आप इस ओर ध्यान दें कि श्री अलगेशन ने अरियालूर में गाड़ी की तबाही के बारे में उस दिन वक्तव्य दिया जब कि मैंने कहा था कि मुझसे श्री गोविन्दन का पत्र खो गया है । मुझे श्री गोविन्दन का तार मिला है जिसे मैं सभा-पटल पर रखता हूं **[देखिये परिशिष्ट५, अनुबन्ध संख्या १२९]** । इसमें कहा गया है कि अरियालूर में लोगों को जलाने और महिलाओं के डिब्बे को जलाने के सम्बन्ध में जांच के लिये आग्रह किया जाये । वे साक्ष्य देने के लिये तैयार हैं ।

श्री अलगेशन ने मुझ पर बहुत अनुचित आरोप लगाया था कि मैं इस से राजनैतिक लाभ उठाना चाहता हूं । ऐसी बात सर्वथा नहीं है । नियम अधीन आप मुझे बता सकते थे कि वे वक्तव्य दे रहे हैं ताकि मैं कुछ कह सकता ।

---

†मूल अंग्रेजी में ।

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्य यहां उपस्थित थे, नहीं तो उन्हें बुलाया जाता ।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** (बसिरहाट) : ऐसे मामलों में पूर्वसूचना दी जाती है । एक बार श्री ही० ना० मुकर्जी को ऐसी सूचना दी गई थी ।

†**अध्यक्ष महोदय** : तार को फ़ाइल में रखा जाये ।

†**श्री ही० ना० मुकर्जी** (कलकत्ता—उत्तर-पूर्व) : पूर्वसूचना के सम्बन्ध में मैं निवेदन करना चाहता हूं कि माननीय मंत्री ने सुझाव दिया था कि विशेषाधिकार के आधार पर सदस्य के विरुद्ध कार्यवाही करनी चाहिये और स्वभावतः समाचारपत्रों में इस का बहुत प्रचार हुआ । उस समय मुझे ज्ञात नहीं था कि श्री कामत को पूर्वसूचना नहीं दी गई ।

हमारे और विशेषतः विपक्षी दल के अधिकारों के अभिरक्षक के रूप में हम आपसे आशा करते हैं कि आप हमारी स्थिति की रक्षा करेंगे और विशेषतः इन गम्भीर आरोप-प्रत्यारोप के सम्बन्ध में आप ही रक्षा कर सकते हैं ।

†**अध्यक्ष महोदय** : मैं श्री ही० ना० मुकर्जी की बातों का पूर्णतः अनुभव करता हूं । मैंने माननीय सदस्यों से कई बार कहा है कि जब उन्हें किसी मंत्रालय या विभाग के विरुद्ध आरोप लगाना हो, तो उन्हें मंत्री को पूर्वसूचना देनी चाहिये ताकि वे तैयार होकर आयें और कठिनाई को दूर कर सकें ।

जहां तक इस विषय का सम्बन्ध है, जब प्रस्ताव आता है मैं दूसरे पक्ष को सूचना दे देता हूं अतः इस प्रथा का अनुसरण करने में मुझे कोई आपत्ति नहीं । सरकार और सदस्यों दोनों को इस प्रथा का पालन करना चाहिये ।

†**श्री अ० क० गोपालन** (कन्नूर) : विधेयकों पर बोलते समय भी आरोप लगाये जाते हैं । आपके विनिर्णय के अनुसार उनकी भी पूर्वसूचना देनी होगी जो कि सम्भव नहीं ।

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्य को पत्र मिला था और उसके आधार पर उन्होंने आरोप लगाये थे । आकस्मिक बात के विषय में नहीं वरन् ऐसे आरोपों की सूचना दी जानी चाहिये ।

†**श्री ही० ना० मुकर्जी** : कभी समाचारपत्रों म किसी आरोप का समाचार मिलता है जिसपर हम विश्वास नहीं कर सकते परन्तु सरकार का ध्यान इस ओर दिलाना चाहते हैं ।

†**अध्यक्ष महोदय** : श्री कामत ने किसी समाचारपत्र का उल्लेख किया होता तो वह अलग बात होती, परन्तु उन्होंने श्री गोविंदन से प्राप्त हुए पत्र का उल्लेख किया था । किसी समाचार की ओर निर्देश करने में कोई हानि नहीं है ।

ऐसी स्थिति में यह दोनों पक्षों के लिये नियम रहेगा कि जब कभी कोई गम्भीर आरोप लगाना हो तो एक पक्ष दूसरे को पूर्वसूचना दे दे ।

प्राक्कलन समिति

पैंतीस से सैंतीस और चालीसवां प्रतिवेदन

श्री ब० गो० मेहता (गोहिलवाड़) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्राक्कलन समिति की निम्नलिखित रिपोर्टें पेश करता हूं:

(१) समिति की पहली, दूसरी और तीसरी रिपोर्टों में दी गई सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के सम्बन्ध में पैंतीसवीं, छत्तीसवीं और सैंतीसवीं रिपोर्टें; और

---

†मूल अंग्रेजी में ।

(२) सामुदायिक विकास मंत्रालय (सामुदायिक परियोजना प्रशासन) के सम्बन्ध में चालीसवीं रिपोर्ट— भाग २ ।

सभा का कार्य

†**गृह-कार्य मंत्रालय में मंत्री (श्री दातार)**: क्या मैं एक विशेष प्रस्ताव प्रस्तुत कर सकता हूं ? एक विधेयक ऐसा है जिसे आजकी कार्यसूची में नहीं रखा गया किन्तु जो बहुत महत्वपूर्ण है। यह विदेशी (विधियां) संशोधन विधेयक है। यदि आप सहमत हों, तो इसे आजका मुख्य कार्य समाप्त होने के बाद लिया जा सकता है ।

†**अध्यक्ष महोदय** : यदि समय हुआ तो । यदि बैंकिंग कम्पनी (संशोधन) विधेयक की चर्चा समाप्त हो गई, तो शेष समय हम उसपर लगा सकते हैं ।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** (बसिरहाट) : हम किसी ऐसे विधेयक पर चर्चा नहीं कर सकते जो कार्य सूची में नहीं रखा गया, क्योंकि हम तैयार नहीं हैं। हम कल इस पर चर्चा कर सकते हैं।

†**अध्यक्ष महोदय** : बहुत अच्छा ।

†**श्री कामत** (होशंगाबाद) : कार्य सूची के सम्बन्ध में मेरा एक सुझाव है। संघ लोक सेवा आयोग की रिपोर्ट का विषय बहुत महत्वपूर्ण है। इसकी चर्चा कल रखी गई है। मैं चाहता हूं कि यह चर्चा प्रेस परिषद् विधेयक की चर्चा से, जोकि अन्तिम विषय है, पहले कर ली जाय।

†**अध्यक्ष महोदय** : इस पर विचार किया जायेगा ।

अनुपस्थिति की अनुमति

†**अध्यक्ष महोदय** : श्री जॉन रिचर्डसन को अनुपस्थिति की अनुमति देने का मामला आज तक के लिये उठा रखा गया था, क्योंकि इसपर कुछ आपत्तियां उठाई गई थीं। उन्होंने अपने वर्तमान प्रार्थना-पत्र में ३९ दिन अर्थात् इस सत्र की सारी अवधि के लिये अनुपस्थिति की अनुमति मांगी है और कारण यह दिया है कि अंडमान द्वीपों के लोग सामुदायिक परियोजना के अन्तर्गत, एक नदी पर सीमेंट का एक पक्का पुल बना रहे हैं। और चूंकि वहां के लोगों को निर्माण कार्य का अनुभव नहीं है, इसलिये उनका उपस्थित रहना आवश्यक है। उनका कहना है कि वह पुल बहुत महत्वपूर्ण है और वहां के ग्रामों के लिये यातायात का एकमात्र साधन है।

अनुपस्थिति की अनुमति देन की सिफारिश करते हुए, समिति ने कहा है कि सामुदायिक परियोजना का काम इतना महत्वपूर्ण नहीं है कि सत्र की सारी अवधि के लिये छुट्टी मांगी जाये और कहा है कि समिति के विचार उन तक पहुंचा दिये जायें ।

सब परिस्थितियों को देखते हुए, मैं समझता हूं कि सदन समिति की सिफारिश से सहमत है कि उन्हें अनुमति दे दी जाये। वे ऐसे द्वीपों में रहते हैं, जहां से आना बहुत कठिन है और हो सकता है कि प्रतिनिधित्व करने के लिये और कोई उपयुक्त व्यक्ति वहां से उपलब्ध न हो ।

†**श्री क० कु० बसु** (डायमंड हार्बर) : आंकड़ों से पता चलता है कि यह माननीय सदस्य ५० प्रतिशत से अधिक बैठकों से अनुपस्थित रहे हैं। ऐसे व्यक्ति को प्रतिनिधि रखने का क्या लाभ है ? कम

†मूल अंग्रेजी में ।

[श्री क० कु० बसु]

से कम सरकार को राष्ट्रपति को यह परामर्श देना चाहिये कि उन द्वीपों से वह ऐसा व्यक्ति चुनें, जो इन सब कठिनाइयों से मुक्त हो और जो बैठकों में उपस्थित हो सकता हो ।

†**श्री पुन्नूस** (आलप्पी) : एक बार उन्होंने यह कह कर छुट्टी मांगी थी कि उन्हें पादरी का काम करना है । अब वह इंजीनियरिंग के काम के लिये छुट्टी मांगते हैं । अंडमान भारत सरकार के अधीन है, जो उन्हें सब प्रकार की सहायता दे सकती है, ताकि वह सदन में उपस्थित हो सकें । उनकी यह प्रार्थना तो स्वीकार कर लेनी चाहिये, किन्तु भविष्य के लिये कुछ व्यवस्था करनी चाहिये ।

†**डा० रामा राव** (काकीनाडा) : अनुपस्थिति की अनुमति के मामले में हमें कोई मान निश्चित करना चाहिये । ऐसे क्षेत्र के लिये जिसका और कोई प्रतिनिधि यहां नहीं है, इस प्रकार के कारण, जो उन्होंने दिये हैं, पर्याप्त नहीं हैं । इसलिये उन्हें बिना कोई हानि पहुंचाये हम यह अनुमति देने से इन्कार कर सकते हैं ।

†**श्री मैथ्यू** (कोट्टयम) : मेरे विचार में अनुमति का प्रश्न उत्पन्न ही नहीं होता, क्योंकि वह केवल ३९ दिनों के लिये अनुपस्थित रहेंगे ।

†**श्री बैरो** (नामनिर्देशित—आंग्ल-भारतीय) : मैं यह कहना चाहता हूं कि ३९ दिनों की अनुपस्थिति से उनकी स्थिति में कोई अन्तर नहीं पड़ता, परन्तु चूंकि यातायात की कठिनाइयों के कारण वह आ जा नहीं सकते, इसलिये उन्होंने नेकनीयती से यह प्रार्थना की है । वह सदन के प्राधिकार का उल्लंघन नहीं करना चाहते । वह अनुमति मांग रहे हैं और सदन को यह अनुमति दे देनी चाहिये ।

†**अध्यक्ष महोदय** : इस मामले की काफी चर्चा हो चुकी है । मैं माननीय मंत्री से कहूंगा कि यदि सम्भव हो, तो वह अगले मनोनयन के लिये कोई और उपयुक्त व्यक्ति चुनें । यदि ऐसा कोई व्यक्ति उपलब्ध न हो, तो स्वभावतः वर्तमान सदस्य ही रहना चाहिये जो कम से कम ५० प्रतिशत दिनों तक उपस्थित रहता हो ।

मरे विचार में सभा की सामान्य इच्छा यह है कि अनुमति दे दी जाये ।

अनुमति प्रदान की गई ।

बैंकिंग समवाय (संशोधन) विधेयक

†**अध्यक्ष महोदय** : अब सदन श्री ति० त० कृष्णमाचारी के इस प्रस्ताव पर आगे चर्चा आरम्भ करेगा ।

> "कि बैंकिंग कम्पनी अधिनियम १९४९ में और आगे संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये" । यह चर्चा साढ़े चार बजे तक समाप्त हो जानी चाहिये ।

श्री मत्र अपना भाषण जारी रखेंगे ।

†**श्री म० कु० मैत्र** (कलकत्ता—उत्तर-पश्चिम) : कल मैं कह रहा था कि बैंकिंग कम्पनियों के पास जो रुपया है, उसमें से केवल २ प्रतिशत कृषि के लिये, ४९ प्रतिशत वाणिज्य के लिये, और ३५ प्रतिशत उद्योगों के लिये दिया जाता है । इससे प्रकट होता है कि बैंकों को कृषि के विकास में, जोकि भारत में लोगों का मुख्य साधन है, कितनी रुचि है ।

---

†मूल अंग्रेजी में ।

उद्योगों में किये जाने वाले ३५ प्रतिशत विनियोग के बारे में, मैं यह कहूंगा कि बड़े-बड़े उद्योग-पतियों के अपने बैंक हैं और वे इनसे कम दरों पर रुपया लेते हैं और अपने उद्योगों में लगाते हैं।

[श्री बर्मन पीठासीन हुए]

मैं यहां यह बताना चाहता हूं कि हमारे देश के बड़े-बड़े बैंक भी बड़े-बड़े उद्योगपतियों के कब्जे में हैं। युनाइटिड कमर्शल बैंक बिडला का है और पंजाब नैशनल बैंक डालमिया का है। इस प्रकार दोनों ओर से उन्हें लाभ है।

इस विधेयक से सरकार के पास कुछ अधिकार हो जायेंगे और वह उन खराबियों को दूर कर सकेगी जो बैंक कार्य में आ गई हैं। किन्तु सारी बात इस पर निर्भर करती है कि विधि को किस ढंग पर क्रियान्वित किया जाता है। सभी जानते हैं कि सरकार इन उद्योगपतियों से कुछ सहानुभूति रखती है।

इस विधेयक से बड़े-बड़े आदमियों की आय घटेगी। इस समय बैंकिंग उद्योग में बड़े आदमी १,५०,००० रुपये वार्षिक कमाते हैं। ऊपर के ५ प्रतिशत व्यक्ति ३० प्रतिशत रुपया ले जाते हैं। सरकार इस बात को समाप्त करना चाहती है। किन्तु उन्होंने उपबन्ध क्या किया है? खण्ड २ में मुआवजे की जो व्याख्या दी गई है उसमें भत्ते तथा काम के दौरान किये गये अन्य व्यय सम्मिलित नहीं हैं। इससे क्या लाभ होगा। एक तरफ तो आप उनके वेतन घटाना चाहते हैं। और दूसरी ओर आप इस उपबन्ध में भी एक त्रुटि छोड़ रहे हैं। भत्ते लेने के बहुत से तरीके होते हैं और वह लोग बड़े होशियार होते हैं। सरकार ने बैंकों के कार्य के बारे में जानकारी प्राप्त करने के उपबन्ध बनाये हैं। किन्तु सरकार इसमें सफल नहीं होगी क्योंकि जो उपबन्ध किये गये हैं वे अपर्याप्त हैं।

अब मैं बैंकों के पास जो रक्षित धन रहता है उसके बारे में कुछ बताऊंगा। श्रम अपीलीय न्यायाधिकरण ने अपने निर्णय में बताया है कि दो कारणों से ही बैंकों की वास्तविक वित्त स्थिति का ज्ञान नहीं होता। उनमें से एक कारण यह है कि जो उनका रक्षित धन होता है उनके बारे में पता नहीं चलता। एक बार बैंक आफ इण्डिया ने रक्षित निधि से ५० लाख रुपये सामान्य निधि में डाले। इससे बड़ी हैरानी हुई। पता नहीं इस प्रकार कितने रुपये ऐसी निधियों में होंगे।

दूसरी कठिनाई यह है कि जिस प्रकार बैंक लाभ तथा हानि का हिसाब दे सकते हैं वह भी ठीक नहीं है। अपना शुद्ध लाभ दिखाते समय बैंक कुछ रकमें घटा लेते हैं जिनसे जांच करने का भी कोई विशेष लाभ नहीं रहता।

इसलिये जब तक बिना किसी रकम के कम किये लाभ नहीं दिखाये जाते तब तक किसी बैंक की ठीक स्थिति नहीं जानी जा सकती।

ये सब बातें श्रम अपीलीय न्यायाधिकरण ने कही हैं।

सरकार कुछ निरीक्षक नियुक्त करना चाहती है। क्या वह सब जानकारी बैंकों से प्राप्त करने में सफल रहेंगे। साथ ही रक्षित बैंक के कर्मचारी भी ऐसे नहीं जिन्हें त्रुटिरहित कहा जा सके। जब कलकत्ता में लक्ष्मी उद्योग बैंक से लोग धड़ाधड़ रुपया निकलवाने लगे थे तब रक्षित बैंक ने ऋण देने से इन्कार कर दिया था। इस कारण रक्षित बैंक की कड़ी आलोचना हुई थी।

मैं जानता हूं कि व्यापारी लोग यहां यही कहेंगे कि निरीक्षकों के सामने सभी कागज नहीं रखे जा सकते। इससे व्यापार की गुप्त बातें खुल जायेंगी। हम इन्हीं बातों को तो जानना चाहते हैं कि ये होती क्या हैं। बैंक की वास्तविक स्थिति क्या है।

[श्री म० कु० मैत्र]

मैं यह बताना चाहता हूं कि इन सब त्रुटियों का उपचार राष्ट्रीयकरण ही है। इस विधेयक से राष्ट्रीयकरण को टाला जा रहा है। सभी लोग बैंकों का राष्ट्रीयकरण चाहते हैं। सरकार इस विधेयक से लोगों को भ्रम में डाल रही है।

†**श्री भागवत झा आजाद** (पूर्निया व सन्थाल परगना): मैं इस विधेयक का पूर्णतः समर्थन करता हूं यद्यपि मैं इससे संतुष्ट नहीं हूं। जितनी जल्दी बैंकिंग का राष्ट्रीयकरण हो उतना ही देश के लिये लाभदायक है। मैं इस विधेयक के उपेबन्धों पर खुलासा तौर पर कुछ नहीं कहूंगा। अपितु यह बताऊंगा कि ये संशोधन इसमें करने क्यों आवश्यक हैं। इन संशोधनों का विरोध बैंकिंग समवाय भी नहीं करेंगे जैसे एक संशोधन है कि अधिक पारिश्रमिक नहीं देना चाहिये। इसके लिये उन्हें कोई आपत्ति नहीं है।

यह कहा जाता है कि किसी समवाय का संचालक दूसरे समवायों का संचालक नहीं हो सकता है। यह ठीक भी है क्योंकि एक व्यक्ति सभी समवायों का कर्त्ताधर्ता हो कर जो कुछ चाहे कर सकता है। तथा घाटा होने पर भी उसके घाटे को अपने अधीन अन्य संस्थाओं की पूंजी से पूरा करके कह सकता है कि बैंक की स्थिति अच्छी है।

रक्षित बैंक द्वारा समय-समय पर दिये जाने वाले निदेशों से कोई हानि नहीं है। रक्षित बैंक, इस देश में बैंकिंग के बारे में एक विशेष संस्था माना जाता है। तथा यदि बैंकिंग समवाय अपने कार्यों को उचित रूप से कर रहे हैं तो मैं नहीं समझ सकता कि रिजर्व बैंक के निदेशानुसार कार्य करने में क्या हानि है जब वह इसकी सब से योग्य संस्था है।

मेरे मित्र श्री थामस चाहते हैं कि मामला प्रवर समिति को सौंपा जाना चाहिये। परन्तु इस सुझाव के मान लेने पर विधेयक का उद्देश्य ही समाप्त हो जाता है क्योंकि चुनाव आने वाले हैं तथा अगली सभा का सत्र मई में होगा। जिसका अर्थ है कि इसको पारित करने में पांच अथवा छः मास लग जायेंगे जबकि इसको तुरन्त पारित करना आवश्यक है। क्योंकि उस समय तक मेरे मित्र, यह जानकर कि इस विधेयक के उपबन्ध पांच मास बाद लागू होने वाले हैं, संतुलन को ठीक नहीं रहने देंगे। इसलिय इसको प्रवर समिति को सौंपना ठीक नहीं है।

हमें इन समवायों के कार्यों के ब्यौरों में नहीं जाना है। हम चाहते हैं कि संचालक अथवा प्रबन्धक रक्षित बैंक की इच्छा से नियुक्त किये जाने चाहियें। क्योंकि भूतकाल में यह लोग देश के कल्याण के लिये कुछ भी नहीं करते थे। अब भी उन्होंने द्वितीय योजना की ओर से अपना ध्यान हटा लिया है। उनका ध्यान केवल इस ओर है कि अपने मित्रों तथा सम्बन्धियों को ऋण दें, नये समवाय बनायें, तथा जितना सम्भव हो सके उतना लाभ उठायें। मैं तो इस पक्ष में हूं कि श्री कृष्णमाचारी जितनी शक्ति चाहें उतनी ऐसे व्यक्तियों को ठीक करने के लिये ले लें परन्तु बाद में यह न कहें कि इनको ठीक करने के लिये मेरे हाथ में पूर्ण शक्ति नहीं है।

अब मैं दश में बैंकिंग की प्रगति के बारे में बताता हूं। १९४७ में बकों के ४,८१९ कार्यालय थे, १९५४ में ४,०४१ हो गये। जिसका अर्थ यह है कि ८०० कार्यालय बन्द कर दिये गये। ये ४,०४१ कार्यालय १,००३ स्थानों पर हैं। इससे पता लगता है कि वह दश की सहायता नहीं करना चाहते बल्कि स्वयं लाभ उठाना चाहते हैं।

हम जानते हैं कि देश में वाणिज्यिक बैंक साधारण ग्राहकों का सहयोग प्राप्त करने में असफल रहे हैं और बैंकिंग संस्थाओं ने पंचवर्षीय योजनाओं में सरकार को सहयोग नहीं दिया है। मुझे खेद है कि वे द्वितीय योजना की कार्यान्विति में रोड़े अटका रहे हैं। क्या वे बता सकते हैं कि

†मूल अंग्रेजी में।

अगले पांच वर्षों के लिये इन बैंकिंग समवायों का क्या कार्यक्रम है ? क्या वे सरकार को बता सकेंगे कि वे समाजवादी ढंग के समाज की स्थापना के लिये अपने संसाधन लगाने को तैयार हैं तथा अपनी बुराइयां दूर करने को तैयार हैं।

स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात् से देश के आर्थिक तथा राजनयिक ढांचे में बहुत परिवर्तन हुए हैं। सरकार ने, समाज में सम्पत्ति तथा आय का समान वितरण का आश्वासन दिया है। बहु-प्रयोजनीय योजनायें तथा भाखड़ा और मयूराक्षी योजनायें देहाती क्षेत्रों के लिये बनाई गई हैं। परन्तु केवल बैंकिंग समवायों ने ही अपने संसाधन योजना में नहीं लगाये हैं। वह अपना धन बड़े नगरों में लगा रहे हैं। इसलिये यह कहना चाहता हूं कि बैंकिंग संस्थायें देहाती क्षेत्रों की सहायता करने में एकदम असफल रही हैं। इसीलिये हमें इन व्यक्तियों को ठीक करने के लिये कठोर कदम उठाने चाहियें।

[**अध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए]

ये लोग अपने लिपिकों को एक पाई भी देना नहीं चाहते जबकि अपने लिये उन्होंने कई भत्ते बना रखे हैं। इसीलिये रक्षित बैंक अब इसका ध्यान रखेगा कि इनको अधिक पारिश्रमिक न मिले। रक्षित बैंक एक पदाधिकारी नियुक्त करेगा जो बैंक की बैठकों में उपस्थित रहेगा। यदि वह ठीक प्रकार से अपना काम कर रहे हैं तो वे क्यों डरते हैं तथा इन शक्तियों का विरोध क्यों करते हैं।

इसीलिये हम श्री ति० त० कृष्णमाचारी को वह सभी शक्तियां दे देना चाहते हैं जिनको वह इन समवायों को ठीक करने के लिये लना चाहते हैं। हम भविष्य में यह नहीं सुनना चाहते कि शक्तियां न मिलने के कारण वह उन्हें ठीक नहीं कर सके। इन शब्दों से मैं विधेयक के उपबन्धों का समर्थन करता हूं।

†**श्री तुलसी दास** : मैं रक्षित बैंक तथा सरकार को बैंकिंग समवायों के लिये इन कठोर शक्तियों को देने वाले विधेयक की आवश्यकता नहीं समझता। गत सप्ताह वित्त-विधेयक पर चर्चा के समय भी मैंने बताया था कि इस दश में शीघ्र विधान बनाना एक प्रति दिन का कार्य बन गया है। मैं इसका बहुत पहले से विरोध कर रहा हूं। परन्तु मुझे खेद है कि माननीय वित्त मंत्री ने इसको प्रवर समिति को सौंपने के हमारे विचार को ठीक प्रकार से नहीं समझा है। इस विधेयक द्वारा देश की बैंकिंग संस्थाओं के कार्य संचालन तथा ढांचे में बहुत परिवर्तन किया गया है। यदि यह प्रवर समिति को सौंप दिया जाय तभी इस मामले की उलझी हुई बातों पर विचार किया जा सकता है। परन्तु श्री कृष्णमाचारी ने इसको प्रवर समिति को सौंपने से इन्कार कर दिया जबकि वह अपने को सब से महान् लोक तंत्रवादी समझते हैं।

मैं अब बैंकिंग उद्योग के सम्बन्ध में कुछ कहना चाहता हूं क्योंकि मुझे खेद है सभा के बहुत से सदस्य यह नहीं जानते हैं कि इस उद्योग का महत्व क्या है। स्वतन्त्रता से पहले अधिकांश बैंक-व्यवसाय विदेशी बैंकों के हाथ में था। आज देश के कुल बैंक निक्षेप का ८० प्रतिशत भारतीय वाणिज्यिक बैंकों के पास है। इन बैंकों ने ७३ प्रतिशत रुपया राष्ट्र की अर्थ-व्यवस्था में धन लगाने के लिये दे दिया है तथा भारत के कुल सरकारी ऋण का १२ प्रतिशत भारतीय बैंकों में है। देश की बचत के धन को इकट्ठा करने के लिये भारतीय वाणिज्यिक बैंकों ने देश के आन्तरिक भाग में जाकर जनता को बैंकिंग की बातें बतलाईं और उनको अपनी सेवायें दीं। श्री फीरोज गांधी समझते हैं कि समस्त व्यापारी समुदाय ही उसी प्रकार का है।

---

†मूल अंग्रेजी में।

†**श्री फीरोज गांधी** (जिला प्रतापगढ़–पश्चिम व जिला रायबरेली–पूर्व) : यह गलत है ।

†**श्री तुलसी दास** : यदि इस सभा के एक अथवा दो सदस्य ठीक कार्य नहीं करते हैं तो इसका यह तो अर्थ नहीं कि सारी सभा ठीक कार्य नहीं करती है ।

कल माननीय वित्त मंत्री ने बताया कि यदि यह विधेयक अभी पारित नहीं हुआ तो बड़ी गलती हो जायेगी क्योंकि इससे बैंकों को पता चल जायेगा कि वित्त मंत्री क्या करना चाहते हैं उसका देश की अर्थ-व्यवस्था पर बुरा प्रभाव पड़ेगा । मैं उन्हें बता देना चाहता हूं कि रक्षित बैंक तथा सरकार को आज भी इतनी शक्ति है जिससे वह किसी भी बैंक को उनकी गलतियों के लिये सजा दे सकता है या बकों को जिम्मेदार ठहरा सकता है ।

†**वित्त तथा लोहा और इस्पात मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी)** : वह सारी जिम्मेदारी समझते हैं ।

†**श्री तुलसी दास** : बैंकिंग पद्धति के कार्यों के बारे में मैं यह बता देना चाहता हूं कि भारतीय बैंकों में १९३५ में ११४ करोड़ रुपया जमा था तथा १९५५ में यह रकम ६२५ करोड़ रुपये हो गई थी, दिया गया अग्रिम धन ३९ करोड़ रुपये से २८५ करोड़ रुपये हो गया था । इस समय अनुमान है कि ६ लाख अंशधारी हैं तथा निक्षेपकों की संख्या ६० लाख है । इससे पता लगता है कि इनको कितना विश्वास प्राप्त है । बड़े-बड़े बैंक धीरे-धीरे ही छोटे से बड़े बैंक बने हैं । बैंक जनता के विश्वास पर ही बड़े बनते हैं तथा जब तक उनमें विश्वास नहीं होगा कोई भी उसमें धन जमा नहीं करेगा । कुछ लोग कहते हैं कि बड़े बैंक सूद कम देते हैं । परन्तु मैं बता देना चाहता हूं कि इस कम सूद पर भी निक्षेपकों की संख्या केवल विश्वास के आधार पर बढ़ती जाती है । १९४७ तक विदेशी मुद्रा व्यापार विदेशी बैंकों के हाथ में था । आज ३५ प्रतिशत से अधिक व्यापार भारतीय बैंकों के हाथों में है तथा उनकी शाखायें समस्त विश्व में हैं । मैं यह बता सकता हूं कि यदि इस देश में बैंकिंग उद्योग पर कुठाराघात किया गया तो विदेशी मुद्रा आपको घटाना है ।

अनेक कठिनाइयों के होते हुए भी इस देश के बैंकिंग उद्योग ने कई बातें हासिल की हैं । फिर भी माननीय वित्त मंत्री बराबर यही कहते जा रहे हैं कि सम्पूर्ण क्षेत्र ही बिल्कुल निरर्थक है ।

मेरे मित्र श्री भागवत झा आज़ाद ने अभी एक बैंक का उदाहरण दिया है । मैं मानता हूं कि इस तरह के एक दो बैंक हो सकते हैं किन्तु सरकार के पास पर्याप्त शक्तियां हैं । एक ओर तो वह उन शक्तियों को काम में भी नहीं ला सकती और दूसरी ओर वह अधिक शक्तियां लेना चाहती है । प्रश्न यह है कि उन शक्तियों को कौन कार्यान्वित करे । ये शक्तियां स्थायी होने जा रही हैं और माननीय वित्त मंत्री श्री कृष्णमाचारी सदा ही इस देश में नहीं होंगे । अतः ये शक्तियां रक्षित बैंक के किसी पदाधिकारी को दी जायें । विधेयक में यह बताया गया है कि केवल रक्षित बैंक के पदाधिकारी ही बैंकिंग समझते हैं और वे ही बैंकरों को बता सकते हैं कि बैंकिंग व्यापार किस तरह किया जाये । क्या यह उचित है ?

श्री अ० म० थामस ने कल बताया था कि यदि किसी बैंक की जांच करायी जाये तो उस जांच से ही वह बरबाद हो जाता है । मैं कहता हूं कि यदि आपको कोई शिकायत हो तो आप किसी पर्यवेक्षक को भेज सकते हैं । आप प्रत्येक जानकारी मांग सकते हैं और रक्षित बैंक ने तो पहले ही अपने प्रतिवेदन में कहा है कि सभी बैंकों ने इस सम्बन्ध में पूरा सहयोग दिया है । यदि ऐसा हो तो मैं पूछता हूं कि विधेयक में इन शक्तियों की क्या जरूरत है ?

---

†मूल अंग्रेजी में ।

माननीय वित्त मंत्री ने कल बताया था कि विधि मंत्रालय इन शक्तियों को यहां शामिल करना चाहता था और इस कारण ये शक्तियां अवश्य रखी जानी चाहियें और एक दो मामलों में तो ये शक्तियां आवश्यक थीं। सम्भव है कि विधि की दृष्टि से रक्षित बैंक कोई विशिष्ट कार्यवाही न कर सके, किन्तु उसके लिये हमने समवाय विधि पारित की है। नया समवाय अधिनियम सभी बैंकिंग समवायों के लिये लागू होता है। यदि ऐसा हो, तो ये असाधारण शक्तियां अब क्यों ली जा रही हैं मैं नहीं समझ पाता। बैंकिंग समवाय अधिनियम में निरीक्षण और जानकारी देने का प्रश्न कहां आता है? रक्षित बैंक द्वारा प्रकाशित "**ट्रन्ड ऐन्ड प्रोग्रेस आफ बैंकिंग इन इंडिया डयूरिंग दी ईअर १९५५**" नामक पुस्तिका में पृष्ठ २६ पर कहा गया है :

> "यह संतोष की बात है कि बैंकिंग समवाय अधिनियम के अधीन शक्तियों के प्रयोग से और खासकर समय-समय पर बैंकों के निरीक्षण से तथा रक्षित बैंक के समयोचित और निरोधक उपायों से भारत में सामान्यतः बैंकों की ओर बैंकिंग की स्थिति बराबर सुधर रही है। जिन बैंकों को अधिनियम की धारा २२ के अधीन अभी लाइसेंस देना बाकी है, उनपर प्रभावशाली निरीक्षण रखा जाता है और उनकी कार्यवाही के दोष सुधारे जाते हैं।
>
> रक्षित बैंक के विभिन्न विनियमकारी तथा सुधार के उपायों से अनेक बैंकों की जिन्हें लाइसेंस प्राप्त नहीं हुआ है, कार्यवाही और वित्तीय स्थिति में क्रमशः सुधार हो रहा है। यद्यपि कुछ बैंकों की कार्य प्रणाली में अब भी दोष है, फिर भी वे उपाय क्रमशः फलद्रूप हो रहे हैं और इस देश की बैंकिंग पद्धति में बराबर सुधार हो रहा है।"

यदि रक्षित बैंक ने इस प्रकार स्पष्ट कहा है और कई बैंकों के विरुद्ध कार्यवाही भी की है तो मैं इसका कोई कारण नहीं समझ पाता कि सरकार अधिक शक्तियों के लिये इतनी क्यों आतुर है।

इस सभा में तथा बाहर भी, सम्पूर्ण गैर-सरकारी क्षेत्र को बुरा क्षेत्र कहने की प्रवृत्ति दिखायी पड़ती है और माननीय वित्त मंत्री भी उसी में अपनी आवाज मिलाते हैं। मैं मानता हूं कि हममें दोष हैं किन्तु हम वह दोष इस प्रकार दूर करें कि देश की उन्नति में बाधा न पहुंचे। बैंकिंग पद्धति में दोष हो सकते हैं किन्तु रक्षित बैंक को पर्याप्त शक्तियां प्राप्त हैं और उसने कार्यवाही भी की है। अधिकतर बैंकिंग समवायों ने रक्षित बैंक को सहयोग दिया किन्तु हो सकता है कि एक दो बैंक ऐसे हों जिन्होंने सहयोग न दिया हो। किन्तु रक्षित बैंक उनका लाइसेंस रोक सकती है। अतः मैं अतिरिक्त शक्तियों की कोई आवश्यकता नहीं समझता। यदि केवल अधिक शक्तियां प्राप्त करने और यथासम्भव नौकरशाही को मजबूत बनाने का प्रश्न हो तो वह भी समय आयेगा जबकि नौकरशाही न रहेगी। सार्वजनिक सहयोग से आप जनता का नैतिक स्तर ऊंचा कर सकते हैं और कुछ बातें न करने के लिये उन्हें राजी करने का प्रयत्न कर सकते हैं। किन्तु केवल एक बैंक के दुर्व्यवहार के कारण सारे समुदाय को दण्ड नहीं दिया जाना चाहिये।

कुछ बुरी चीजों को रोकने में मैं वित्त मंत्री की सहायता करने के लिये तैयार हूं किन्तु बराबर यह कहते रहने से कि "पहले हमें अधिक शक्तियां दीजिये और तब हम उस बारे में विचार करेंगे" कोई लाभ नहीं है। मैं भी चाहता हूं कि विधेयक प्रवर समिति को भेजा जाये क्योंकि उसमें कोई हानि नहीं है। यदि कोई बैंकिंग समवाय दुर्व्यवहार करे तो रक्षित बैंक के पास पर्याप्त शक्ति है कि वह उस बैंक को बन्द कर दे। अतः इस विधेयक को जल्दीबाजी से पारित करने की कोई आवश्यकता नहीं है।

[श्री तुलसी दास]

यह कहा गया है कि प्रत्येक व्यक्ति न्यायालय में पहुंचता है। यदि हम संविधान के विरुद्ध शक्तियों का उपयोग करें तो प्रत्येक को न्याय के लिये उच्चतम न्यायालय में जाने का अधिकार है। यदि संविधान पर विचार किये बिना ही हम इस सभा में विधान पारित करें तो लोगों को न्यायालय में जाना ही होगा।

प्रबन्धकों के ऊंचे वेतनों के बारे में भी बहुत कुछ कहा गया है। आप जानते होंगे कि कुछ वर्ष भारतीय बैंकों के लिये भारतीय प्रबन्धक नहीं मिलते थे और प्राय: विदेशी प्रबन्धक ही रहते थे। अत: भारतीय प्रबन्धक अभी-अभी ही उपलब्ध होने लगे हैं। फिर भी अभी हमारे बैंकों के प्रबन्ध के लिये प्रशिक्षित भारतीय कर्मचारियों की कमी ह। मैं समझता हूं कि इस देश में राष्ट्रीयकरण से कोई लाभ नहीं हुआ है। राज्य बैंक का राष्ट्रीयकरण इसलिये किया गया था कि भारतीय वाणिज्यिक बैंक ग्रामीण क्षेत्रों तक नहीं पहुंच पाते थे और वे ग्रामीण क्षेत्रों को ऋण नहीं दे पाते थे। किन्तु राष्ट्रीयकरण से वह उद्देश्य पूरा नहीं हुआ है। अत: यह कहने से कोई लाभ नहीं कि प्रत्येक वस्तु का राष्ट्रीयकरण किया जाये। उससे इस देश में किसी को लाभ नहीं हो रहा है। अत: प्रबन्धक वर्ग की निन्दा करने से कोई लाभ न होगा। एक दो मामले बुरे हो सकते हैं किन्तु हम सारे समुदाय को बुरा न कहें। राज्य की संस्था में तो कोई भी व्यक्ति प्रबन्धक बन सकता है किन्तु गैर-सरकारी संस्था में प्रबन्धक बनने के पहले सालों प्रशिक्षण लेना होता है। अत: उन लोगों को दोष देने से कोई लाभ नहीं।

यहां इन विभिन्न खण्डों में मैंने कई संशोधन रखे हैं। मैं प्रत्येक दशा में संशोधन रखूंगा और बताऊंगा कि इससे बैंकिंग के हित को किस प्रकार हानि पहुंचेगी। अत: अधिक शक्तियों की कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि जैसाकि माननीय मंत्री ने बताया है, जनता ने सहयोग किया है। कोई भी बैंक रक्षित बैंक के निदेशों के विरुद्ध नहीं जा सकता। अत: अन्त में मैं फिर यही कहूंगा कि आप अधिक शक्तियां न लें। पहले हम यह देखें कि वह किस प्रकार कार्यान्वित की जाती हैं। बाद में यदि अतिरिक्त शक्तियां आवश्यक मालूम हों तो आप ले सकते हैं। उसमें मुझे कोई आपत्ति न होगी।

मैं अपने संशोधन उचित समय पर स्पष्ट करूंगा।

†**श्री पुन्नूस** (आल्लप्पि) : मेरे विचार से सरकार को बैंकिंग के सम्बन्ध में बहुत ठोस कार्यवाही करनी होगी। आयोजित अर्थ-व्यवस्था में वित्त मंत्री को कुछ कार्यवाही आवश्य करनी होगी। वह बैंकिंग क्षेत्र को गैर-सरकारी अधिकार में नहीं रहने दे सकते। मेरी शिकायत यह है कि वित्त मंत्री उतना करने के लिये तैयार नहीं हैं जितना कि उन्हें करना चहिये। बैंकिंग क्षेत्र एक बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्र है और किसी भी दश की अर्थ-व्यवस्था में उसका बड़ा महत्वपूर्ण स्थान होता है। जब तक कि बैंकों और बैंकिंग पर पूरा-पूरा नियंत्रण न हो तब तक आयोजित अर्थ-व्यवस्था में आप कुछ नहीं कर सकते क्योंकि बैंक गलत या सही कई बातें कर सकते हैं जैसे विनियोजन का नियंत्रण, भावों को उतारना चढ़ाना आदि। अत: ऐसी सरकार को जो आयोजित अर्थ-व्यवस्था का भारसाधक होने का दावा करती है अवश्य ही कोई ठोस कार्यवाही करनी चाहिये। मेरे माननीय मित्र ने कहा कि दुर्व्यवहार के एक दो मामले हो सकते हैं। किन्तु यदि वे यह कहते कि एक दो मामलों में ही ठीक व्यवहार हुआ है तो मैं उनसे सहमत होता। अधिकतर बैंक, अपने हित और मुनाफे के विचारों के कारण, इस प्रकार लेन-देन करते हैं जो आयोजित अर्थ-व्यवस्था के लिये पोषक न हो। अत: सब से उचित कार्यवाही यह है कि बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया जाये। वित्त मंत्री आज यह दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि वह बैंकों के साथ कड़ाई कर रहे हैं किन्तु मुझे सन्देह है कि बैंकर लोग उन निर्बन्धनों के होते हुए भी अपने तरीके से काम करने के रास्ते ढूंढ निकालेंगे।

---

†मूल अंग्रेजी में।

विधेयक को प्रवर समिति को सौंपने के सम्बन्ध में, मैं उससे अधिक भयंकर प्रस्थापना की कल्पना नहीं कर सकता क्योंकि प्रवर समिति का प्रतिवेदन प्राप्त होने के बाद प्रथम वाचन और द्वितीय वाचन तक पहुंचने तक बैंक अपना काम खतम कर चुकेंगे । इसी कारण, जब श्री अ० म० थामस ने प्रस्थापना रखी थी, मैंने कल उसका विरोध किया था । अतः विधेयक प्रवर समिति को भेजना वर्तमान परिस्थितियों में बिलकुल गलत है ।

जो प्रस्थापनायें यहां रखी गयी हैं, उनमें से अधिकतर हमें स्वीकार हैं, किन्तु कुछ बातें स्पष्ट नहीं की गयी हैं । यह अच्छी बात है कि बैंकों पर रक्षित बैंक का अधिक नियंत्रण है किन्तु मैं नहीं जानता कि उससे बैंकिंग की दशा स्वस्थ होने में कितनी सहायता मिलेगी । हमें शिकायतें मिली हैं कि रक्षित बैंक खास कर छोटे बैंकों के मामले में बहुत कठोर रहता है किन्तु बड़े बैंक बहुत आसानी से अपना काम निकाल लेते हैं, क्योंकि रक्षित बैंक के पदाधिकारियों के साथ बड़े बैंकों का लगाव रहता है ।

बैंक पंचाट आयोग ने अपने प्रतिवेदन में कहा था कि त्रावनकोर-कोचीन के बैंकों के लिये पंचाट तुरंत लागू नहीं होगा । उसने सिफारिश की थी कि त्रावनकोर-कोचीन के सभी बैंकों के मामले का परीक्षण करने के लिये एक आयोग नियुक्त किया जाये । मुझे बताया गया है कि उस आयोग ने पिछले अगस्त में सरकार को एक प्रतिवेदन प्रस्तुत किया था । पांच महीने बीत गये हैं और हम अब भी नहीं जानते कि क्या सिफारिशें की गयी हैं और सरकार ने वह सिफारिशें स्वीकार की हैं या नहीं । वास्तव में इस सभा में केरल के सदस्यों और उस क्षेत्र के बैंकिंग हितों और जनता से यह पूछना कि इन प्रस्थापनाओं के सम्बन्ध में उनका क्या कहना है, बहुत ही अनुचित है जबकि उन्हें यह भी नहीं मालूम है कि आयोग ने क्या सिफारिशें की हैं । मैं नहीं जानता कि इतनी देर क्यों हो रही है । बैंक कर्मचारी इस विषय में बहुत उत्तेजित हैं । कुछ समय पहले, पिछले सत्र के आखिर में श्रम मंत्री ने मुझे बताया था कि कुछ ही दिनों में प्रतिवेदन प्रकाशित हो जायगा किन्तु अभी तक वह प्रकाशित नहीं हुआ है । मुझे ज्ञात हुआ है कि उस क्षेत्र में बैंकरों के दो शक्तिशाली संगठन, अर्थात् त्रावनकोर-कोचीन बैंकर्स असोसियेशन जिसका मुख्य कार्यालय कोट्टायम में है तथा केरल बैंकर्स असोसियेशन जिसका मुख्य कार्यालय त्रिचूर में है, प्रत्येक सम्भव प्रयत्न कर रहे हैं कि कर्मचारियों के लिये लाभदायक सिफारिशें कार्यान्वित न की जायें । वे व्यक्ति वित्त मंत्री से भी प्रार्थना कर रहे हैं कि सिफारिशें कार्यान्वित न की जायें । मैं आशा करता हूं कि वित्त मंत्री ऐसे गलत परामर्श की ओर ध्यान नहीं देंगे । यदि उस क्षेत्र के बैंकों के लिये लागू की जाने वाली प्रस्थापनाओं के सम्बन्ध में हम किसी प्रकार की जानकारी चाहते हैं तो सर्वप्रथम यह प्रतिवेदन प्रकाशित किया जाना चाहिये ।

फिर हमारे क्षेत्र में कुछ बड़ी समस्यायें हैं । श्री अ० म० थामस ने बताया है कि त्रावनकोर-कोचीन में ही लगभग १६० बैंक हैं किन्तु कुल निक्षेप केवल २६ करोड़ रुपये हैं । अतः इन छोटे-छोटे बैंकों का क्या किया जाये । श्री अ० म० थामस ने कल बताया था कि ग्रामीण जनता के लिये ये बैंक बहुत उपयोगी सिद्ध हुए हैं । एक अर्थ में यह बात ठीक है किन्तु हमारे सामने ऐसे हजारों उदाहरण हैं जहां इन बैंकों द्वारा शोषण के कारण पूरे परिवार नष्ट हो गये हैं क्योंकि हमारे कुछ बैंक तो सब से निकृष्ट महाजन सिद्ध हुए हैं । अतः यह प्रस्थापनायें पूर्णतः या आंशिक रूप से उन बैंकों पर लागू करने के पहले आयोग की उन प्रस्थापनाओं का बड़ी सावधानी से परीक्षण करना होगा ।

उद्देश्यों तथा कारणों के विवरण में एक उद्देश्य यह दिया गया है : "सभी संगत बातों का विचार करके बैंक कर्मचारियों को अत्यधिक पारिश्रमिक का भुगतान रोकना" । मैं नहीं जानता कि माननीय मंत्री का निर्देश किन कर्मचारियों से है । यदि उनका संकेत बड़ी-बड़ी जगहों और अपने प्रिय व्यक्तियों और उनके सगे-सम्बन्धियों को दिये जाने वाले बड़े-बड़े वेतनों से है तब तो बात समझ में आती है क्योंकि

[श्री पुन्नूस]

हम उस तरह की बातों से भलीभांति परिचित हैं। मैं जानता हूं कि कई सम्पुर्ण परिवार इन छोटे-छोटे बैंकों में लगे हुए हैं। यदि उनका यह आशय हो तो हम उनसे सहमत हैं। आशा है कि वह कर्मचारियों को उचित मजूरी या निर्वाह मजूरी देने में बाधक नहीं होगा। इसलिये यह प्रस्थापनायें अच्छी हैं और आशा है कि इन्हें स्वीकार कर लिया जायेगा।

अन्य बात जो कि कल माननीय मंत्री ने कही थी यह है कि बैंकों की ओर उनको व्यक्तिगत रूप में ध्यान देना होगा। क्या सरकार ऐसा नहीं कर सकती ? और यदि सचमुच ऐसा है तो हमारा भविष्य अन्धकारमय है। यह ठीक है कि बैंकों की ओर ध्यान देना चाहिये, परन्तु व्यापारिक और औद्योगिक उपक्रमों की ओर भी व्यक्तिगत रूप में ध्यान दिया जाना चाहिये। विचार है कि बैंकों का राष्ट्रीयकरण अभी शीघ्र नहीं होगा। हालांकि बैंक इतने महत्वपूर्ण हैं कि उनमें निजि हित नहीं होने चाहियें। इससे राष्ट्रीय अर्थ-व्यवस्था को हानि ही पहुंचती है। वित्त मंत्री जब चाहें शक्ति और शीघ्रता से सब कुछ कर सकते हैं। उन्हें चाहिये कि साहस से काम करें। हम उन्हें पूरा समर्थन देंगे। आम जनता तो आगे ही चाहती है कि बैंक सरकार के नियन्त्रण में हों। इसलिये माननीय मंत्री को शीघ्र ही इस ओर कोई पग उठाना चाहिये।

†**श्री झुनझुनवाला** (भागलपुर मध्य): यह ठीक है कि इन बुरी बातों को समाप्त करने के लिये सरकार के पास पूरे अधिकार होने चाहियें। परन्तु जल्दबाजी से काम नहीं लिया जाना चाहिये। हमें प्रत्येक बात का उचित परीक्षण करने का समय मिलना चाहिये।

वित्त मंत्री ने उत्पादन शुल्क और अन्य शुल्कों को लगाने के अधिकार प्राप्त किये और हमने उसका समर्थन किया। क्योंकि यह सब हमारे देश की अर्थ-व्यवस्था को ठीक करने के लिये किया जा रहा है। परन्तु सदस्यों को सभी खण्डों पर विचार करने का अवसर मिलना चाहिये था। मेरे मित्र श्री अ० म० थामस ने जब मामला प्रवर समिति के सुपुर्द करने को कहा, तो उनका यह अर्थ नहीं था कि विधेयक पारित न किया जाये। हमारा कहना यही है कि विधेयक कुछ पहले आना चाहिये था। इससे विधेयक में कुछ सुधार हो जाते, और अधिकारों का उचित ढंग से उपयोग होता। उत्पादन शुल्क और अन्य शुल्क लगाने का जहां तक सम्बन्ध है, उसमें तो यह भी व्यवस्था है कि संसद् की बैठक के बावजूद भी सरकार अधिसूचना जारी कर सकती है। हमने अनुभव किया कि यह गलत है और पंडित ठाकुर दास भार्गव ने कहा, और वित्त मंत्री ने संशोधन भी स्वीकार किया इसी प्रकार बहुत से ऐसे अधिकार रक्षित बैंक को दिये गये हैं। समवाय अधिनियम के अनुसार अधिकार काफी हैं और यदि सरकार समोचित ढंग से अधिनियम को लागू करे तो इतने अधिक अधिकारों की आवश्यकता ही नहीं। यदि आवश्यक भी होते तो कुछ संशोधन और सुधार तो कर ही लिये जाते। अब हम वित्त मंत्री से निवेदन करेंगे कि जो अधिकार उन्हें दिये गये हैं उनका वह उचित ढंग से प्रयोग करें। रोज-रोज अधिकार लेने से अच्छा प्रभाव नहीं पड़ता और अनावश्यक कठिनाइयां उत्पन्न हो जाती हैं।

कल ही मेरे माननीय मित्र श्री अ० म० थामस ने मूल विधेयक पर चर्चा के समय कहा था कि माननीय वित्त मंत्री और श्री अ० चं० गुह भी इस ओर बैठे थे इसकी आलोचना कर रहे थे। आशा है कि वित्त मंत्री महोदय ने उन तमाम बातों पर विचार किया ही होगा। और पूर्व चर्चा में जो बातें विधेयक क विरुद्ध कही गयी थीं उनके बारे में वह सभा के समक्ष अपने उत्तर में कुछ प्रकाश डालेंगे।

अब दो विचार हैं, एक यह कि इतने अधिक अधिकार प्राप्त करने का अर्थ राष्ट्रीयकरण के अतिरिक्त और क्या हो सकता है। यह मत श्री तुलसीदास जी का है। परन्तु यह ठीक नहीं। यदि

†मूल अंग्रेजी में।

सरकार चाहे तो उसे राष्ट्रीयकरण से कोई नहीं रोक सकता। और मैं कहूंगा कि देश हित में सरकार यदि इसे ठीक समझे, तो इसे ऐसा कर देना चहिये। परन्तु सरकार लोकतंत्रीय ढंग अपनाना चाहती है। कोई रुकावट की बात नहीं है। केवल रक्षित बैंक और सम्बद्ध विभाग को अधिक अधिकारों से अलंकृत करने का यह सिरतोड़ प्रयास है।

वास्तव में सरकार भ्रष्टाचार बन्द करना चाहती है। बैंकों में भ्रष्टाचार है। इसलिये निवेदन है कि रक्षित बैंक में भी तो इन्सान ही हैं। इसलिये इतने अधिकार देने पर भी भ्रष्टाचार कायम रह सकता है। और जिन लोगों का रक्षित बैंक के लोगों से सम्बन्ध होगा, लाभ में रहेंगे। और छोटे-छोटे बैंक नुकसान में रहेंगे।

वित्त मंत्री के पास इतना काम है कि वह सारी बातों की ओर ध्यान नहीं दे सकते, परन्तु यह सत्य है कि समवाय अधिनियम के बावजूद कई लोग मजा कर रहे हैं। इसलिये अधिकार प्राप्त करने से पूर्व उन्हें यह सोचना चाहिये कि इससे लाभ होगा। यदि उनका यह विचार हो कि निजी उपक्रम ठीक नहीं और उनका सुधार नहीं हो सकता तो उनका राष्ट्रीयकरण कर दिया जाये। यदि ऐसा नहीं तो प्राप्त अधिकारों का उचित उपयोग किया जाय। वित्त मंत्री ने बार-बार यह बात कही है कि केवल सहयोग से ही हम अपनी अर्थ-व्यवस्था और उद्योगों का विकास कर सकते हैं।

जिनके प्रशासन के लिये अधिक से अधिक अधिकार प्राप्त किये जा रहे हैं, आखिर वे क्यों नहीं सुधर सके ? पंडित ठाकुर दास भार्गव ठीक कहते हैं कि सरकार के पास जितने अधिकार हैं, यदि उनको ठीक ढंग से कार्यान्वित किया जाय तो इस विधेयक की आवश्यकता ही नहीं थी। अधिकार प्राप्त करने से तो उन लोगों को भी हानि होगी जो कि पूरी ईमानदारी से काम कर रहे हैं।

परन्तु हो इसके विपरीत रहा है। श्री तुलसी दास जी ने कहा कि वित्त मंत्री कहते हैं कि वह इसलिये ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि हर छोटी-छोटी बात के लिये लोग अदालत का दरवाजा खटखटाने लगते हैं। यह बात ठीक है कि जब उनसे अन्याय होता है, तो वे अदालत में जाते हैं। तो क्या उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिये ? ताकि सरकार को अनावश्यक तौर पर सभा के समक्ष आकर अधिकार प्राप्त करने का कष्ट न करना पड़े।

दो उद्देश्यों के लिये अधिकार प्राप्त किये जा रहे हैं, एक यह कि बैंक कर्मचारियों को अत्यधिक वेतन की अदायगी रोकी जाय। दूसरा यह कि हिस्सेदारों के वोट देने के अधिकार पर जो वर्तमान रोक नहीं है उसे लागू किया जाये।

मैं रक्षित बैंक को अधिकार देने के पक्ष में हूं, परन्तु कह नहीं सकता कि इसका उचित प्रयोग होगा कि नहीं। और यदि रक्षित बैंक भूल करे तो उसके लिये विधेयक में व्यवस्था भी नहीं है। कोई व्यवस्था होनी चाहिये थी। यदि किसी के साथ दुर्व्यवहार हो तो उसे यह अधिकार होना चाहिये कि वह सरकार के समक्ष अपनी-अपनी शिकायत प्रस्तुत कर सके।

इसी प्रकार अन्य उपबन्धों पर भी बहुत कुछ कहा जा सकता है। वह खण्डवार चर्चा के समय हम कहेंगे।

मैं विधयक का समर्थन करता हूं, परन्तु यह फिर कहूंगा कि यह चीजें शीघ्रता से करने वाली नहीं।

†**श्री मात्तन** (तिरुवल्ला) : मुझे प्रसन्नता है कि मेरे मित्र ने वित्त मंत्री का समर्थन किया है। बैंकिंग को सुधारने के प्रयत्नों में मैं वित्त मंत्री का पूरा समर्थक हूं। और यदि अवस्था सचमुच ऐसी है

†मूल अंग्रेजी में।

[श्री मात्तत]

जैसी श्री भागवत झा आज़ाद ने बताई है तो मैं राष्ट्रीयकरण में भी वित्त मंत्री का समर्थन करूंगा। परन्तु इस विधेयक से मैं बहुत प्रसन्न नहीं हूं। क्या अधिवेशन के अन्तिम दिनों में, इतनी कम उपस्थिति में, वित्त मंत्री को यह शोभा देता है कि वह इस प्रकार अधिकार प्राप्त करें। कितनी बार तो कोरम के लिये घंटी बजानी पड़ती है। प्रश्न पूछने वाले कई प्रमुख सदस्य भी सभा से अनुपस्थित हैं। और मुझे भी इस अवसर पर अपने राज्य में जाने का परामर्श दिया गया। इधर-उधर की परेशानियां और सामाजिक व्यस्तताओं के कारण मैं गया नहीं, परन्तु इस विधेयक पर मैं कुछ विचार नहीं कर सका। इसलिये मैं अपने मित्र श्री अ० म० थामस के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं कि विधेयक को प्रवर समिति के सपुर्द कर दिया जाय।

जैसाकि मैंने कहा कई कारणों से इस पर सभा में बहुत स्पष्ट चर्चा नहीं हो पाई। धारा २,३,४,७, और ८ से प्रमुख कार्यपालक के व्यक्तित्व का विकास नहीं हो सकेगा। विदेशी एक्सचेंज बैंकों के मुकाबले में हमारे बैंकों के प्रमुख प्रबन्धकों का स्तर काफी बढ़ गया है। यह प्रगति गत दस वर्षों के छोटे से काल में हुई है। और इससे वे पूर्णतः रक्षित बैंक के नियन्त्रण में नहीं आ सकते। लाभ-हानि के रूप में अदायगी ले लीजिये। यह बड़ा आवश्यक है। क्या रक्षित बैंक के पास इतने अधिकार नहीं कि वह ऐसा न करने वालों को सजा दे सकेंगे।

फिर भी यदि वित्त मंत्री इसे बहुत ही आवश्यक समझते हैं तो भी प्रवर समिति में उन्हें सब कुछ स्पष्ट करने का अवसर प्राप्त हो जायेगा। परन्तु सभा के समक्ष वह ऐसा नहीं कर सकते। मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि मैं विधेयक का विरोधी नहीं हूं, मेरी उससे पूर्ण सहानुभूति है। और तीन महीने की ही बात है, इसलिये मैं वित्त मंत्री से निवेदन करता हूं कि वह विधेयक को प्रवर समिति के सपुर्द करना मान लें।

श्री भागवत झा आज़ाद ने ठीक कहा कि समाजवादी समाज की रचना का सिद्धान्त छोटे बैंकों पर लागू नहीं किया गया। और इस मामले में रक्षित बैंक का रुख भी सहानुभूतिपूर्ण नहीं रहा है। इन्हें जटिल समस्या समझ कर उपेक्षित कर दिया जाता है। क्या यह ग्रामीण बैंकिंग जांच समिति की रिपोर्ट के अनुकूल है ? छोटे बैंकों के प्रति ठीक रुख अपनाया जाना बड़ा जरूरी है, क्योंकि ग्रामीण लोगों के वही काम आते हैं। दक्षिण भारत में सामान्यतः और मेरे राज्य में विशेषतः उनका बड़ा विशेष महत्व रहा है जिसको कि अनुभव किया जाना चाहिये।

हमारे राज्य में, ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग व्यवस्था उसके पहले से ही चालू थी जबकि रक्षित बैंक ने इस मामले की छानबीन करने के लिये एक समिति नियुक्त की। वहां पर आपको जो सम्पन्न मध्यम वर्ग मिलेगा उसका कारण काफी हद तक छोटे-छोटे बैंकों द्वारा दी गयी वित्तीय सहायता ही है।

मुझे स्मरण है कि मेरे बचपन के दिनों में महाजन लोग ऋण देते थे। लोगों को बहुत ऊंची दर पर ब्याज और कुछ कमीशन भी देना पड़ता था। प्रत्येक बड़े गांव में एक महाजन होता था जिसे हुंडी का व्यापारी कहा जाता था।

इसके बाद बैंकों ने इस कार्य को अपने हाथ में लिया और १० वर्ष में ही मेरे राज्य में महाजनों का सफाया हो गया। इन बैंकों ने ब्याज की मामूली और सस्ती दर पर ऋण देना आरम्भ किया और आज अधिकांश बैंक ६ या ७ प्रतिशत ब्याज की दर पर ऋण देते हैं। इन छोटे-छोटे बैंकों द्वारा दी गयी सहायता के आधार पर ही आज चाय तथा रबर के अनेक बागान हैं।

आज रक्षित बैंक जिस नीति का अनुसरण कर रहा है वह इस क्षेत्र के लिये अधिक उपयोगी नहीं है। मुझे विश्वास है कि माननीय मंत्री अच्छी तरह समझते हैं जो कुछ मैंने कहा है पर रक्षित बैंक ने उसे पसन्द नहीं किया है।

जब जर्मनी में विकास नहीं हुआ था उस समय जहां भी भूमि और व्यक्तिगत प्रतिभूति पर अग्रिम धन दिया जाता था। हमारे देश की हालत भी अभी वैसी ही है। बड़े-बड़े बैंक धनी व्यक्तियों तथा धनी वर्गों की ही सेवा करते हैं, गरीबों या मध्यम वर्ग के व्यक्तियों की नहीं। छोटे-छोटे बैंक ही इन क्षेत्रों में गरीब तथा मध्यम वर्ग की सेवा कर सकते हैं, क्योंकि उनको इस क्षेत्र का अनुभव है। अतः माननीय मंत्री से मेरा निवेदन है कि इन लोगों की मदद की जानी चाहिये ताकि हमारे ग्रामीण क्षेत्रों की आर्थिक व्यवस्था में सुधार हो सके।

मेरे माननीय मित्र श्री पुन्नूस त्रावनकोर-कोचीन बैंकिंग समिति के प्रतिवेदन के बारे में जिक्र कर रहे थे। वह प्रतिवेदन अभी प्रकाशित नहीं हुआ है, पर मैंने सुना है कि प्रतिवेदन में रक्षित बैंक के दृष्टि-कोण को ही अपनाया गया है। मेरा निवेदन है कि जब यह प्रतिवेदन प्रकाशित हो तो हमारे राज्य के बैंकरों की दो सन्थाओं को—त्रावनकोर-कोचीन बैंकर सन्था और मालाबार बैंकर सन्था—माननीय मंत्री से इस विषय में चर्चा करने का अवसर दिया जाय।

मुझे माननीय मंत्री की उदारता तथा न्यायप्रियता पर पूरा भरोसा है, अतः मुझे आशा है कि वह विधेयक को एक प्रवर समिति को सौंपने का संशोधन स्वीकार करेंगे।

†**श्री मुहीउद्दीन** (हैदराबाद नगर) : बैंकिंग समवाय (संशोधन) विधेयक बहुत महत्वपूर्ण है और मुझे विश्वास है कि उसे सम्पूर्ण भारत की बैंकिंग समस्या का हल निकालने के लिये प्रस्तुत किया गया है।

श्री तुलसी दास ने विधेयक के सिद्धान्तों के विरुद्ध काफी तर्क पेश किये। उनका कहना है कि संयुक्त स्कन्ध बैंकों[1] के कार्य संचालन में रक्षित बैंक या सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होना चाहिये क्योंकि बैंकों की व्यवस्था एक नाजुक शीशे के समान है। मैं उनसे सहमत हूं पर मुझे स्मरण है कि जब रक्षित बैंक को रक्षित बैंक के अधीन बैंकों का निरीक्षण करने का अधिकार दिया गया था, उस समय भी इसी प्रकार विरोध प्रकट किया गया था। रक्षित बैंक द्वारा बैंकों के निरीक्षण की प्रणाली से बैंकों की कार्य-प्रणाली में बहुत काफी सुधार हुआ है।

निरीक्षण के अधिकार के प्रयोग के अनुभव से मैं समझता हूं कि सरकार या रक्षित बैंक को जो अधिकार दिये जा रहे हैं उनसे भारत के बैंकों को बहुत ही लाभ होगा। बैंकों को जनता द्वारा प्राप्त निक्षेपों पर निर्भर रहना पड़ता है और सरकार तथा रक्षित बैंक का यह कर्त्तव्य है कि बैंकों में निक्षिप्त धन का दुरुपयोग नहीं किया जाता; बैंक अपने अधिकारों का दुरुपयोग नहीं करते। इसी उद्देश्य से रक्षित बैंक को अधिकार देने के लिये संशोधन करने वाले विधेयक के खण्डों को लागू किया जा रहा है।

मैं इस बात का स्वागत करता हूं कि रक्षित बैंक को इतने अधिकार दिये जा रहे हैं पर मैं आशा करता हूं कि माननीय मंत्री इस बात पर भी विचार करेंगे कि क्या रक्षित बैंक इस स्थिति में है कि वह इन अधिकारों का प्रयोग राष्ट्र के सामान्य हित में निष्पक्ष रूप में कर सके।

यह एक सामान्य मांग है कि निरीक्षण करने वाले का भी निरीक्षण किया जाना चाहिये। पर क्या वित्त मंत्री के पास निरीक्षण करने के लिये समय है ?

---

†मूल अंग्रेजी में।

1. Joint Stock Banks.

†**श्री ति० त० कृष्णमाचारी** : उनके पास समय है ।

†**श्री मुहीउद्दीन** : यह आलोचना मैं रचनात्मक सुझाव देने की दृष्टि से कर रहा हूं । मुझे प्रसन्नता है कि माननीय मंत्री के पास समय है और वह निरीक्षण के लिये तैयार हैं ।

†**श्री ति० त० कृष्णमाचारी** : जबसे मैंने इस पद का कार्य सम्भाला है, दो बार मैं रक्षित बैंक का निरीक्षण कर चुका हूं ।

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्य अपना सुझाव प्रस्तुत करें ।

†**श्री मुहीउद्दीन** : मैं यह सुझाव देने जा रहा था कि रक्षित बैंक को इतना अधिकार देकर हमें रक्षित बैंक या रक्षित बैंक के बोर्ड के संगठन का भी परीक्षण करना चाहिये । रक्षित बैंक को ग्रामीण ऋण और वाणिज्यिक बैंकों की व्यवस्था करनी पड़ती है तथा अन्य महत्वपूर्ण कार्य करने पड़ते हैं । अतः बोर्ड को एक काम करने वाला बोर्ड बना दिया जाय ताकि बोर्ड सम्मिलित रूप से सरकार और इस सभा के प्रति उत्तरदायी होते हुए भी, बैंकों के विशेष पहलुओं की देखभाल करने के लिये विशेष योग्यता वाले निदेशक नियुक्त कर सके ।

इस सम्बन्ध में मैं यह भी कहना चाहता हूं कि वाणिज्यिक बैंकों के निक्षेप धीरे-धीरे बढ़ रहे हैं । १९५५ में, निक्षेप ९१ करोड़ रुपये बढ़ गया था और ऋण का विस्तार निक्षेपों की वृद्धि से कहीं अधिक था । १९५६ में, निक्षेपों में आशानुकूल वृद्धि नहीं हो सकी । परिणाम यह हुआ कि बैंक अग्रिम राशियों की अतिरिक्त मांगों को पूरा करने के लिये नकद धन या प्रतिभूतियों में विनियोजित राशि को निकाल रहे हैं । १९५६ में अग्रिम राशियों की अतिरिक्त मांग के कारण स्थिति बड़ी विषम हो गई है और १९५६-५७ में, पंचवर्षीय योजना में बहुत बड़े-बड़े विनियोजनों के कारण स्थिति और भी विषम हो जायेगी और ब्याज की दरें बढ़ जायेंगी ।

मैं इन बातों की ओर साधारणरूप में ध्यान आकर्षित कर रहा हूं और मैं सुझाव देना चाहता हूं कि यद्यपि बैंकों की कार्यपद्धति पर नियंत्रण रखने के लिये ये खण्ड आवश्यक हैं पर मैं चाहता हूं कि बैंकों की कार्यप्रणाली के सम्पूर्ण प्रश्न पर इस दृष्टि से विचार किया जाना चाहिये कि देश के विकास के लिये जिस गति से बैंकों के विकास की आवश्यकता है उसी गति से उनका विकास हो ।

इन शब्दों के साथ मैं इस अधिनियम के संशोधन का पूर्ण समर्थन करता हूं और मैं इस प्रस्ताव से सहमत नहीं हूं कि इसे एक प्रवर समिति को सौंपा जाये ।

†**अध्यक्ष महोदय** : जहां तक माननीय सदस्यों का सम्बन्ध है, केवल तृतीय वाचन के प्रक्रम में ही नहीं बल्कि खण्डवार चर्चा के समय पर भी मैं उन्हें बोलने का अवसर दूंगा । अब मैं माननीय मंत्री को बुलाता हूं ।

†**श्री ति० त० कृष्णमाचारी** : सभा के समक्ष मुख्य प्रस्ताव यह है कि विधेयक को एक प्रवर समिति को, इस हिदायत के साथ कि वह अगले सत्र के प्रारम्भ में प्रतिवेदन प्रस्तुत करे, सौंपा जाये । यदि माननीय सदस्यों ने, वास्तव में, इस विधान पर मतदान किया होता तो उसका प्रभाव भी वही होता । मैं उसे छः महीने बाद पुनः प्रस्तुत कर सकता था । इसके बजाय कुछ माननीय सदस्य यह चाहते हैं कि मैं उसे एक प्रवर समिति को सौंप दूं और अगले सत्र के प्रारम्भ में पुनः प्रस्तुत करूं जबकि यह स्पष्ट है कि अगले सत्र में इस विधान पर विचार करना सम्भव न होगा और इसलिये यह विधेयक अवश्य व्ययगत होगा । मेरी समझ में नहीं आता कि जिन सदस्यों ने इसे प्रवर समिति को सौंपने के लिये प्रस्ताव किया है उन्हें मैं क्या तर्कसंगत उत्तर दूं ।

---

†मूल अंग्रेजी में ।

†**श्री मात्तन** : इस विधेयक पर अगले सत्र में विचार क्यों नहीं किया जा सकता ?

†**श्री ति० त० कृष्णमाचारी** : यह सच है कि इस प्रस्ताव का उद्देश्य इस विशिष्ट विधेयक को इस सभा में अस्वीकृत करने का था। मेरा ख्याल है कि माननीय सदस्य श्री तुलसी दास निश्चय ही प्रशंसा के पात्र हैं क्योंकि उन्होंने खुल दिल से विरोध किया और उन्होंने कहा था कि मैं यह विधान नहीं चाहता; क्या इसके न होने से प्रलय हो जायेगी ? बैंकिंग जगत् में जो कुछ हो रहा है वह प्रलय से कम नहीं है। प्रलय के बारे में यह बात तो है कि वह कभी होता ही नहीं। मैं उनकी बात तो समझता हूं किन्तु उन माननीय सदस्यों का आशय मेरी समझ में नहीं आता जो यह चाहते हैं कि इस प्रस्ताव को स्वीकार किया जाये और बाद में प्रवर समिति का नाटक पूरा हो जाये जबकि उन्हें यह भलीभांति विदित है कि समिति के प्रतिवेदन से हमें कोई लाभ नहीं है। इस प्रकार विधेयक और प्रवर समिति का क्रम जारी रहेगा। इस सब के पीछे क्या है, यह पता लगाने के लिये मैंने कुछ कष्ट किया है। यदि आप यह कहें कि हम यह विधेयक नहीं चाहते तो मैं समझ सकता हूं·····

†**श्री कामत** (होशंगाबाद) : औचित्य के प्रश्न पर मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि माननीय मंत्री ने संभवत: "प्रवर समिति का नाटक" कहा था·····

†**श्री ति० त० कृष्णमाचारी** : मैंने कहा था कि वह नाटकीय होगा।

†**श्री कामत** : मेरा आपसे इतना ही अनुरोध है कि आप इस बात पर विचार करें कि सभा की किसी समिति के सम्बन्ध में "नाटक" शब्द का प्रयोग उचित है अथवा नहीं।

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रवर समिति के बारे में उल्लेख नहीं किया गया है और माननीय मंत्री ने प्रवर समिति पर कोई आरोप नहीं लगाये हैं। बल्कि वह यही चाहते हैं कि प्रवर समिति अपना काम ठीक ढंग से करे और उसका कार्य बाद में एक नाटक न बने। मुझे विश्वास है कि माननीय मंत्री यह चाहते हैं कि प्रवर समिति इस बात की पूरी-पूरी जांच करे। उनका ख्याल था कि ५०—६० खण्ड वाले विधेयक को प्रवर समिति को सौंपा जाये और उससे एक दिन में प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिये कहा जाये तो वह एक नाटक ही होगा। यह न तो प्रवर समिति के प्रति और न इस सभा के प्रति न्याय होगा। उन्होंने कहा कि इस प्रकार के दुरुपयोग को रोकना अधिक अच्छा होगा बजाय इसके कि प्रतिवेदन प्रस्तुत हो जाने के बाद उससे इस सम्बन्ध में चर्चा की जाये।

†**श्री ति० त० कृष्णमाचारी** : अंग्रेजी एक विदेशी भाषा है और फलस्वरूप उसका प्रयोग करने में हमें काफी कठिनाई होती है। इसलिये मैं माननीय सदस्य की चिंता को समझ सकता हूं और यदि वे कहें कि माननीय सदस्यों की राय के महत्व को देखते हुए उसे वापस ले लिया जाये तो यह एक अलग बात है।

यदि वह यह कहें कि जहां तक इस प्रश्न का सम्बन्ध है, मैं विधयक से सहमत हूं किन्तु मैं अभी उसका समर्थन नहीं करना चाहता, तो अधिक अच्छा होता; मेरा ख्याल है कि वह प्रवर समिति सम्बन्धी प्रस्ताव से अधिक अच्छा होता। यदि उन्होंने इस प्रकार कहा होता : "इस सत्र से पहले विधेयक को पारित न कीजिये; जिन विभिन्न संस्थाओं पर प्रभाव पड़ना सम्भव है उन्हें मौका दिया जाये ताकि वे अपनी स्थति में आवश्यक परिवर्तन कर सकें और हम एक नया विधेयक तैयार कर सकें; या तो उन्होंने जो कुछ किया है उसे हमें पूरा ही बदलना चाहिये या यथापूर्व स्थिति[1] को रहने दिया जाये" तो मैं उनकी बात को पसन्द करता। मैं यह नहीं कहता कि प्रवर समिति का सुझाव जिस किसी माननीय सदस्य ने दिया है उनका उद्देश्य सदाशय से प्रेरित नहीं था। मैं उनके सदाशय को जानता हूं किन्तु

†मूल अंग्रेजी में।

1 Status quo,

[श्री ति० त० कृष्णमाचारी]

फिर भी उनका ख्याल था कि यह उचित समय नहीं है। मूल विधेयक के—जो अन्ततोगत्वा अधिनियम बन गया—प्रभाव के बारे में माननीय सदस्य श्री थामस ने काफी कुछ कहा है। उक्त विधेयक के बारे में तीन प्रवर समितियां थीं और उनमें से केवल दो समितियों की कार्यवाही में भाग ले सका था। इसलिये मैंने प्रवर समिति के प्रतिवेदन की मांग की थी। विधान-कार्य के बारे में मेरा अनुभव अधिक नहीं है; विधि निर्माण १९३७ में प्रारम्भ हुआ और उसके बाद केवल बीस वर्ष बीते हैं। इन बीस वर्षों में, सम्भव है कि मैंने ऐसी कई बातें कही हों जो मेरे आज के विचारों के बिलकुल विपरीत हों; मैंने कई बातों को अभिव्यक्त किया होगा और मैंने तब क्या कहा था, यह मैं भूल गया हूं। यही कारण है कि जब मैंने इस विशिष्ट निर्देश को—मूल निर्देश और प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदन प्रस्तुत किये जाने के बाद के निर्देश—देखा तो मुझे अनुभव हुआ कि उस समय मुझ में जो लगन थी वह १९४९ और संभवतः १९५६ के बीच की कालावधि में लुप्त हो गई। उस समय देश के आर्थिक ढांचे को बदल देने के बारे में मुझ में जो उत्साह था वह समाप्त हो गया। मैं अपना भाषण इस सभा में पढ़ूंगा। मैं समवायों के बारे में एक लाभांश मर्यादा[1] चाहता था और मैंने यह कहा था कि समवायों का लाभांश ९ प्रतिशत से अधिक कदापि नहीं होना चाहिये और मैंने भूतपूर्व प्रख्यात वित्त मंत्री के खिलाफ बड़े जोर से शिकायत की थी, जिनके विचार और निष्ठा के प्रति मुझे अत्यन्त श्रद्धा है। मैंने कहा था कि वह उचित बात नहीं कर रहे हैं। मैं उसका पुनः उल्लेख करता हूं। जो कुछ कार्य मैं करता रहा हूं उसके लिये मैं क्षमाप्रार्थी हूं

> "मैं यह चाहता हूं कि यह सरकार सामाजिक विचारों के बारे में प्रयोग न करे अपितु उन्हें मूर्त रूप दे।"

मेरा ख्याल है कि प्रस्तुत संशोधन में मैं यह सब भूल गया हूं। यदि इस विचार को मैं मूर्त रूप न देना चाहूं, तो १९४९ में मैंने जो भाषण दिया था, अर्थात्—मैं इस सभा में प्रस्तुत प्रस्ताव का समर्थन करन और यह कहने की स्थिति में नहीं हूं कि यह प्रस्ताव अवश्य पारित किया जाये, बशर्तेकि सभा हमें उसे पारित करने दे—उसके प्रति मैं अपना कर्तव्य पूरा न कर सकूंगा।

प्रवर समिति में मेरे भाग लने और जो संशोधन मैं प्रस्तुत करना चाहता था, उनके बारे में माननीय सदस्य श्री थामस ने यही कहा है। मझे इस बात का स्मरण नहीं कि मैंने प्रस्ताव में एक विमत टिप्पण[2] जोड़ दिया था।

†**अध्यक्ष महोदय** : यदि माननीय मंत्री उसे बदल दें तो क्या हानि है ?

†**श्री ति० त० कृष्णमाचारी** : जी, नहीं, श्रीमान्। मैं इस बात से सहमत हूं कि परिवर्तन करने में कोई हानि नहीं है किन्तु ऐसा प्रतीत होता है कि बीच की अवधि में मैंने जो परिवर्तन किया वह सबसे खराब था और यदि मैंने सु ार करन के उद्देश्य से कोई परिवर्तन किया है तो मेरा ख्याल है कि माननीय सदस्य मुझे दोष नहीं दे सकते।

सामाजिक भावनाओं के प्रयोग क बारे में मैं फिर स यही कहता हूं कि प्रयोग करने की मेरी कतई इच्छा नहीं है। इस सरकार ने कार्य आरम्भ कर दिया है और मेरा ख्याल है कि हमें उसे जारी रखना चाहिये।

इसलिये श्री थामस ने जो कुछ कहा वह पूणतः संगत नहीं था क्योंकि मैंने वहां ऐसी कोई बात नहीं कही थी जिसका उल्लेख यह मान लने पर भी कि मुझे परिवर्तन करने का अधिकार है, मेरे विरुद्ध किया जा सकता है और मेरा ख्याल है कि प्रत्येक व्यक्ति को परिवर्तन करने का अधिकार है। मैं पुनः

---

†मूल अंग्रेजी में।

1 Dividend Limitation.

2 Minute of Dissedt.

कहता हूं कि १९४९ में एक गैर-सरकारी सदस्य के नाते मैंने जिस बात का विरोध किया था उसका मैंने पालन नहीं किया है। मैं यह तो नहीं जानता कि उस समय मेरे जो विचार थे, उनके प्रति आज मैं वित्त मंत्री के नाते अपना कर्तव्य-पालन कर रहा हूं या नहीं।

मैं पहले ही कल बता चुका हूं कि ये संशोधन क्यों आवश्यक हैं। निश्चय ही मैं उदाहरण नहीं दे सकता। मैं ऐसे उदाहरण जानता तो हूं परन्तु उन्हें यह कह कर नहीं बता सकता कि बैंक 'क' में ऐसा है या बैंक 'ख' में ऐसा है। आज ही संस्थाओं क एक समूह विशेष के बारे में मैंने कुछ जानकारी मांगी है। मैंने यह देखा है कि सब बातों के होते हुए भी कोई एक व्यक्ति एक बैंक विशेष को परेशान कर रहा है और तीन-एक बैंकों को एक में मिला देना चाहता है।

इसलिये, जो माननीय सदस्य उस समय विधेयक को पारित किये जाने का विरोध कर रहे हैं वह सही नहीं है। उनके सम्बन्ध में मैं तो यह समझा था कि वे लोग भी वही चाहते हैं जो वह सदस्य चाहते थे जो प्रवर समिति वाले प्रस्ताव का समर्थन कर रहे हैं। मैं पहले ही यह बता चुका हूं कि मैं इस विधेयक को इसलिये नहीं लाया हूं कि स्थिति पहले की सी रहने दी जाये। यह हो सकता है कि कुछ गड़बड़ी हो और यह गड़बड़ी जारी रहे परन्तु यह और बढ़ेगी नहीं। मेरे माननीय मित्र श्री पुन्नूस ने इस बात को बहुत ही स्पष्ट रूप में समझाया है कि मैं विधेयक को कैसे आगे ले जाऊंगा और जहां तक कि वर्तमान विधेयक में निहित मेरी इच्छाओं का प्रश्न है, उसकी सभी गड़बड़ियों को दूर कर दिया जायेगा। श्री थामस ने त्रावनकोर-कोचीन के सम्बन्ध में रिजर्व बैंक की असफलता का जिक्र किया था। त्रावनकोर-कोचीन में एक बैंक को छोड़ कर ऐसा कोई बैंक नहीं है जिसे रिजर्व बैंक ने मान्यता प्रदान की हो। जी हां, यह सच है कि उन्होंने लाइसेंस जारी नहीं किया है। परन्तु फिर भी उन बैंकों में से अधिकांश कार्य तो कर ही रहे हैं। यह कहा गया है कि रिजर्व बैंक का यह मत था कि बैंकों ने अपने कार्यों को उचित ढंग से बैंकिंग समवाय अधिनियम में निर्धारित ढंग से पूरा किया है। उन्होंने लाइसेंसों को रद्द नहीं किया है और बैंक काम कर रहे हैं। मैं नहीं समझता कि इसके अतिरिक्त और चाहिये ही क्या बशर्ते कि मेरे माननीय मित्र का यह विचार न हो कि जब तक उस पर रिजर्व बैंक की मुहर न लग जाये तबतक उसे सुरक्षित नहीं माना जायेगा। मैं नहीं समझ पा रहा कि इससे क्या नुकसान हुआ है।

अनेक वक्ताओं ने विशेष रूप से मेरे माननीय मित्र श्री तुलसी दास ने एक बात और कही है। उन्होंने कहा कि बैंकिंग समवाय अधिनियम है ही; आपकी शक्तियां भी हैं; आप उन शक्तियों का प्रयोग क्यों नहीं करते? आप अब ये शक्तियां क्यों चाहते हैं? एक नौसिखुए की तरह म इस प्रकार के संवाक्यों के प्रयोग का प्रयास नहीं करना चाहता रूपरेखायें हैं ही—इन शक्तियों को क्यों लेते हैं? यदि शक्तियां हैं ही, तो मैं उनका प्रयोग क्यों नहीं करता? कुछ भी है, यह विधेयक क्यों लाते हैं? मुझे मालूम है कि बैंकिंग समवायों सम्बन्धी उपबन्धों के कार्यान्वय में कुछ कठिनाइयां हैं, चाहे वह सीमित रूप में ही हों। परन्तु मैं निश्चयपूर्वक यह नहीं कह सकता हूं कि समवाय अधिनियम मुझे उस समय भी दुरुपयोग रोकन की शक्ति देता है जबकि यह दुरुपयोग प्रबन्धकों और अंशधारियों के बीच का न हो। मैं समझता हूं कि समवाय अधिनियम में अब भी अनेक प्रकार से यही त्रुटि है। मेरे पास इस बात के लिये समय नहीं था कि मैं उसका संशोधन सभा के समक्ष लाता। कुछ भी हो, मैं तब तक संशोधन नहीं ला सकता जब तक कि मैं उस अधिनियम को कम से कम एक वर्ष तक चला न लूं। कुछ मामलों में ४३० रुपयों पर एक व्यवस्थापक[1] की नियुक्ति के लिये मंजूरी देने के लिये हम केवल अपने ऊपर बोझ लाद रहे हैं। जैसा मैंने सभा में कल बताया, सरकारी पत्र-व्यवहार में मैंने देखा कि ४३० रुपयों पर किसी व्यक्ति की नियुक्ति के लिये

1. Manager.

[श्री ति० त० कृष्णमाचारी]

समवाय विधि प्रशासन[1] के अवर सचिव[2] को अनुमति देनी पड़ती है। यह बिलकुल निरर्थक है, हमारा इरादा यह बिलकुल नहीं है। जब बड़ी-बड़ी चीजों का हस्तांतरण होता है तो कुछ लोग कम्पनियों का पल्ला पकड़ लेते हैं और उस समय हम अपन आपको बिलकुल नि:शक्त पाते हैं। हम एक सीमा तक ही जा सकते हैं परन्तु उस सीमा पर ही उसका अन्त नहीं होता। हम उस व्यक्ति के विशेषाधिकारों के दुरुपयोग को नहीं रोक सकते हैं जिसने अस्थायी रूप से अंशों पर नियंत्रण प्राप्त कर लिया है। इस समय मैं यह नहीं कह सकता हूं कि उसमें किस प्रकार का संशोधन किया जाना चाहिये। ऐसा होता है कि जहां तक समवाय विधि का सम्बन्ध है, वहां आरम्भ में अंशधारियों के हितों पर ही अधिक जोर दिया गया है और उसी चीज को उस ढंग से बैंकों पर भी लाग नहीं किया जा सकता है। मूल रूप में हमारा इरादा भी राशि जमा करने वालों के हितों की रक्षा करने का था, परन्तु अब हम इन शक्तियों का प्रयोग देश की अर्थ-व्यवस्था को नियंत्रित करने के लिये करना चाहते हैं। यह चीज कहीं बड़ी है। इसलिये, यह कहने से कोई लाभ नहीं है कि "यह तो आपके पास है ही, आप उसका प्रयोग क्यों नहीं करते?" वह अधिनियम में किये गये विशेष उपबन्ध हैं। यदि मैंन अनजाने में उनका प्रयोग कर दिया होता तो सम्बन्धित पक्षों से यह कहा जाता कि व न्यायालयों की शरण लें और मैंने जो भी कार्यवाही की होती उसे रद्द करा दें। इसलिये माननीय सदस्य से मैं यह कह सकता हूं यदि ऐसा है, तो आप विधेयक पर आपत्ति क्यों करते हैं? मेरा ख्याल है कि ऐसा नहीं है; मुझे बताया गया है कि एसा नहीं है और मैंने देखा है कि ऐसा नहीं है।

साथ ही मैं श्री भागवत झा आजाद और श्री मुहीउद्दीन जैसे मित्रों के प्रति जिन्होंने इस विधेयक को अपना बहुमूल्य समर्थन प्रदान किया, आभार प्रगट करना चाहता हूं। जहां तक श्री तुलसी दास का सम्बन्ध है, उन्होंने इस विधेयक की किसी भी बात का विशेष उल्लेख नहीं किया। उनका भाषण सामान्य प्रकार का था जो किसी भी अवसर पर दिया जा सकता था और अपने संशोधनों को प्रस्तुत करते समय उन्होंने जो बातें कहीं हैं उनके अतिरिक्त इस विधेयक के विशिष्ट उपबन्धों के विषय में उनको जो प्रकाश डालना है अथवा वे जो ज्ञान-वर्द्धन करेंगे, उसकी तो मैं अभी प्रतीक्षा ही कर रहा हूं।

उस ओर बैठे हुए माननीय सदस्य ने त्रावनकोर-कोचीन की बैंकिंग जांच के सम्बन्ध में कुछ कहा था। वह प्रतिवेदन सरकार के समक्ष प्रस्तुत कर दिया गया है। उस प्रतिवेदन पर विचार काफी आगे बढ़ चुका है और मैं यह नहीं कह सकता हूं कि सरकार का निर्णय किसी अवधि विशेष के भीतर बताया जा सकेगा। हम इसे यथासंभव शीघ्र बताने का प्रयास करेंगे। स्वाभाविक है कि सम्बन्धित हितों को अपना पक्ष प्रस्तुत करना पड़ेगा। परन्तु श्री पुन्नूस यदि मुझ पर विश्वास करें तो मैं उनसे कहूंगा कि सरकार जो भी कार्यवाही करेगी, वह सभी सम्बन्धित पक्षों के लिये न्यायपूर्ण होगा।

जहां तक विधेयक के उपबन्धों का प्रश्न है, मैं नहीं समझता कि माननीय सदस्यों ने विशेष उपबन्ध के बारे में कोई विशेष उल्लेख किया है। मैं नहीं समझता कि इस समय उनके सम्बन्ध में कुछ कहना मेरे लिये आवश्यक होगा।

यद्यपि मैंने आधे घंटे का समय मांगा था परन्तु मैं समझता हूं कि मैंने मुश्किल से पन्द्रह मिनट ही लिये होंगे और म नहीं समझता कि इस अवस्था में म सभा का और समय लूंगा।

अध्यक्ष महोदय द्वारा प्रस्ताव मतदान के लिये सभा के समक्ष रखा गया और अस्वीकृत हुआ।

1 Company Law Administration.

2 Under Secretary.

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि बैंकिंग समवाय अधिनियम, १९४९ में और आगे संशोधन करने वाले बिधेयक पर विचार किया जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खण्ड २—(धारा १० के स्थान पर नयी धारा का रखा जाना)

†**श्री तुलसी दास** : मैं अपने संशोधन संख्या ७, १०, १३ और १२ का प्रस्ताव करता हूं ।

†**श्री अय्युण्णि** : मैं अपने संशोधन संख्या ४१ का प्रस्ताव करता हूं ।

मैं यह कहना चाहता हूं कि रिजर्व बैंक को ऐसी कुछ शक्तियां प्रदान की गयीं हैं कि वह यह कह सकता है कि कोई पारिश्रमिक अत्यधिक है अथवा नहीं । यह कहा जाता है कि जो कुछ रिजर्व बैंक कहता है वह अन्तिम है और उसका न्यायालय में प्रतिवाद नहीं किया जाना चाहिये । जबतक किसी पक्ष के पास पर्याप्त कारण नहीं होंगे और उसके साथ अन्याय नहीं किया गया होगा तबतक वह न्यायालय में जायेगा ही क्यों । उसको न्यायालय में जाने से क्यों रोका जाता है ? मेरा निवेदन है कि संबंधित उपखण्ड को हटा देना चाहिये ।

†**अध्यक्ष महोदय** : ये संशोधन सभा के समक्ष हैं ।

†**श्री तुलसी दास** : अपने संशोधन संख्या ७ के सम्बन्ध में मुझे यह कहना है कि भारत में बैंकिंग समवायों के कर्मचारियों और उनके मालिकों के बीच के विवाद काफी सर्वविदित रहे हैं । बोनस की अदायगी का प्रश्न और बैंकिंग समवायों के कर्मचारियों की नौकरी सम्बन्धी समस्याओं में पिछले पांच छः वर्ष लग चुके हैं और अभी तक यह समस्या समुचित रूप से सुलझ नहीं पायी है । बैंकिंग समवायों के मालिकों ने कर्मचारियों को बोनस देने के प्रश्न पर उच्चतम न्यायालय में अपील की है और वह मामला अभी न्यायालय के विचाराधीन ही है । क्या सरकार को किसी ऐस प्रश्न पर विधान बनाने का अधिकार है जो न्यायालय के विचाराधीन हो ?

यदि परन्तुक को विधि बनने दिया जाये तो अनेक ऐसी बातें प्रकट हो जायेंगी जिन्हें प्रकट करना बैंकिंग समवायों की दृष्टि से उचित नहीं होगा । माननीय वित्त मंत्री को पता है कि बैंकिंग समवाय आकस्मिकताओं के लिये कुछ राशि का उपबन्ध करते हैं । कभी-कभी कुछ अग्रिम अशोध्य ऋण हो जाते हैं । इसी कारण इन आकस्मिकताओं का उपबन्ध किया जाता है । इसके अतिरिक्त अभी कुछ वर्ष पूर्व बैंकों की दर में परिवर्तन किया गया था तो बैंकों की उन प्रतिभूतियों में, जो उन्होंने सरकारी प्रतिभूतियों में विनियोजित कर रखा था, बहुत अवमूल्यन हो गया था और बैंकों के पास जो गुप्त रक्षित राशियां थीं उनसे भी इस अवक्षयण की पूर्ति नहीं हो पाई । अतः मैं समझता हूं कि इस परन्तुक को हटा दिया जाये । मैं आशा करता हूं कि माननीय मंत्री इस महत्वपूर्ण समस्या पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करेंगे और मेरा संशोधन स्वीकार करेंगे ।

मेरे अन्य संशोधन संख्या १०, १३ या १२ पारिश्रमिक के बारे में हैं ।

यह खण्ड रक्षित बैंक को यह अधिकार देता है कि वह बैंकिंग समवाय के प्रबन्ध या मुख्य कार्यकारिणी आधिकारी को मिलने वाले पारिश्रमिक पर रोक लगा सकता है । ऐसा मालूम होता है कि रक्षित बैंक गैर-सरकारी बैंकिंग संस्थाओं के मुख्य कार्यकारिणी अधिकारी के पारिश्रमिक की तुलना भारत के राज्य बैंकों जैसे राज्यीय बैंकों के मुख्य कार्यकारिणी अधिकारी के पारिश्रमिक से करेगी । उसे विदेशी विनिमय बैंक के अधिकारियों के वेतन से भी उनके वेतन की तुलना करनी चाहिये । समवाय

†मूल अंग्रेजी में ।

[श्री तुलसी दास]

विधि प्रशासन धारा ३८७ के अधीन प्रबन्धकों की नियुक्ति की स्वीकृति देती है। इस परन्तुक की व्याख्या में कहा गया है कि पारिश्रमिक में वेतन, शुल्क और परिलब्धियां सम्मिलित होंगी पर अन्य कोई भत्ता, या राशि, जो उनको अपने कर्तव्य का पालन करने में किये गये व्यय के लिये दिया जाता है, सम्मिलित नहीं होगी। मुझे इस सम्बन्ध में आपत्ति है। बैंक के बोर्ड को बैंक के प्रबन्धकों पर ही निर्भर रहना पड़ता है। इन प्रबन्धकों को विदेशी बैंकों के प्रतिनिधियों से मिलना पड़ता है और उनका स्वागत करना पड़ता है अतः ऐसी परिलब्धियों की अनुमति देना आवश्यक है।

†**श्री ति० त० कृष्णमाचारी** : रक्षित बैंक पर ऐसी कोई रोक नहीं है कि वह ये परिलब्धियां न दे। व्याख्या में तो पारिश्रमिक की परिभाषा दी गयी है। मैं इन बातों को सम्मिलित करने में कोई हर्ज नहीं समझता सिवाय इसके कि माननीय सदस्य यह चाहते हैं कि पारिश्रमिक का निश्चय करते समय रक्षित बैंक इन उपलब्धियों का कोई ध्यान न रखे।

†**श्री तुलसी दास** : मेरा यही अभिप्राय है कि रक्षित बैंक को परिलब्धियों पर विचार करने का अधिकार न हो।

†**श्री ति० त० कृष्णमाचारी** : क्यों ? परिलब्धियों के विस्तृत क्षेत्र पर रोक रखने के लिये उसे रक्षित बैंक की निगरानी में लाना ही उचित है। समवाय विधि में निश्चित परिलब्धियों की व्यवस्था की जा चुकी है। माननीय सदस्य को इस बात का दुःख है कि परिलब्धियों को रक्षित बैंक की निगरानी में रखा जायेगा। कोई समवाय ६,००० रुपये पारिश्रमिक देता है, जिसमें १,५०० रुपये भत्ता है और १,५०० रुपये परिलब्धि। रक्षित बैंक इन सभी बातों को ध्यान में रखेगा।

†**अध्यक्ष महोदय** : किसी भी रूप में परिलब्धि की राशि उचित राशि से अधिक नहीं होनी चाहिये।

†**श्री तुलसी दास** : मेरा संशोधन संख्या १३ इस सम्बन्ध में है कि इस सम्बन्ध में रक्षित बैंक द्वारा किये गये निर्णय पर बैंकिंग समवाय का निदेशक बोर्ड विचार करेगा और यदि बोर्ड उसका अनुमोदन नहीं करता तो उसे अंशधारियों की विशेष रूप से बुलाई गई सामान्य सभा में रखा जायेगा और अंशधारियों का निर्णय अन्तिम होगा। पारिश्रमिक के सम्बन्ध में रक्षित बैंक द्वारा कही गयी किसी भी बात को अंशधारी अवश्य स्वीकार कर लेंगे क्योंकि इसमें उनका भी हित है। चूंकि समवाय अधिनियम के अधीन किसी भी व्यक्ति को कुछ अंशों में से कुछ निश्चित प्रतिशत अंश ही लेने का अधिकार है, अतः यह भय निर्मूल है कि कुल व्यक्तियों का अंशधारियों पर प्रभाव होगा। अतः रक्षित बैंक का निदेश, यदि बोर्ड उसका अनुमोदन नहीं करता, तो अंशधारियों द्वारा स्वीकृत हो जायेगा।

यदि यह संशोधन स्वीकार नहीं किया जा सकता तो एक और संशोधन है जो सुझाव पेश करता है कि रक्षित बैंक द्वारा निर्णय किये जाने पर बैंकिंग समवाय रक्षित बैंक के निर्णय की सूचना मिलने के ३० दिन के भीतर वित्त मंत्रालय से अपील कर सकता है और वित्त मंत्रालय का निर्णय अन्तिम होगा। मैं आशा करता हूं कि मेरे माननीय मित्र इन संशोधनों में से एक को स्वीकार करेंगे।

†**श्री ति० त० कृष्णमाचारी** : श्री अय्युण्णि का संशोधन, जो क्रम में अन्त में है, प्रस्तावित धारा (३) के बारे में है। इस धारा में यह कहा गया है कि इस सम्बन्ध में रक्षित बैंक का निर्णय अन्तिम होगा कि पारिश्रमिक अधिक है या नहीं। पर उनका कहना है कि पारिश्रमिक अधिक नहीं है; यह बात न्यायिक निर्णय के आधार पर तय होनी चाहिये। पीड़ित पक्ष को इस मामले को न्यायालय में ले जाना चाहिये। रक्षित बैंक के निर्णय को अन्तिम क्यों माना जाना चाहिये। बात बिलकुल ठीक है पर

†मूल अंग्रेजी में।

उप-धारा १० (२) में, जिसका यह संशोधन है, बिलकुल यही शब्द हैं, अतः यह उपबन्ध पहले से ही है और इसलिये हम इसे न्याय-निर्णय के अधीन नहीं कर सकते ।

इसके पश्चात श्री तुलसी दास का पहला संशोधन पृष्ठ १ पर, पंक्ति २३ से २५ और पृष्ठ २ पर पंक्ति १ से ४ को अर्थात् परन्तुक को निकालना चाहता है ।

[**पंडित ठाकुर दास भार्गव** पीठासीन हुए]

विधेयक में हमने जो संशोधन किया है उसका कारण यह था कि यह संदेह प्रकट किया गया था कि क्या बैंक के कर्मचारी को बोनस पाने का अधिकार है । न्यायालय के सामने भी यह मामला संदेहात्मक है । पर इस संशोधन द्वारा हम इस उपबन्ध को भूतलक्षी बनाने का प्रयत्न नहीं कर रहे हैं । यदि हम ऐसा करेंगे तो इस मामले के औचित्य को बहुत हानि पहुंचायेंगे । यह सब इसीलिये है कि लोगों को संदेह है—हमें कोई संदेह नहीं है । अतः भविष्य को सुरक्षित किया जा रहा है । अतः मैं अपने माननीय मित्र के तर्कों को मानने को तैयार नहीं हूं कि हमें एक ऐसी धारणा को पक्का करने के लिये, जो कभी भी हमारे मस्तिष्क में नहीं थी, इस परन्तुक को निकाल देना चाहिये ।

जैसा कि मैंने पहले, जब कि मैं बोल रहा था, बताया कि हम परिलब्धियों को वेतनों तथा शुल्कों में सम्मिलित नहीं करना चाहते । अतः परिलब्धियों के सम्बन्ध में मैं उनका संशोधन स्वीकार नहीं कर सकता ।

फिर, उन्होंने जो संशोधन संख्या १३ प्रस्तुत किया है, वह एक नया और अनोखा संशोधन है । यह प्रश्न रक्षित बैंक द्वारा बैंक के प्रबन्धक या कार्यकारिणी अधिकारी को मिलने वाले वेतन, पारिश्रमिक, परिलब्धियों और अन्य भत्तों को निश्चित करने का है । इसीलिये रक्षित बैंक को इस मामले में कार्य करना पड़ता है । मेरे माननीय मित्र कहते हैं कि इस बात का निश्चय निदेशकों के बोर्ड के पास अपील करके होना चाहिये और निदेशकों के बोर्ड के पास से उन्हें अंशधारियों के पास जाना चाहिये और प्रतिनिधि मतधारियों[1] द्वारा अंशधारियों का मतदान होना चाहिये ।

मुझे आश्चर्य है कि माननीय सदस्य को इतना तो सोचना ही चाहिये था कि क्या कोई भी समझदार विधानमंडल ऐसे संशोधन को स्वीकार करेगा । मैं इसे स्वीकार नहीं कर सकता ।

†**श्री तुलसी दास** : वैकल्पिक संशोधन का क्या हुआ ।

†**श्री ति० त० कृष्णमाचारी** : वैकल्पिक संशोधन को लीजिये । वास्तव में यदि कल माननीय सदस्य पर इसका प्रभाव पड़ेगा तो वह वित्त मंत्री को लिखेंगे । इसके लिये विधानमंडल का सदस्य होना भी आवश्यक नहीं है । शक्तिशाली व्यक्तियों को तो कोई कठिनाई नहीं है पर ऐसे लोग भी , जो शक्तिशाली नहीं हैं, अपने विचार प्रकट कर सकते हैं । इस सम्बन्ध में हमने सब अधिकार सरकार के हाथों में ही नहीं छोड़ दिये हैं । सरकार के पास कभी भी अपील की जा सकती है और किसी मामले पर फिर से विचार करने के लिये लिखा जा सकता है । और यदि हम देखते हैं कि कोई अन्याय हुआ है तो हम मामले की छानबीन करेंगे । जहां तक मेरा सम्बन्ध है, मैं कह सकता हूं कि जब भी कभी ऐसी कोई शिकायत मेरे पास आती है, मैं उस मामले की छानबीन करता हूं ।

†**सभापति महोदय** : अब मैं संशोधनों को मतदान के लिये रखूंगा । क्या मैं श्री अय्युण्णि के संशोधन संख्या ४१ को रखूं ?

†**श्री अय्युण्णि** : मैं उस पर आग्रह नहीं करता ।

---

†मूल अंग्रेजी में ।

1. Proxy-holders.

†**सभापति महोदय :** क्या सभा माननीय सदस्य को अपने संशोधन संख्या ४१ को वापस लेने की अनुमति देती है ?

संशोधन सभा की अनुमति से वापिस लिया गया।

सभापति महोदय द्वारा श्री तुलसी दास के संशोधन संख्या ७, १० और १३ मतदान के लिये रखे गये तथा अस्वीकृत हुए।

†**सभापति महोदय** : अब संशोधन संख्या १२ है ।

†**श्री तुलसी दास :** मैं उस पर आग्रह नहीं कर रहा हूं ।

†**सभापति महोदय** : क्या सभा माननीय सदस्य को संशोधन वापिस लेने की अनुमति देती है ?

संशोधन सभा की अनुमति से वापिस लिया गया।

†**सभापति महोदय** : और कोई संशोधन शेष नहीं है । अब मैं खण्ड २ को मतदान के लिये रखूंगा ।

प्रश्न यह है :

"कि खण्ड २ विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड २ विधयक में जोड़ दिया गया।

खण्ड ३—(धारा १२ के स्थान पर नई धारा का रखा जाना)

†**श्री तुलसी दास :** मैं अपने संशोधन संख्या १७, १८, १९ और २१ को प्रस्तुत करता हूं । इनके अतिरिक्त मैं अपने संशोधन संख्या २२ द्वारा यह प्रस्ताव करता हूं कि :

पृष्ठ ४, पंक्ति १२ में से "General or Special" ["सामान्य या विशेष"] शब्द हटा दिये जायें ।

प्रस्तावित उप-धारा (३) में उपबन्ध है कि किसी बैंकिंग समवाय के अंशधारी के रूप में पंजीकृत किसी व्यक्ति के विरुद्ध कोई भी मुकदमा या कार्यवाही इस आधार पर नहीं की जायेगी कि उक्त अंश का हक़, पंजीकृत व्यक्ति के अतिरिक्त, किसी अन्य व्यक्ति को प्राप्त है । मेरा संशोधन संख्या १७, इस प्रस्तावित उप-धारा (३) को हटाने के सम्बन्ध में है । बैंकिंग समवाय के अंशों के मामले में सामान्य वैधानिक नियमों को क्यों लागू नहीं किया । इससे वास्तविक हक्कदार को अपनी सम्पत्ति से विरत होना पड़ेगा । यदि इस उपबन्ध का प्रयोजन अंश के सही स्वामी का पता लगाना है तो इसके लिये समवाय अधिनियम में काफी उपबन्ध हैं । अतः मैं समझता हूं कि मुख्य अधिनियम की प्रस्तावित धारा १२ की उप-धारा (३) और उसके भाग (ख) का परन्तुक अनावश्यक रूप से बैंकिंग समवाय तथा अन्य समवायों में भेदभाव पैदा करेंगे ।

पिछले कई वर्षों से मैं भारत के कई बैंकिंग समवायों के विकास का रुख देखता आ रहा हूं । और अंशों के बेनामी धारण से पैदा होने वाली अनियमितताओं की कोई गंभीर शिकायत नहीं आई हैं, अतः इस उपबन्ध का अभिप्राय: केवल अधिक अधिकार प्राप्त करने या विधि को कठोर बनाने के सिवाय और कुछ भी नहीं है ।

---

†मूल अंग्रेजी में ।

कई बार बैंकिंग समवाय दूसरे बैंकिंग समवायों में उन व्यक्तियों के नाम से अंश ले लेते हैं जो उन बैंकिंग समवायों के अंशधारी होते हैं। ऐसी अवस्था में क्या होगा ? किसी व्यक्ति के नाम पर किसी अन्य बैंकिंग समवाय में अंश लेने वाले बैंकिंग समवाय पर कोई भी मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। यदि यह उपधारा रखी जाती है तो बैंक कह सकता है कि वह अंश उनके हैं और बैंकिंग समवाय के विरुद्ध कोई भी मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। बैंकिंग समवाय अपनी असामियों के नाम से दूसरे बैंकिंग समवायों में अंश ले लेते हैं। यदि यह उपबन्ध रखा जायेगा तो सम्बन्धित व्यक्ति बैंकिंग समवाय के विरुद्ध कोई मामला नहीं चला सकेगा।

मेरा संशोधन संख्या १८ संशोधन संख्या १७ के परिणामस्वरूप पैदा होता है। किसी अंशधारी का हक्क क्यों मारा जाये ? वह उसकी सम्पत्ति है चाहे वह किसी बैंकिंग समवाय के नाम से हो। अतः मैं चाहता हूं कि यह उप-धारा निकाल दी जाये।

अब मैं संशोधन संख्या २१ और २२ को लेता हूं। उप-धारा (४) के अधीन प्रत्येक सभापति, प्रबन्ध-निदेशक या मुख्य कार्यकारिणी अधिकारी को रक्षित बैंक के पास बैंकिंग समवाय में अपने प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष अंशों की संख्या तथा उसके मूल्य का पूरा विवरण भेजना पड़ता है। अंशों के बेनामी धृतियों को रोकने के लिये सरकार के पास और भी अनेक उपाय हैं। अतः यह उपबन्ध अनावश्यक है।

इसी प्रकार मैंने संशोधन संख्या २२ द्वारा "सामान्य या विशेष" शब्दों को हटाने का प्रयत्न किया है। रक्षित बैंक किसी विशेष बैंक को आदेश दे सकता है कि वह अपने पदाधिकारियों के अंशों का विवरण भेजे। रक्षित बैंक को इस प्रकार का एक सामान्य आदेश देने की कोई आवश्यकता नहीं है। अतः मैं "सामान्य या विशेष" शब्दों को हटाना चाहता हूं।

†**श्री ति० त० कृष्णमाचारी :** आप संशोधन संख्या २२ ले रहे हैं। मैं संशोधन संख्या २२, २४ और २५ को स्वीकार करने को तैयार हूं।

†**श्री तुलसी दास :** संशोधन संख्या २१ के बारे में "प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष" शब्दों के साथ कठिनाई है।

†**श्री ति० त० कृष्णमाचारी :** आप संख्या २१ समाप्त कर चुके हैं। अब संख्या २२ लीजिये।

†**श्री तुलसी दास :** खण्ड ३ के लिये मेरे तो संशोधन संख्या २२ तक ही थे।

†**सभापति महोदय :** संशोधन संख्या २३ से २७ खण्ड ४ के बारे में हैं। खण्ड ३ के लिये केवल संशोधन संख्या २२ है।

†**श्री ति० त० कृष्णमाचारी :** संशोधन संख्या २२ खण्ड ३ के बारे में है। मैं कह चुका हूं कि मैं तीनों संशोधन स्वीकार करने के लिये तैयार हूं।

†**सभापति महोदय :** माननीय सदस्य श्री तुलसीदास ने खण्ड ३ के बारे में संशोधन प्रस्तुत किये हैं, खण्ड ४ के बारे में नहीं।

†**श्री ति० त० कृष्णमाचारी :** इस समय खण्ड ३ पर चर्चा हो रही है। मैंने जिन संशोधनों को स्वीकार करने के बारे में कहा था वे खण्ड ३ के सम्बन्ध में हैं, और उनकी संख्या २२, २३, २४ और २५ है। मुझे इस बात का खेद है कि खण्ड पर चर्चा होने से पहले ही मैंने इन संशोधनों को स्वीकार करने के बारे में कह दिया; किन्तु वे बहुत कुछ आनुषंगिक हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में।

†**सभापति महोदय :** क्या मैं यह मान लूं कि माननीय सदस्य ने अपने सभी संशोधन संख्या १७, १८, १९, २१ और २२ खण्ड ३ के बारे में प्रस्तुत किये हैं ?

†**श्री तुलसी दास** : जी, हां ।

†**सभापति महोदय :** संशोधन प्रस्तुत हुए ।

†**श्री ति० त० कृष्णमाचारी :** पहला संशोधन संख्या १७ है । माननीय सदस्य २९ से लेकर ३४ तक की पंक्तियों को हटा देना चाहते हैं । इनका सम्बन्ध प्रस्तावित उप-धारा (३) से है । बेनामी धृतियों के बारे में कार्यवाही करने का यह एक प्रयास है । माननीय सदस्य ऐसा करना पसन्द नहीं करते । हम बेमानी धृतियों के बारे में इस प्रकार कार्यवाही करना चाहते हैं । इसीलिये हम कोई उपबन्ध करना चाहते हैं । यह बात तो काफी स्पष्ट है ।

†**श्री तुलसी दास :** मैं यह बता चुका हूं कि बेनामी धृतियों के बारे में समवाय अधिनियम के अधीन कार्यवाही की जा सकती है । इसमें कोई कठिनाई नहीं है ।

†**श्री ति० त० कृष्णमाचारी :** बात यह है कि यदि वह पहले से वहां मौजूद है तो माननीय सदस्य इस उपबन्ध पर यहां क्यों आपत्ति कर रहे हैं ? यदि माननीय सदस्य यह देखते हैं कि उपबन्ध पहले ही किया जा चुका है तो वे उसपर आपत्ति नहीं कर सकते ।

†**श्री तुलसी दास :** मैंने अभी यह कहा है कि बैंकिंग समवाय भी अपनी असामियों की ओर से किसी अन्य बैंकिंग समवाय के अंश खरीद सकता है । उसका क्या परिणाम होगा ?

†**श्री ति० त० कृष्णमाचारी** : उसे ऐसा नहीं करना चाहिये । यदि वास्तव में प्रश्न बेनामी धृतियों का है.....

†**श्री तुलसी दास** : प्रश्न वास्तविक धृतियों का है ।

†**श्री ति० त० कृष्णमाचारी** : जहां तक इस बात का सम्बन्ध है, स्थिति यह है । अंश जिस व्यक्ति के हैं, उन्हें उसे पुनः देकर अवैध कब्जे[1] को ठीक किया जा सकता है ।

†**सभापति महोदय :** यह पूर्ण रूप से स्पष्ट नहीं है । क्या अन्तिम वाक्य में यह नहीं कहा गया है कि "इस आधार पर कि उक्त अंश का अधिकार पंजीकृत अंशधारी के अलावा किसी अन्य व्यक्ति को है ।" उसका सम्बन्ध केवल बेनामी से है ।

†**श्री तुलसी दास :** एक बैंकिंग समवाय किसी अन्य बैंकिंग समवाय के, जो एक पंजीकृत अंशधारी है, अंश खरीद सकता है । मान लीजिये कि कोई समवाय, अपनी असामी की ओर से, अन्य बैंक के अंश खरीद लेता है । तो, जैसी स्थिति है उसके अनुसार आसामी का अपने समवाय पर कोई अधिकार नहीं है । ऐसी स्थिति में क्या होगा ?

†**श्री ति० त० कृष्णमाचारी** : समवाय या तो एक अभिकर्ता की हैसियत से या स्वयं अपने नाम से उन अंशों पर अधिकार रखता है । समग्र स्थिति स्पष्ट की जानी चाहिये । जहां ऐसी बात कानूनी कार्यवाही की विषय वस्तु हो वहां माननीय सदस्य का आशय क्या है, यह वस्तुतः मेरी समझ में नहीं आता ।

उप-धारा (३) (ख) में उल्लिखित अवयस्क और उन्मत्त व्यक्तियों के सम्बन्ध में मुझे यह कहना पड़ता है कि जो व्यक्ति ऐसे व्यक्तियों की ओर से अंश अपने पास रखता है उसके सम्बन्ध में उसे परित्राण अवश्य दिया जाना चाहिये ।

---

†मूल अंग्रेजी में ।

अन्य संशोधन यह है कि किसी समवाय को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रीति से कोई जानकारी प्राप्त न हो। "प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रीति से" ये शब्द पृष्ठ ४ पर ८वीं पंक्ति में आते हैं। उप-धारा में कहा गया है कि प्रत्येक बैंकिंग समवाय का प्रत्येक सभापति, प्रबन्ध-निदेशक[1] या मुख्य कार्यपालक-अधिकारी[2] समवाय की विवरणी[3] के जरिये अपने अंशों के बारे में, चाहे वे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रीति से अर्जित किये गये हों, पूरे ब्यौरे रिजर्व बैंक को देगा। माननीय सदस्य यह कहते हैं कि यह बात नहीं होनी चाहिये। ऐसे सब अंशों का अधिकार, वास्तव में, बेनामी अंशों से सम्बद्ध है। इसलिये, मैं उसे स्वीकार नहीं कर सकता।

संशोधन संख्या २२ को मैं स्वीकार कर लूंगा। माननीय सदस्य के इस तर्क को, कि इन सभी बातों में अलग-अलग कार्यवाही की जानी चाहिये, मैं समझता हूं। इसलिये, मैं संशोधन संख्या २२ को स्वीकार करता हूं।

सभापति महोदय द्वारा संशोधन संख्या १७, १८, १९ और २१ मतदान के लिये रखे गये तथा अस्वीकृत हुए।

†**सभापति महोदय** : : प्रश्न यह है :

पृष्ठ ४, पंक्ति १२ में से "General or Special" ["सामान्य या विशेष"] शब्द हटा दिये जायें।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

†**सभापति महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड ३, संशोधित रूप में, विधयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड ३ 'संशोधित रूप में' विधेयक में जोड़ दिया गया।

खण्ड ४—(नई धारा १२—क का रखा जाना)

†**श्री ति० त० कृष्णमाचारी** : मैं संशोधन संख्या २४ और २५ को स्वीकार कर लूंगा। माननीय सदस्य उनको पढ़ कर सुना सकते हैं।

†**श्री तुलसी दास** : मैं प्रस्ताव करता हूं :

(१) पृष्ठ ४, पंक्ति १६ में से "General or Special" ["सामान्य या विशेष"] शब्द हटा दिये जायें।

(२) पृष्ठ ४ पर—

(एक) पंक्ति १७ में से "Banking Companies generally or" ["सामान्यतः बैंकिंग समवाय या"] शब्द हटा दिये जायें।

(दो) पंक्ति १८ में से "in particular" ["विशेषकर"] शब्द हटा दिये जाय।

(३) अपने संशोधन संख्या २६ द्वारा मैं पृष्ठ ४ पर पंक्ति २४ में "आदेश" शब्द के स्थान पर अन्य शब्द रखना चाहता हूं।

---

†मूल अंग्रेजी में।

1 Managing Director.

2. Chief Executive Officer.

3 Returns.

[श्री तुलसी दास]

(४) पृष्ठ ४, पंक्ति २८ में "Any election" ["कोई निर्वाचन"] शब्दों के बाद "duly" ["विधिवत्"] जोड़ दिया जाये ।

मैं संशोधन संख्या २६ और २७ के बारे में कहूंगा । यहां जो कुछ कहा गया है उसमें मैं यह जोड़ देना चाहता हूं कि ऐसी बैठक में सब निदेशक या रिजर्व बैंक द्वारा नामनिर्देशित निदेशक, यथास्थिति, निवृत्त होंगे किन्तु पुनर्निर्वाचन हेतु पात्र होंगे ।

संशोधन संख्या २६ के बारे में मेरा यह निवेदन है कि निदेशक पुनर्निर्वाचित होने के लिये पात्र होने चाहिये ।

संशोधन संख्या २७ में "कोई चुनाव हुआ" ये शब्द हैं और मैं चाहता हूं कि "विधिवत्" शब्द "चुनाव" शब्द के बाद जोड़ दिया जाये ।

†**सभापति महोदय** : ये संशोधन अब सभा के समक्ष हैं ।

†**श्री ति० त० कृष्णमाचारी** : जहां तक संशोधन संख्या २६ का सम्बन्ध है, इस संशोधन विधेयक में कोई ऐसी बात नहीं है जो निदेशकों को चुनाव के लिये खड़ा होने से रोकती हो । मैं चाहता हूं कि इस प्रश्न पर किसी प्रकार का सन्देह न रहे । मैं संशोधन संख्या २७ को स्वीकार कर लूंगा ।

†**सभापति महोदय** : प्रश्न यह है :

कि पृष्ठ ४, पंक्ति १६ में से "General or Special" ["सामान्य या विशेष"] शब्द हटा दिये जायें ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

†**सभापति महोदय** : प्रश्न यह है कि पृष्ठ ४ पर--

(एक) पंक्ति १७ में से "Banking Companies generally or" ["सामान्यत: बैंकिंग समवाय या"] शब्द हटा दिये जायें ।

(दो) पंक्ति १८ में से "inparticular" ["विशेषकर"] शब्द हटा दिया जाये ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

†**सभापति महोदय** : संशोधन संख्या २६ ।

†**श्री तुलसी दास** : यदि उनके कहने के अनुसार निदेशक पुनर्निर्वाचन के पात्र हैं तो मैं इस संशोधन पर आग्रह नहीं करूंगा ।

†**सभापति महोदय** : तो वह वापिस लेना चाहते हैं ?

†**श्री तुलसी दास** : जी, हां ।

संशोधन संख्या २६ सभा की अनुमति से वापिस ले लिया गया ।

†**सभापति महोदय** : प्रश्न यह है :

"पृष्ठ ४, पंक्ति २८ में "Any election" ["कोई निर्वाचन"] शब्दों के बाद "duly" ["विधिवत्"] शब्द जोड़ दिया जाये ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

---

†मूल अंग्रेजी में ।

†**सभापति महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड ४, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खण्ड ४, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया ।

खण्ड ५ विधेयक में जोड़ दिया गया ।

खण्ड ६—(धारा २७ का संशोधन)

†**श्री तुलसी दास** : मैं संशोधन संख्या २८ का प्रस्ताव करता हूं जिसके द्वारा मैं पृष्ठ ५ पर, पंक्ति १९ से २१ तक आये हुए शब्दों के स्थान पर अन्य शब्द रखना चाहता हूं । इस खण्ड का उद्देश्य यह है कि बैंकिंग समवायों से उनके कार्य या व्यवहार के बारे में जानकारी मांगने की शक्ति रिजर्व बैंक को प्रदान की जाये । यहां जो शब्द विद्यमान हैं उनसे रिजर्व बैंक को यह शक्ति प्राप्त हो जाती है कि वह समवाय से सम्बन्धित असामियों और अन्य निजी पक्षों के बारे में जानकारी मांग सकेगा । मैं वास्तव में यह नहीं समझ पाया कि बैंकिंग संस्थाओं सम्बन्धी स्थिति को ठीक करने के सरकार के इरादे का औचित्य इस उपबन्ध द्वारा किस प्रकार सिद्ध होता है । क्या इसकी आड़ में सरकार बैंकों और उनकी असामियों के व्यापारिक सम्बन्धों का पता लगाना चाहती है ? उद्देश्यों और कार्यों के विवरण के अनुसार तो सरकार का यह इरादा नहीं था । यदि यह ठीक है तो उनको संशोधन संख्या २८ स्वीकार कर लेनी चाहिये जिससे रिजर्व बैंक को यह अधिकार तो प्राप्त हो जायेगा कि वह उनके व्यवसाय के सम्बन्ध में जांच तो कर सके परन्तु साथ ही बैंकिंग संस्थाओं के साथ लेन-देन करने वाली असामियों और अन्य पक्षों के बारे में छानबीन न कर सके ।

आप भली प्रकार जानते हैं कि बैंकिंग समवाय बैंक और उसकी असामियों के बीच विश्वास पर आधारित है । किसी असामी ने बैंक पर जो विश्वास किया उसे किसी अन्य पर प्रगट करना उचित नहीं है । मैं नहीं समझता कि इसके द्वारा क्या सरकार का इरादा चुपके से असामियों के खाते की जांच करना है ? यदि उनका इरादा यह नहीं है तो उनको इस संशोधन को स्वीकार कर लेना चाहिये । जहां तक बैंकिंग समवाय का प्रश्न है, उसके मामलों का पूरी तरह पता लगाने का अधिकार तो उनको होगा ही ।

†**श्री ति० त० कृष्णमाचारी** : कल इस प्रस्ताव को प्रस्तुत करते समय मैं खण्ड ६ के क्षेत्र को स्पष्ट कर चुका हूं । वस्तुतः प्रश्न यह नहीं है कि हम असामियों की स्थिति सभी पर प्रगट करना चाहते हैं । यह तो बैंकरों का बैंक है जो कि बैंक का निरीक्षण कर रहा है और कुछ बातों की जानकारी चाहता है । अन्ततः धारा २७ के अधीन वर्तमान स्थिति यह है कि वे अपनी असामियों का स्वरूप बताने को तैयार नहीं हैं, उनके बारे में जानकारी देने को तैयार नहीं हैं ।

†**श्री तुलसी दास** : वे देने के लिये बाध्य हैं ।

†**श्री ति० त० कृष्णमाचारी** : वास्तव में यह असम्भव है । मान लीजिये ऐसा कोई खाता है जिसके बारे में बैंक कहता है कि वह ठीक है, और रिजर्व बैंक के पास इस बात की पूरी जानकारी मौजूद है कि इसमें संदेह की गुंजाइश ही नहीं, वह बहुत खराब स्थिति में है । यह २० अथवा २५ लाख रुपये तक का भी हो सकता है जो उस बैंकिंग समवाय की सुदृढ़ता के संतुलन को प्रतिकूल अथवा अनुकूल दिशा में ले जाये । मैं समझता हूं कि रिजर्व बैंक को निश्चय ही यह जानने का अधिकार प्राप्त होना चाहिये कि वह असामी कौन है और क्या वह सुदृढ़ है और जो संतुलन-पत्र दिखाया गया है, क्या वह सही है । यदि ऐसे खातों को, जो वास्तव में सुदृढ़ नहीं हैं, बिना संदेह तक प्रगट किये ठीक खातों के रूप में

†मूल अंग्रेजी में ।

[श्री ति० त० कृष्णमाचारी]

पेश किया जायेगा तब वह यह नहीं जान सकेंगे कि ऐसी आस्तियों की, जो वसूल की जा सकती हैं, और जिनसे बैंक की स्थिति सुदृढ़ रहेगी, संख्या कुल कितनी है। वास्तव में, हमने यह देखा है कि व्यवहार में बैंक के संचालन और उसकी असलियत आंकने के लिये पर्याप्त जानकारी प्राप्त करना सम्भव नहीं होता। मुझे इस बात का भय है कि यदि इस चीज को हटाया जायेगा तो बहुत सम्भव है कि हमने जो उपबन्ध रखे हैं और इस बात के लिये हम जो ढांचा खड़ा कर रहे हैं जिससे रिजर्व बैंक प्रत्येक बैंक के कार्य के बारे में पता लगा कर उचित कार्यवाही कर सके, वह सब व्यर्थ हो जायेगा।

सभापति महोदय द्वारा संशोधन संख्या २८ मतदान के लिये रखा गया और अस्वीकृत हुआ।

†**सभापति महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि खंड ६ विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड ६ विधेयक में जोड़ दिया गया।

खण्ड ७— (नयी धाराओं ३५क और ३५ख का रखा जाना)

†**श्री ति० त० कृष्णमाचारी** : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

(एक) पृष्ठ ५, पंक्ति ३५ में—

"The banking" ["बैंकिंग"] शब्द के स्थान पर "Any banking" ["कोई बैंकिंग"] शब्द रखे जायें।

(दो) पृष्ठ ६, पंक्ति ८ में—

"re-appointment" ["पुनर्नियुक्ति"] शब्द के पश्चात "or remuneration" ["अथवा पारिश्रमिक"] शब्द रखे जायें।

(तीन) पृष्ठ ६, पंक्ति २१ में—

"Nothing contained in section 268 or section 269" ["धारा २६८ अथवा २६९ में दी गयी कोई भी बात"] के स्थान पर "Nothing contained in sections 268, 269, 310, 311 and 388 (in so far as Section 388 makes the provisions of Sections 310 and 311 apply in relation to the Manager of a company.)" ["धारा २६८, २६९, ३१०, ३११ और ३८८ में दी गयी कोई भी बात (जहां तक कि धारा ३८८, धारा ३१० और ३११ के उपबन्धों को किसी समवाय के व्यवस्थापक के सम्बन्ध में लागू करती हो"] शब्द रखे जायें।

(चार) पृष्ठ ६, पंक्ति ३० में—

"Section" ["धारा"] के स्थान पर "Sub-section" ["उप-धारा"] शब्द रखा जाये।

†**श्री तुलसीदास** : मैं अपने संशोधन संख्या ३२, ३३, ३५ और ३६ का प्रस्ताव करता हूं।

†**सभापति महोदय** : ये संशोधन सभा के समक्ष हैं।

†**श्री तुलसीदास** : रिजर्व बैंक को बैंकिंग समवायों के लिये जो निदेश निकालने हैं उनके उद्देश्यों की दृष्टि से इस खण्ड के अधीन रिजर्व बैंक को दिये जाने वाले अधिकार अत्यन्त ही व्यापक और अस्पष्ट हैं। यदि हम इस खण्ड के उपखण्डों को खण्ड ६ और अन्य खण्डों के उपबन्धों के साथ पढ़ें तो यह स्पष्ट

---

†मूल अंग्रेजी में।

हो जायेगा कि बैंकिंग संस्थायें बिलकुल रिजर्व बैंक की पिछलग्गू बन जायेंगी, वे सरकार और रिजर्व बैंक के अभिकरण मात्र बन जायेंगी और भीतरी प्रबन्ध की अपनी स्वतन्त्रता से वंचित कर दी जायेंगी।

जैसा कि आपको ज्ञात है, बैंकिंग की प्रगति अधिकांशतः इस बात पर निर्भर है कि सामान्य जनता का बैंकिंग संस्थाओं पर कितना विश्वास है। यदि यह धारणा बढ़ती गयी कि अपने रोजमर्रा के काम में बैंकों को स्वतन्त्रता प्राप्त नहीं है, वे सरकार के नियंत्रण के अधीन हैं, तो जनता के विश्वास को गहरा धक्का लगेगा और इसका देश की बैंकिंग की और आगे की प्रगति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।

संशोधन संख्या ३२ सामान्यतया बैंकिंग समवायों के बारे में है। मैं फिर यह कहता हूं कि वे किसी विशेष बैंक के विरुद्ध निदेश निकालें, परन्तु उन्हें उसका प्रयोग सामान्यतया नहीं करना चाहिये।

मंत्री महोदय ऐसे कुछ संशोधनों को स्वीकार कर ही चुके हैं जो सामान्य प्रकार के हैं। ये संशोधन आनुषंगिक हैं और मुझे आशा है कि वे इन संशोधनों को भी स्वीकार कर लेंगे।

†**श्री न० रा० मुनिस्वामी** : प्रस्तावित धारा ३५ (ख) (१) में यह कहा गया है कि किसी निदेशक अथवा प्रबन्ध निदेशक की नियुक्ति अथवा पुनर्नियुक्ति की शर्तों के पुनर्वितर्न का जब तक रक्षित बैंक द्वारा अनुमोदन न होगा, तब तक उसे मान्य न समझा जायेगा; और यह भी कि उनकी नई नियुक्तियों के सम्बन्ध में रक्षित बैंक से पूर्व मंजूरी का लेना आवश्यक है। मैं इस धारा का विरोध करता हूं क्योंकि इससे आधारभूत लोकतान्त्रिक सिद्धान्तों का उल्लंघन होता है। इससे तो रक्षित बैंक को बिना किसी प्रकार के उत्तरदायित्व के ही, नियुक्तियों के सम्बन्ध में यह वीटो शक्ति दी जा रही है। इसका अर्थ तो यह हुआ कि नैतिक या वैधानिक दायित्व तो निदेशकों का होगा और 'वीटो' की शक्ति रक्षित बैंक को प्राप्त होगी। मैं इस व्यवस्था को उपयुक्त नहीं समझता। मैं रक्षित बैंक को इतनी अधिक शक्ति के दिये जाने में कोई उचित सिद्धान्त नहीं देखता। इसलिये वित्त मंत्री जी से मेरा निवेदन है कि वे इस बात पर प्रकाश डालें कि रक्षित बैंक को यह अतिरिक्त शक्ति देते हुए भी उसे कोई उत्तरदायित्व क्यों नहीं दिया जा रहा है।

अतः मेरा निवेदन है कि इस प्रस्तावित धारा ३५ ख (१) को वापिस ले लिया जाये और शेष को मतदान के लिये प्रस्तुत किया जाये।

†**श्री नि० चं० चटर्जी** (हुगली) : यदि प्रस्तावित धारा ३५ (क) में दी गई शक्तियों के स्थान पर बैंकों का सीधे ही राष्ट्रीयकरण कर दिया जाता तो अधिक अच्छा होता। इसमें तो रक्षित बैंक को अत्यधिक शक्ति दे दी गई है; परन्तु जहां तक मुझे ज्ञात है रक्षित बैंक के पास पहले ही पर्याप्त शक्ति है। उसे बैंकों का निरीक्षण करने तथा उन पर नियंत्रण रखने के सम्बन्ध में पहले ही पर्याप्त शक्ति प्राप्त है और वह उसका उपयोग करता रहा है। उसके वार्षिक प्रतिवेदनों में कई बार ऐसा उल्लेख किया गया है कि भारत में बैंकिंग समवायों के कार्य निष्पादन में काफी सुधार हुआ है और उन पर नियंत्रण रखने में कोई कठिनाई नहीं है। उन प्रतिवेदनों से ऐसा बिलकुल प्रतीत नहीं होता कि उस सम्बन्ध में रक्षित बैंक को उचित कार्यवाही करने तथा भारत की बैंकिंग नीतियों के बारे में अवांछनीय प्रवृत्तियों के नियंत्रण के लिये किसी प्रकार से कम शक्तियां प्राप्त हैं। इसीलिय मुझे रक्षित बैंक को इतनी और अधिक शक्तियों के दिये जाने पर आपत्ति है।

और फिर इसमें यह शब्द लिख कर 'कि निक्षेपकों के हित के लिये अहितकारी तरीकों से सिद्ध होने वाले मामलों को रोकने के लिये·····' हम रक्षित बैंक को पूरे-पूरे अधिकार दे रहे हैं और वह जब भी चाहे किसी भी समवाय को कोई भी निदेश जारी कर सकता है। इसलिये मैं श्री तुलसीदास के सुझाव को प्रभावकारी समझता हूं। यदि आपने इतने अधिक अधिकार रक्षित बैंक को दे दिये,

†मूल अंग्रेजी में।

[श्री नि० चं० चटर्जी]

तो उससे अन्य बैंकों का उपक्रम दब जायेगा, और वे अपने आपको अयोग्य समझने लगेंगे। यदि ऐसी ही बात है, तो फिर इन बैंकों का सीधा ही राष्ट्रीयकरण कर दीजिये और गैर-सरकारी क्षेत्र को पूर्णतः समाप्त कर दीजिये।

फिर आप प्रबन्धक-निदेशकों तथा निदेशकों की नियुक्तियों के सम्बन्ध में भी शक्ति ले रहे हैं। इसमें यह कहा गया है कि कोई भी नियुक्ति तब तक मान्य न होगी जब तक कि उसे रक्षित बैंक की स्वीकृति प्राप्त न होगी। अब तक तो निदेशक अथवा संरक्षक चुने जाते थे और इसलिये वे अपने आपको उत्तरदायी समझते थे। परन्तु अब वह नियुक्ति रक्षित बैंक की स्वीकृति के बिना नहीं हो सकेगी। इसका अर्थ यह है कि अब उसकी नियुक्ति रक्षित बैंक के केवल एक ही पदाधिकारी पर निर्भर करती है, और फिर ऐसी नियुक्तियों के बारे में जांच करने के लिये हम कोई प्रवर समिति भी नियुक्त न कर सकेंगे।

इसका परिणाम यह होगा कि बैंकिंग समवाय पर्याप्त सीमा तक पंगु हो जायेंगे, वे अपने उत्तर-दायित्वों से रहित हो जायेंगे और ये सभी बातें उनके लिये अहितकारी सिद्ध होंगी। मैं नहीं समझता कि ऐसा कोई भी बैंक, जिसमें थोड़ा सा भी आत्मसम्मान है, जिसने पहले अच्छी प्रकार से जनसेवा की है, इस विधेयक से सहमत होगा। वे बैंक निश्चय ही इस प्रकार के विधान का विरोध करेंगे।

जैसा कि मेरे मित्र ने बताया है, बैंकिंग समवायों का काम विश्वास पर ही चलता है। इसलिये उनकी पूर्ववर्ती विश्वस्त व्यवस्था में किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप न किया जाये।

†**श्री उ० मू० त्रिवेदी** (चित्तौड़) : खण्ड ७ क इस उपबन्ध के विरोध का काफी ठोस आधार है। प्रस्तावित धारा ३५ ख (१) (क) के अधीन किसी भी प्रबन्धक अथवा निदेशक की नियुक्ति से सम्बन्ध रखने वाले किसी भी उपबन्ध के बारे में कोई भी संशोधन तब तक लागू न हो सकेगा जबतक कि रक्षित बैंक उसका अनुमोदन न करेगा। इस प्रकार से इस धारा के अधीन जब ऐसी व्यवस्था कर दी गई है तो फिर उप-धारा (१) (ख) की क्या आवश्यकता है जिसके अनुसार नियमों के संशोधन हो जाने के बाद भी यदि इस प्रकार की कोई नियुक्ति होगी तो उसे तब तक मान्य नहीं समझा जायेगा जबतक कि उसके लिये रक्षित बैंक से पूर्व मंजूरी न ली जायेगी।

परन्तु इस प्रकार की पूर्व मंजूरी प्राप्त कैसे की जाये ? अभ्यर्थियों को चुना कैसे जायेगा, और उनका अनुमोदन कैसे प्राप्त किया जायेगा ? यदि कोई ऐसा व्यक्ति चुन लिया जाता है जोकि सत्तारूढ़ सरकार के मन-अनुकूल नहीं है तो रक्षित बैंक अपनी इस 'वीटो' शक्ति के द्वारा उसे एक दम अस्वीकार कर देगा। सरकारी सेवा में इस प्रकार के बहुत से मामले पहले ही हो चुके हैं। लिखने को तो यह लिख दिया गया है कि सरकारी सेवा में जाति, वर्ग, पंथ अथवा धर्म की दृष्टि से कोई भेदभाव न होगा, परन्तु दैनिक व्यवहार में दल-सम्बन्धों के आधार पर ही नियुक्तियां की जाती हैं। यदि कोई व्यक्ति स्पष्ट-वादी बनकर यह बता दे कि उसका सम्बन्ध किसी विशेष पार्टी से है या था तो उसे सीधा ही उत्तर दे दिया जाता है; और यदि वह शुरू में सच-सच न बताय और बाद में जांच करने पर यदि वह तथ्य ज्ञात हो जाये तो भी उसे सचाई छिपाने के अपराध पर निकाल दिया जाता है। अतः आज जब हम देखते हैं कि प्रति दिन इस प्रकार की घटनायें होती हैं तो हमारे मन में यह आशंका उत्पन्न होती है कि बैंकों के इतने बड़े प्रबन्धकों और निदेशकों की नियुक्तियों में भी पार्टी सम्बन्धों का ध्यान रखा जायेगा और केवल उन्हीं व्यक्तियों को नियुक्त किया जायेगा जोकि सरकार की इच्छा के अनुसार काम करेंगे और उसकी हां में हां मिलायगे।

---

†मूल अंग्रेजी में।

इसलिये उसके विरोध में मेरा यह निवेदन है कि या तो आप सीधे ही एक ही बार बैंकिंग समवायों का राष्ट्रीयकरण कर दीजिये, अथवा उनसे इतनी अधिक शक्ति मत छीनिये। अन्यथा रक्षित बैंक को ये शक्तियां देना न्यायोचित नहीं है। इस खण्ड का नियुक्त होने वाले व्यक्तियों पर बुरा प्रभाव पड़ेगा।

निदेशक तो निःसन्देह एक निर्वाचित व्यक्ति होगा, परन्तु उसकी नियुक्ति भी रक्षित बैंक के अनुमोदन के बिना मान्य नहीं होगी। प्रबन्धक तो उनकी अर्हताओं के आधार पर ही चुना जाता है, परन्तु वहां भी यदि रक्षित बैंक मंजूरी न दे तो उनकी नियुक्ति नहीं हो सकती, और वे बेचारे इस मंजूरी का कारण पूछने के भी अधिकारी नहीं। तो इस प्रकार से रक्षित बैंक को इतनी अनन्य शक्ति दी जा रही है।

इसी खण्ड में यदि कोई ऐसी व्यवस्था होती कि किसी भी ऐसे व्यक्ति को जो कि दिवालिया हो चुका है, निदेशक बनने की अनमति न होगी, तो हम उसका स्वागत करते। परन्तु इसमें ऐसा कोई भी उपबन्ध नहीं है जिसमें बताया गया हो कि रक्षित बैंक अमुक-अमुक कारणों के आधार पर किसी नियुक्ति को अस्वीकार कर देगा।

तो इस प्रकार से रक्षित बैंक को अनन्य शक्ति दी जा रही है। मैं उसका विरोध करता हूं, और आशा करता हूं कि मंत्री जी विधेयक से इस उपबन्ध को सर्वथा निकाल देंगे।

फिर ३५क में लिखा हुआ है "जहां रक्षित बैंक सन्तुष्ट है·····"। परन्तु यह 'सन्तुष्ट' शब्द बड़ा अस्पष्ट सा है। इसलिये इसके स्थान पर यदि "जहां रक्षित बैंक किसी उचित आधार पर संतुष्ट हो", यह होता तो उसमें कोई सार्थकता भी होती। परन्तु यहां पर तो रक्षित बैंक की इच्छा पर सब कुछ छोड़ा जा रहा है, उसे परम शक्ति प्रदान की जा रही है। यह तो एक ऐसा उपबन्ध है कि इसके परदे में बहुत कुछ किया जा सकता है।

यह शक्ति 'राष्ट्रीय हित' में दी जा रही है। परन्तु 'राष्ट्रीय हित' नामक शब्द तो पूर्णरूपेण अस्पष्ट शब्द है। इससे तो अनेकानेक कठिनाइयां उत्पन्न हो जायेंगी और उसके परदे में कई प्रकार की बुराइयां उत्पन्न हो जायेंगी।

हमारे वित्त मंत्री जी एक बड़े ईमानदार व्यक्ति हैं, परन्तु सदा के लिये वही तो वित्त मंत्री रहेंगे नहीं; और इसलिये बाद में कई कठिनाइयां उत्पन्न हो जायेंगी। अतः इन परिस्थितियों में इतनी अधिक शक्ति का प्रदान करना उचित नहीं है।

†**श्री टेक चन्द** (अम्बाला–शिमला) : कुछ एक मिनटों के लिये भाषण देने की मुझे भी अनुमति दी जाये।

†**सभापति महोदय** : बहुत अच्छा।

†**श्री टेक चन्द** : जहां तक इस विधेयक के वास्तविक उद्देश्य का सम्बन्ध है, उससे मैं सहमत हूं, परन्तु इसके कुछ एक उपबन्धों के सम्बन्ध में मुझे सन्देह है।

यह सच है कि इस विधान को अच्छी प्रकार से सोच-विचार कर ही प्रस्तुत किया गया है, परन्तु इसकी कार्यान्विति में कई प्रकार की कठिनाइयां उत्पन्न हो सकती हैं। अतः यदि इसपर और अच्छी प्रकार से सोच-विचार करने के लिये इसे प्रवर समिति के पास भेज दिया जाता, तो अच्छा होता।

बैंक तो वास्तव में कांच के समान नाजुक होते हैं अतः उनक प्रति सावधानी स व्यवहार करना चाहिये। बैंकों में रुपया जमा कराने वाले व्यक्तियों और अंशधारियों के हितों की रक्षा बैंकों के उत्तरदायी प्रबन्धकों द्वारा अवश्य की जानी चाहिये। मैं अनुभव करता हूं कि रक्षित बैंक को ऐसी शक्ति दी जानी चाहिये थी जिनसे वह बैंकों के हितों की अधिक से अधिक रक्षा कर सकता। भावाथ यह है कि रक्षित

†मूल अंग्रेजी में।

[श्री टेक चन्द]

बैंक को ऐसी शक्ति होनी चाहिये जिससे बैंकिंग समवाय को अच्छी प्रकार से फलने-फूलने का अवसर मिले। परन्तु इसके विपरीत दी गई कोई भी शक्ति हानिकारक तथा नाशकारक सिद्ध होगी। इसलिये मैं मंत्री जी का ध्यान खण्ड ७ की ओर आकर्षित करता हूं।

इसमें लिखा हुआ है कि रक्षित बैंक 'राष्ट्रीय हित में'.....। मैं समझता हूं कि 'राष्ट्रीय हित' शब्द के स्थान पर 'लोक हित' शब्द होना चाहिये। क्योंकि 'राष्ट्रीय हित' की स्थिति में मंत्री जी किसी समय आवश्यकता होने पर भी किसी प्रकार का हस्तक्षेप न कर सकेंगे।

फिर उप-खण्ड (१) (ख) में एक जैसे अर्थों वाले दो शब्द प्रयुक्त किये गये हैं—वे हैं 'Detrimental' ('अहितकारी') और 'Prejudicial' ('प्रतिकूल प्रभाव वाले')। मैं अनुभव करता हूं कि इनमें से केवल एक शब्द 'अहितकारी' ही पर्याप्त है, और वह शब्द दोनों स्थानों पर उचित अर्थ दे सकता है। मुझे इस बात में कोई तुक नहीं दिखाई देता कि रक्षित बैंक को यदि यह आशंका हो कि किसी बैंकिंग समवाय के कृत्य निक्षेपकों के लिये अहितकारी होंगे परन्तु बैंकिंग समवाय के विषय में अहितकारी नहीं होंगे तो वह अपेक्षित निदेशन जारी करेगा। यह प्रतिवाद मात्र है। इसलिये भाषा का गहन अध्ययन करना चाहिये ताकि बाद में इसे ठीक ढंग से उपयोग में लाया जा सके।

अब मैं मद (ग) की चर्चा करता हूं। इसकी भाषा भी यदि विभिन्न होती तो वही उद्देश्य प्राप्त हो सकता था। और 'Directions' (निदेश) या 'Directives' (निदेश) शब्द अस्पष्ट है। मैं चाहता हूं कि कम से कम "कारण बतलाने" जैसा एक उपबन्ध भी होना चाहिये था अर्थात इस प्रकार का कोई निदेश जारी किये जाने से पूर्व बैंकिंग समवाय को कारण बतलाने का अवसर दिया जाना चाहिये। समवाय द्वारा अभ्यावेदन किये जाने के सम्बन्ध में उपबन्ध होना चाहिये ताकि सम्बन्धित बैंकिंग समवाय सुझाव दे सके या रक्षित बैंक को बता सके कि अवेक्षित निदेश जारी नहीं किया जाना चाहिये।

†**श्री ति० त० कृष्णमाचारी** : माननीय सदस्य अभी तक विशिष्ट खण्ड के प्रारम्भिक प्रक्रमों की चर्चा कर रहे हैं। जिस समय वह भाषण समाप्त करेंगे, साढ़े चार बज जायेंगे।

†**सभापति महोदय** : मैं माननीय सदस्य से प्रार्थना करूंगा कि वह शीघ्र चर्चा समाप्त करें।

†**श्री टेक चन्द** : मेरा केवल इतना निवेदन है कि उपबन्धों पर ध्यानपूर्वक विचार करना इस बात से कहीं अच्छा होगा कि बाद में विधेयक में संशोधन किये जायें।

†**श्री ति० त० कृष्णमाचारी** : जहां तक श्री तुलसीदास के संशोधन संख्या ३२, ३३, ३५ तथा ३६ का सम्बन्ध है, वे उन संशोधनों से पूर्णतः मेल नहीं खाते जिन्हें मैंने खंड ३ और ४ के सम्बन्ध में स्वीकार किया है। दो पृथक् वाक्यांशों अर्थात् "Banking Company" ["बैंकिंग समवाय"] तथा "Banking Companies" ["बैंकिंग समवायों"] का उपयोग किया जा रहा है; मैंने कल बताया था कि विशिष्ट धारा के सम्बन्ध में मैंने जानबूझ कर इन शब्दों का उपयोग किया है। कुछ ऐसे उदाहरण थे कि जहां हम बैंक की किसी विशिष्ट कार्यवाही के सम्बन्ध में, जैसे कि जब वे धारा ३६ के अधीन लाभांश की घोषणा करते हैं, कुछ नहीं कर सकते थे। यह धारा रक्षित बैंक को कार्यवाही करने की इजाजत नहीं देती है, अन्य प्रथायें हैं, एक और मामला भी था जिसमें स्थिति विभिन्न थी। प्रश्न कुछ पेशगियों के सम्बन्ध में था जिनके सम्बन्ध में हमें उनसे कहना था कि वे ऐसा न करें, य बातें की गई हैं। यदि वस्तुतः यह किसी एक समवाय विशेष का मामला होगा तो सूचना निर्गमित की जायगी। यदि बहुत से मामले होंगे तो एक सामान्य निर्देश जारी किया जायगा और इसक सम्बन्ध में बैंकों पर कोई

†मूल अंग्रेजी में।

प्रभाव नहीं होगा या वे पूर्णतः अनुत्कंठित नहीं होंगे। मैं श्री तुलसीदास के सशोधनों को स्वीकार नहीं कर सकता हूं।

मुझ प्रसन्नता है कि इस विशिष्ट खंड की सामान्य आलोचना के सम्बन्ध में हमें तीन विख्यात विधिविज्ञों का लाभ तथा अनुभव प्राप्त था; मुझे प्रसन्नता है कि उन्होंने इस विशिष्ट खण्ड पर अपनी मंत्रणा नहीं दी है। निस्सन्देह यह समस्त योजना का निचोड़ है ; यह खण्ड सबसे अधिक महत्वपूर्ण है और स्वाभाविकतः विधिज्ञों का ध्यान इसने आकर्षित किया है। निस्सन्देह हम शक्तियां ले रहे हैं। मैं इस बात से इन्कार नहीं करता हूं। प्रश्न यह है कि मेरे माननीय मित्र श्री टेक चन्द जैसे विख्यात विधिविज्ञों द्वारा हमें जो मंत्रणा दी गई है, क्या उसके अनुसार इस विधेयक म परिवर्तन किया जाना चाहिये या इसे इसी प्रकार से रहने दिया जाये जिस रूप में कि यह इस समय है। यदि आप ऐसा करते हैं तो अपने माननीय मित्र के शब्दों का यदि मैं उपयोग करूं "आकाश गिर पड़ेगा"। इस प्रकार की नाटकीयता का दृष्टिकोण ठीक है; कई बार विधिज्ञ के पास कहने के लिये कोई बात नहीं होती और वह देर तक बोलता है और भावों को जागृत करने वाले नाटक को यदि ऊंचे स्वरों में प्रारम्भ किया जाये तो वह लाभदायक होता है और आप चीखने लगते हैं ताकि लोग यह सोचें कि कुछ बहुत बड़ी और कुछ दुखद घटना जैसी चीज हो रही है, आपको इसका चित्रण करना होता है, मेरे विचार में यह ऐसी बात है कि जिसका मुझे उत्तर देने की आवश्यकता नहीं है। मेरे विचार में माननीय सदस्यों को उत्तर चाहिये भी नहीं क्योंकि वे अपने स्थानों पर नहीं हैं और चले गये हैं। यह खण्ड एक अच्छा खण्ड है और यह संशोधनों की सारी योजना का निचोड़ है और इसे विधेयक में रहना चाहिये।

†**सभापति महोदय** : प्रश्न यह है :

पृष्ठ ५, पंक्ति ३५ में, "the banking" [बैंकिंग] शब्द के स्थान पर "Any Banking" ["कोई बैंकिंग"] शब्द रखे जायें।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

†**सभापति महोदय** : प्रश्न यह है :

पृष्ठ ६, पंक्ति ८ में "re-appointment" ["पुर्नियुक्ति"] शब्द के पश्चात् "or remuneration" ["अथवा पारिश्रमिक"] शब्द रखे जायें।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

†**सभापति महोदय** : प्रश्न यह है :

पृष्ठ ६, पंक्ति २१ में, "Nothing contained in Section 268 or section 269" ["धारा २६८ अथवा २६९ में दी गयी कोई भी बात"] के स्थान पर "Nothing contained in sections 268, 269,310, 311 and 388 (in so far as section 388 makes the provisions of sections 310 and 311 apply in relation to the Manager of a Company)" ["धारा २६८, २६९, ३१०, ३११ और ३८८ में दी गयी कोई भी बात (जहां तक कि धारा ३८८, धारा ३१० और ३११ के उपबन्धों को किसी समवाय के व्यवस्थापक के सम्बन्ध में लागू करती हो "] शब्द रखे जायें।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

---

†मूल अंग्रेजी में।

†**सभापति महोदय** : प्रश्न यह है :

पृष्ठ ६, पंक्ति ३०में, "Section" ["धारा"] के स्थान पर "Sub-Section" ["उप-धारा"] शब्द रखा जाये ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

†**सभापति महोदय** : क्या श्री तुलसीदास चाहते हैं कि मैं उनके संशोधनों को रखूं ?

†**श्री तुलसीदास** : जी, हां ।

सभापति महोदय द्वारा संशोधन संख्या ३२, ३३, ३५ और ३६ मतदान के लिये रखे गये तथा अस्वीकृत हुए ।

†**सभापति महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड ७, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खण्ड ७, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया ।

खण्ड ८—(धारा ३६ का संशोधन)

†**श्री तुलसीदास** : मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ ७ में पंक्ति संख्या ३ से १९ हटा दी जायें ।

धारा ३६ के अधीन मेरे माननीय मित्र को असाधारण शक्तियां प्राप्त हो जायेंगी । मेरे विचार में किसी भी देश को वे विशिष्ट अधिकार प्राप्त नहीं हैं जो उपखण्ड (२), (३) तथा (४) के अधीन सरकार को प्राप्त होंगे । माननीय मंत्री धारा ३६ को प्रत्येक बैंक पर लागू करना चाहते हैं । इसके अधीन वह प्रत्येक बैंक में अधिकारियों को भेज सकेंगे और बैंकिंग समवायों के निदेशक बोर्ड या समवाय द्वारा गठित की गई किसी समिति या किसी अन्य संस्था के लिये यह अपेक्षित होगा कि वह रक्षित बैंक द्वारा उल्लिखित किसी पदाधिकारी को लिखित रूप में सभी बैठकों के सम्बन्ध में सूचना दें । यह सभी बैंकिंग समवायों के लिये अनिवार्य होगा । इन शक्तियों से लाभ के स्थान पर हानि ही होगी । बैंकिंग समवायों की भांति रक्षित बैंक में भी ऐसे पदाधिकारी हो सकते हैं, जो इन अधिकारों का इस प्रकार उपयोग करें कि उससे देश को हानि हो । माननीय वित्त मंत्री कुछ भी कहें हमारी राय यह है कि इन शक्तियों से देश में बैंकिंग समवायों को हानि ही होगी । ये पदाधिकारी इन अधिकारों का उपयोग किस प्रकार करेंगे, मुझे यह समझ में नहीं आता है । मुझे आशा है कि माननीय मंत्री मेरे संशोधन संख्या ३९ को स्वीकार करेंगे ।

†**सभापति महोदय** : संशोधन प्रस्तुत हुआ ।

क्या संशोधन संख्या ४० भी प्रस्तुत किया जायेगा ?

†**श्री अय्युण्णि** : श्रीमान्, मैं इसे प्रस्तुत नहीं करना चाहता ।

†**श्री रामचन्द्र रेड्डी** (नेल्लोर) : मैं वित्त मंत्री को यह बताना चाहता हूं कि खण्ड ७ या धारा ३५ख के अधीन शक्ति लेने के बाद सरकार द्वारा खण्ड ८ के अधीन अग्रेतर शक्तियां लेना असाधारण सी बात मालूम होती है । खण्ड ८ में इसके एक या एक से अधिक पदाधिकारियों को निदेशक बोर्ड की किसी भी बैठक की कार्यवाही को देखने के लिये कहा गया है और निदेशक बोर्ड के लिये बैठक की सूचना का देना

---

†मूल अंग्रेजी में ।

अपेक्षित है। खण्ड ८ की सभी बातें खण्ड ७ को देखते हुए बेकार और अनावश्यक मालूम होती हैं। यह एक प्रकार से अनुचित हस्तक्षेप है। यदि सरकार इस प्रकार से बैंकों के कार्यकरण का निरीक्षण करना चाहती है तो इससे कहीं अच्छा है कि वह इनका सारा प्रबन्ध अपने हाथों में ले ले।

मैं मंत्री महोदय से अनुरोध करूंगा कि वह इस समस्त खण्ड को विधेयक में से निकाल दें या इसके शब्दों में इस प्रकार से परिवर्तन करें कि यह खण्ड बैंकों के लिये हानिकर सिद्ध न हो सके।

मुझे यह देखकर भी आश्चर्य हुआ है कि इस अवलोकन के लिये कोई समय-सीमा निर्धारित नहीं की गई है। यदि कोई समय-सीमा निर्धारित की गई होती तो अच्छा होता। इसमें यह नहीं कहा गया है कि पर्यवेक्षण किस प्रकार से किया जायेगा और किस प्रकार से एक विशिष्ट अवधि के बाद पर्यवेक्षण करना बन्द किया जायेगा। यह खण्ड अनावश्यक प्रतीत होता है। इन कुछ संशोधनों से मालूम होता है कि माननीय मंत्री इस विधेयक को आसानी से प्रवर समिति को सौंप सकते थे और प्रवर समिति कुछ ही घंटों में अपना काम पूरा कर सकती थी।

†**श्री ति० त० कृष्णमाचारी** : मूल रूप से आपत्ति समस्त धारा के सम्बन्ध में है। कल विस्तृत रूप से मैंने इस विशिष्ट धारा की चर्चा की थी और बताया था कि किस प्रकार से एक के बाद दूसरी बात आती है।

इस विशिष्ट मामले में केवल एक प्रेक्षक की ही मांग की जा रही है—यह निदेशक को नियुक्त करने का प्रश्न नहीं है—ताकि वह स्थिति की जांच कर सके। दूसरी बातें इसके बाद आती हैं।

यहां यह कहा गया है कि निदेशकों की बैठक गुप्त रखी जानी चाहिये। यथार्थ में बात भी यही है क्योंकि बैंक निदेशक वहां छल-सन्धि करते हैं। वे कहते हैं कि गोपनीयता का यह प्रश्न स्वयं सुधार के विरुद्ध एक रुकावट है। विचार यह है कि इसे रक्षित बैंक से गुप्त न रखा जाये। रक्षित बैंक को अवश्य मालूम होना चाहिये कि गुप्त रूप से क्या किया जा रहा है। मुख्य कार्यपालक की नियुक्ति की स्वीकृति मांगने के लिये पूर्वगामी धारा में जो अधिकार है, वह यहां मेल नहीं खाता है। मुख्य कार्यपालक को नियुक्त किया जा सकता है, परन्तु निदेशक बोर्ड अपनी मनमानी भी कर सकता है। बहुत बड़े बैंकों के ऐसे उदाहरण हैं, जहां मुख्य कार्यपालक और निदेशक बोर्ड में असामंजस्य है। हो सकता है कि किसी एक विशिष्ट मामले में मुख्य कार्यपालक गलती पर हो और किसी अन्य मामले में निदेशक बोर्ड गलती पर हो। केवल इतना ही पर्याप्त नहीं होगा कि हमें मुख्य कार्यपालक की नियुक्ति के सम्बन्ध में शक्ति प्राप्त है और इसलिये हमारे लिये यह जानना आवश्यक नहीं है कि बोर्ड की बैठकों में क्या कुछ किया जा रहा है, किस प्रकार का अवलोकन आवश्यक है और हमें किस प्रकार से सूचना प्राप्त करनी होगी। माननीय सदस्यों ने जो तर्क प्रस्तुत किये हैं, वे इस तथ्य को देखते हुए प्रस्तुत नहीं किये गये हैं। इसलिये मैं अपने माननीय मित्रों के संशोधन स्वीकार नहीं कर सकता।

†**श्री न० रा० मुनिस्वामी** : मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या ये प्रेक्षक केवल बोर्ड की बैठकों की कार्यवाही का अवलोकन मात्र ही करेंगे या उन्हें निदेशक बोर्ड की बैठकों में कुछ कहने का अवसर भी दिया जाना चाहिये ?

†**श्री ति० त० कृष्णमाचारी** : मैं अपने माननीय मित्र का अभिप्राय नहीं समझ सका।

†**सभापति महोदय** : यदि आप खण्डों को पढ़ें, तो बात स्पष्ट है।

†**श्री ति० त० कृष्णमाचारी** : मुख्य बात यह है। वे मत नहीं देंगे। यदि वे कुछ बातों का शोधन करना चाहते हैं तो उन्हें अपने विचार को अभिव्यक्त करना होगा।

सभापति महोदय द्वारा संशोधन संख्या ३९ मतदान के लिये रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ।

---

†मूल अंग्रेजी में।

†**सभापति महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड ८ विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खण्ड ८ विधेयक म जोड़ दिया गया ।

खण्ड ९ विधेयक में जोड़ दिया गया ।

खण्ड १०—(नई धारा ४६क की निविष्टि)

†**सभापति महोदय** : श्री अय्युण्णि का एक संशोधन है । क्या माननीय सदस्य अपना संशोधन प्रस्तुत करना चाहते हैं ?

†**श्री अय्युण्णि** : मैं अपना संशोधन संख्या ४२ प्रस्तुत करता हूं ।

मैंने यह संशोधन इसलिये रखा है कि बैंक में बहुत से कर्मचारी होते हैं—सभापति से लेकर चपरासी तक; और मैं चाहता हूं कि इस खंड में बड़े-बड़े अधिकारियों पर ही दायित्व रहे, छोटे-छोटे कर्मचारियों पर नहीं । यदि छोटे-छोटे कर्मचारियों को भी लोक सेवक मान लिया जायेगा, तो हो सकता है कि वे अज्ञानवश कुछ ऐसा कर बैठें जिनसे उनके विरुद्ध कार्यवाही हो जाये । इन छोटे-छोटे कर्मचारियों को, उच्च सार्वजनिक अधिकारियों की भांति, परित्राण भी प्राप्त नहीं हैं । क्या वे परित्राण इन पर भी लागू होंगे ? यह स्पष्ट नहीं है ।

†**सभापति महोदय** : संशोधन प्रस्तुत हुआ ।

†**श्री उ० मू० त्रिवेदी** : श्री तुलसीदास का यह सुझाव बड़ा तर्कपूर्ण है कि खण्ड १० द्वारा परोक्ष रूप में राष्ट्रीयकरण करने का प्रयास किया जा रहा है । इसमें बैंक के सभी कर्मचारियों को, भारतीय दण्ड संहिता के अध्याय ९ के काम के लिये, लोक सेवक माना गया है । यदि कोई लोक सेवक कोई अपराध करता है तो अभियोजन के लिये सरकार से अनुमति लेनी पड़ेगी । दूसरी व्यवस्था यह है कि इसकी शिकायत भी सरकार द्वारा ही की जायेगी । उसके मामले की जांच भी पुलिस के उप-अधीक्षक द्वारा ही की जा सकेगी । वह लोक-सभा या राज्य-सभा के लिये भी खड़ा हो सकता है । लेकिन बैंक में तो चपरासी भी होंगे, और उन्हें भी 'लोक-सेवक' माना गया है । लेकिन, उन्हें लोक सेवकों की भांति संरक्षण नहीं दिया गया है । उन पर केवल दायित्व ही बढ़ाया गया है, संरक्षण की कोई व्यवस्था नहीं की गई है ।

माननीय वित्त मंत्री को स्वयं इसकी ओर ध्यान देना चाहिये ।

भारतीय दंड संहिता की धारा १६१ की व्याख्या में, "वैध पारिश्रमिक" की परिभाषा में केवल वही पारिश्रमिक नहीं है जोकि लोक सेवक वैध रूप में मांग सकता है, बल्कि वे सभी पारिश्रमिक भी सम्मिलित हैं जिन्हें स्वीकार करने की अनुमति सरकार द्वारा दी जा चुकी है ।

प्रश्न उठता है कि क्या बैंक के लोक सेवकों को इस परिभाषा के अनुसार वैध पारिश्रमिक मिलता है ? यदि नहीं तो आप अभियोजन कैसे चला सकेंगे ? मैं यह कहना चाहता हूं कि आप ऐसी विधि न बनाइये जिसे लागू करन में कठिनाई हो । इस विधेयक में यह व्यवस्था आवश्यक नहीं है ।

सभापति महोदय द्वारा संशोधन संख्या ४२ मतदान के लिये रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ ।

---

†मूल अंग्रेजी में ।

†**सभापति महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड १० विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खण्ड १० विधेयक में जोड़ दिया गया

खण्ड ११ विधेयक में जोड़ दिया गया ।

खण्ड १२—(धारा ५० का संशोधन)

†**श्री ति० त० कृष्णमाचारी** : यह एक आनुषंगिक संशोधन है ।

संशोधन किया गया : पृष्ठ ८ में,

खण्ड १२ के स्थान पर,

12. In section 50 of the Principal Act, for the words, brackets, figures, and letter "contained in sections 10 and 16 or by reason of the compliance by a banking company with any order given to it under sub-clause (ii) of clause (d) of sub-section (1) of section 36" the following shall be substituted, namely :—

"contained in section 10, 12A, 16, 35A, 35B and 36 or by reason of the compliance by a banking company with any order or direction given to it under this Act."

['१२. मूल अधिनियम की धारा ५० में, "धारा संख्या १० और १६ में विद्यमान अथवा धारा ३६ की उप-धारा (१) के खण्ड (घ) के उप-खण्ड (२) के अन्तर्गत किसी बैंकिंग समवाय को दिये गये किसी आदेश का उसके द्वारा पालन करने के कारण" इन शब्दों, कोष्ठों, आंकड़ों और भाषा के स्थान पर

"धारा संख्या १०, १२क, १६, ३५क, ३६ख में विद्यमान या इस अधिनियम के अन्तर्गत किसी बैंकिंग समवाय को दिये गये किसी आदेश या निदेश का उसके द्वारा पालन करने के कारण" '] शब्द रखे जायें ।

[श्री ति० त० कृष्णमाचारी]

†**सभापति महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड १२, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खण्ड १२, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया ।

खण्ड १३, १४ और अनुसूची विधेयक में जोड़ दिये गये ।

†**सभापति महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड १, अधिनियमन सूत्र और शीर्षक विधेयक के अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खण्ड १, अधिनियमन सूत्र और शीर्षक विधेयक में जोड़ दिये गये ।

†**श्री ति० त० कृष्णमाचारी** : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक, संशोधित रूप में, पारित किया जाये ।"

---

†मूल अंग्रेजी में ।

†**सभापति महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक को, संशोधित रूप में, पारित किया जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति

सड़सठवां प्रतिवेदन

†**श्री रामचन्द्र रेड्डी** (नेल्लोर) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि यह सभा गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति के सड़सठवें प्रतिवेदन से जो सभा में, १९ दिसम्बर, १९५६ को उपस्थापित किया गया था, सहमति प्रकट करती है ।"

†**सभापति महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि यह सभा गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति के सड़सठवें प्रतिवेदन से, जो सभा में १९ दिसम्बर, १९५६ को उपस्थापित किया गया था, सहमति प्रकट करती है ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

वृद्ध तथा दुर्बल व्यक्तियों के गृह विधेयक*

†**श्री कृष्णाचार्य जोशी** (यादगीर) : मैं, राज्य नीति के निदेशक तत्वों के अन्तर्गत, वृद्ध तथा दुर्बल व्यक्तियों की सुरक्षा तथा पोषण की व्यवस्था करने के लिये विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनमति चाहता हूं ।

†**सभापति महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि राज्य-नीति के निदेशक तत्वों के अन्तर्गत, वृद्ध तथा दुर्बल व्यक्तियों की सुरक्षा तथा पोषण की व्यवस्था करने के विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

†**श्री कृष्णाचार्य जोशी** : मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं ।

मोटर परिवहन श्रमिक विधेयक

†**सभापति महोदय** : अब सभा श्री गोपालन द्वारा ७ दिसम्बर, १९५६ को प्रस्तुत किये गये प्रस्ताव पर और आगे विचार करेगी ।

†**श्री अ० क० गोपालन** (कन्नूर) : कल मैंने वचन दिया था कि मैं अपने विधान को निजी मोटर परिवहन में काम करने वाले कर्मचारियों की दशा तक ही सीमित रखूंगा । मैंने इस सम्बन्ध में अध्यक्ष महोदय को लिख भी दिया है । मैं उसमें दो छोटे-छोटे संशोधन करुंगा ।

---

†मूल अंग्रेजी में ।

*भारत सरकार के असाधारण गजट अनु-भाग २, भाग २, दिनांक २१-१२-५६, पृष्ठ ११८७–९१ में प्रकाशित ।

†**सभापति महोदय** : माननीय सदस्य को विधान में संशोधन करने की अनुमति तो सभा ही दे सकती है। यदि सभा उन्हें उन भागों को वापस लेने की अनुमति नहीं देगी, तो मैं उनकी कोई सहायता नहीं कर सकूंगा। पुरःस्थापित होने के बाद, विधेयक सभा की सम्पत्ति बन जाता है।

†**श्री अ० क० गोपालन** : सभा ने मोटर गाड़ी (संशोधन) अधिनियम में कुछ महत्वपूर्ण संशोधन किये हैं। उसमें से एक मुख्य संशोधन परिवहन चालकों में अनुशासन बनाये रखने के सम्बन्ध में था। लेकिन, परिवहन चालकों की सेवा की दशा में सुधार करने के लिये कुछ भी नहीं किया गया है, हालांकि माननीय मंत्री ने एक व्यापक विधेयक प्रस्तुत करने का वचन दिया था। जब तक हम सड़क परिवहन के कर्मचारियों की दशा नहीं सुधारेंगे, तब तक सड़क परिवहन का विकास नहीं हो सकेगा।

त्रिदलीय स्थायी श्रम समिति की सर्वसम्मत राय यही थी कि कर्मचारियों की दशा में सुधार करना आवश्यक है। देश के आर्थिक और सामाजिक जीवन में मोटर परिवहन उद्योग के कर्मचारियों का महत्व काफी है, लेकिन फिर भी हमने गत कुछ वर्षों में उनकी दशा सुधारने के लिये कोई भी विधान पारित नहीं किया है। अन्य उद्योगों के कर्मचारियों के लिये हम कई विधान पारित कर चुके हैं। यह विधेयक उसी अभाव की पूर्ति करने के लिये है।

अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने भी सिफारिश की है कि चालकवृन्द के काम के घण्टे प्रति दिन आठ ही होने चाहियें, उसने यह भी बताया है कि भारत में चालकवृन्द के प्रतिदिन काम के घण्टे ही, अन्य सभी प्रकार के कर्मचारियों की तुलना में, सबसे अधिक हैं। ब्रिटिश शासन काल में पारित मोटर गाड़ी अधिनियम में भी चालकवृन्द के लिये प्रतिदिन काम के घंटे नौ ही रखे गये थे, हालांकि वास्तव में वे १५–१६ घंटे काम किया करते थे। हमने अभी हाल में जो मोटर गाड़ी अधिनियम के सम्बन्ध में संशोधन पारित किया है, उसमें इसका उल्लेख भी नहीं है। अध्याय ५ में, प्रति सप्ताह ४२ काम के घंटे निर्धारित किये गये हैं। अर्थात् प्रतिदिन सात घंटे से अधिक नहीं और प्रत्येक चार घंटों के कार्य के बाद आध घंटे के विश्राम की व्यवस्था भी है। यह बिलकुल उचित ही है।

अन्य उद्योगों में भी प्रतिदिन काम के घंटे आठ रहते हैं।

मोटरों के यंत्र में भी कुछ ऐसे परिवर्तन हुए हैं, जिनके कारण परिवहन कर्मचारी को कुछ अधिक श्रम करना पड़ रहा है, और उसके लिये प्रतिदिन सात घंटों से अधिक कार्य करना कठिन होगा। यदि उसके कार्य की परिस्थितियों में सुधार नहीं किया जाता, तो दुर्घटनायें होने की सम्भावना बढ़ जाती है। वास्तव में यदि उसे प्रतिदिन सात घंटे मोटर चलानी पड़ेगी तो इससे कुछ अधिक ही समय देना पड़ेगा क्योंकि घंटे आध घंटे पहले उसे मोटर के इंजन आदि को भी देखना पड़ेगा।

अध्याय २ में चिकित्सीय सुविधाओं की यह व्यवस्था की गई है कि जिस भी सेवा में १५० से अधिक परिवहन कर्मचारी हों वहां एक नियमित चिकित्साशाला रहनी चाहिये और स्थायी रूप से एक चिकित्सा अधिकारी वहां भी रहना चाहिये। दुर्घटनाओं आदि के समय वह बड़ा आवश्यक है।

अध्याय ३ में यह व्यवस्था की गई है कि जिस भी सेवा में सौ कर्मचारी हों, वहां मालिक को कर्मचारियों के लिये एक भोजनालय (कैन्टीन) का प्रबन्ध करना चाहिये। केन्द्रीय सरकार को इसके लिये नियम बनाने चाहियें। भोजनालय की एक प्रबन्ध समिति भी होनी चाहिये, जिसमें कर्मचारियों के प्रतिनिधि भी लिये जायें और जो भोजन के प्रकार तथा मूल्यादि के सम्बन्ध में निर्णय करें। कर्मचारियों को सस्ता भोजन का उपलब्ध करना आवश्यक है।

अध्याय ४ में विश्रामालयों और वाचनालयों तथा मनोरंजन की सुविधाओं की व्यवस्था की गई है। देहाती क्षेत्रों की सेवाओं के लिये यह बहुत आवश्यक है। हमें इन कर्मचारियों का सांस्कृतिक और शैक्षणिक स्तर ऊंचा करना चाहिये।

---

†मूल अंग्रेजी में।

[श्री अ० क० गोपालन]

अध्याय ५ के खण्ड ११ में अधिक समय तक काम[1] करने और उसके भत्ते का प्रश्न लिया गया है। प्रतिदिन सात घंटों से अधिक काम के घंटों को अधिक समय तक का काम माना जाना चाहिये, और अधिक समय तक काम करने के घंटों की वार्षिक सीमा १२० घंटे और मासिक सीमा ४० घंटे रहनी चाहिये। इससे अधिक काम करने पर उनका स्वास्थ्य गिर जायेगा। अधिक समय तक काम के घंटों की मजूरी भी दूनी होनी चाहिये।

खण्ड १२ में व्यवस्था की गई है कि प्रतिदिन के काम और बीच के विश्राम के घंटे मिला कर ९½ घंटों से अधिक नहीं होने चाहियें। कुल घंटों का विस्तार प्रतिदिन इससे अधिक नहीं होना चाहिये।

इस अध्याय की अन्तिम व्यवस्था रात के समय के काम से सम्बन्धित है, कि रात के समय का काम ७ बजे शाम से आरम्भ हो और उसकी मजूरी दूनी रखी जाये।

अध्याय ६ में सवेतन छुट्टियों का प्रश्न लिया गया है। वर्ष भर तक लगातार सेवा करने पर प्रत्येक कर्मचारी को पूरी तनखा के साथ १५ दिनों की आकस्मिक छुट्टी, ३० दिनों की विशेषाधिकृत छुट्टी और १२ दिनों की त्यौहारों आदि की छुट्टियां मिलनी चाहियें। १८० दिन काम कर लेने पर, कर्मचारी की सेवा लगातार वर्ष भर की मानी जानी चाहिये और छुट्टी के काल में साप्ताहिक विश्राम के दिनों का सम्मिलित होना भी सम्भव होना चाहिये।

बीमारी के कारण छुट्टी के सम्बन्ध में यह व्यवस्था की गई है कि अर्हता प्राप्त चिकित्सक द्वारा प्रमाणित किये जाने पर प्रत्येक परिवहन कर्मचारी को पूरी तनखा के साथ १५ दिनों और आधी तनखा के साथ एक महीने तक की छुट्टी मिलनी चाहिये।

खण्ड १६ में दुर्घटनाओं के सम्बन्ध में यह व्यवस्था की गई है कि यदि काम के दौरान में किसी कर्मचारी को चोट लग जाये तो उसे काम शुरू न कर सकने तक के काल की पूरी तनखा मिलनी चाहिये। यह बहुत ही आवश्यक है, इसलिये कि इतने अधिक घंटों तक काम करने के कारण दुर्घटनाओं की सम्भावना काफी बढ़ जाती है।

भविष्य निधि और उपदान की सुविधायें भी होनी चाहियें।

यह बड़ी अच्छी बात है कि स्थायी श्रम समिति इसके सम्बन्ध में एक विधान तैयार करने का विचार कर रही है। उपमंत्री ने भी ऐसा ही अश्वासन दिया था। हमने मोटर गाड़ी अधिनियम को तो संशोधित कर दिया है, और उसके संशोधन विधेयक के कुछ खण्डों में ऐसी भी व्यवस्थायें हैं कि दुर्घटनाओं के लिये कर्मचारियों को दण्ड दिया जाये। लेकिन देश में सड़क परिवहन के विकास के लिये हमने कुछ भी नहीं किया है। हमें परिवहन कर्मचारियों को अन्य श्रेणियों के कर्मचारियों के समान ही सुविधायें देनी चाहियें। उनकी दशा सुधारना आवश्यक है।

इन पांच वर्षों में सरकार ने इस सम्बन्ध में कुछ भी नहीं किया है। अब तो सरकार को मेरे इस विधेयक के न्यायोचित उपबन्धों को स्वीकार करके, इसके सम्बन्ध में एक व्यापक विधेयक प्रस्तुत करना चाहिये। अब भी यदि माननीय मंत्री ऐसे एक विधेयक को शीघ्र ही प्रस्तुत करने का आश्वासन दें, तो मैं अपने इस विधेयक पर विचार करना भी आवश्यक नहीं समझूंगा ?. सरकार का इसके प्रति क्या विचार है ?

†**सभापति महोदय** : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

मेरा विचार है कि इस विधेयक के सम्बन्ध में सरकार को एक वक्तव्य देना चाहिये, क्योंकि माननीय सदस्य ने कहा है कि माननीय मंत्री के संतोषप्रद वक्तव्य के बाद वे इस पर अग्रेतर विचार नहीं करना चाहते हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में।

[1] Overtime.

माननीय सदस्य संक्षेप में बोलें ।

†**श्री त० ब० विट्ठल राव** (खम्मम्) : केवल दस मिनट ।

†**सभापति महोदय** : हां, श्री विट्ठल राव बोलें ।

†**श्री त० ब० विट्ठल राव** : इस विधेयक का उद्देश्य मोटर परिवहन कर्मचारियों की सेवा की अवस्थाओं को संविहित उपबंध प्रदान करना है । आज से बीस वर्ष पूर्व अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने एक प्रस्ताव स्वीकार किया था । भारत इस संगठन का सदस्य है किन्तु हमने उस प्रस्ताव का अनुसमर्थन नहीं किया है । इस उद्योग में तीन लाख पचास हजार कर्मचारी हैं । यह बात मान ली गई है कि फैक्टरियों और खदानों में काम करने वाले लोगों को जो सुविधायें दी गई हैं वही सुविधायें परिवहन कर्मचारियों को मिलनी चाहियें ।

दीर्घ समय से हम यही मांग कर रहे हैं । श्रम उपमंत्री ने १९५४ में अधिकारपूर्वक कहा था कि सरकार इस दिशा में विचार कर रही है । हमने एक वर्ष तक प्रतीक्षा की किन्तु इस आश्वासन की पूर्ति नहीं हुई । मैंने और हमारी पार्टी के नेता ने एक विधेयक प्रस्तुत किया । यह सितम्बर, १९५५ में पुरःस्थापित किया गया था । इस पर फरवरी, १९५६ में चर्चा हुई । मंत्री महोदय ने फिर आश्वासन दिया कि वे एक विधान प्रस्तुत करेंगे । किन्तु कोई परिणाम नहीं हुआ । स्थायी श्रम समिति ने सिफारिश की कि विधान अधिनियमित होना चाहिये ।

तेरहवें सत्र में मेरे प्रश्न के अनुपूरक का उत्तर देते हुए मंत्री महोदय ने कहा था कि वे श्रम संघों से परामर्श कर रहे हैं ।

राज्य परिवहन कर्मचारियों के बारे में कहा जाता है कि उनकी अवस्था अच्छी है अथवा उन्हें अधिक वेतन मिलता है । वहां एक ड्राइवर प्रातः चार बजे से बारह बजे तक मोटर चलाता है और फिर एक या दो बजे उसे फिर रवना होना पड़ता है । मैंने इन लोगों के बीच काम किया है और मैं जानता हूं कि इन्हें कठिनाइयों के साथ काम करना पड़ता है । फिर भी इनके लिये किसी प्रकार के संविहित उपबन्ध नहीं हैं ।

विश्रांति के घंटे, सवैतनिक छुट्टियां और निर्धारित समय से अधिक के लिये वेतन ये सब सारे भारत में सामान्य हैं । फिर परिवहन कर्मचारी इससे उपेक्षित क्यों रहें ? श्रम मंत्रालय इसमें विलम्ब कर रहा है । भले ही यह वेतन भुगतान अधिनियम हो या कर्मचारी बीमा अधिनियम के अधीन लाभ का विस्तार अथवा श्रमिक प्रतिकर अधिनियम का प्रश्न हो वे सदैव विलम्ब से काम करते हैं । यह मंत्रालय सर्वथा सुस्त है । प्रधान मंत्री से मेरी प्रार्थना है कि वह इस मंत्रालय में आमूल परिवर्तन करें ताकि इसमें सुधार हो ।

†**श्री वें० प० नायर** : (चिरयिन्कील) : मैं कुछ सामान्य बातें कहना चाहता हूं । यह विधेयक निर्विवाद है किन्तु सरकार इसे केवल इसलिये स्वीकार नहीं कर रही है कि यह विरोधी पक्ष की ओर से प्रस्तुत किया गया है ।

वस्तुतः यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि वर्तमान विधि से ३५०,००० श्रमिकों को अभी तक लाभ नहीं हुआ है ।

परिवहन कर्मचारियों के भाग्य को देखकर दुःख होता है । आधुनिक प्रवृत्ति यह है कि बसें और लारियां बड़ी बनाई जायें । पहले यह तीन टन वाली होती थीं किन्तु अब नौ टन की होती हैं । प्रायः हम इस बात को विस्मृत कर देते हैं । हमें याद है कि पहले बसों में २३ सवारियां बैठती थीं । आजकल आप

†मल अंग्रेजी में ।

[श्री वें० प० नायर]

देखते हैं कि दिल्ली में ही बसों की क्या अवस्था है । ऐसी अवस्था में ड्राइवर का उत्तरदायित्व अधिक हो गया है । बसों में लोग बैठते हैं, खड़े होते हैं, और लटकते हुए भी चलते हैं । ब्रेक लगाते समय बस के ड्राइवर को पर्याप्त शक्ति से काम लेना पड़ता है । बसों के वर्तमान रूप का कारण यह है कि उन पर कम खर्च हो । डीजल का प्रयोग भी हानिकर होता है । ड्राइवर की कठिनाइयों को हम साधारणतया नहीं जान पाते हैं । उसके कार्य की प्रतिष्ठा नहीं है । उसकी सेवा की सुरक्षा नहीं है । स्वयं मंत्री महोदय जानते हैं कि उनके ड्राइवर को कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है । ड्राइवर के बैठने के लिये कहीं छायादार जगह भी नहीं है । क्या ड्राइवर मनुष्य नहीं है ? कारों का बीमा होता है किन्तु कार के ड्राइवर की रक्षा का भार किसी पर नहीं है । यह हास्यास्पद है । कंडक्टरों की समस्यायें भी इतनी ही विषम हैं । आज से तीस वर्ष पहले उसे केवल तीस सवारियों को ही टिकटें देनी पड़ती थीं, अब उसे लगभग सौ सवारियों को टिकट बांटना पड़ता है । क्या उसे इस अतिरिक्त कार्य के लिये कुछ दिया जाता है ? उनकी अवस्था अत्यन्त चिंतनीय है । देश के निर्माण के लिये इस उद्योग का उत्थान परमावश्यक है ।

कल्पना कीजिये कि दिल्ली सड़क परिवहन सेवा का ड्राइवर भीषण गर्मी में ग्यारह बजे बस की ड्राइवरी आरम्भ करता है । उन दिनों इतनी गर्मी होती है कि हम लंच के लिये नार्थ एवेन्यू तक नहीं जा सकते । परन्तु यह ड्राइवर आठ घंटे तक बस पर रहता है । यह अकल्पनीय है । इस कथन में कोई अत्युक्ति नहीं है कि वर्तमान परिस्थिति में उसका शरीर सिक जायेगा अतः इस दिशा में नियंत्रण लगाने की आवश्यकता है ।

क्या श्री गोपालन के विधेयक में ऐसी कोई बात है जिसे सरकार नहीं कर सकती है ? क्या इसमें कोई विवादास्पद बात है ? इस विधेयक को स्वीकार कर लेने पर परिवहन कर्मचारियों की सेवा को सुरक्षा मिलेगी । उन्हें चिकित्सा सुविधायें प्राप्त होंगी । उनके काम के घंटे निर्धारित कर दिये जायेंगे । कार के ड्राइवर उनके बीमे की अदायगी करेंगे और उन्हें पर्याप्त सुविधायें मिलेंगी ।

त्रावनकोर-कोचीन में राज्य परिवहन के मामलों में परिवहन जांच आयोग की केवल वे सिफारिशें ही क्रियान्वित की गई हैं जो कर्मचारियों के लिये हानिकर थीं । लाभप्रद सिफारिशों को हाथ भी नहीं लगाया गया । ड्राइवर की सेवा की कोई सुरक्षा नहीं है । आप किसी क्षण उसे निकाल सकते हैं । वह न्यायालय की शरण भी नहीं ले सकता है । इस प्रवृत्ति में परिवर्तन होना चाहिये ।

†**श्री अच्युतन** : श्री त० ब० विट्ठल राव ने कहा कि श्रम मंत्री सर्वथा अकुशल हैं । प्रत्येक व्यक्ति इस बात को जानता है कि मंत्रालय के प्रभारी दोनों महानुभाव अत्यन्त अनुभवी एवं श्रेष्ठ कोटि के व्यक्ति हैं । पिछले पांच वर्षों में अनेक कल्याणकारी योजनायें क्रियान्वित की जा चुकी हैं । इस क्षेत्र में जो भी कार्य किये गये हैं उन पर हमें गर्व है ।

पिछले कुछ वर्षों में हमने देखा है कि भारत में केन्द्र तथा राज्य सरकारों ने प्रत्येक वर्ग के लिये श्रम सम्बन्धी अनेक विधान रखे हैं । हमने फैक्टरी में काम करने वाले श्रमिकों के सम्बन्ध में अनेक कल्याणकारी योजनायें प्रस्तावित की हैं । उनके वेतन, प्रतिकर, पारिश्रमिक आदि निर्धारित किये गये हैं । उस दिन माननीय सदस्य श्री त० ब० विट्ठल राव ने खदान श्रमिकों के बारे में चर्चा आरम्भ की थी और माननीय श्रम मंत्री ने उत्तर दिया था कि वह उस विषय की जांच करेंगे । मैं नहीं समझता कि मंत्रालय ने आलस्य का प्रदर्शन किया है ।

मैं श्री गोपालन को इस विधेक के लिये बधाई देता हूं । इसमें अनेक अच्छी बातें हैं । अगले पांच वर्षों में मोटर गाड़ियों आदि की संख्या में पर्याप्त वृद्धि होगी । देश के आन्तरिक भागों को मिलाने के लिये अनेक सड़कें बनाई गई हैं । यह देश के आर्थिक विकास की प्रतीक हैं । इन सब पर मुसाफिरों को ले जाने

---

†मूल अंग्रेजी में ।

और सामान को एक दूसरे स्थान पर ले जाने के लिये मोटरें और ट्रक चलेंगे । अतः यह सर्वथा उपयुक्त है कि परिवहन श्रमिकों को सुरक्षा प्रदान की जाये ।

गैर-सरकारी नियोजक कर्मचारियों के साथ मनमाना व्यवहार नहीं कर सकते हैं बशर्ते कि कर्मचारी सुसंगठित हों । यदि नियोजक अपनी इच्छानुसार कार्य करेंगे तो सम्पूर्ण कर्मचारीवर्ग हड़ताल कर देगा । मैं स्वयं एक परिवहन सेवा का विधि परामर्शदाता रह चुका हूं और मुझे स्मरण है कि पिछले पांच वर्षों की अवधि में उक्त सेवा में एक भी कर्मचारी बरखास्त नहीं किया गया । अतः श्रमिकों को इस शोचनीय दशा में चित्रित करना उचित नहीं है ।

इस विधेयक के उपबन्धों को स्वीकार करना उत्तम है । कंडक्टरों, ड्राइवरों आदि की सेवा की शर्तें इस प्रकार रखी जायें कि पढ़े-लिखे व्यक्ति भी इस क्षेत्र की ओर आकर्षित हो सकें । इस विधेयक को स्वीकार कर लिया जाये अथवा उससे अच्छा विधेयक प्रस्तुत किया जाये । इसमें विलम्ब न हो ताकि श्रमिकों को कल्याणजनक सुविधायें मिल सकें । इन सुविधाओं का उपबन्ध न करने वाले नियोजकों के लिये दण्ड की व्यवस्था होनी चाहिये । इन स्थानों में कैन्टीन तथा अन्य सुविधायें होनी चाहियें । विश्रांति-गृह, वाचनालय, क्लब आदि भी खोले जायें । इस उद्योग में लगभग साढ़े तीन लाख कर्मचारी हैं । देश के आर्थिक विकास में परिवहन संवर्द्धन का महत्वपूर्ण स्थान है, अतः स्वाभाविक है कि इस उद्योग में भविष्य में कर्मचारियों की संख्या बढ़ेगी ।

मुझे एक और सुझाव रखना है । जल परिवहन सेवा में अनेक कर्मचारी हैं मैंने नावों से दो सौ मील तक माल जाते देखा है । अर्नाकुलम् से आलप्पी, आलप्पी से क्विलोन, क्विलोन से कोहयम और अर्नाकुलम् से क्रेंगनूर आदि स्थानों को नावों से माल जाता है । अतः इस विशाल देश की परिवहन सम्बन्धी सब दिशाओं और पहलुओं पर ध्यान दिया जाना चाहिये और कर्मचारीवर्ग के लिये कल्याणकारी और सुरक्षात्मक लाभों का उपबन्ध कर उनकी कुशलता के प्रमाप में वृद्धि करने की दृष्टि से एक व्यवस्था की रचना की जानी चाहिये ।

इस विधेयक के लिये मैं श्री गोपालन को धन्यवाद देता हूं और माननीय मंत्री से प्रार्थना करता हूं कि वह इस पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करें ।

†**डा० रामा राव** : मुझे हर्ष है कि इस विधेयक का सारा सदन समर्थन करता है और मैं आशा करता हूं कि माननीय मंत्री इसे उनके संशोधनों के साथ जो उन्हें पसन्द हैं, स्वीकार कर लेंगे । कांग्रेस के माननीय सदस्य ने भी कहा है कि विधेयक के किसी उपबन्ध पर आपत्ति नहीं की जा सकती ।

बहुत सी श्रमिक सम्बन्धी विधियां ऐसी हैं, जिन्हें विशेषकर गैर-सरकरी क्षेत्र में अच्छी तरह लागू नहीं किया जाता । उदाहरणतया लारियों पर काम करने वाले श्रमिकों की स्थिति बहुत से राज्यों में अच्छी नहीं है । सरकारी परिवहन सम्बन्धी नियमों और विनियमों के क्रियान्वित न किये जाने के कारण बहुत सी दुर्घटनायें हो जाती हैं । जैसा कि मैं पहले कह चुका हूं, बस परिवहन का राष्ट्रीयकरण कर देना चाहिये । इसलिये मैं आशा करता हूं कि उपयुक्त संशोधनों के साथ माननीय मंत्री इस विधेयक को स्वीकार कर लेंगे ।

†**श्रम मंत्री (श्री खंडूभाई दसाई)** : सबसे पहले मैं यह बताना चाहता हूं कि मैं इस विधेयक के उद्देश्य से सहमत हूं । तथापि मैं नहीं समझ सका कि श्री विट्ठल राव ने आज इतने कटु शब्द क्यों प्रयोग किये हैं । हो सकता है उनका स्वास्थ्य आज शाम को कुछ बिगड़ गया है ।

जहां तक श्रम मंत्रालय के कार्यकरण और क्षमता का सम्बन्ध है, इसका निर्णय ३० लाख श्रमिक ही करेंगे । जहां तक मैंने देखा है वह इस मंत्रालय के कार्यकरण से काफी संतुष्ट हैं । इस विधेयक के

†मूल अंग्रेजी में ।

[श्री खंडूभाई देसाई]

मामले में पहल सरकार ने की थी और इस प्रश्न पर हमारी राय पर ही अप्रैल में स्थायी समिति ने विचार किया था। हमने ही नैतिक दबाव डाल कर परिवहन श्रमिकों को संरक्षण का सिद्धांत नियोजकों से मनवा दिया है। उसके तुरन्त बाद हमने विधान का प्रारूप बनाया और ३० जून को राज्यों को उनकी राय के लिये भेज दिया था।

श्री त० ब० विट्ठल राव यह जानते हैं कि यह विषय समवर्ती सूची में है। ऐसे विषय में हम अपनी इच्छा के अनुसार विधान नहीं बना सकते। यही मेरे सहयोगी उपमंत्री ने कहा था। हम प्रजातंत्र और संविधान के अनुसार काम करते हैं। उस विधेयक का प्रारूप तैयार करने में हमें केवल २ महीने लगे, जो हमने राज्यों को भेजा था। उनकी राय से सहमत होना हमारे लिये अनिवार्य नहीं है। किन्तु उनके विचार हमें मालूम होने चाहियें।

हमने स्थायी समिति में यह व्यवस्था की थी कि श्रमिकों की राय भी मालूम की जाये। मेरे सुझाव पर यह निर्णय किया गया था कि राज्यों की रायें प्राप्त होने पर, नियोजकों, कर्मचारियों और केन्द्र की एक त्रिपक्षीय समिति इनकी जांच करके विधेयक को अन्तिम रूप देगी। कुछ राज्यों ने अपनी राय भेज दी है और समिति शीघ्र बना दी जायेगी।

सदन को याद होगा कि उसने एक विधि पारित की है, जिसके अन्तर्गत सरकार कर्मचारी भविष्य निधि किसी भी व्यवसाय पर लागू कर सकती है। अतः यह विधान पारित न भी किया जाये, भविष्य निधि सम्बन्धी विधि तो लागू की जा सकती है। मूल विधि में कुछ त्रुटि थी जोकि अब दूर कर दी गई है, विधेयक कुछ दिन हुए, राज्य-सभा ने पारित किया था।

प्रतिकर के मामले में परिवहन श्रमिकों पर प्रतिकर विधि लागू होती है। जहां तक मजूरी अदायगी अधिनियम का सम्बन्ध है, राज्यों को विधि बढ़ाने का अधिकार दिया गया है और बहुत से राज्यों ने ऐसा किया है।

†**डा० रामा राव** : त्रुटियां बहुत सी हैं।

†**श्री खंडूभाई देसाई** : प्रत्येक विधान में ये होती हैं और इन्हें दूर करना प्रत्येक राज्य विधान सभा और इस संसद् का काम है।

जहां तक परिवहन के राष्ट्रीयकृत क्षेत्र का सम्बन्ध है, हमारी जानकारी के अनुसार, अधिकांश बड़े-बड़े राज्यों में जहां परिवहन का राष्ट्रीयकरण किया गया है या जहां इसे सरकारी क्षेत्र में ले लिया गया है और बम्बई और अहमदाबाद की नगरपालिकाओं में, यद्यपि कोई विधान नहीं फिर भी उन सब उपबन्धों को जिन्हें श्री गोपालन सम्मिलित करवाना चाहते हैं, क्रियान्वित किया जा रहा है। कैन्टीन हैं, श्रम के घंटों पर प्रतिबन्ध हैं, विश्राम का समय है, यद्यपि अधिनियम लागू नहीं होता, तथापि भविष्य निधि सम्बन्धी विनियम हैं, उपदान भी हैं।

किन्तु जहां तक गैर-सरकारी चालकों का सम्बन्ध है, मैं मानता हूं कि श्रमिकों को संरक्षण देने की आवश्यकता है। संगठित श्रम आंदोलन के कारण और हमारे कहने पर सरकार ने केन्द्रीय विधान बनाने का निर्णय किया था, ताकि देश भर में एकरूपता स्थापित हो। प्रारूपित विधान और राज्यों से प्राप्त रायों की जांच अध्ययन मंडली करेगी और वह इसे शीघ्र अन्तिम रूप देगी।

श्रम में अत्यधिक रुचि रखने वाले से कहूंगा—मैं स्वयं पिछले पैंतीस वर्षों से श्रम आंदोलन में भाग लेता आया हूं कि जल्दबाजी में बनाये हुए विधान से या जल्दी में लिये गये दायित्व से कभी-कभी उद्देश्य प्राप्ति की बजाय हानि होती है। इसलिये विधान बनाने के प्रश्न पर बहुत सावधानी से विचार

†मूल अंग्रेजी में।

करना चाहिये, ऐसा नहीं होना चाहिये कि "लेने गयी पूत और खोई आयी खसम"। अतः, यह बहुत गम्भीर मामला है। मैं श्री गोपालन से सहमत हूं कि जहां तक सामाजिक और श्रम सम्बन्धी विधान का सम्बन्ध है, कोई श्रेय लेने का प्रश्न नहीं है। यदि सुझाव अच्छे हों, चाहे वे कहीं से आयें, तो उन्हें स्वीकार किया जायेगा और किया जा रहा है। जहां तक मेरे दल और इस सरकार का सम्बन्ध है, हमने सबसे अच्छी बातें ली हैं, किन्तु नारों आदि को छोड़ दिया है, क्योंकि ये अधिनियम में नहीं रखे जा सकते और हम चीजें रखना चाहते हैं, जिनसे श्रमिकों और लोगों को लाभ पहुंचे।

जैसा कि मैंने आरम्भ में कहा है, मैं श्री गोपालन के विधेयक के अभिप्राय से सहमत हूं। समिति इस प्रश्न पर विचार करेगी और सरकार विधेयक में दिये गये सुझावों पर सावधानी से विचार करेगी।

जहां तक मजूरी भुगतान अधिनियम, प्रतिकर अधिनियम, न्यूनतम मजरा अधिनियम आदि में संशोधन करने का सम्बन्ध है, श्री त० ब० विट्ठल राव ने बहुत कटु आलोचना की है। यदि विरोधी पक्ष के मित्र जो इस सदन में और दूसरे सदन में हैं, कुछ सावधान होते, तो इस में संदेह नहीं कि मैं सब संशोधक विधेयक जोकि अब तैयार हैं प्रस्तुत कर देता। किन्तु सदन में समय की कमी के कारण, मैं उन सब विधेयकों को, जिनके अन्तिम प्रारूप तैयार हो चुके हैं, प्रस्तुत नहीं कर सका।

यह पहली निर्वाचित संसद् है। जैसा कि आपको ज्ञात है, पिछले पांच वर्षों में हमने बहुत सी महत्वपूर्ण विधियां पारित की हैं, जिन्हें वर्तमान अधिनियमों के संशोधनों से अधिक प्राथमिकता दी गई है। इन विधियों से श्रमिकों को संरक्षण दिया गया है। मैं चाहता हूं कि इन्हें और भी संरक्षण दिये जायें और विधियों में त्रुटियों को दूर किया जाये। किन्तु सदन के कार्य की प्राथमिकता पर भी विचार किया जाना होता है। मुझे कार्य मंत्रणा समिति पर कोई आपत्ति नहीं है कि उसने हमारा बहुत सा समय ले लिया है। किन्तु यही एक कारण है कि कुछ संशोधक विधेयक पारित नहीं किये जा सके।

मैं आशा करता हूं कि इस आश्वासन के बाद, श्री गोपालन अपने प्रस्ताव पर मतदान के लिये आग्रह नहीं करेंगे, क्योंकि ऐसा होने पर मुझे इसका विरोध करना पड़ेगा। यदि यह पारित हो गया तो इसे प्रशासित मुझे करना पड़ेगा और यदि मैं यह समझता हूं कि इसे क्रियान्वित करना असंभव है, तो मुझे इसका विरोध करना पड़ेगा।

†**श्री अ० क० गोपालन**: माननीय मंत्री ने वचन दिया है कि वह शीघ्र विधान पुरःस्थापित करेंगे। मैं इसके लिये उनका आभारी हूं। यह अच्छी बात है कि इस मामले में पहल सरकार ने की थी, किन्तु यह अधिक अच्छा होता यदि सरकार ने इसके बाद विधेयक भी इसी सत्र में पारित कर दिया होता।

राष्ट्रीयकृत उद्योग के बारे में, मंत्री महोदय ने कहा है कि कुछ उपबन्ध पहले से लागू हैं। किन्तु मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि यद्यपि त्रावनकोर-कोचीन में यह उद्योग राष्ट्रीयकृत है, श्रमिकों को अधिक समय तक काम करने के भत्ते से वंचित रखा गया है, इस कारण कुछ मास पूर्व एक हड़ताल भी हुई थी। मैं श्रम मंत्री को यह भी बताना चाहता हूं कि सरकारी उपक्रमों में बहुत से महत्वपूर्ण उपबन्ध जो हम चाहते हैं, लागू नहीं हैं। उन्होंने जांच करने का वचन दिया है। इसलिये इस प्रस्ताव पर आग्रह करने का कोई लाभ नहीं, क्योंकि यह पारित नहीं होगा। हम छः मास तक प्रतीक्षा करेंगे। यदि उस समय तक सरकार ने विधान प्रस्तुत न किया, तो हम यही विधेयक फिर प्रस्तुत करेंगे।

मैं यह नहीं मान सकता कि सरकार समय की कमी के कारण यह विधान पुरःस्थापित नहीं कर सकी। यदि सरकार चाहती तो इस सत्र से पहले ऐसा कर सकती थी। उसने बहुत से और महत्वपूर्ण

†मूल अंग्रेजी में।

[श्री अ० क० गोपालन]

विधेयक पुरःस्थापित किये हैं। तथापि मैं अपने प्रस्ताव पर आग्रह नहीं करता और विधेयक को वापस लेने की अनुमति चाहता हूं।

विधेयक सभा की अनुमति से वापस ले लिया गया।

नियम समिति

सातवां प्रतिवेदन

†**श्री राघवाचारी** (पेनुकोंडा) : प्रक्रिया तथा कार्यसंचालन सम्बन्धी नियमों के नियम ३०६ के उप-नियम (२) के अन्तर्गत मैं नियम समिति का सातवां प्रतिवेदन सभा पटल पर रखता हूं।

व्यवहार प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक

(धारा ८७ख को निकालना)

†**श्री म० ला० द्विवेदी** : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

"व्यवहार प्रक्रिया संहिता, १९०८ में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये"।

सभापति जी, मैंने पिछले सत्र में एक विधेयक इस सदन के सामने रखा था। यह एक छोटा सा विधेयक है लेकिन एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल को लेकर रखा गया है। जैसा कि सदन के सभी सदस्य को मालूम है और देश भर में तमाम लोगों को मालूम है, हमारे देश में बहुत से राजे महाराजे, जो पुराने राज्यों के शासक थे, अब भी हैं, और संविधान ने उनको नागरिकता के अधिकार दिये हैं क्योंकि वे इस देश के नागरिक हैं। लेकिन एक विचित्र बात यह है कि सिविल प्रोसीज्योर कोड (व्यवहार प्रक्रिया संहिता) के अन्तर्गत उनको कुछ ऐसे अधिकार दिये गये हैं जोकि संविधान में लिखी हुई बातों के बिल्कुल विरोध में हैं। उनको उसी भांति इस समय समझा जा रहा है जैसेकि वे कोई विदेशी शासक हों या इस देश के दुश्मन हों। इस संहिता की धारा ८५ में लिखा है :

"किसी विदेशी शासक की प्रार्थना पर अथवा किसी ऐसे व्यक्ति की प्रार्थना पर जोकि केन्द्रीय सरकार की अनुमति में विदेशी शासक की ओर से कार्य करने के लिये समर्थ हो, आज्ञा द्वारा किन्हीं भी व्यक्तियों को ऐसे शासकों के पक्ष के न्यायिक कार्य करने, दोषारोपण करने अथवा उनका पक्ष प्रतिपादन करने के लिये नियुक्त किया जा सकता है और जो व्यक्ति इस तरह नियुक्त किये जायेंगे वे अधिकृत कर्ता समझे जायेंगे। ये कर्ता लोग ऐसे शासकों की ओर से विधान प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत साक्षी देने का कार्य कर सकते हैं, प्रार्थनापत्र दे सकते हैं और अन्य कार्य भी कर सकते हैं।"

इसी प्रकार से धारा ८६ की उप-धारा (१) में लिखा है:

"बिना केन्द्रीय सरकार की अनुमति के और जब तक उस सरकार के सचिव द्वारा ऐसी अनुमति का लिखित प्रमाणपत्र न जारी किया जाय, किसी भी विदेशी शासक के विरुद्ध किसी ऐसे न्यायालय में, जोकि अन्यथा कार्यवाही करने में समर्थ हो, अभियोग नहीं चलाया जा सकता।"

---

†मूल अंग्रेजी में।

उपधारा (३) में लिखा है:

"इस विधान प्रक्रिया संग्रह के अन्तर्गत कोई भी विदेशी शासक बन्दी नहीं किया जा सकता और बिना भारत सरकार की अनुमति के जो उस सरकार के सचिव द्वारा लिखित प्रमाण-पत्र द्वारा प्रदत्त हो, किसी भी ऐसे शासक की सम्पत्ति पर जारी की गई डिगरी पर कार्यवाही नहीं की जायेगी ।"

जहां तक विदेशी शासकों का सम्बन्ध है या उन लोगों का सम्बन्ध है, जोकि देश के विरुद्ध हैं, मैं मान सकता हूं कि ये धारायें बिल्कुल सही हैं और उन पर अमल करना चाहिये । जब तक इस देश में छः सौ के करीब रियासतें थीं और उनके शासक स्वतन्त्र थे, तब तक उनको विदेशी शासकों के समान अधिकार प्राप्त थे । उस समय इस देश में अंग्रेजी शासन था, इसीलिये इन रियासतों के राजा महाराजा इस प्रकार के अधिकारों का उपभोग करते थे । लेकिन अब तो वे ६०० रियासतें पूरी तरह से हमारे भारत संघ का अंग बन चुकी हैं । अंग ही नहीं, राज्य पुनर्निर्माण अधिनियम के द्वारा, जोकि हमने अभी हाल में बनाया है, वहां के नागरिकों को वही अधिकार प्राप्त हो चुके हैं, जोकि देश के शेष नागरिकों को प्राप्त हैं । पुराने देशी राज्यों के नरेश अब सब मायनों में भारतीय नागरिक बन चुके हैं और हमारे संविधान में लिखा है कि सब भारतीय नागरिकों के अधिकार एक समान होंगे और उनमें किसी प्रकार का भेद-भाव नहीं किया जायेगा । ऐसी स्थिति में मेरी समझ में नहीं आता कि भारत सरकार ने उनको ऐसे अधिकार और सुविधायें क्यों दी हुई हैं, जोकि विदेशी शासकों को या हमारे देश के शत्रुओं को मिलती हैं ।

एक बहुत महत्वपूर्ण बात मैं इस सदन के सामने यह रखना चाहता हूं कि जब कोई व्यक्ति इस देश का नागरिक बनता है, तो उसके कुछ कर्त्तव्य हो जाते हैं, जिनका पालन करना उसके लिये उचित और आवश्यक होता है । हम देखते हैं कि हमारे सामने पंचवर्षीय योजना आई, द्वितीय पंचवर्षीय योजना आई, देश भर में एक नवीन जाग्रति का सूत्रपात हुआ और हमारे यहां अनेक क्षेत्रों में ऐसी महान् प्रगति हुई कि जिसको देख कर दूसरे देशों के लोग चकित हो गये । हम यह भी देखते हैं कि हमारे देश के साधारण नागरिक—चाहे वे ग्रामीण हों और चाहे नगर के निवासी—अपनी-अपनी शक्ति के अनुसार अपने-अपने क्षेत्र में सरकार के साथ सहयोग कर रहे हैं, पंचवर्षीय योजनाओं में श्रम दे रहे हैं, सम्पत्ति दे रहे हैं और अनेक प्रकार के कर इत्यादि द रहे हैं और इस प्रकार अपने देश के नाम को उज्ज्वल बनाने और उसको प्रगति की ओर ले जाने के लिये पूरा प्रयास कर रहे हैं । हमारे गृह मंत्रालय के मंत्री जी इस समय यहां पर बैठे हुए हैं । वह हमको बतलायें कि कौन से शासक हैं, जिन्होंने कभी श्रमदान आन्दोलन में कार्य किया हो या पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत कोई आर्थिक सहायता दी हो या देश की प्रगति सम्बन्धी कोई आशातीत कदम उठाया हो ? अगर वह इस तरफ कुछ इशारा करें, तो मैं समझूंगा कि आप इन भूतपूर्व शासकों को निजी खर्च के लिये जो बड़ी-बड़ी धनराशियां दे रहे हैं, उसमें कुछ औचित्य है । मैं जानता हूं कि आपने उनसे कुछ समझौते—कुछ करारनामे कर रखे हैं । मैं यह भी जानता हूं कि वे करारनामे सही हैं और उनका हमें पालन करना चाहिये, लेकिन क्या इन करारनामों के अन्तर्गत ऐसी बातें भी नहीं कर डाली गई हैं, जोकि हमको नहीं करनी चाहिये थीं ? हमने यह तय किया था कि राज्यों में राजप्रमुख और उपराज-प्रमुख होंगे और हमने उनको कुछ अधिकार भी दिये थे । हमने पहले एक कावेनेन्ट बनाया और फिर उसको बदल डाला ।

इस सम्बन्ध म मुझे सरदार पटेल की याद आती है, जिन्होंने इस देश में एक विशाल कार्य किया—जिन्होंने एक ऐसा कार्य करके दिखलाया, जोकि असम्भव मालूम होता था । सब देशी राज्य भारत संघ में विलीन हो गये अथवा उसके साथ एकीकृत हो गये जिसके कारण हमारे देश की स्थिति बड़ी

[श्री म० ला० द्विवेदी]

सुदृढ़ हो गई है और आज हम देश में चारों तरफ सुख समृद्धि देख रहे हैं। अगर ये भूतपूर्व शासक उन बड़ी-बड़ी रकमों से, जोकि उनको प्रिवी पर्स के रूप में मिल रही हैं, हमारी योजनाओं को चलाने में और इस देश को अपना देश समझ कर ऊंचा उठाने में सहायता करते, तो मैं उनको कुछ विशेषाधिकार दिये जाने का कुछ औचित्य समझता, लेकिन मुझे तो उनके रवैये से यह मालूम हुआ है कि वे इस देश की प्रगति के लिये किये जाने वाले कार्यों के साथ नहीं हैं, उनके साथ उनकी सहानुभूति नहीं है। आज इस देश के निर्धन किसानों की खून पसीने की कमाई का पैसा उनके पास जा रहा है। जो कुछ इस देश में हो रहा है, जरा हम उसकी तुलना दूसरे देशों से तो करें। चीन में काम पर वेतन मिलता है, जायदाद पर नहीं मिलता है। जायदाद तो वहां सरकार की है। वहां घण्टों के हिसाब से भी तन्ख्वाह नहीं दी जाती है। वहां तन्ख्वाह इस बात पर दी जाती है कि किसी व्यक्ति ने कितना काम किया है। वहां पर सामूहिक खेती का तरीका अपनाया गया है और सहकारी समितियां बनाई गई हैं। उपज से जो धन मिलता है, वह सब में बराबर-बराबर बांटा जाता है, लेकिन बराबर-बराबर इस मायने में नहीं कि वे को-आपरेटिव सोसायटी के बराबर सदस्य हैं, बल्कि, जितना अधिक काम किसी व्यक्ति ने किया होता है, उतना ही अधिक उसको पारिश्रमिक मिलता है। दूसरे देशों में भी इसी प्रकार की पद्धति अपनाई गई है। जिस किस्म की स्थिति हमारे देश में आपने उत्पन्न कर रखी है, वैसी किसी भी देश में नहीं मिलेगी।

मैं यह चाहता हूं कि हमारे देश के पुराने राजा महाराजा लोग इस बात को समझें कि यदि हम साधारण नागरिक की तरह यहां पर रहना चाहते हैं, तो हमको सब विशेषाधिकार छोड़ देने चाहियें। उनको चुनाव लड़ने का अधिकार दिया गया। वह ठीक है। उनको नागरिक बनाया गया। वह भी ठीक है। अब उनको आप बड़ी-बड़ी तन्ख्वाहें भी दे रहे हैं और वह इसलिये कि उन्होंने त्याग किया था और अपने राज्यों को भारत में मिलाया था। मैं यह कहना चाहता हूं कि यह तो उनको करना ही था। यह तो देश की मांग थी। ऐसी ही देश की हवा थी कि उनको ऐसा करने के लिये विवश होना पड़ा। अगर वे ऐसा न करते, तो वहां पर ऐसे उपद्रव होते, ऐसे-ऐसे बवंडर उठते कि उनके राज्य मिट जाते, उन्हें कोई तन्ख्वाहें न मिलतीं और उन्हें कोई जानता भी न। उन्होंने समय को पहचाना और सरदार पटेल की आवाज पर, भारत सरकार के कहने के अनुसार उन्होंने देश का साथ दिया, इस लिये हमने उनके लिये पेन्शनें मुकर्रर कर दीं। अगर कोई यह सोचता है कि देश चाहे जितना आगे निकल जाये, परन्तु उस पुरानी स्थिति को न बदला जाये, जिसमें एक ऐसा तबका बना हुआ है, जोकि संविधान के विपरीत काम कर रहा है---विपरीत इस दृष्टि से कि उन्होंने देश के निर्माण के कामों में, क्या सहयोग दिया है, कौन-कौन से सहायता के काम किये हैं, आप यह गिनाने में असमर्थ होंगे, क्योंकि इस सम्बन्ध में उनका रवैया बिल्कुल नकारात्मक रहा है---तो मैं कहना चाहूंगा कि वर्तमान स्थिति में वह ठीक नहीं है और सम्भव भी नहीं है। बदलती हुई परिस्थितियों के अनुकूल हमें सब वातावरण को बदलना होगा।

हमारे सामने सैंकड़ों ऐसे उदाहरण आये हैं कि साधारण नागरिकों ने, गरीब लोगों ने राजाओं के पास कर्ज के रूप में, डिपाजिट के रूप में रुपये जमा किये हुए हैं, लेकिन वे वापस नहीं देते हैं। आज परिस्थिति यह है कि अगर वे उन राजाओं के खिलाफ मुकदमा चलाना चाहते हैं, तो पहले उनको कन्द्रीय सरकार के पास अनुमति प्राप्त करने के लिये जाना चाहिये। आप देखें कि ये शासक लोग बड़े प्रभावशाली होते हैं और मंत्रालय और सचिवालय की हालत हम देख ही सकते हैं कि किस प्रकार हमारे बीच में भ्रष्टाचार फैला हुआ है। परिणाम यह होता है कि ये लोग प्रभाव डालते हैं, व्यय करते हैं और उनके विपक्ष में आज्ञा निकलने में बहुत विलम्ब होता है और कार्य शीघ्रतापूर्वक नहीं होता है। राजा महाराजाओं के पास धन व्यय करने और मुकदमा लड़ने की जो शक्ति और साधन होते हैं, उसको देखते हुए एक साधारण, गरीब नागरिक उनके खिलाफ मुकदमा चलाने में कैसे समर्थ हो सकता है। उन दोनों

का मुकाबला ही क्या है। इसके अलावा वह न्याय तक पहुंच ही नहीं सकता, जबकि वह केन्द्रीय सरकार की आज्ञा न ले और केन्द्रीय सरकार का अर्थ है सचिवालय और वहां प्रभाव के प्रयोग और भ्रष्टाचार की जो बातें होती हैं, उनको हम सब जानते ही हैं। सैंकड़ों ऐसे उदाहरण हैं कि केन्द्रीय सरकार को पता ही नहीं चल पाता है और इसलिये आज्ञा नहीं मिल पाती है और साधारण नागरिक राजा महाराजाओं से अपना पैसा वसूल नहीं कर सकता है।

श्री दी० चं० शर्मा (होशियारपुर): एक उदाहरण तो दें।

श्री म० ला० द्विवेदी : एक उदाहरण तो यहां पर है। यहां पर महाराजा आनन्द चन्द बैठे हैं। एक गरीब बुढ़िया ने, जोकि पहले इनके राज्य में थी, अपने कई हजार रुपये इनके पास जमा कर दिये थे लेकिन जब वह रुपया मांगने के लिये आई तो उन्होंने उसको मकान से निकलवा दिया और कहा कि हमारे पास पैसा नहीं है। वह बेवा मरने वाली है। उसके पास खाने को पैसा नहीं है। उसका कोई लड़का बच्चा भी नहीं है, जोकि उस को सहारा दे। वह उस रुपये से अपना शेष जीवन सुख से बिता सकती है और अपना निर्वाह कर सकती है, लेकिन उसके पास इतनी सामर्थ्य नहीं है कि वह भारत सरकार के पास पहुंच सके। उसका कोई वकील नहीं है जिससे वह अरजी ही लिखवा सके। न्यायालय में जाने का अधिकार आपने उस को दे नहीं रखा है।

मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि मैं इस सदन का समय इस प्रकार की मिसालें दे कर खर्च नहीं करना चाहता हूं। अगर कोई जानना चाहे, तो उसको इस प्रकार की दर्जनों नहीं, सैंकड़ों मिसालें मिल सकती हैं।

आप के ये कावेनेन्ट (प्रसंविदा) किस के लिये हैं? वे बनाये किसने हैं? संविधान सभा किस ने बनाई? संविधान सभा जनता की प्रतिनिधि थी। अगर आज जनमत लिया जाये, तो मालूम हो जायेगा कि जनता यह चाहती है कि ऐसे अधिकार अब भूतपूर्व शासकों के पास नहीं होने चाहियें। अगर आप जनमत लें, तो आपको इसका प्रत्यक्ष प्रमाण मिल जायेगा।

आप अगर जनता की आवाज नहीं सुनते हैं तो मैं चाहता हूं कि आप संसद् सदस्यों को छूट दे दीजिये कि वे जिस पक्ष में चाहें अपनी राय दे दें, आप उनको किसी तरफ मत देने के लिये मजबूर न करें, आप व्हिप (सचेतक) की बात छोड़ दें, सचेतक का इस्तेमाल न करें, तो आप देखेंगे कि कितने माननीय सदस्य इसके पक्ष में वोट देते हैं। ५०० सदस्यों में से शायद ही कुछ एक सदस्य ही ऐसे होंगे जो इसके खिलाफ वोट देंगे। बहुत कम सदस्य ही इस बात को चाहेंगे कि राजाओं के विशेषाधिकार बने रहें। मैं समझता हूं कि अगर माननीय मंत्री भी अपनी अन्तरात्मा को टटोलेंगे, तो वह भी बोल उठेंगे कि राजाओं और महाराजाओं के ये अधिकार आज के जमाने में बने नहीं रहने चाहियें। ये अधिकार समय के प्रतिकूल हैं। मैं इस बात को जानता हूं कि उनको इस विधेयक के विपक्ष में बोलना है क्योंकि वह समझते हैं कि उनके ये विशेषाधिकार कुछ दिन और चलने चाहियें। मैं समझता हूं कि जब तक बवन्डर खड़ा न हो जाये, देश की जनता आन्दोलन न करे, वह चिल्ला न उठे तब तक ये अधिकार समाप्त नहीं हो सकते। मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि १० सालों से निरन्तर मैं यह आवाज़ उठाता आ रहा था कि आपने यह जो क, ख, ग और घ श्रेणी के राज्य रखे हैं इनको समाप्त कर दीजिये क्योंकि राज्यों को ऊंची-नीची श्रेणियों में विभक्त करना गलत है और सारे भारतवर्ष में एक ही श्रेणी के राज्य होने चाहियें। मैं इस बात की मांग करता रहा हूं कि राजप्रमुख की प्रथा समाप्त कर दी जाये और अब सब राज्यों में राज्यपाल होने चाहियें। इस प्रकार की बहुतसी बात मैंने कही हैं। इन सब बातों को कहने से मेरा तात्पर्य यह था कि जो आप यह चाहते हैं कि सारे राज्य तरक्की करें यह बिना वर्गीकरण मिटाये पूरा नहीं हो सकता था और ये जो पिछड़े हुए हिस्से थे वे तरक्की नहीं कर सकत थ। आप इस चीज को टालते गये। आखिरकार आपको राज्य सीमा आयोग की नियुक्ति

[श्री म० ला० द्विवेदी]

करनी पड़ी और उसने जब इसी प्रकार की सिफारिशें कीं तो आपको मजबूर होकर इनको मानना पड़ा।। आज भी अगर आप कोई कमिशन मुकर्रर करेंगे, तो मैं विश्वासपूर्वक कह सकता हूं कि वह भी इस बात की सिफारिश करेगा कि इस विशेषाधिकार को समाप्त कर दिया जाये और आपको मजबूर हो कर उसकी इस सिफारिश को मानना पड़ेगा । इस वास्ते इस कमिशन को नियुक्त करके और उस पर लाखों रुपया खर्च करने के बाद अगर आप इस चीज को स्वीकार करते हैं तो इससे अच्छा तो यही है कि आप इस विधेयक को अभी स्वीकार कर लें। आपको चाहिये कि आप समय की जो पुकार है उसको सुनें और उसके मुताबिक काम करें ।

एक छोटी-सी धारा भारतीय प्रक्रिया संहिता में नम्बर ८७(ख) है। इस में यह लिखा हुआ है :

> "८७(ख) धारा ८५ और धारा ८६ की उप-धारा में (१) और (३) ठीक उसी भांति भूतपूर्व राज्यों के शासकों के सम्बन्ध में मान्य होंगी जिस भांति वे किसी विदेशी राज्य के शासक के सम्बन्ध में मान्य हैं।"

मैं ने अभी धारा ८५ भी पढ़ी थी और धारा ८६ की भी कुछ उपधारायें पढ़ी थीं और जिनको इन राजाओं महाराजाओं पर उसी तरह से लागू किया गया है जिस तरह से विदेशी शासकों पर। यह सब निरर्थक हैं, बेकार हैं और आपके लिये अच्छा यही है कि आप इस विधेयक को स्वीका रकर लें और जनता को बता दें कि आप उसके साथ हैं और पूंजीवादी लोग या बड़े-बड़े राजा महाराजाओं की जो हमारे स्वच्छ शरीर में जौंक की तरह चिपके हुए हैं, उनकी बात आप नहीं मानते ।

आपने इन शासकों को समान अधिकार दे रखे हैं और वे भारत के वैसे ही नागरिक हैं जैसे कि दूसरे लोग। अगर आप यह नहीं करते तो मैं चाहता हूं कि जो शासक हैं उनको यह कह देना चाहिये कि वे साधारण नागरिक के जो अधिकार हैं, वे उन्हें नहीं चाहते और केवल वे अधिकार जो विदेशी शासकों को मिले हुए हैं, वही चाहते हैं। इस बात की यदि वे घोषणा कर दें तो उनको इस कानून से मुक्ति मिली रहे, मुझे इस में कोई आपत्ति नहीं है। इससे हमें बहुत प्रसन्नता होगी। उनको बहुत से विशेषाधिकार प्राप्त हैं, मैं उन सब के सम्बन्ध में नहीं कहता। मेरे पास व्हाइट पेपर है और इसके पैरा २४० में विशेषाधिकारों आदि के विषय में लिखा हुआ है कि :

> "विभिन्न करारों और समझौतों के आधार पर राजाओं महाराजाओं को स्वत्वों, अधिकारों और मान्यताओं के कायम रहने के आश्वासन दिये गये हैं। ये लोग जिन अधिकारों आदि का उपभोग कर रहे हैं वे राज्य-राज्य में भिन्न थे। वे उनका उपभोग अपने राज्यों में तथा बाहर भी करते थे। मोटर गाड़ियों पर नम्बर की तख्ती से लेकर, नागरिक एवं अन्य कानूनों, आयात कर आदि से मुक्ति तक के छोटे और बड़े अधिकार उन्हें प्राप्त हैं। न भूत में और न अब यह उचित नहीं समझा गया कि इन अधिकारों की विस्तृत सूची बनाई जाये कारण कि यह व्यवहारिक न था । १९३५ में चालू की जाने वाली योजना के सूत्रपात के समय चलाई गई चर्चा में, अंग्रेजों के प्रभुता विभाग ने कह दिया था कि इन अधिकारों को मान्यता देने के सरकार के संकल्प के अतिरिक्त और कुछ नहीं किया जा सकता । इत्यादि"

इस तरह से इनके बहुत से स्वत्व और अधिकार हैं और छोटे-से-छोटे अधिकार से लेकर बड़े-से बड़े अधिकार आपने उनको दे रखे हैं। मैं यह कहना चाहता हूं कि बाकी सब अधिकार उनके बने रहेंगे, हम उनको शासक मानेंगे। आप उनको बंदूक बगैर लाइसेंस के देते हैं और दूसरे हथियार देते हैं। मैं बतलाना चाहता हूं कि इन हथियारों का दुरुपयोग किया जाता है, इनको किराये पर दिया जाता है,

इनको डाकुओं को दिया जाता है। अगर आपका गुप्तचर विभाग कुशलतापूर्वक कार्य करता है तो वह आपको ये सब बातें बता सकता है। इस तरह से आपने उनको जो भी अधिकार दिये हुए हैं, वे दिये रहें। जहां तक ये चीजें साधारण नागरिक पर कोई असर नहीं डालतीं या उसकी स्थिति में कोई अन्तर नहीं डालतीं, तब तक हम आप की सब बातें स्वीकार करते हैं। लेकिन एक छोटा सा विशेषाधिकार जो कि उनको ८७ (ख) के अन्तर्गत मिला हुआ है, मैं उसकी बाबत कह रहा हूं। इसके अलावा जितने भी और उनके विशेषाधिकार हैं वे बने रहें, मैं उनका विरोध नहीं करता। आप जानते ही हैं कि किस प्रकार से उन्होंने जनता के साथ दुर्व्यवहार किया है, किस प्रकार से जन सम्पत्ति की हानि की है, किस प्रकार से बड़े-बड़े मकान, बड़ी-बड़ी जमीन उठा रखी है और किस प्रकार से मकान बरबाद हो रहे हैं। इन आलीशान मकानों में सरकारी कार्यालय भी बन सकते हैं। खैर एक अध्याय तो समाप्त हो गया। अब जब हमने अपना संविधान तैयार कर लिया है और बड़े-बड़े कानून हम हर रोज बनाते हैं लेकिन एक ऐसी बात हम नहीं करते हैं और वह यह कि जो साधारण नागरिक है उसको हम यह अधिकार भी नहीं देते हैं कि वह इन राजाओं और महाराजाओं के खिलाफ सीधे जा कर न्याय प्राप्त कर सके। उसको अगर न्यायालय में जाना होता है, तो पहले उसको सचिव के पास पहुंचना पड़ता है, वहां से इजाजत लेनी पड़ती है, जिसके अन्तर्गत कई भ्रष्टाचार की बातें आती हैं, और उससे इजाजत लेने के बाद ही यदि मिल गई तो वह न्यायालय का दरवाजा खटखटा सकता है। यह न्याय नहीं है, यह बराबरी नहीं है, यह संविधान के अनुसार बात नहीं है और ऐसा करके मैं तो यह कहूंगा कि आप संविधान की उपेक्षा करते हैं। इस किस्म के वाहियात विशेषाधिकार आप अब भी राजाओं को दिये हुए हैं जिस से जनता को परेशानी उठानी पड़ती है।

आपने संविधान में लिखा हुआ है कि आप अपाहिजों को, उनको जो काम-काज करने के काबिल नहीं हैं, पैंशन देंगे। आप आज तक उनको पैंशन नहीं दे सके हैं। आपने चन्द दिन हुए एक छोटा सा विधेयक पारित किया था और उसमें आपने कुछ व्यवस्था का किया जाना स्वीकार किया था लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि जिन विधवाओं के पास कुछ सम्पत्ति थी और उन्होंने तथा दूसरे लोगों ने उसे इस उद्देश्य से राजाओं के पास जमा करवा दिया था कि बुढ़ापे म वे उनसे लकर उसका उपयोग करेंगी, आज उससे वे वंचित हो गई हैं क्योंकि आपका कानून उनकी राह में रुकावट पैदा करता है। उनके पास इतने साधन नहीं हैं कि वे आप तक पहुंच सकें और आपकी स्वीकृति प्राप्त करने के बाद, मुकदमा चला सकें। ऐसी स्थिति में मैं चाहता हूं कि आप साधारण नागरिक की सहायता करें। इससे आप साधारण जनता के मत भी प्राप्त कर सकेंगे और उसके साथ न्याय भी करेंगे। अब इन शासकों की सहायता आपके किसी काम नहीं आयेगी। आपको देने के लिये इनके पास आज कुछ भी नहीं है मत भी नहीं है और जनता में कोई इनके समर्थक भी नहीं रह गये हैं। इस वास्ते मैं चाहता हूं कि मंत्री महोदय अपनी राय को बदलें और न्याय मंत्रालय ने जो राय बना रखी है उसकी परवा न करें। न्याय मंत्रालय तो लकीर का फकीर है। उन्होंने तो एक कावेनेंट देख रखा है और उनका कहना है कि वे उसके खिलाफ नहीं जा सकते हैं। इस देश में आप ने एक सरकार को खत्म कर दिया और उसके स्थान पर दूसरी सरकार बना ली है और जो गवर्नमेंट आफ इंडिया एक्ट था वह रखा का रखा ही रह गया। इंग्लैंड की पार्लियामेंट ने जितने भी कानून बना रखे थे वे तमाम के तमाम रद्द हो गये और यहां पर एक स्वतन्त्र सरकार कायम हो गई। उसके बाद एक कानून था जिसके जरिये से भारतीय राज्यों में डाक-तार सुरक्षा और वैदेशिक कार्य के महकमे आपके हाथ में आ गये। यह कानून भी रखा रह गया और आपने तमाम की तमाम रियासतों को भी खत्म कर दिया। उनको किसी न किसी भारतीय राज्य में विलीन कर दिया गया और एक नया नक्शा आपके सामने आ गया। अब आज के जमाने में आप पुरानी लकीर को पीटते रहेंगे और लकीर के फकीर बनें रहेंगे तो इस देश की प्रगति रुक जायेगी। हमारे न्याय मंत्रालय को भी चाहिये कि वह प्रगति के पथ पर चले। उसको चाहिये कि वह सुन्दर कानूनों के पारित

[श्री म० ला० द्विवेदी]

होने में रोड़े न अटकाये । जब सदस्यगण किसी कानून को लाते हैं तो वे बड़े सोच विचार के बाद ही लाते हैं । अगर आप जनता की भावना की उपेक्षा करना चाहते हैं तो कर सकते हैं लेकिन इस तरह से काम नहीं चलेगा । आज हमारा देश बहुत आगे बढ़ गया है । पंडित जवाहरलाल नेहरू देश-विदेश में जा रहे हैं और हमारी शान बढ़ा रहे हैं, हमारी प्रतिष्ठा को बढ़ा रहे हैं । विदेशों से जो लोग आते हैं, दूसरे देशों के जो प्रधान मंत्री आते हैं, वे भारत की तारीफों के पुल बांधते हैं और कहते हैं कि भारत बड़ी तेजी से प्रगति कर रहा है । यहां पर बड़ी-बड़ी योजनायें कार्यान्वित हो रही हैं । इस सब के होते हुए हमारा जो न्याय मंत्रालय है वह अपनी राय को बदलना नहीं चाहता और यह नहीं जानता कि हमारे प्रधान मंत्री हमारे देश को कहां ले जाना चाहते हैं । और न्याय मंत्रालय किस गट्ठे की ओर बढ़ रहा है ।

इस वास्ते अब भी समय है कि न्याय मंत्रालय अपनी राय को दौहराय । मैं विश्वासपूर्वक कह सकता हूं कि अगर आप गृह-मंत्री पंडित पन्त को यह बात कहेंगे तो वह मान लेंगे और कहेंगे कि यह सही है और हमें इस विधेयक को स्वीकार कर लेना चाहिये । विधि मंत्री श्री पाटस्कर ने ही ऐसा कानून सदन में प्रस्तुत किया था, जब वे मंत्री नहीं थे । आज वे अपनी राय नहीं बदल सकते । पंडित जवाहरलाल नेहरू भी इसके पक्ष में होंगे और कांग्रेस में जितने भी माननीय सदस्य हैं वे भी इसको पसन्द करेंगे और साथ ही साथ विपक्ष के जो सदस्य गण हैं वे भी इसका विरोध नहीं करेंगे । ऐसी परिस्थिति में मैं नहीं समझता कि जब सारे का सारा जनमत एक तरफ है तो आप क्यों एक सैक्रेटरी साहब जो एक कमरे में बैठ कर अपनी राय बनाते हैं उनकी बात को मानते हैं और इसका विरोध करते हैं । ऐसी स्थिति नहीं होनी चाहिये । आज देश का और समय का तकाजा है, कि आप इन बातों को मानिये जिनको जनता बहुत बड़ी तादाद और बहुमत से चाहती है ।

इन शब्दों के साथ मैं इस विधेयक को विचार के लिये और पारित होने के लिये प्रस्तुत करता हूं और आपसे प्रार्थना करता हूं कि मेरे इस विधेयक को आप स्वीकार कर लें । इस से बहुत बड़ा जन-कल्याण होगा ।

†**सभापति महोदय** : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ ।

†**श्री टेक चन्द** (अम्बाला-शिमला) : मैं इस विधेयक के प्रस्तावक को बधाई देता हूं, क्योंकि वह हमारी व्यवहार प्रक्रिया संहिता से एक धब्बा मिटाने का प्रयास कर रहे हैं । यह केवल धब्बा ही नहीं, देश के नागरिकों के बीच विभेद करने का साधन भी है ।

यह विशेषाधिकार भारतीय राज्यों के नरेशों को दिया गया था । अब जबकि उनका वह दर्जा नहीं रहा, अर्थात् जब वे राज्य के प्रमुख नहीं रहे, तो उनके विशेषाधिकार बनाये रखने का कोई कारण नहीं । जब तक इन्हें भारत की नागरिकता प्राप्त नहीं हुई थी, आप उनके विशेषाधिकार कायम रख सकते थे । किन्तु उनके इस देश के नागरिक बन जाने के बाद, वे विशेषाधिकार क्यों प्रयोग करने दिये जायें जो विदेशी राजाओं या विदेशी राज्यों के प्रमुखों के लिये हैं । यदि उनको ऐसे विशेषाधिकार दिये जायें, जिन से दूसरे नागरिक अपने मूल अधिकारों से वंचित न हों, तो मुझे कोई आपत्ति न होगी । आप उन्हें बिना लाइसेंस के बन्दूक रखने का विशेषाधिकार दे सकते हैं, उनकी कारों के लिये लाल रंग की प्लेटें रख सकते हैं, तोपों की सलामी का विशेषाधिकार दे सकते हैं, किन्तु यदि किसी दूसरे नागरिक को उसके अधिकार से वंचित करके कोई विशेषाधिकार देते हैं, तो वह बहुत आपत्तिजनक है ।

इन नरेशों को राज्य क्षेत्रातीत क्षेत्राधिकार देने का परिणाम क्या होता है ? मैं वकील होने के नाते अपने अनुभव से कह सकता हूं कि हिमाचल प्रदेश के छोटे-छोटे राजे दो-दो सौ रुपये उधार

†मूल अंग्रेजी में ।

लेते थे और वापस करने से इन्कार कर देते थे, भारत सरकार ऋणदाता को कहती थी कि वह विदेशी नरेश हैं वे भारत के दीवानी न्यायालयों के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत नहीं आते । इसलिये आप चाहे दीवालिया हो जायें उनके विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की जा सकती ।

मैं नहीं समझ सका कि यह विशेषाधिकार किस सिद्धान्त के अनुसार दिया गया था और अब इसे क्यों जारी रखा जा रहा है और किसी नरेश के विरुद्ध व्यवहारवाद लाने की कभी अनुमति नहीं दी गई । उनके विरुद्ध किसी प्रकार का व्यवहारवाद नहीं लाया जा सकता । इस देश के विधान के अनुसार, यदि कोई नरेश किसी को जान से मार दे, या किसी का कोई अंग तोड़ दे, तो भी हरजाने के लिये उस पर मुकदमा नहीं चलाया जा सकता । न्यायालय के द्वार वादी के लिये बन्द हैं ।

इस के अतिरिक्त, यह विशेषाधिकार पारस्परिकता का है । इसका अर्थ यह है कि इस राज्य के प्रमुख या प्रतिनिधि को विदेशी राज्य में उसी प्रकार के और तत्स्थानी विशेषाधिकार प्राप्त होते हैं और जब विदेशी राज्य का प्रमुख या प्रतिनिधि इस देश में आता है, तो उसके भी वही विशेषाधिकार समझे जाते हैं । जहां तक इन नरेशों का सम्बन्ध है, उनके कोई राज्य नहीं हैं और पारस्परिकता का प्रश्न ही पैदा नहीं होता । उन्हें यह विशेषाधिकार देकर आपको बदले में क्या मिलता है ? वे न केवल आप की विधियों को नहीं मानते, बल्कि उनकी हंसी उड़ाते हैं । वे किसी की जान भी ले सकते हैं, मान हानि कर सकते हैं, अपहरण कर सकते हैं किन्तु न्यायालय कहेगा कि उनके विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की जा सकती । आप उन्हें और जो चाहे विशेषाधिकार दें, किन्तु क्षेत्राधिकार से उन्मुक्ति देने की बात समझ में नहीं आ सकती । इसका कोई आधार नहीं है । इसलिये मेरा निवेदन है कि यह धब्बा मिटा देना चाहिये ।

†**श्री ही० ना० मुकर्जी** (कलकत्ता–उत्तर-पूर्व): मुझे हर्ष है कि इस सत्र के अन्त में हम श्री द्विवेदी के विधेयक पर चर्चा कर रहे है और इसमें से एक बड़ी भारी त्रुटि दूर कर रहे हैं । मैं आशा करता हूं कि यह विधेयक सर्व सम्मति से पारित कर दिया जायेगा और सरकार कोई प्रविधिक आपत्ति नहीं उठायेगी ।

[**श्री बर्मन** पीठासीन हुए]

धारा ८७ख की विसंगति इसलिये रह गई है कि हमें कुछ चीजें विभाजन के समय विरासत में मिली हैं । वे अभी तक हमारे पास हैं । अब उन्हें हटा देने का समय आ गया है । हमें अब यह समझ लेना चाहिये कि अब रजवाड़ों का जमाना गुजर चुका है ।

हमें भूतपूर्व नरेशों के विरुद्ध कोई शिकायत नहीं है । इस सदन में भी कुछ नये भूतपूर्व नरेश हैं, जो बहुत माननीय व्यक्ति हैं । किन्तु यह उचित ही है कि जो विभेदकारी विशेषाधिकार उन्हें प्राप्त थे, व दूर कर दिये जायें । इसलिये मैं समझता हूं कि इस विधेयक का सब को स्वागत करना चाहिये ।

मैं जानता हूं कि हमें यह बताया जायेगा कि हमारे संविधान में कुछ ऐसे उपबन्ध हैं, जिनके कारण सरकार इस विधेयक को स्वीकार नहीं कर सकेगी । इस सम्बन्ध में अनुच्छेद ३६२ या अनुच्छेद २९१ का उल्लेख किया जायेगा, जिनमें भूतपूर्व भारतीय राज्यों के नरेशों के विशेषाधिकारों के बारे में कुछ आश्वासन दिये गये हैं । किन्तु मेरा निवेदन है कि हमें इन उपबन्धों का निर्वचन उदारता से करना चाहिये और इनकी भावना को ध्यान में रखना चाहिये । संविधान का आशय यह नहीं है कि प्रत्येक विशेषाधिकार को जो भूतपूर्व भारतीय राज्यों के नरेशों को प्राप्त थे, सदा जारी रखा जायेगा मैं

†मूल अंग्रेजी में ।

[श्री ही० ना० मुकर्जी]

मैं अनुभव करता हूं कि देश के लोगों की भावना और इस सदन की राय को ध्यान में रखते हुए माननीय मंत्री को यह विधेयक स्वीकार कर लेना चाहिये ।

इसका एक और महत्वपूर्ण कारण यह भी है कि १९५७ में हम १८५७ की स्वतन्त्रता की लड़ाई की पहली शताब्दी मनाने वाले हैं। इस प्रकार के विशेषाधिकारों से उस वातावरण की याद ताजा होती है, जिससे हम घृणा करते हैं—विशेषकर शताब्दी के वर्ष में। मैं आशा करता हूं कि सरकार इस विधेयक को पारित करने में कोई रोड़ा नहीं अटकायेगी ।

†**श्री दी० चं० शर्मा** : इस विधेयक के सम्बन्ध में जो समस्या है, वह सीधी सी है। वह यह है कि क्या हम भारत में दो प्रकार के नागरिक चाहते हैं या केवल एक प्रकार के। स्वतन्त्र भारत की नागरिकता का अर्थ है, राजनैतिक समानता। मैं समझता हूं कि भारत के प्रत्येक नागरिक को मताधिकार और समान अवसर प्राप्त हैं। समाजवादी ढंग के समाज की नयी नीति में, प्रत्येक नागरिक को आर्थिक समानता का आश्वासन दिया गया है। किन्तु इन अधिकारों से कहीं अधिक महत्वपूर्ण विधि के समक्ष समानता है ।

अन्तर्राष्ट्रीय सभाओं में एक ही बात सुनायी पड़ती ह और वह यह कि विधि का शासन होना चाहिये जिसका अर्थ यह है कि विधि में कोई भेदभाव नहीं होता ।

किन्तु भारत में यह एक प्रकार की वैध-अवैधता है जो यथाशीघ्र समाप्त की जानी चाहिये। भारतीय राज्यों के भूतपूर्व नरेशों को जिस प्रकार की उन्मुक्ति हमने दी है वह भारत में लोकतन्त्र के सुचारु रूप से चलने के लिये घातक है ।

मेरे माननीय मित्र श्री टेकचन्द ने अभी बताया है कि यदि वे किसी व्यक्ति का अपहरण करें, किसी को फुसलायें तो उनसे हरजाना नहीं लिया जा सकता। इस प्रकार के विशेषाधिकार समाप्त किये जाने चाहियें। विदेशी शासन काल में उन्हें कुछ रियायतें और विशेषाधिकार दिये गये थे और अब वह समय आ गया है जबकि वे अधिकार वापस ले लिये जाने चाहियें। मेर माननीय मित्र श्री ही० ना० मुकर्जी ने अभी बताया है कि हमारे देश में विदेशियों का शासन मजबूत बना रखने के लिये इन देशी नरेशों को रखा गया था। अब विदेशी शासक जा चुके हैं और हम स्वतन्त्र हैं। ये नरेश अब भारत के अन्य नागरिक जैसे ही हैं और उन्होंने अपनी इच्छानुसार अपना पेशा चुन लिया है। अतः यह विधि संबंधी तथा संवैधानिक विचित्रता है कि ये व्यक्ति उन व्यवहार विधियों के अधीन न हों, जिनके अधीन हम सभी लोग हैं। अतः मैं कोई कारण नहीं देखता कि वह विधियां उन पर क्यों न लागू हों। भारत में अधिक लोकतन्त्र और अधिक समानता उत्पन्न करने के लिये हमने कई बार संविधान भी बदला है। फिर, मैं श्री दातार से पूछता हूं कि हम इस विषय में ही संविधान पर क्यों अड़े रहें ? यदि आप संहिता पढ़ें तो आपको मालूम होगा कि इन नरेशों को विदेशी राजदूत और विदेशी दूतों के साथ रखा गया है, जैसे कि वे इस देश के ही न हों । किन्तु यह तो उन नरेशों को ही चाहिये कि वह यह घोषित करें कि हम अपने ऊपर से विदेशी होन का कलंक मिटा देना चाहत हैं और यह चाहते हैं कि भारत की राजनैतिक अर्थ-व्यवस्था में हमें पूरी तौर स आत्मसात् कर लिया जाये। मैं जानता हूं कि हमारे प्रधान मंत्री की अपील पर कुछ नरेशों ने अपनी निजी थैलियों का कुछ भाग भी छोड़ दिया है किन्तु सब से अच्छी बात तो यह है कि वे अपना वह विशेषाधिकार छोड़ दें जो उस समय की याद दिलाता है जब कि भारत पराधीन था। मेर विचार से विदशी शासन की ये स्मृतियां समाप्त कर दी जानी चाहियें। अतः इन नरशों से कहा जाये कि वे अपन सभी विशेषाधिकार छोड़ दें। आगे मेरा निवेदन है कि विधि के समक्ष समानता का सिद्धान्त लागू किया जाये और कोई व्यक्ति एक दूसरे से किसी प्रकार वरिष्ठ न समझा

†मूल अंग्रेजी में ।

जाये। यह विशेषाधिकार समाप्त करके ही हम यह दिखा सकते हैं कि भारत में केवल एक ही प्रकार की नागरिकता है ।

†**श्री काजमी** (जिला सुल्तानपुर––उत्तर व जिला फैजाबाद दक्षिण-पश्चिम): इसमें कोई संदेह नहीं कि संविधान में भूतपूर्व नरेशों और विदेशियों को कुछ संरक्षण दिया गया है किन्तु प्रश्न यह है कि क्या वह उन विशेषाधिकारों के क्षेत्र के अन्तर्गत है जो भूतपूर्व नरेशों को दिये जा रहे हैं? वे भारत के बाहर न कोई व्यापार कर सकते हैं और न कोई सम्पत्ति रख सकते हैं। ऐसी दशा में क्या उनका कोई विशेषाधिकार कायम रखा जा सकता है ?

धारा ८५ से केवल उन्हें भारत में कोई विशिष्ट काम करने के लिये कोई अभिकर्ता नियुक्त करने का विशेषाधिकार दिया गया है। भारत में किसी अन्य व्यक्ति को भी वह अधिकार प्राप्त है। अतः हमें इसमें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिये ।

आगे धारा ८६ (१) से उन्हें यह विशेषाधिकार दिया गया है कि विदेशी राज्य के किसी शासक पर किसी न्यायालय में, जो मुकदमा चलाने के लिये अन्यथा उपयुक्त हो, केन्द्रीय सरकार की सम्पत्ति के बिना अभियोग नहीं चलाया जा सकेगा। मेरा यह निवेदन है कि यदि वह विदेशी शासक भारत में व्यापार करता हो तो उसके विरुद्ध मुकदमा दायर करने के लिये मंजूरी अवश्य दी जानी चाहिये। प्रत्येक भूतपूर्व नरेश की भारत में अचल सम्पत्ति है और यदि उसके विरुद्ध कोई अभियोग चलाना हो तो वह उस सम्पत्ति के सम्बन्ध में चलाया जायेगा । मेरे माननीय मित्र ने जिस प्रकार के लेन-देन का उल्लेख किया है, वे ऐसे लेन-देन हैं जो भूतपूर्व नरेशों ने भारत के नागरिकों के साथ किये हों । यदि भारत के बाहर उनका कोई अभियोग होता तो उन्हें कुछ संरक्षण दिया जाता कि इस सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार की मंजूरी आवश्यक होगी । अतः जब वे भारत के बाहर नहीं रहते हैं तो केन्द्रीय सरकार को यह स्पष्ट कर देना चाहिये कि प्रत्येक मामले में मंजूरी दी जायेगी । इस में कोई विशेषाधिकार का प्रश्न नहीं है। प्रश्न यह है कि धारा ८६ (२) के अधीन वे आज प्रत्येक उपबन्ध का उल्लंघन कर रहे हैं। अतः यह केन्द्रीय सरकार पर निर्भर नहीं है कि वह उन्हें कोई विशेषाधिकार दे ।

वास्तव में, अनुच्छेद ३६२ और २९१ के अधीन दिये गये विशेषाधिकार बिलकुल भिन्न विशेषाधिकार हैं। अनुच्छेद २९१ में केवल भुगतान का तरीका बताया गया है। वास्तव में वह विषय राज्यों के और नरेश के बीच का विषय है । जनता से उसका कोई सम्बन्ध नहीं है। उस अनुच्छेद में नरेश के व्यक्तिगत अधिकारों विशेषाधिकारों और प्रतिष्ठाओं के सम्बन्ध में कोई प्रत्याभूति नहीं दी गयी है। मैं नहीं समझता कि माननीय सदस्य "व्यक्तिगत अधिकारों" का अर्थ दूसरों को धोखा देने का अधिकार कहेंगे । व्यक्तिगत अधिकारों में यह बात नहीं आती कि दूसरों से अवैध रूप से धन ले लिया जाये और उसे वापस लौटाया न जाये । व्यक्तिगत अधिकारों का यह अर्थ नहीं कि बिना किसी व्यवहारिक दायित्व के दूसरों की सम्पत्ति का उपभोग किया जाये ।

जहां तक गरिमा का सम्बन्ध है, अनुच्छेद २९१ और ३६२ से करार के कारण किसी व्यावहारिक दायित्व या गिरफ्तारी क सम्बन्ध में उन्हें कोई संरक्षण नहीं दिया गया है। मेरा तो यह निवेदन है कि वर्तमान प्रथा से संविधान के अनुच्छेद १४ का उल्लंघन होता है। उस अनुच्छेद से न केवल अल्पसंख्यकों का बहुसंख्यकों से बल्कि बहुसंख्यकों का अल्पसंख्यकों से संरक्षण किया गया है। यदि किसी ने भूतपूर्व नरेश को कोई रुपया उधार दिया हो तो न्यायालय से रुपया वसूल करने के अधिकार से उसे केवल इस कारण वंचित नहीं किया जाना चाहिये कि वे बहुसंख्यक हैं ।

---

†मूल अंग्रेजी में ।

[श्री काजमी]

अतः सरकार की मंजूरी न देने की वर्तमान प्रथा संविधान के अनुच्छेद १४ के प्रतिकूल है और वह किसी भी अनुच्छेद के अनुरूप नहीं है। मैं समझता हूं कि वर्तमान विधेयक से वह संदेह और कठिनाई दूर हो जायगी और स्थिति स्पष्ट होगी । मैं विधेयक का समर्थन करता हूं ।

†**श्री रामचन्द्र रेड्डी** (नेल्लोर) : यह विधेयक आठ महीने से अधिक अवधि से इस सभा के सामने है और मैं समझता हूं कि सरकार ने यह विधेयक स्वीकार कर लेने का निश्चय कर लिया होगा।

अब वे नरेश शासक नहीं रहे और मैं समझता हूं कि उनमें से अधिकतर इस बात के लिये चिन्तित हैं कि वे शासक की अपेक्षा जनसाधारण में ही समझे जायें। उन पर भी देश की सामान्य विधि लागू की जाये। वे शासक यह नहीं चाहते कि उन्हें शासक कहा जाये और वे यह संरक्षण भी नहीं चाहते। इस शक्ति का यह केन्द्रीयकरण जारी रखना अनावश्यक मालूम होता है और जनसाधारण की तरह उनके साथ व्यवहार करने का काम न्यायालयों पर छोड़ दिया जाये। मैं नहीं समझ पाता कि कांग्रेस सरकार जो समानता और स्वातन्त्र्य का समर्थन करती है, व्यवहार प्रक्रिया संहिता में यह विशिष्ट धारा क्यों जारी रखना चाहती है। माननीय मंत्री से मेरा आग्रह है कि वे यह विधेयक स्वीकार कर लें और इन लोगों को जनसाधारण बनने की अनुमति दें।

†**श्री साधन गुप्त** : (कलकत्ता–दक्षिण-पूर्व): मेरे विचार से इस विधेयक में कम से कम पन्द्रह दिन देर हुई है क्योंकि अब तक इस पर पूरी चर्चा होकर यह पारित हो जाना चाहिये ।

श्री टेक चन्द ने बताया है कि इन शासकों के विरुद्ध अभियोग चलाने में, उसके लिये केन्द्रीय सरकार की अनुमति प्राप्त करने में लोगों को कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। किन्तु उसमें और भी कई अनेक महत्वपूर्ण सिद्धान्त निहित हैं। इस उपबन्ध के पीछे कलंकपूर्ण इतिहास के आधार पर और उन निन्दनीय सिद्धान्तों के कारण भी मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं।

इन उपबन्धों का इतिहास यह है कि अंग्रेजों को इन राजा महाराजाओं की जरूरत थी किन्तु वे अपनी आवश्यकतानुसार इन्हें गद्दी स उतार देते थे या बिठा देते थे या और किसी तरह गिरा देते थ। किन्तु जनता की नज़रों में उन्हें ऊंचा उठाये रखने के लिये उन्हें १९ या २१ तोपों की सलामी लेने का अधिकार दिया गया था और विदेशी सार्वभौम शासकों के बराबर उन्हें पद दिया गया था। इसी कारण उन्हें भारत के न्यायालयों में अपने विरुद्ध किसी कार्यवाही से उन्मुक्ति प्राप्त थी ।

यह एक बड़ा दुर्भाग्य है कि अब गणतन्त्र संविधान लागू हो जाने के बाद भी हमने वही बात जारी रखी है। श्री मुकर्जी ने उसे एक भद्दा जन्म-चिन्ह बताया है किन्तु मैं तो उसे और अधिक बुरा समझता हूं क्योंकि संविधान लागू होने के बाद वह हम पर लगाया गया है ।

यह धारा ८७ख व्यवहार प्रक्रिया संहिता में एक संशोधन द्वारा १९५१ में जारी की गयी थी । मैं जानता हूं कि उससे पुराना उपबन्ध एक अलग तरीके से जारी रखा गया है किन्तु यह लज्जा की बात है कि लोकतन्त्रात्मक सरकार कहलाने वाली भारत की गणतन्त्र सरकार ने ऐसा विधान पारित किया। उस विधि के विरुद्ध ही हम आज आवाज उठा रहे हैं।

मुझे सन्देह है कि सरकार यह विधेयक स्वीकार नहीं करेगी। कारण यह है कि जब कभी देशी नरेशों के बारे में और उनकी निजी संपत्ति के बारे में प्रश्न पूछे जाते हैं तो यह उत्तर दिया जाता है कि वह सब बताना सार्वजनिक हित में नहीं है। इस प्रकार के व्यवहार से हमें सन्देह उत्पन्न होता है। इसी आधार पर मुझे आशंका है कि सभा के सभी दलों से समर्थन प्राप्त होने पर भी यह विधेयक सम्भवतः स्वीकार न किया जाये ।

---

†मूल अंग्रेजी में।

मैं यह भी जानता हूं कि संवैधानिक कठिनाइयां सामने रखी जायेंगी। श्री मुकर्जी और श्री काजमी ने अनुच्छेद २९१ और ३६२ की व्याख्यायें दी हैं किन्तु यदि उस कारण कोई कठिनाइयां हों तो मैं यही कहूंगा कि यह कलंक हटाने के लिये संविधान में संशोधन किया जाये । यदि संविधान का कोई खण्ड या उसकी व्याख्या इस प्रकार हो कि ऐसा विधेयक उस कारण रद्द हो जाये तो वह संविधान ही लोकतन्त्रात्मक भावनाओं के विपरीत है और ऐसा संविधान नहीं रखना चाहिये जो लोकतन्त्रात्मक भावनाओं के अनुरूप न हो । यदि सरकार इस कारण संविधान में कोई संशोधन प्रस्तुत करे तो हम विश्वास दिलाते हैं कि हम सभी, चाहे वे किसी दल के हों, उन संशोधनों को वास्तव में कार्यान्वित करने में सहायक होंगे ।

सम्भव है कि उन नरेशों को उनके व्यक्तिगत विशेषाधिकारों का संरक्षण किये जाने के आश्वासन दिये गये हों किन्तु उन आश्वासनों का कोई नैतिक मूल्य नहीं है। वे आश्वासन देश की वर्तमान परिस्थितियों के बिलकुल प्रतिकूल हैं। अतः मेरा यह आग्रह है कि यह विधेयक स्वीकार किया जाये । मैं इससे सहमत नहीं हूं कि उसमें संविधान की कोई रोक है और यदि हो भी तो वह रोक हटा दी जानी चाहिये और केवल उस कारण विधेयक रद्द नहीं कर दिया जाना चाहिये। हम चाहते हैं कि देश की लोकतन्त्रात्मक भावनाओं का समुचित आदर किया जाये और तभी सरकार लोकतन्त्रात्मक होने का दावा कर सकती है।

इसके पश्चात् लोक-सभा शनिवार, २२ दिसम्बर, १९५६ के ग्यारह बजे तक के लिये स्थगित हुई ।

———

दैनिक संक्षेपिका

[शुक्रवार, २१ दिसम्बर, १९५६]

विषय **पृष्ठ**

स्थगन प्रस्ताव १४३१–३२

खाद्य उपमंत्री (श्री मो० वें० कृष्णप्पा) द्वारा दिये गये वक्तव्य को ध्यान में रखते हुए अध्यक्ष महोदय ने उत्तर प्रदेश के पूर्वी जिलों के बाढ़ पीड़ित क्षेत्रों में अनाज की कमी को दूर करने के लिये पर्याप्त उपाय करने में सरकार की कथित असफलता के बारे में सर्वश्री रा० न० सिंह और रामजी वर्मा द्वारा सूचित स्थगन प्रस्ताव को प्रस्तुत करने की सहमति नहीं दी ।

सभा पटल पर रखे गये पत्र ... १४३२–३३

निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे गये :

(१) विभिन्न सत्रों में, जैसा कि प्रत्येकके सामने दिखाया गया है, मंत्रियों द्वारा दिये गये विभिन्न आश्वासनों, वचनों तथा प्रतिज्ञाओं के सम्बन्ध में सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के निम्न विवरणों में से प्रत्येक की एक-एक प्रति :

(१) प्रथम विवरण : लोक-सभा का चौदहवां सत्र, १९५६
(२) अनुपूरक विवरण संख्या ७ लोक-सभा का तेरहवां सत्र, १९५६
(३) अनुपूरक विवरण संख्या १३ लोक-सभा का बारहवां सत्र १९५६
(४) अनुपूरक विवरण संख्या १५ लोक-सभा का ग्यारहवां सत्र, १९५५
(५) अनुपूरक विवरण संख्या १८ लोक-सभा का दसवां सत्र, १९५५
(६) अनुपूरक विवरण संख्या २४ लोक-सभा का नवां सत्र, १९५५
(७) अनुपूरक विवरण संख्या २७ लोक-सभा का आठवां सत्र, १९५४

(२) भारत रक्षित बैंक अधिनियम, १९३४ की धारा २१क की उपधारा (२) के अधीन राजस्थान के राज्यपाल और भारत रक्षित बैंक के बीच हुए मुख्य और अनुपूरक करारों में से प्रत्येक की एक-एक प्रति ।

राज्य सभा से सन्देश १४३३

सचिव ने राज्य-सभा से निम्न दो सन्देश प्राप्त होने की सूचना दी :

(१) कि राज्य-सभा लोक-सभा द्वारा ८ दिसम्बर, १९५६ को पारित कर्मचारी भविष्य निधि (संशोधन) विधेयक से बिना किसी संशोधन के सहमत हो गई है ।

(२) कि राज्य-सभा लोक-सभा द्वारा ११ दिसम्बर १९५६ को पारित विद्युत् (सम्भरण) संशोधन विधेयक से बिना किसी संशोधन के सहमत हो गई है ।

प्राक्कलन समिति के प्रतिवेदन प्रस्तुत किये गये १४३४–३५

पैंतीसवां, छत्तीसवां, सैंतीसवां और चालीसवां प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया ।

विषय	पृष्ठ
अनुपस्थिति की अनुमति	१४३५–३६
पादरी रिचर्डसन को सारे चौदहवें सत्र के लिये सभा की बैठकों से अनुपस्थित रहने की अनुमति दे दी गई ।	
पारित विधेयक ...	१४३६–७२
बैंकिंग समवाय (संशोधन) विधेयक पर विचार करने के प्रस्ताव पर अग्रेतर चर्चा जारी रही । प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और खण्डवार विचार के पश्चात् विधेयक संशोधित रूप में पारित हुआ ।	
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति का प्रतिवेदन स्वीकृत हुआ ...	१४७२
सड़सठवां प्रतिवेदन स्वीकृत हुआ ।	
गैर-सरकारी सदस्य का विधेयक पुर:स्थापित किया गया	१४७२
वृद्ध और दुर्बल व्यक्तियों के गृह विधेयक।	
गैर-सरकारी सदस्य का विधेयक वापस लिया गया	१४७२–८०
श्री अ० क० गोपालन के मोटर परिवहन श्रमिक विधेयक पर विचार करने के प्रस्ताव पर अग्रेतर चर्चा जारी रही। चर्चा के पश्चात् विधेयक सभा की अनुमति से वापस ले लिया गया ।	
नियम समिति का प्रतिवेदन सभा पटल पर रखा गया	१४८०
सातवें प्रतिवेदन की एक प्रति सभा पटल पर रखी गयी।	
गैर-सरकारी सदस्य के विधेयक विचाराधीन	१४८०–९१
श्री म० ला० द्विवेदी ने व्यवहार प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक, (धारा ८७ ख को निकालना) पर विचार करने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया । चर्चा समाप्त नहीं हुई।	
शनिवार, २२ दिसम्बर, १९५६ की कार्यावलि ।	
निम्नलिखित पर विचार और उन्हें पारित करना :	
१. फरीदाबाद विकास निगम विधेयक में राज्य सभा द्वारा किया गया संशोधन।	
२. दिल्ली (भवन निर्माण कार्य नियंत्रण) जारी रखना विधेयक।	
३. गन्दी बस्तियां (सुधार तथा हटाना) विधेयक।	
४. दिल्ली किरायेदार (अस्थायी संरक्षण) विधेयक।	
५ पुस्तक प्रदान (सार्वजनिक पुस्तकालय) संशोधन विधेयक संघ लोक सेवा आयोग के प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव पर चर्चा।	

M58LSD(SI)—190—24-4-58—GIPF.